अष्टम माला, खंड 9, अंक 25

बुधवार, 28 अगस्त, 1985
6 भाद्र, 1907 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र
(आठवीं लोक सभा)

(खंड 9 में अंक 21 से 26 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक वहीं माना जायेगा।]

विषय-सूची

अष्टम माला, खण्ड 9, तीसरा सत्र, 1985/1907 (शक)

अंक 25, बुधवार, 28 अगस्त, 1985/6 भाद्र, 1907 (शक)

विषय	पृष्ठ
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	4—7
राज्य-सभा से संदेश	7
लोक लेखा समिति	8
13वां और 14वां प्रतिवेदन	
विधेयक—पुर:स्थापित	
भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक	8
नियम 377 के अधीन मामले	9—13
(1) शाहजहांपुर, उत्तरप्रदेश, में मलेरिया, हैजा आदि जैसे रोगों का फैलाव रोकने के लिए वहां पर एक केन्द्रीय चिकित्सा दल भेजने की आवश्यकता	
श्री जितेन्द्र प्रसाद	9
(2) उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 43 को चौड़ा करना	
श्री के० प्रधानी	9
(3) उत्तर बिहार में महाराजगंज में एक कागज मिल अथवा उर्वरक कारखाना खोलने की मांग	
श्री कृष्ण प्रताप सिंह	10
(4) जम्मू तथा काश्मीर में तहसील बिशनाह में ग्राम अरनिया, के निकट "अइक नाला" पर एक पुल का निर्माण	
श्री जनक राज गुप्ता	10

(5) उड़ीसा के बालासोर जिले में भद्रक निर्वाचन-क्षेत्र के किसानों को बारम्बार आने वाली बाढ़ से बचाने के लिए स्थायी उपाय करने की आवश्यकता

श्री अनन्त प्रसाद सेठी 11

(6) हुगली नदी के पानी का सुगम प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित समय के अन्तर पर उसके तल से गाद साफ करने की योजना बनाना

श्री सनत कुमार मंडल 11

(7) नरौरा परमाणु विद्युत परियोजना से अलीगढ़ को 24 घंटे बिजली देने की व्यवस्था करने की आवश्यकता

श्रीमती ऊषा रानी तोमर 12

(8) आंध्र प्रदेश के वारंगल जिले के लोगों को रोजगार दिलाने के लिए वहां पर सरकारी क्षेत्र का एक उद्योग स्थापित करना

श्री सी० जंगा रेड्डी 12

सभा का कार्य ... ... 13—14

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ विधेयक ... ... 14—69

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री मनोज पांडे 14
श्री रेणुपद दास 16
श्री बालकवि बैरागी 19
श्री अजय मुशरान 22
श्री चिन्ता मोहन 27
श्री जुझार सिंह 27
श्री अनूप चन्द शाह 30
श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर 32
श्री डाल चन्द्र जैन 34
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह 35
श्री सोमनाथ रथ 37

पृष्ठ

श्री डी० बी० पाटिल 37
श्री शांता राम नायक 38
डा० फूलरेणु गुहा 40
श्री एस० जयपाल रेड्डी 42
श्री मूलचन्द डागा 43
श्री जर्नादन पुजारी 46

खण्ड 2 से 83 और 1
पारित करने के लिए प्रस्ताव
श्री जनार्दन पुजारी 55

लोकपाल विधेयक ... ... 70—71

संयुक्त समिति को सौंपने के लिए प्रस्ताव के बारे में

आरोविल (आपात उपबंध) संशोधन विधेयक ... ... 71—87

श्री कृष्ण चन्द्र पंत 71
डा० सुधीर राय 73
प्रो० नारायण चन्द पराशर 74
श्री प्रिय रंजन दास मुंशी 76
श्री चिन्तामणि जेना 78
श्री के० रामचन्द्र रेड्डी 79
श्री चिन्ता मोहन 81
श्री एडुआर्डो फैलीरो 82
श्री पी० षण्मुख 84

खंड 2 और 1
पारित करने के लिए प्रस्ताव
श्री कृष्ण चन्द्र पंत 89

कपड़े पर राजकोषीय उद्ग्रहणों की समीक्षा के बारे में वक्तव्य ... ... 86—89

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह 86

सभा-पटल पर रखे गये पत्र 87

कम कीमत के समिश्रित कपड़े के उत्पादन और पूर्ति के लिए कार्यक्रम के बारे में वक्तव्य ... ... 88—89

श्री चन्द्र शेखर सिंह 88

पृष्ठ

लोकपाल विधेयक 95

नियम 74 के निलंबन के बारे में प्रस्ताव

लोकपाल विधेयक 95

संयुक्त समिति को सौंपने के लिये प्रस्ताव

लोकपाल विधेयक 126

संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव के बारे में

पांडिचेरी विश्वविद्यालय विधेयक ... ... 100—150

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री कृष्ण चन्द्र पंत 100
श्री एस० एम० भट्टम 103
प्रो० के० बी० थामस 107
श्री हरद्वारी लाल 109
श्री सुरेश कुरूप 113
श्री पी० षण्मुख 115
श्री शान्ताराम नायक 117
श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर 119
श्री जैनुल बशर 121
श्री ए० ई० टी० बैरो 123
डा० गौरीशंकर राजहंस 127
श्री सी० जंगा रेड्डी 128
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही 131
श्री विजय एन० पाटिल 133
श्री अजीज कुरेशी 134
डा० फूलरेणु गुहा 136
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह 137

खंड 2 से 44 और 1
पारित करने के लिए प्रस्ताव
श्री कृष्ण चन्द्र पंत 144

लोक सभा

बुधवार, 28 अगस्त, 1985/6 भाद्र, 1907 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : महोदय, कल आप ने निर्वासन के बारे में जांच कराने का आश्वासन दिया था। दो बातें हुई हैं। श्री चन्द्रहासन के अमरीकियों से यह कहने से अपने देश को लज्जित होना पड़ा है कि उसने शरण बिल्कुल नहीं मांगी है और अमरीकियों का यह कहना था कि बहुत अच्छी बात है, आप यहां नहीं रह सकते हैं, आप भारत वापस लौट जायें। हमारा अपमान हुआ है। इस महत्वपूर्ण मामले पर मंत्री महोदय वक्तव्य दें। आपने कल मुझे आश्वासन दिया था···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने कोई आश्वासन नहीं दिया··· (मैं) (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते :—आपने आश्वासन दिया था कि आप जानकारी प्राप्त करेंगे। उस व्यक्ति के यह कहने से भारत को लज्जित होना पड़ा है कि उसने अमरीका में शरण नहीं मांगी है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात भी कभी सुन लिया करें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं एक बार में एक ही व्यक्ति को उत्तर दे सकता हूं मैं अभी प्रोफेसर साहब को यह उत्तर दे रहा था कि मैंने मंत्री महोदय को यह पता लगाने के लिए पहले ही कह दिया है कि मामला क्या है और फिर हमें उसका एता चलने दीजिये। मैंने इसके बारे में कहा है।

प्रो० मधु दंडवते : क्या वह इस सभा में वक्तव्य नहीं देंगे, महोदय ?

अध्यक्ष महोदय : देखेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : स्थगन प्रस्ताव की कोई बात नहीं है···(**व्यवधान**)

श्री बसुदेव आचार्य : सेन्ट्रल इन्टेलीजेन्सी ऐजेन्सी ने यह खबर दी है कि आनन्द मार्गियों ने पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री की उनके दिल्ली पहुंचने पर हत्या की एक योजना बनाई है···

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, चिंता मत कीजिये। उनका जीवन बहुमूल्य है और मेरे विचार से सरकार उनकी रक्षा करने में सक्षम है।

श्री बसुदेव आचार्य : हम यह जानना चाहते हैं कि सरकार ने क्या कदम उठाये हैं।

अध्यक्ष महोदय : सरकार कदम उठायेगी। स्थगन प्रस्ताव की कोई बात नहीं है सरकार कदम उठायेगी। वह यह नहीं घोषित करना चाहती है कि वह क्या करेगी।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : महोदय आप मंत्री महोदय को वक्तव्य देने के लिये क्यों नहीं कहते ?

अध्यक्ष महोदय : श्री दत्त कदम क्या उठाये जायेंगे इसका रहस्योद्घाटन नहीं किया जाना है। कदम तो उठाये जायेंगे। चूंकि यह सुरक्षा संबंधी मामला है, इसलिये सरकार इस पर ध्यान देगी। हमें उससे यह नहीं पूछना है कि वह क्या करने जा रही है।

श्री अमल दत्त : उन्हें इसके बारे में क्या जानकारी है कि इसमें किन-किन लोगों का हाथ है अथवा जिन लोगों का इसमें हाथ है, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है। इसके बारे में कोई जानकारी समाचारपत्रों में प्रकाशित नहीं हो रही है।

अध्यक्ष महोदय : मैं उनसे सम्पर्क करता रहूंगा। चिंता मत कीजिये। आपके समान मुझे भी चिंता है।

श्री बसुदेव आचार्य : गृह मन्त्री इस सभा को बतायें कि सरकार ने क्या कदम उठाये हैं।

अध्यक्ष महोदय : सरकार इसका ध्यान रखेगी···(**व्यवधान**)

श्री एन० वी० एन० सोमू (मद्रास उत्तर) : महोदय पिछले दस दिन से मैं कहता आ रहा हूं कि तमिलों की हत्या हर रोज हो रही है···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री सोमू इस समय अनेक बातें हो रही हैं। उच्च स्तर पर राजनैतिक बात-चीत चल रही है और सरकार इस पर भी ध्यान दे रही है उसे भी इस बात की चिंता है मैं आपको बताऊंगा।

श्री एन० वी० एन० सोमू : गत दस दिनों से मैं पूछ रहा हूं। उनकी रोज ही हत्या की जा रही है... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मुझे पता है, किन्तु मैं कुछ नहीं कर सकता। कुछ न कुछ किया जा रहा है। उन्हें इसकी चिंता है।

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : महोदय इस सत्र के आरम्भ में इस सभा के एक माननीय सदस्य श्री ललित माकन की हत्या की गई थी। यह सत्र कल समाप्त होने वाला है। कोई भी अपराधी अभी तक नहीं पकड़ा गया है··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कानून और व्यवस्था से संबंधित समस्या है। मुझे इसका पता है। कोई जादू की छड़ी तो है नहीं··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। यह बात बिल्कुल ही असंगत है।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : अध्यक्ष महोदय हम नोटिस देते रहे हैं और आप भी हमारे साथ सहमत थे कि यह बड़ा गंभीर मामला है और आपने भी स्थिति की गंभीरता को महसूस किया है। आजाद काश्मीर की कठपुतली सरकार ने आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने के लिये धनराशि निर्धारित की हैं··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं गृह मंत्री को पहले ही कह चुका हूं। यह बात उन्हें पहले ही बता दी गयी है।··· (व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : वे स्वीकार कर चुके है··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री तिवारी मैं उन्हें पहले ही बता चुका हूं··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं यही कर सकता हूं। मेरे विचार में अपनी बुद्धि के अनुसार वे कुछ न कुछ कर रहे हैं उन्हें इस बात की जानकारी है··· (व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : यह एक ऐसा मामला है जिससे इस देश के लोगों में उत्तेजना फैल रही है··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वे आपसे भी अधिक उत्तेजित होंगे। उन्हें भी इस बात को अधिक चिन्ता होगी। राज्य की सुरक्षा राष्ट्र की सुरक्षा का प्रश्न है। उन्हें इसका कम चिंता नहीं होगी। मुझे मालूम है कि इससे वे चिंतित हैं।

अब पत्र सभा-पटल पर रखे जायेंगे।

11·03 म० पू०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

[अनुवाद]

भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के वर्ष 1983-84 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा इनके कार्यकरण पर सरकार की समीक्षायें और 'शिक्षा की चुनौती —नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य' की एक प्रति (हिन्दी संस्करण)

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :]

(1) (एक) भारतीय इतिहास अनुसन्धान परिषद् नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय इतिहास अनुसन्धान परिषद नई दिल्ली, के वर्ष. 1948-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1410/85]

(3) (एक) दिल्ली, विश्वविद्यालय, दिल्ली, के वर्ष, 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1411/8]

(5) 'शिक्षा की चुनौती— नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य' की एक प्रति (*हिन्दी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1412/85]

*अंग्रेजी संस्करण दिनांक 20 अगस्त 1985 को सभा पटल पर रखा गया था।

कोयला खान भविष्य निधि संगठन के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी लेखाओं पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तथा इसे विलम्ब से सभा पटल पर रखने के कारणों का विवरण

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं) ।

(1) कोयला खान भविष्य निधि संगठन के वर्ष, 1983-84 संबंधी लेखाओं पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1413/85]

इंडियन एयर लाइन्स कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विनियम 1985

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : श्री अशोक गहलोत की ओर से मैं (1) वायु निगम अधिनियम 1953 की धारा 45 की उपधारा (4) के अन्तर्गत इंडियन एयरलाइंस कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विनियम, 1985 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो भारत के राजपत्र में 13 अप्रैल, 1985 को अधिसूचना संख्या पी० एफ० बी० 2/1 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1414/85]

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) सा० का० नि० 648 (अ), जो भारत के राजपत्र में 13 अगस्त, 1985 को प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 22 सितम्बर, 1981 की अधिसूचना संख्या 208/81-सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है जिसके द्वारा रिफैम्पिसिन सिरप और रिफैम्पिसिन आई० एन० एच० कैप्सूलों के साथ सफालेक्सीन और क्लोक्सासीलिन सिरपों को भी सीमा शुल्क से छूट देने के लिए उस अधिसूचना में संलग्न तालिका में शामिल किया गया है।

(दो) सा० का नि० 649(अ) से 654(अ) तक, जो भारत के राजपत्र में 13 अगस्त, 1985 को प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा मेवों की कतिपय किस्मों पर सीमा शुल्क की विशिष्ट दरें निर्धारित की गई हैं।

(तीन) सा० का० नि० 656(अ), जो भारत के राजपत्र में 16 अगस्त, 1985 को प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 1 जनवरी 1985 की अधिसूचना संख्या 2/85-सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है, ताकि दूर-संचार केबलों के निर्माण में प्रयुक्त किए जाने के लिए संसेचन और पूरक समिश्रणों को छूट का लाभ दिया जा सके।

(चार) सा० का० नि० 657(अ), जो भारत के राजपत्र में 16 अगस्त, 1985 को प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसके द्वारा 17 मार्च, 1985 की अधिसूचना संख्या 57/85 सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है, ताकि 8 अतिरिक्त औषध मध्यवर्तीओं को, उन पर उग्रहद्णीय संपूर्ण अतिरिक्त सीमा शुल्क से छूट दी जा सके।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1415/85]

रामपुर रजा लायब्रेरी, रामपुर के वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा इसके कार्यकरण पर सरकारी समीक्षा और इन पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का विवरण और केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली का 1 जनवरी, 1984 से 31.12.1984 तक का वार्षिक प्रतिवेदन

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय और संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) रामपुर रजा लाइब्रेरी अधिनियम, 1975 की धारा 22 की उपधारा (2) के अन्तर्गत, रामपुर रजा लाइब्रेरी, रामपुर के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रामपुर रजा लाइब्रेरी, रामपुर, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1416/85]

(3) (एक) केन्द्रीय सतर्कता आयोग नई दिल्ली, की 1 जनवरी 1984 से 31 दिसम्बर 1984 तक की अवधि सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) उक्त प्रतिवेदन में उल्लिखित कतिपय मामलों में आयोग की सलाह को स्वीकार न किये जाने के कारणों को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 1417/85]

11.04 म० पू०

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है :—

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम संख्या 127 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निर्देश हुआ है कि राज्य सभा 26 अगस्त, 1985 को अपनी बैठक में, लोक सभा द्वारा 20 अगस्त, 1985 को पारित आसूचना संगठन (अधिकारों का निर्बन्धन) विधेयक, 1985 से, बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम संख्या 127 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निर्देश हुआ है कि राज्य सभा 26 अगस्त, 1985 को अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 22 अगस्त, 1985 को पारित तम्बाकू बोर्ड (संशोधन विधेयक, 1985 से, बिना किसी संशोधन के, सहमत हुई है।"

(तीन) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निर्देश हुआ है कि राज्य सभा 26 अगस्त, 1985 को अपनी बैठक में, लोक सभा द्वारा 23 अगस्त, 1985 को पारित न्यायाधीश (संरक्षण) विधेयक, 1985 से, बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है।

लोक लेखा समिति

13वां और 14वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी (कुरनूल) : महोदय, मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :—

(1) प्रति-अदायगी के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति के 216वें प्रतिवेदन (सातवीं लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में तेरहवां प्रतिवेदन।

(2) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क-प्रशुल्क मद 68 के अन्तर्गत आने वाले सामान को छूट देने के बारे में लोक लेखा समिति (सातवीं लोक सभा) के 180वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में चौदहवां प्रतिवेदन।

———

11.05 म० पू०

भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक*

[अनुवाद]

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि पोत परिवहन और नौपरिवहन के प्रयोजनों के लिए अन्तर्देशीय जलमार्ग के विनियमन और विकास के लिए तथा उससे सम्बन्धित या उससे आनुषंगिक विषयों के लिए प्राधिकरण के गठन के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पोत परिवहन और नौपरिवहन के प्रयोजनों के लिए अन्तर्देशीय जलमार्ग के विनियमन और विकास के लिए तथा उससे सम्बन्धित या उससे आनुषंगिक विषयों के लिए प्राधिकरण के गठन के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं :

———

* दिनांक 28.8.1985 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2, खण्ड 2, में प्रकाशित।

11.06 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

(एक) शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश, में मलेरिया, हैजा, आदि जैसे रोगों का फैलाव रोकने के लिए वहां पर एक केन्द्रीय चिकित्सा दल भेजने की आवश्यकता

श्री जितेन्द्र प्रसाद (शाहजहांपुर) : मैं उत्तर प्रदेश के कुछेक जिलों, विशेषकर शाहजहांपुर में, विद्यमान सूखे की स्थिति की ओर सरकार का ध्यान दिलाता हूं। वर्षा के अभाव में, धान, गन्ना और खरीफ की फसलें बुरी तरह नष्ट हो गई हैं। धान की पौध का रोपण भी नहीं हो सका है, मलेरिया, हैजा और पेचिश जैसे महामारी रोग प्रत्येक गांव में फैल रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप लोग काल-कवलित हो रहे हैं, जिससे शाहजहांपुर की जनता को बहुत ही गम्भीर स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। राहत कदम तुरन्त उठाये जाने चाहिये और स्थिति का जायजा लेने के लिए एक केन्द्रीय दल भेजा जाए तथा डाक्टरों एवं दवाइयों सहित एक केन्द्रीय चिकित्सा-दल शाहजहांपुर भेजा जाए। युद्ध-स्तर पर स्वच्छ पेय जल की पर्याप्त सुविधाएं जुटाई जाएं, जिससे बीमारियों को फैलने से रोका जा सके।

(दो) उड़ीसा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 43 को चौड़ा करना

श्री के० प्रधानी (नौरंगपुर) : कोरापुट जिला उड़ीसा का सबसे बड़ा और देश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। पहले से ही चल रही कुछ परियोजनाओं के अतिरिक्त बड़ी संख्या में परियोजनाएं अर्थात अपर कोलाब और अपर इन्द्रावती बहु-उद्देश्यीय परियोजनाएं राज्य सरकार द्वारा निर्माण की जा रही हैं। अपने किस्म की सबसे बड़ी राष्ट्रीय एल्यूमिनियम फैक्टरी भी इस जिले में निर्माणाधीन है। इन परियोजनाओं को जोड़ने के लिए कोई रेलवे लाइन नहीं है और इसलिए इन परियोजनाओं के लिए आवश्यक भारी मशीनें आन्ध्र-प्रदेश में विजयनगरम रेलवे स्टेशन से राष्ट्रीय राजमार्ग 43 पर ले जाई जा रही हैं। पूर्वी घाट पर्वतों से होकर जाने वाली सड़क बहुत ही सकरी है, विशेषकर पहाड़ी ढलानों पर। इन परियोजनाओं की भारी मशीनरी ले जाने वाले बड़े आकार के ट्रेलर बड़ी भारी कठिनाई से इस सड़क से गुजर पाते हैं और कभी-कभी असुविधाजनक स्थानों पर खड़े हो जाते हैं जिससे सारा यातायात अवरुद्ध हो जाता है। मध्य-प्रदेश की तुलना में, यह सड़क उड़ीसा के मैदानी क्षेत्रों में भी बहुत सकरी है। विभाग द्वारा किये जा रहे चौड़ा करने के कार्य की गति बड़ी धीमी है। मैं परिवहन मंत्रालय का ध्यान दिलाता हूं कि वह इस कार्य को यथाशीघ्र पूरा कराए जिससे कि यातायात भलीभांति चलता रहे और परियोजनाओं की भारी मशीनरी भी बिना मुसीबत और कठिनाई के ले जायी जा सकें।

[हिन्दी]

(तीन) उत्तर-बिहार में महाराज गंज में एक कागज मिल अथवा उर्वरक कारखाना खोलने की मांग

श्री कृष्ण प्रताप सिंह (महाराज गंज) : अध्यक्ष महोदय मैं नियम 377 के अन्तर्गत अपना निम्न विषय इस सदन में प्रस्तुत करना चाहता हूं। बिहार प्रान्त औद्योगीकरण के मामले में सबसे पिछड़ा प्रान्त है और इस पिछड़े प्रान्त में ही बिहार के गंगा का उत्तरी क्षेत्र और अधिक पिछड़ा हुआ है। बल्कि यह कहना अधिक उचित होगा कि आजादी के बाद, औद्योगिक दृष्टि से ह्रास ही हुआ है क्योंकि इस क्षेत्र में लगभग 31 चीनी मिलों में से अधिकांशत: बन्द हैं और शेष रुग्णावस्था में हैं। नतीजतन किसान गन्ना लगाना ही छोड़ चुके हैं और शेष लोग भी छोड़ रहे हैं चूंकि मिल किसानों के बकाये मूल्य का भुगतान ही नहीं कर सकी हैं।

कोई दूसरा बड़ा उद्योग इस क्षेत्र में नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र के प्राय: सभी उद्योग दक्षिण बिहार में ही अवस्थित हैं। उत्तर बिहार में बड़ी रेल लाइन हो जाने से एवं कांटी में 110 मेगावाट का बिजली संयंत्र लग जाने से मध्यम तथा वृहद् दोनों प्रकार के उद्योग इस क्षेत्र में क्षेत्रीय विकास एवं जनहित के दृष्टिकोण से खोला जाना बहुत ही आवश्यक हो गया है। अत: मैं उत्तरी बिहार के सबसे पिछड़े क्षेत्र महाराजगंज में पेपर फैक्टरी (जिसके लिए कच्चे माल की उपलब्धता है) या अधिक उर्वरक कारखाना की स्थापना की मांग करता हूं (क्योंकि उर्वरक के अभाव में इस जिले एवं जिले के अगल-बगल के क्षेत्रों में किसानों को फसल की काफी क्षति उठानी पड़ती है)।

अत: मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह, अनुरोध करता हूं कि महाराजगंज में उपरोक्त दो उद्योगों में से कम से कम एक उद्योग की स्वीकृति देने की कृपा करें ताकि इस पिछड़े क्षेत्र का विकास हो सके।

[अनुवाद]

(चार) जम्मू तथा कश्मीर में तहसील बिशनाह में ग्राम अरनिया के निकट 'अइक नाला' पर एक पुल का निर्माण

श्री जनकराज गुप्ता (जम्मू) : जम्मू और कश्मीर राज्य के जिले जम्मू की तहसील बिशनाह के अरनिया गांव के निकट 'अइक नाला' पर कोई पुल नहीं है। जिस सड़क का रख-रखाव रक्षा विभाग करता है, वह वर्षा ऋतु में कट जाती है और उस क्षेत्र के लोगों को बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है।

अत: यह निवेदन है कि शीघ्रातिशीघ्र अरनिया गांव के निकट एक पुल का निर्माण कराया जाए।

(पांच) उड़ीसा के बालासोर जिले में भद्रक निर्वाचन-क्षेत्र के किसानों को बारम्बार आने वाली बाढ़ से बचाने के लिए स्थायी उपाय करने की आवश्यकता

श्री अनन्त प्रसाद सेठी (भद्रक) : उड़ीसा के बालासोर जिले में बाढ़ से प्रति वर्ष सहस्रों एकड़ कृषि योग्य भूमि प्रभावित होती है। इस वर्ष बैतरणी नदी में अभूतपूर्व बाढ़ आई, जिसने उस जिले के 23 खण्डों में कृषि योग्य भूमि को भारी क्षति पहुंचाई है। बालासोर जिले में मेरे चुनाव-क्षेत्र भद्रक की कुल जनसंख्या के लगभग एक लाख लोग हाल की बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इस जिले के अधिकांश लोग गरीब और छोटे तथा सीमान्त किसान हैं। कृषि उनकी आजीविका का एकमात्र साधन है। अतः उस नदी में बाढ़ को नियन्त्रित करने के लिए तुरंत उपाय किये जाने आवश्यक हैं। जब तक कुछ स्थायी उपाय नहीं किये जाते हैं तब तक बाढ़ को नियन्त्रित नहीं किया जा सकता है। अतः, मैं भारत सरकार को निम्नलिखित उपाय यथाशीघ्र करने का सुझाव देता हूं :

1. बैतरणी की सभी पोषक नदियों पर लघु सिंचाई योजनाएं शुरू की जानी चाहिये।
2. बैतरणी नदी पर भीमकुण्ड में एक बांध का निर्माण कराया जाना चाहिये।
3. बैतरणी नदी के बाढ़ के पानी को सालन्दी नदी में डाला जाना चाहिये।
4. बैतरणी की बायीं ओर कान्ति घाई को बन्द कर दिया जाना चाहिये।
5. गेंगुती नदी के तटबन्ध के दोनों तट ओ० ए० ई० स्तर तक ऊंचे किये जाने चाहिये।
6. कोचिला नदी के विनाश को कम करने के लिए बैतरणी नदी में बाढ़ के अधिक जल को डालने के लिए कदम उठाए जाने चाहिये।
7. बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में सहायता राशि का वितरण जारी रखा जाना चाहिये।
8. आनन्दपुर बांध को हडगढ़ बांध से जोड़ने के लिए एक नहर का निर्माण किया जाना चाहिये और फालतू पानी को सिंचाई के काम में लाया जाना चाहिये।

(छः) हुगली नदी के पानी का सुगम प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित समय के अन्तर पर उसके तल से गाद साफ करने की योजना बनाना

श्री समत कुमार मंडल (जयनगर) : पश्चिम बंगाल के सुन्दर वन क्षेत्र में, जो कि वनस्पतियों और जीव-जन्तुओं से भरपूर है, समुचित सिंचाई सुविधाओं का अभाव है और यह पूर्णतया सामयिक वर्षा पर निर्भर करता है। कभी-कभी मानसून की अनिश्चितता इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का विनाश करती है। इस क्षेत्र में जलपूर्ति माटला, करातो, बिद्या, रायमंगल जैसी छोटी नदियां और हुगली की सहायक नदियां करती हैं और वर्षा ऋतु के दौरान जब इन नदियों में पानी काफी बहता है तो सिंचाई सम्भव नहीं होती है, क्योंकि पानी बहुत खारा होता है। अन्य ऋतुओं में और पानी की कमी वाले

[श्री सनत कुमार मंडल]

समय में ये नदियां न केवल सूख जाती हैं, अपितु पूर्णतया गाद से भर जाती हैं। इन सहायक नदियों के जल-कपाट सदैव गाद से भरे रहते हैं जिसके परिणामस्वरूप जल खेतों में नहीं जा पाता है। इसका इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसमें सिंचाई की और मत्स्य पालन आदि की क्षमता है। वर्षा ऋतु में वर्षा का पानी खेतों में इकट्ठा हो जाता है और जब तक इसे नालियों द्वारा बाहर निकाल नहीं दिया जाता, फसलों के नष्ट होने का डर बना रहता है। कैनिंग, बसन्ती गोसाना मिनाखां और सन्देशाहाली के चारों ओर से घिरे क्षेत्र की स्थिति सबसे खराब हो जाती है। अब समय आ गया है जबकि विशाल हुगली नदी की, जो सुन्दर वन क्षेत्र से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इन सभी नदियों की समय-समय पर गाद निकालने के लिए कोई योजना तैयार की जानी चाहिए। और जल के निर्बाध रूप से बहने से इन खेतों की सिंचाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि वर्षा के मौसम में और पानी की कमी के समय भी इनके जल-कपटों पर गाद न एकत्र होने पाये और पानी का बहाव बनाये रखने के लिए इन नदियों की समय-समय पर गाद निकाली जाए।

[हिन्दी]

(सात) नरौरा परमाणु विद्युत परियोजना से अलीगढ़ को 24 घंटे बिजली देने की व्यवस्था करने की आवश्यकता

श्रीमती ऊषा रानी तोमर (अलीगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित मामला उठा रही हूं :—

> "अलीगढ़ में नरौरा पर; उत्तर भारत का प्रथम परमाणु बिजलीघर बन रहा है। वह केन्द्रीय सरकार का है। वह शीघ्र चालू होना चाहिए और उसकी बिजली बनाने की ताकत कई गुना बढ़ाई जानी चाहिए। अध्यक्ष जी, इस परमाणु बिजली घर को बनाने के लिए अलीगढ़ ने न केवल भूमि दी है, वरन् दुर्घटना के समय स्वास्थ्य के खतरे का जोखिम भी उठाया है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करूंगी कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, जो परमाणु बिजली घर की बिजली पिछले 24 घंटे पूरे अलीगढ़ जिले को दी जाए और अलीगढ़ से बची बिजली उत्तर प्रदेश के बिजली बोर्ड को बेच दी जाए। अगर सरकार ने अलीगढ़ जिले को 24 घंटे भरपूर बिजली देने का प्रबन्ध कर दिया; तो खेती और कारखानों का उत्पादन कई गुना बढ़ जाएगा।"

[अनुवाद]

(आठ) आन्ध्र प्रदेश के वारंगल जिले के लोगों को रोजगार दिलाने के लिए वहां पर सरकारी क्षेत्र का एक उद्योग स्थापित करना

श्री सी० जंगा रेड्डी : (हनमकोंडा) : आन्ध्र प्रदेश में वारंगल औद्योगिक और आर्थिक रूप से

पिछड़ा जिला है जिसके कारण बेरोजगार युवा उत्तेजित हैं और उग्रवादी गतिविधियों में लिप्त हैं। इसके परिणामस्वरूप उग्रवादी दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और हत्यायें होने लगी हैं। वारंगल के लोग काजीपेट में एक रेल डिब्बा कारखाना की आशा कर रहे थे, परन्तु इसे पंजाब में स्थानान्तरित कर दिया गया है। अत: इसे देखते हुए, सरकारी क्षेत्र में एक ऐसे बड़े उपक्रम या उद्योग को स्थापित करने की तुरन्त आवश्यकता है, जिमें कम से कम 10,000 लोग रोजगार पा सकें।

इसको ध्यान में रखते हुए, मैं सरकार से एक ऐसा उद्योग स्थापित करने के लिए कदम उठाने का अनुरोध करता हूं, जोकि वारंगल जिले की बेरोजगारी की समस्या को दूर कर सके।

11.16 म० प०

सभा का कार्य

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ विधेयक पर आगे विचार करेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : अध्यक्ष महोदय, क्या इसके लिए निर्धारित किए गए समय के बारे में जानना सभा के लिए सुविधाजनक नहीं रहेगा ? आप जानते हैं कि इस कार्य के लिए कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है। प्राय: कार्य मन्त्रणा समिति ही यह निर्णय लेती है कि कितना समय निश्चित किया जाए। परन्तु अब कोई कार्य मन्त्रणा समिति न होने के कारण क्या आप हमको यह बतायेंगे कि यह स्वापक औषधि विधेयक कब तक चलेगा और लोकपाल विधेयक कब लिया जाएगा और उसके लिए कितना समय नियत किया जाएगा। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम पता करेंगे। (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : लोकपाल विधेयक पर विचार करने के लिए कितना समय नियत किया जाएगा ? ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में हम स्वापक औषधि विधेयक के लिए एक घंटे का समय रखते हैं।

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : स्वापक औषधि विधेयक के लिए एक घंटा और।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : तो फिर 12.30 बजे लोकपाल विधेयक लाया जाएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप चाहते हैं तो मैं बैठक पुनः बुला सकता हूं। इसमें कोई समस्या नहीं है।

स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ विधेयक (—जारी)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम श्री जनार्दन पुजारी द्वारा 26 अगस्त, 1985 को पेश किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेंगे, अर्थात :—

"कि विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए, स्वापक औषधियों और मन-प्रभावी पदार्थों से संबंधित संक्रियाओं के नियंत्रण और विनियमन के लिए तथा उससे संबंधित विषयों के लिए कड़े उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री मनोज पाण्डेय अपना भाषण जारी रखेंगे।

[हिन्दी]

श्री मनोज पांडे (बेतिया) : अध्यक्ष महोदय, मैंने उस दिन नारकोटिक ड्रग्स एण्ड साइकोट्रापिक सब्सटान्सेज बिल, 1985 की बहस में भाग लिया था और इस पौधे की खेती कराने वाले लोगों के विषय में प्रकाश डाला था।

अध्यक्ष महोदय : पांडे जी, 15 मिनट आप ले चुके हैं, जल्दी समाप्त करें।

श्री मनोज पांडे : मैं 5 मिनट ही और लूंगा।

इस बिल में इस तरह के पौधे की खेती करने वाले लोगों से संबंधित कुछ प्रावधान किए गए हैं। इसमें एक प्रावधान और करना चाहिए था। चरस पैदा करने वाले लोगों के प्रति इसमें कुछ नरमी बरती गई है, पता नहीं इसका कारण क्या है ?

इस तरह के पौधे पैदा करने वाले लोगों के लिए 10 से 20 साल तक की कैद और एक लाख से दो लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है जबकि चरस पैदा करने वाले लोगों के ऊपर यह नरमी की गई है कि 5 साल से 10 साल तक की कैद और 50,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक का जुर्माना। पता नहीं ऐसा क्यों किया गया है ?

मेरे विचार से चरस का उगाया जाना भी उतना ही जुर्म है जितना अफीम और कैनाबीज का उगाया जाना। इसलिए चरस उगाने वाले किसानों पर भी यह बिल लागू होना चाहिए।

ऐसे व्यक्ति जो नये तरीके से इस ड्रग को इस्तेमाल करने में शामिल हो रहे हैं, उनका

आइसोलेशन करना और ऐसे लोगों को यह बताना कि साइकोट्रापिक ड्रग्स का उसमें इस्तेमाल कितना खतरनाक हो सकता है, इसके लिए हमारे मास-मीडिया का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। इसमें कई सारी ऐसी बातें हैं, जिनका पता जो इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको नहीं होता है। इनकी जानकारी इन लोगों को मास-मीडिया की मार्फत देनी चाहिए जैसे टेलिविजन, सिनेमा, रेडियो इत्यादि। इन सब मास मीडिया के तरीके से हम इन लोगों को इस ड्रग्स की क्या बुराई है, इसके प्रति आगाह कर सकते हैं।

चौथी महत्वपूर्ण बात जिसका प्रावधान भी इस बिल में किया गया है वह है एडीक्स के प्रति क्या जिम्मेवारी हमारी होगी। वैसे एडीक्स को थोड़ी मात्रा में इन पदार्थों का उपलब्ध कराया जाना इस बिल में शामिल है। यह अत्यन्त आवश्यक है कि डाक्टरों के प्रीसक्रुपशन पर इन पदार्थों का मुहैय्या कराया जाना भी आवश्यक है चूंकि यह ट्रीटमेंट का एक पार्ट हुआ करता है। इस एडीक्स के केस को दो भागों में बांट सकते हैं। वैसे एडीक्स जो बच्चे हों और दूसरा वैसे एडीक्स जो अधेड उम्र के हो चुके हैं। सबसे आवश्यक मसला बच्चों से संबंधित है। आपको याद होगा कि आज से कुछ दिन पहले इसी माननीय सदन में हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात की याद दिलायी थी कि बम्बई में बच्चों को जो स्कूल जाते हैं, उनको टाफी या आइसक्रीम में या अन्य चीजों में इन मादक द्रव्यों को मिलाकर दिया जाता है। धीरे-धीरे वे बच्चे एडीक्ट हो जाते हैं। इस तरह से बहुत बड़ा खतरनाक यह कार्य चल रहा है और ऐसे एडीक्स जिनकी उम्र 10-15 या इससे कम हो वे समाज के लिए बहुत बड़े बोझ बनते जा रहे हैं। उनके प्रति हमारी जिम्मेवारी हुआ करती है। ऐसे केसिज को हम लोगों को आइसोलेट करना चाहिए और उनका साइकालोजिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए।

सबसे आवश्यक चीज जिसका इस बिल में प्रावधान किया गया है वह चैप्टर 6 में क्लाज 71 (I) में है। ऐसे बच्चों को ट्रीटमेंट के लिए आइसोलेशन करने की बात कही गई है, लेकिन इसे बढ़ा कर इलोबोरेट नहीं किया गया कि ट्रीटमेंट किस रूप में होना चाहिए, खर्चा कौन वहन करेगा, क्योंकि यह लम्बा ट्रीटमेंट होता है और किसी भी बच्चे या उसके गार्जियन के लिए संभव नहीं है कि इतने लम्बे समय तक इस ट्रीटमेंट में वह खर्चा वहन कर सके, वैसा भी प्रावधान इसमें होना चाहिए। ऐसे सेंटर उन बड़े-बड़े शहरों में या वैसे शहरों में जहां इन मादक द्रव्यों का इस्तेमाल ज्यादा होता है, बनाये जाने चाहिए जहां पर कि बच्चों का या अधेड उम्र वालों का ट्रीटमेंट हो सके। उसमें ज्यादातर मेडिकल स्टाफ ऐसा होना चाहिए जोकि इस ट्रीटमेंट को करने में दक्ष हो। यह इसलिए बहुत आवश्यक है क्योंकि इसमें खर्च के अलावा एक बहुत बड़ा सोशल इविल भी होता है। मेरा ऐसा विचार है कि इस सेंटर में अलग वार्ड भी बनाएं या एक ही अस्पताल में अलग वार्ड बनाकर ऐसे बच्चों या अधेड उम्र वालों का अलग ट्रीटमेंट हो ताकि उनको हम दूसरे जनरल पेशेंट से अलग करके ट्रीट कर सकें। एक ही वार्ड में दो तरह के पेशेंट रखे जायेंगे तो हो सकता है एडीक्स की संख्या बढ़े क्योंकि एडीक्स को हमको कम करना है, इसलिए इनको आइसोलेशन में रखना जरूरी है और इस तरह के सेंटर बनाए जाने की बड़ी आवश्यकता है। सबसे आवश्यक बात जो है वह है उनके रिहैबिलिटेशन की। ऐसे ऐडिक्ट्स के प्रति हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनके रिहैबिलिटेशन की है ताकि ऐसे लोग अपनी जिन्दगी जी सकें और उनमें हम यह कान्फिडेंस ला सकें कि आप भी अपनी जिन्दगी अच्छी तरह जी सकते हैं और इस देश में अच्छे नागरिक बन सकते हैं। मैं समझता हूं कि हर प्रदेश की सरकार को

[श्री मनोज पांडे]

इसके प्रति जागरूक होना चाहिए। ऐसे लोगों के प्रति इस तरह की जिम्मेदारी का मतलब यह है कि समाज में इसके प्रति जागरूकता पैदा होगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री रेणुपद दास (कृष्णनगर) : महोदय, मैं भी इस वाद विवाद में कुछ बातें कहता हूं।

19वीं शताब्दी में कुछ विधान बनाए गए थे अर्थात 1857 में अफीम अधिनियम बनाया गया था। स्वापक औषधि की स्थिति से निपटने के लिए 1878 में इसे पुन: संशोधित किया गया। सरकार ने 1930 में एक और विधान बनाया, खतरनाक औषधि अधिनियम। परन्तु ये अधिनियम स्थिति से निपटने के लिए काफी नहीं पाए गए। वे पुराने और अपर्याप्त पाये गए। अधिनियम में मन:प्रभावी पदार्थों से निपटने का भी कोई उपबन्ध नहीं था। इसलिए मन्त्री महोदय ने इस स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ विधेयक पेश किया है। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और मुझे आशा है कि सरकार इस विधेयक की सहायता से स्थिति से निपट सकेगी। इस सरकार ने स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थों से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयों का, जिनमें भारत भी सम्मिलित रहा है, कोई ध्यान नहीं दिया। सरकार ने यह विधेयक समय पर पेश नहीं किया। वह इसे अब पेश कर रही है। यद्यपि विलम्ब हो गया है, फिर भी इसका स्वागत है। सरकार अब स्वापक औषधियों की खेती, उत्पादन और अवैध व्यापार के प्रति जागरूक हुई है। कोई नहीं जानता कि इस विधेयक के अधिनियमित हो जाने के बाद भी सरकार स्थिति से निपटने में समर्थ होगी क्योंकि सरकारी उपाय और अधिनियम हमेशा मन्द और सुस्त होते हैं। और वह कभी भी समय पर उचित उपाय नहीं कर सकती।

यह बुराई शिक्षा संस्थाओं में विशेष रूप से महानगरों की शिक्षा संस्थाओं में तेजी से फैल रही है। दिल्ली में ही चार विश्वविद्यालयों का सर्वेक्षण किया गया। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने दिल्ली के चार विश्वविद्यालयों में सर्वेक्षण किया। 1, 52,000 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया गया और यह देखा गया कि दिल्ली के विद्यार्थियों में स्वापक औषधि का इस्तेमाल 1975 में 3.6 प्रतिशत से बढ़कर 1983 में 12 प्रतिशत हो गया है। स्वयं दिल्ली विश्वविद्यालय इसका सबसे बड़ा शिकार है। दिल्ली विश्वविद्यालय में 33 प्रतिशत विद्यार्थी इनका इस्तेमाल करते हैं। व्यावहारिक दृष्टि से वास्तव में समाज के सभी वर्ग इससे ग्रस्त हैं। दिल्ली के अंग्रेजी-माध्यम वाले विद्यालय तथा अन्य में भी यह बुराई फैल गई है। इससे वे भी प्रभावित हुए हैं जो विद्यार्थी नहीं हैं। स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थों को कोई भी व्यक्ति, रामलीला मैदान के किसी भी कोने से आवश्यक वस्तु की भांति खरीद सकता है। महोदय, इस प्रकार यह समस्या एक दयनीय दशा तक बढ़ गई है। यह सीमा से बाहर हो गई है और इसने भीषण रूप धारण कर लिया है।

इसी संस्था ने पटियाला में इसी प्रकार का अनुसंधान किया और पाया कि पटियाला राजकीय

चिकित्सा महाविद्यालय के लगभग 72 प्रतिशत छात्र नशीले पदर्थों का सेवन करते हैं। पटियाला में नशीले पदार्थों का सेवन करने वालों की संख्या में प्रति वर्ष दस प्रतिशत की वृद्धि हो रही है।

इसी संस्था ने कानपुर में जी० एस० वी० एम० चिकित्सा महाविद्यालय में एक अध्ययन किया और देखा कि हमारे 678 विद्यार्थी—42 प्रतिशत विद्यार्थी नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले हैं। आई० आई० टी० कानपुर में इसने 64.81 प्रतिशत छात्रों को ऐसे पदार्थों को सेवन करने वाला पाया है।

लखनऊ चिकित्सा महाविद्यालय के विद्यार्थी भी नशीली औषधियों का सेवन करते हैं। वहां लखनऊ चिकित्सा महाविद्यालय के 25 प्रतिशत विद्यार्थी नशीली औषधियों का सेवन करते हैं।

बम्बई में लगभग 4000 विद्यार्थियों की जांच की गई जिनमें से 320 विद्यार्थी इन औषधियों का सेवन करने वाले पाए गये। कलकत्ता में भी लगभग यही स्थिति है। इसी संस्था ने वहां भी अध्ययन किया और पाया कि 1137 विश्वविद्यालय विद्यार्थियों में 37.4 प्रतिशत विद्यार्थी इनका सेवन करते हैं।

महोदय, स्थिति बड़ी चिन्ताजनक है। यदि आप सरकारी सूची के आंकड़ों को देखें तो आप को पता चल जाएगा। मैं केवल दो या तीन मदों को लेना चाहता हूं।

अफीम : 1979 में 305 किलोग्राम, 1984 में यह बढ़कर 3430 किलोग्राम हो गई। गांजा : 1979 में 468 किलोग्राम, 1984 में यह भी बढ़ कर 10423 किलोग्राम हो गया। चरस : 1982 में 569 किलोग्राम यह भी 1984 में बढ़कर 3801.5 किलोग्राम हो गया। हेरोइन : 1982 में 28 किलोग्राम, 1984 में यह बढ़कर 175 किलोग्राम हो गई। यह माल जब्त किया गया। इसके साथ ही मैं देखता हूं कि कुछ ही व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। 1984 में 155 व्यक्ति गिरफ्तार किए गये और उनमें से कुछ पर ही मकदमा चलाया गया। इससे यह पता चलता है कि सरकार स्थिति का सामना करने में कितनी असमर्थ थी और ये अधिनियम इस स्थिति से निपटने के लिए कितने अपर्याप्त हैं।

इस व्यापार में लगे व्यक्तियों की राष्ट्रीयता का जहां तक सम्बन्ध है भारतीय और विदेशी दोनों मिलेंगे। 1984 में पकड़े गए 155 व्यक्तियों में से 74 भारतीय थे और 81 विदेशी। इस प्रकार इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि विदेशी भी किस प्रकार इस व्यापार में लगे हुए हैं।

महोदय, मैं कोडीन, मारफीन, आदि की वार्षिक खपत के बारे में एक और मुद्दा उठाना चाहता हूं। यह पाया गया है कि 1966 में 2085 किलोग्राम कोडीन की खपत हुई थी। यह 1983 में बढ़ कर 10350 किलोग्राम हो गई। 1957 में 264 किलोग्राम मारफीन की खपत हुई थी। 1982 में बढ़कर 2202 किलोग्राम हो गई। 1957 में हेरोइन की खपत केवल 187 किलोग्राम थी। यह 1982 में बढ़कर 6153 किलोग्राम हो गई। कोकाइन की खपत 1947 में 841 किलोग्राम थी और

[श्री रेणुपद दास]

1982 में यह बढ़कर 12092 किलोग्राम थी। इन तथ्यों से पता चलता है कि भारत में इन सबकी खेती, उत्पादन, सेवन और व्यापार की स्थिति अत्यन्त खतरनाक बन गई है। अत: मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत में इन औषधियों के व्यापार और सेवन के लिए अधिकांशत: सरकार जिम्मेवार है क्योंकि उत्तरप्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में विभिन्न प्रकार के स्वापक औषधि के पौधों की खेती लगभग 25,500 हेक्टेयर भूमि में की जाती है और यही तीन राज्य भारत में स्वापक औषधियों के सेवन के लिए जिम्मेवार हैं।

निस्सन्देह, इस समस्या को अन्य एशियाई देशों के सन्दर्भ में भी देखा जाना चाहिए। पाकिस्तान इस मामले में अग्रणी हैं। स्वापक औषधियों का यह सबसे बड़ा संभरणकर्त्ता है और ये वस्तुएं पाकिस्तान से ही भारत में चोरी छिपे आती हैं। अन्य देशों को इन औषधियों का निर्यात करने के लिए भारत एक महत्वपूर्ण केन्द्र बन गया है। इसके साथ ही, आप देखेंगे कि नेपाल, ईरान, टर्की और मिस्र, पोस्त, कोका पत्ती, आदि की खेती करते हैं।

महोदय, औषधियों का अवैध व्यापार एक खतरा बन गया है। और यह उस सीमा तक पहुंच गया है कि इससे समुचित ढंग से निपटा जाना चाहिए अन्यथा यह भारत में भारी तबाही लाएगा।

महोदय, भारत में दो नेटवर्क (एजेन्सियां) कार्यरत हैं। एक है गोल्डन क्रेसेन्ट और दूसरा गोल्डन ट्राइंगिल। गोल्डन क्रेसेन्ट में मुख्यत: पोस्त उगाने वाले क्षेत्र जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान और टर्की आते हैं। गोल्डन ट्राइंगिल में बर्मा, लाओस और थाईलैण्ड आते हैं। ये दो नेटवर्क भारत में तबाही मचा रहे हैं और इन दो एजेन्सियों के पीछे बड़े-बड़े लोग हैं। उनका लक्ष्य न केवल भारत की वर्तमान स्थिति को बिगाड़ना है बल्कि उनका उद्देश्य कुछ और भी है। अत: इन लोगों के साथ और इस अवैध व्यापार में लगे लोगों के साथ सख्ती से पेश आना चाहिए और उन्हें कड़ी सजा दी जानी चाहिए। इस विधेयक में, निस्सन्देह सजा का उपबन्ध है और सजा से सम्बन्धित कई खण्ड हैं परन्तु विधेयक में प्रस्तावित सजा कड़ी नहीं हैं। गोल्डन क्रेसेन्ट और गोल्डन ट्राइंगिल का वित्त पोषक करने वालों को आसानी से बचकर नहीं जाने दिया जाना चाहिए। उन्हें पकड़ा जाना चाहिए और कड़ी सजा दी जानी चाहिए।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि इसके लिए दोषी लोगों को उम्र कैद की सजा देने का उपबन्ध होना चाहिए। इनमें से कुछ को मौत की सजा भी दी जानी चाहिए जैसे कि ऐसे अपराधों के लिए कुछ देशो में व्यवस्था है।

सरकार को इस समस्या से इस तरह से निपटना चाहिए कि इसे यथा संभव नियन्त्रित किया जा सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं अब कुछ विशेषज्ञों को बुलाने जा रहा हूं क्योंकि वे इसका उत्पादन करते हैं।

श्री बैरागी।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी (मंदसौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं आपने मुझे अवसर दिया ताकि मैं अपनी बात कह सकूं।

मैं सदन के उन सभी सदस्यों का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहूंगा···

अध्यक्ष महोदय : ऐसे ध्यान थोड़े ही आकर्षित होता है, कुछ कविता में बोलिए।

श्री बालकवि बैरागी : आप मेरी पीड़ा सुन लीजिए, वह कविता से कम नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : वह पीड़ा मार्मिक है, तो अन्तर से फूटनी चाहिए।

श्री बालकवि बैरागी : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान इस बिल के पृष्ठ-12 पर जो किसानों के लिए 19वां प्रावधान किया है, उसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आपने सदन के अनेक सदस्यों की बातें सुनी हैं। कहा गया है कि सारे देश में तीन स्थानों पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अफीम पैदा होती है, परन्तु सारे देश में सर्वाधिक अफीम मध्य प्रदेश पैदा करता है और मध्य प्रदेश में सिर्फ मेरा चुनाव क्षेत्र सर्वाधिक अफीम पैदा करता है।

अध्यक्ष महोदय : आपको शत-शत नमस्कार है।

श्री बालकवि बैरागी : मैं नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि मंदसौर जावरा का जो भी संसद सदस्य चुनकर यहां आता है, चुनाव कमीशन को गलतफहमी होती है कि वह चुनाव पेटी से निकलकर आता है, यह गलत है। वहां से जो भी संसद सदस्य चुनकर आता है, वह अफीम के खेत से चुनकर आता है।

अध्यक्ष महोदय तभी जन्मजात नशा रहता है।

श्री बालकवि बैरागी : सारे देश में जितनी अफीम पैदा होती है, उस में 14 हजार हैक्टेयर खेती मेरे जिले में होती है। इन 14 हजार हेक्टेयर में, मैं वित्त मन्त्री जी से कहना चाहता हूं, कितने पट्टेदार हैं? 76 हजार पट्टेदार हैं और यदि इनमें जावरा को मिला दें, तो 80 से 82 हजार पट्टेदार खेती करते हैं। आपने उन 82 हजार किसानों के लिए जो प्रावधान किया है, वह क्या है··· यदि वे गड़बड करते हैं, तो आप उन्हें दस साल की सजा, ज्यादा से ज्यादा 20 साल की सजा और वक्त आने पर 25 साल या 30 साल की सजा तथा दो लाख रुपये तक जुर्माना करेंगे।

कल मेरे एक माननीय सदस्य ने भाषण दिया, मुझे अफसोस है वे मेरी बात सुनने के लिए इस

[श्री बालकवि बैरागी]

समय सदन में उपस्थित नहीं हैं, वैसे वे मेरे छोटे भाई हैं। उन्होंने कहा कि "नो-मैन्स-लैंड" में जो खेती होती हैं, उसमें किसान करोड़पति हैं। मैं पूछना चाहता हूं, कल जब वे भाषण दे रहे थे, तो क्या उस देश के बारे में कह रहे थे, जो "नो-मैन्स-लैंड" का देश है। लेकिन मैं तो उन किसानों की बात कर रहा हूं, जिनके वित्त मंत्री राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह हैं, राज्य वित्त मन्त्री श्री जनार्दन पुजारी हैं और प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी हैं। यह कहना बहुत आसान है कि अफीम के एक पौधे से चार जगह कमाई होती है और किसान उसके माध्यम से कमाता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, यहां राजस्थान के सदस्य बैठे हुए हैं, उत्तर प्रदेश के सदस्य बैठे हुए हैं और मध्य प्रदेश वाला बोल रहा है, क्या इस सदन में किसी को मालूम है कि अफीम के एक पौधे को किसान कुल मिलाकर 40 बार छूता है, तब जाकर उसमें एक दाना अफीम का निकलता है। क्या कोई ऐसी खेती है, जिसमें पौधे को चालीस बार छूना पड़ता है ? केवल अफीम की ही खेती है, जो छः महीने, अक्तूबर से मार्च तक, यानी 180 दिनों तक किसान को करनी पड़ती है। आप मुझे उत्तर नहीं देंगे,लेकिन मैं चाहूंगा कि आप सदन को उत्तर दें। आप क्या भाव उस अफीम का देते हैं। कम्पलसरी आप की लैवी है। एक हैक्टेयर में कम से कम 28 किलो पैदा करना चाहिए और आप ज्यादा से ज्यादा जो भाव देते हैं वह अगर 30 किलोग्राम से कम है; तो 130 रुपये प्रति किलोग्राम, 30 से 45 किलोग्राम है, तो 150 रुपये प्रति किलोग्राम, 45 से 60 किलोग्राम है, तो 180 रुपये प्रति किलोग्राम और 60 किलोग्राम से ऊपर 220 रुपये प्रति किलोग्राम आप देते हैं। इस तरह से आप का स्लैब सिस्टम है। मैं नम्रतापूर्वक यह कहना चाहता हूं कि सरकार पहले किसान को चोर बताती है और उसके बाद उस के लिए कानून बनाती है। आप क्यों नहीं किसान की एकोनामिक्स पर ध्यान देते हैं। आप को मालूम है कि आप उसको क्या भाव दे रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस पूरे बिल में एक क्लाज भी ऐसी नहीं है जिसमें एसिसटैंट नारकोटिक कमिश्नर के खिलाफ कुछ हो। वहां बैठ कर वह करोड़ों रुपयों का घपला करता है। क्या पटवारी के बारे में एक शब्द इसमें है, जो वहां पर किसानों को बेईमान बनाता है ? गिरदावरों के बारे में एक शब्द इसमें है जो किसानों से अवैध तौर पर अफीम पैदा करवाता है। उनके बारे में यह सारा बिल साइलैंट है और कुछ नहीं बोलता है। जो सरकार किसानों को निर्भय, स्वतन्त्र और समृद्ध नहीं बना सकती, उसके नौकरशाह ऐसा बिल बनाते हैं और मुझे अफसोस है कि आप इस पर दस्तखत कर देते हैं। मैं संजीदगी के साथ कहना चाहता हूं कि आप किसानों की जेबों से खेल रहे हैं। आप में है हिम्मत? हिम्मत है, तो अफीम का भाव 500 रुपये प्रति किलो कीजिए। उस को खाना नहीं मिलता है। उस से कौन बेईमानी करवाता है ? वहां पर बेईमानी आप का पटवारी करवाता है, आप का गिरदावर करवाता है, आपका इंस्पेक्टर करवाता है और क्षमा कीजिए आपका एसिसटैंट नारकोटिक कमिश्नर भी इसमें शामिल होता है। आज मंदसौर जिले में जो एसिसटैंट नारकोटिक कमिश्नर आता है, वह रोड पर आता है और करोड़पति होकर लौटता है। एक को भी आपने बर्खास्त किया है, आप का एक भी इंस्पेक्टर बर्खास्त हुआ है ? आप हिसाब दीजिए। एक भी पतरौल गिरफ्तार हुआ है ? आप हिसाब दीजिए। आपने किसानों पर नजर डाली है। आज किसान तबाह है और मर रहा है। उसकी बिजली सस्ती नहीं है, उसका पानी सस्ता नहीं है, उसको बैंक से कर्जा मिलने में मुसीबत होती है और इस को खुद पुजारी जी ने मंजूर किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उसको एक-एक पट्टा लेने के लिए बहुत दिक्कत होती है और कर्मचारी हजारों, लाखों का खिलवाड़ करते हैं और जब हम शिकायत करते हैं, तो मंत्री महोदय का उत्तर आता है कि जांच करवा रहे हैं और उसके बाद श्री जनार्दन पुजारी की चिट्ठी आ जाती है कि जांच में कुछ नहीं पाया गया, इसलिए उस को छोड़ दिया गया।

मैं यह कहना चाहता हूं कि यह खेती इस तरह से नहीं चलेगी। यह परम्परागत खेती है। इस का वैज्ञानीकरण नहीं हुआ है। इस बिल को आप पास कीजिए, हम मना नहीं करते लेकिन किसानों को डिफ्रेंशियेट कर के कीजिए। मैं यह नहीं कहूंगा कि किसानों को आप माफ कर दें। मैं कहता हूं कि अगर किसी किसान के यहां अफीम पकड़ी जाए, तो अफीम पकड़ने के बाद उसको तस्कर माना जाए लेकिन उसका क्या होगा जबकि राजनीतिक द्वेष के कारण अफीम रखवा दी जाती है। 50 ग्राम, 100 ग्राम और 200 ग्राम अफीम उस के यहां रखवा दी जाती है और अफीम का मुखिया वह अफीम रखवा देता है और फिर उस पर मुकदमा बन जाता है। क्या होगा उसका जब गिरदावर, आप का पटवारी और आप का इंस्पेक्टर खुद अफीम रखवा कर उसको पकड़वा देता है। इस सदन को इस का उत्तर देना मुश्किल हो जाएगा। कुल मिलाकर पौन करोड़ आदमी इस की खेती करते हैं और पौन करोड़ में 50 लाख के करीब ऐसे लोग होंगे जो इस की खेती से सीधी रोटी कमाते हैं। हम कभी नहीं कहते कि आप किसी किस्म का लिहाज तस्करों के साथ कीजिए लेकिन अगर आप किसानों का लिहाज नहीं करते हैं तो मेरा यह निश्चित मत है कि यह राजीव गांधी और कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ है। तस्करों को प्रोत्साहन देने का किसी सरकार का मन नहीं होता है लेकिन अनजाने में आप तस्करों को प्रोत्साहन देते हैं। मैं बहुत नम्रतापूर्वक इस सरकार के वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूं कि आप क्यों नहीं इस को बन्द कर देते हैं। यह खेती इसलिए नहीं बन्द करवाते क्योंकि उन सब लोगों का क्या होगा, जो इससे अपनी हवेलियां बना रहे हैं। वे बड़ी-बड़ी गाड़ियों में मंदसौर जिले में आते हैं और लौट कर पीछे देखते नहीं। आज इसकी खेती करने वाले बड़े किसान कितने हैं। किसी ने यह नहीं पूछा कि बड़ा किसान कितने हैक्टेयर का है। जो बड़े किसान हैं, वे 10-20 ही आप को मिलेंगे बाकी सारे छोटे किसान हैं। इस बिल के जरिए आप उन किसानों की खेती भी छीनना चाहते हैं, आप उनके पट्टे भी छीनना चाहते हैं और मुझे तकलीफ है कि पहले सरकार उन को चोर बनाती है और फिर उनको चोर कहती है और वे अपने को जिन्दा रखने के लिए लाचार होते हैं और जब हम सच्ची बात कहते हैं, तो हम से कहा जाता है कि बैरागी जी, धीरे बोलिये, यह देश का सवाल है। यह देश का सवाल नहीं है। यह कुछ नौकरशाहों के पेट का सवाल है। इस साजिश को हम कभी सफल नहीं होने देंगे। आप बिल पास करें, हम आप के साथ हैं लेकिन अगर आप किसान को निगलेक्ट करके बिल पास कर रहे हैं, तब माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा फर्ज है कि मैं उन किसानों की बात आपके सामने रखूं और आपको कहूं कि इस धारा को निकालिये, वहां पर आप अपने प्रतिनिधियों को भेजिये और जांच कराइये कि किसान की समस्या क्या है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पुराने नवाबों और पुराने महाराजाओं का इतिहास पढ़ा है, शायद किसी और ने न पढ़ा हो। हुजूर जब बाथरूम में जाते थे या शौच के लिए जाते थे तो अपना लोटा लेकर निकलते थे। लेकिन आज आप मेरे जिले के गांव-गांव में चले जाइये, जब वहां अफीम

[श्री बालकवि बैरागी]

विभाग का कोई बड़ा पदाधिकारी आता है तो वहां का सबसे बड़ा पटेल, सबसे बड़ा कर्मचारी, सबसे बड़ा किसान बड़े सवेरे उठकर शौच के लिए उनका लोटा लेकर जाता है। तब उसको पट्टा मिलता है।

इसलिए मेरा कहना है कि आपने नये राजा पैदा कर दिए हैं, नए राजा बना दिए हैं जिनका कि विलास चलता रहे और इन किसानों का गला कटता रहे। मैं बड़ी नम्रता से कहना चाहता हूं कि आपने इन किसानों से पूछे बगैर कीमत देनी निश्चित की है, खण्ड-खण्ड भाव देना तय किया है। आप उनके लिए भाव देने की एक निश्चित स्कीम लागू कीजिए और फिर यदि कोई किसान गड़बड़ी करे तो आप उसको फांसी चढ़ा दीजिए।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो लोग चोर बनने पर मजबूर करते हैं, आप उनको सजा दीजिए। आज जो किसान को चोर बना रहा है उसे दण्ड देना चाहिए। यह मेरा सीधा-सादा सुझाव है और यह मेरे मन के भाव और विचार हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं।

इस बिल को पास करने से पहले बेहतर होगा कि जनार्दन पुजारी जी, राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह जी मेरे जिले में घूमें और मालूम करें कि वहां कौन किसानों को, खेती करने वालों को बेईमान बनाता है, उनको चोर बनाता है। जो लोग यह काम करते हैं उनका नाम भी इस बिल में रख दीजिए।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आज पता लग गया कि बैरागी जी खेत में पैदा हुए हैं और किसानों के बारे में इनको पता है। इसीलिए ये कहते हैं कि असली चोर को पकड़ने को निकलो, नकली चोर को न पकड़ो।

[अनुवाद]

श्री अजय मुशरान (जबलपुर) : महोदय, मैं वित्त मन्त्री द्वारा पेश किए गए स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपको याद होगा कि जब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा हो रही थी तब मैंने एक मुद्दा उठाया था कि नशीली औषधियों के अवैध व्यापार से संबंधित हमारे अधिनियम पुराने पड़ गए हैं और सभा के समक्ष एक नया विधेयक लाया जाए। मैंने यह मुद्दा देश के लोगों के स्वास्थ्य और सामाजिक पहलू को ध्यान में रखकर उठाया था।

बाद में, महोदय, आपको याद होगा एक अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए वित्त मन्त्री ने वायदा किया था कि वह इस सभा में एक विधेयक लाएंगे। मुझे प्रसन्नता है, उन्होंने सभा में विधेयक पेश किया है। परन्तु मुझे यह आशंका है कि चूंकि इसका कई मन्त्रालयों जैसे कि विधि मन्त्रालय, गृह

मन्त्रालय, वित्त मन्त्रालय, समाज कल्याण मन्त्रालय और स्वास्थ्य मन्त्रालय से संबंध है इसलिए यदि ऐसा विधेयक जल्दी में पेश किया जाए तो कई अत्यन्त महत्वपूर्ण पहलू छूट जाएंगे और यह उतना महत्वपूर्ण नहीं बनेगा जितना कि इसे होना चाहिए।

मैं माननीय वित्त मन्त्री का और उनके माध्यम से माननीय गृह, स्वास्थ्य और समाज कल्याण मन्त्रियों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सभी विद्वान सदस्यों को सुन चुकने के बाद यह सिद्ध हो जाता है कि नशीली औषधियों की लत और नशीली औषधियों का अवैध व्यापार न केवल आर्थिक और वित्तीय समस्याएं पैदा कर रहा है बल्कि कानून और व्यवस्था की समस्या भी खड़ी कर रहा है।

स्वास्थ्य समस्या मूलत: उस आधार को खत्म करती जा रही है जिस पर देश की भावी पीढ़ी को बड़ा होना है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने बताया है, कि दिल्ली, मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में ही नहीं, बल्कि कर्नाटक के छोटे-छोटे शहरों तथा मध्य प्रदेश में खंडवा और जबलपुर जैसे छोटे-छोटे स्थानों में कम उम्र के बच्चों को आइसक्रीम, लेमन ड्राश या टाफियों में नशीले पदार्थ दिए जा रहे हैं।

11.55 म०प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उन्हें अनजाने में नशे की आदत पड़ती जा रही है। यह एक प्रमुख समस्या है हमारे देश में आज, औरतों के साथ बलात्कार करने वालों या दहेज के कारण हत्या करने वालों को मौत की सजा दी जाती है। ऐसे मामलों में एक आदमी का जीवन नष्ट हो जाता है। मौजूदा मामलों में, जिनमें नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार से एक पीढ़ी या उसका एक हिस्सा या युवा समुदाय ही खत्म हो जाता है, वहां कुछ विशिष्ट मामलों में हमें मृत्यु दंड देने की व्यवस्था करनी चाहिए।

मैं इस तथ्य से अवगत हूं कि भारत मृत्युदंड की सजा समाप्त करने के लिए विश्व भर में चलाए जा रहे आन्दोलन के हस्ताक्षरकर्त्ताओं में से एक है। लेकिन नशीले पदार्थों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार अर्थात् इनके अवैध व्यापार के कुछ विशेष मामलों में मृत्युदंड की व्यवस्था इस विधेयक में की जानी चाहिए। विधेयक में इसकी चर्चा नहीं की गई है। विधि मन्त्री जी यहां मौजूद हैं—मुझे विश्वास है कि इस व्यापक विधेयक को यहां लाने से पूर्व इस पहलू पर जरूर विचार किया जाना चाहिए था।

मैं दो पहलुओं – एक सजा और दूसरे व्यवहार की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अगर आप अपराधों और सजा से संबंधित खंड 15 से 18 को देखें तो पाएंगे कि नशीले पदार्थों का सेवन करने वालों के लिए भी वही सजा है। सेवन करने वालों के साथ भी वही व्यवहार किया जाता है जो उन लोगों के साथ किया जाता है जो अवैध रूप से अफीम या पोस्त का आयात और निर्यात करते हैं, जो अवैध रूप से अफीम या पोस्त को अपने पास रखते हैं, भेजते हैं और बांटते हैं। मेरे विचार से नशीले पदार्थों का सेवन करने वालों तथा केवल पैसा कमाने के उद्देश्य से इन पदार्थों का व्यापार करने

[श्री अजय मुशरान]

वाले अपराधियों के बीच अन्तर किया जाना चाहिए। इन धाराओं में एक वाक्य के अनुसार :—

> "·····दस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु बीस वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु दो लाख रुपए तक का हो सकेगा; दंडनीय होगा।"

जुर्माना कितना किया जाएगा यह बात मजिस्ट्रेट पर छोड़ दी गई है। व्यक्तिगत तौर पर मेरा विचार है कि व्यक्ति को चाहे जो भी कड़ी सजा दी जाए उसके साथ जुर्माना भी लगाया जाए। एक या दो लाख का जुर्माना तो बहुत कम है। महोदय, आप अच्छी तरह जानते ही हैं और वित्त मन्त्री जी भी इसकी पुष्टि करेंगे कि इसके एक किलो की कीमत एक से दो लाख रुपए तक होती है। इन खंडों के तहत आप उन पर मुकदमा नहीं चला सकेंगे जिन्हें कम मात्रा में इनका व्यापार करने के कारण पकड़ा जाएगा क्योंकि उसके लिए एक अलग से खंड है। इन खंडों के तहत आप बड़े-बड़े अपराधियों को पकड़ेंगे। अगर आप बड़े अपराधियों को पकड़ते हैं और एक या दो लाख रुपए जुर्माना वह भी मजिस्ट्रेट के विवेकानुसार लगाते हैं तो इसे कड़ी सजा नहीं कहा जा सकता। 10 साल का कारावास भी कड़ी सजा नहीं कहा जा सकता।

माफिया सरगनाओं के लिए काम करने वाले लोगों को जेल में सजा काटने की अवधि के दौरान पेंशन और वेतन मिलता है। अगर वे जेल में हों तो उन्हें अतिरिक्त भत्ता भी दिया जाता है। अगर ऐसा है तो 10 साल की सजा बहुत ज्यादा नहीं है और आप नशीले पदार्थों की कीमतों तथा उनसे होने वाले नुकसानों की अवहेलना करते हुए जुर्माने भी नहीं लगा रहे हैं। यह बहुत कम है। मेरे विचार से माननीय वित्त मन्त्री इस पर विचार करेंगे।

इस विधेयक में एक और गम्भीर त्रुटि है। मैं खंड 27 का उल्लेख कर रहा हूं जिसका सम्बन्ध किसी भी तरह के नशीले पदार्थ की अल्प मात्रा से है। अगर मुझे कहने की अनुमति हो, तो जैसा कि बैरागी जी ने कहा है, मैं कहूंगा कि आप पहले से भ्रष्ट अधिकारियों को और आशा बंधा रहे हैं। अल्प मात्रा की परिभाषा को नियमों में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

12 00 मध्याह्न

खंड 27 के अन्तर्गत दिए स्पष्टीकरण में उल्लिखित है :—

> "इस धारा के प्रयोजन के लिए 'अल्पमात्रा' से ऐसी मात्रा अभिप्रेत है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए।"

अब, इस अल्पमात्रा के लिए संसद को विश्वास में क्यों नहीं लिया जा सकता ? हमारे यहां बहुत से ऐसे माननीय सदस्य हैं जिन्हें बहुत अधिक नहीं तो काफी जानकारी है और वे उतना ही जानते हैं जितना कि विभाग। क्या हमें एक व्यसनी द्वारा ली जाने वाली "अल्पमात्रा" की परिभाषा नहीं

करनी चाहिए। आमतौर पर एक व्यसनी की खुराक एक ग्राम होती है। इन नशीले पदार्थों का सेवन करने वाला एक आम आदमी दो या तीन ग्राम से अधिक नहीं खरीद सकता। अगर आप दिल्ली में पकड़े गए ऐसे मामलों की संख्या देखें तो पाएंगे कि वे 400 या 500 से अधिक नहीं हैं, क्योंकि 95% मामलों में व्यसनियों के पास अल्प मात्रा में ही नशीले पदार्थ मिलते है। 'अल्पमात्रा" की परिभाषा करने का काम विभाग पर छोड़कर हम इस विधेयक को रद्दी का एक कागज मात्र बना रहे हैं। आप कड़ी सजा की व्यवस्था कर रहे हैं लेकिन 95% मामले तो ऐसे होते हैं जिनमें 10 या 25 ग्राम ही पकड़ा जाता है।

खंड 27 के अन्तर्गत नशीले पदार्थों को रखने—अवैध रूप से रखने की सजा कारावास है, जिसकी अवधि एक साल तक बढ़ाई जा सकती है या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय है। इसमें आप यह कड़ी सजा रख रहे हैं। लेकिन आपके उद्देश्य और लक्ष्य "अल्प मात्रा" की परिभाषा से मेल नहीं खाते क्योंकि 95% मामले तो अधिकारियों की दया पर छोड़ दिए जाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री अजय मुशरान : महोदय, मैंने अभी तो बोलना शुरू किया है। यह सब क्या है ?

मुझे चिंता इस बात की है कि इस कमी को दूर किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : इस हिसाब से तो हम इस विधेयक पर चर्चा समय पर समाप्त नहीं कर सकेंगे।

श्री अजय मुशरान : मैं चाहता हूं कि इस मुद्दे पर सभा में चर्चा की जाए और इस "अल्प मात्रा" को परिभाषित किया जाए। विधेयक में अवैध रूप से कब्जे में रखने या बड़ी मात्रा में कब्जे में रखने के लिए सजा की व्यवस्था है। यह बड़ा अच्छा विचार है। लेकिन अधिकारी इसका दुरूपयोग करेंवे एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ सकते हैं जिसके पास 100 ग्राम होगा और कहेंगे कि उसके पास केवल 10 ग्राम ही मिला। अत: इस अल्प मात्रा को खंड 27 में क्यों न रखा जाए ? अन्यथा यह सारी सजा मजाक बन कर रह जाएगी। अनेक तरह के मामले होते हैं। सभी वकील इस पर आक्षेप कर सकते हैं और जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा है, न्यायाधीश कम सजा दे सकते हैं। इस बात की भी क्या गारटी है कि यह एक साल की सजा भी दी जायगी ? वे 50 या 100 रुपए जुर्माना कर देंगे और अधिकारी यह कहकर कि नशीला पदार्थ अल्पमात्रा में पकड़ा गया है लूट में से हिस्सा बटाएंगे। अत: अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करना अधिक महत्वपूर्ण है। 'अल्प मात्रा' की परिभाषा में इस त्रुटि को दूर किया जाना चाहिए। यह बहुत गंभीर त्रुटि है। व्यक्तिगत तौर पर मेरा विचार है कि विधेयक के खंड 27 में बहुत कम सजा प्रस्तावित की गई है। मैं जानबूझकर संशोधन नहीं रख रहा हूं क्योंकि मैंने देखा है कि संशोधनों की क्या हालत होती है। मुझे या तो संशोधन को वापिस लेने के लिए कहा जाता या वे यहां सभा में अस्वीकृत कर दिए जाते हैं। यह बहुत नाजुक समस्या है। इसे इस तरह नहीं लिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो कुछ इसमें दिया गया है वही वेद वाक्य है हम भी लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और हमारी जानकारी तथा अनुभव का लाभ

[श्री अजय मुशरान]

उठाया जाना चाहिए हमारी सलाह पर अवश्य विचार किया जाना चाहिए मेरा विचार है कि इस विधेयक से अगर इस कमी को दूर नहीं किया गया तो यह विधेयक व्यापक नहीं बन सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब समाप्त करें।

श्री अजय मुशरान : मैं कुछ मिनटों में समाप्त करता हूं।

मैं चाहता हूं कि इस गंभीर कमी को दूर किया जाए ताकि विधेयक के उपबंधों का दुरूपयोग न हो तथा जैसा कि मेरे माननीय मित्र श्री बैरागी जी ने कहा है नशीले पदार्थों के व्यसन को केवल इस विधेयक से ही नहीं रोका जा सकता।

अन्त में मेरा विचार यह है यह विधेयक खासकर खंड 71 को बहुत जल्दी में तैयार किया गया है। इस खंड में उल्लिखित है कि सरकार अपने विवेकानुसार अनेक केन्द्र स्थापित कर सकती है। क्या मैं माननीय मंत्री जी से पूछ सकता हूं कि क्या वे अभी भी इस पर विचार कर रहे हैं कि केन्द्र होने चाहिए या नहीं ? क्या आप अभी भी विचार कर रहे हैं कि मादक पदार्थों के व्यसनी अपनी अन्तिम सीमा तक नहीं पहुंचे हैं मेरे विचार से केन्द्रों को खोलने के लिए उसी तरह अनिवार्य उपबंध होने चाहिए जैसाकि हर अस्पताल को खोलने के लिए अधिनियम है चाहे वह केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा अधिनियम हो या श्रम अधिनियम कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम या कोई और अधिनियम। केन्द्र के बजाय आप उन्हें अस्पताल या गृह कह सकते हैं। वैसे भी, आप छोटी-छोटी समस्याओं के लिए केन्द्र खोल रहे हैं। उदाहरण के लिए अपराधी बच्चों के लिए बाल गृह या प्रेक्षय गृह हैं। अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम के अन्तर्गत अनाथाश्रम। नशीले पदार्थों के व्यसनियों के लिए क्लिनिक या अस्पताल खोलने के लिए आप कानून क्यों नहीं बनाते ? अगर आप इन क्लिनिकों को बाद में बनाए जाने वाले नियमों पर छोड़ देते हैं तो ये स्वास्थ्य विभाग तथा सामाजिक कल्याण विभाग के शिकार हो जाएंगे। मादक पदार्थों की लत को खत्म करने के लिए सरकार द्वारा कुछ प्रोत्साहन दिए जाने की जरूरत है। व्यक्तिगत तौर पर मेरा ख्याल है कि इस खंड 1 में यह स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए कि सरकार अपने विवेकानुसार गृह तथा क्लिनिकों और औषधालयों की स्थापना कब करेगी ताकि व्यसन को समाप्त करने के लिए ये सब मुख्य केन्द्र बन सकें। आजकल यह काम बहुत मंहगा पड़ता है। सारे देश में ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है जिससे पता चल सके कि मादक पदार्थों के व्यसन के कितने मामले हैं। जहां तक व्यसन दूर करने का संबंध है सरकार को डिस्पेंसरी और नशा छुड़ाने के लिए केन्द्र खोलने चाहिए और इनके लिए सारे वित्त की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। सरकार के इस प्रयास को सामाज कल्याण संस्थानों के कार्यों से और बल मिल सकता है।

विधेयक में इस बात की कोई चर्चा नहीं है कि इसकी जिम्मेवारी किस मंत्रालय पर होगी। इसीलिए मैंने कहा कि अगर लोगों को नशे की आदत पड़ने से नहीं बचा सकते तो कम से कम व्यसनियों का इलाज तो कर सकते हैं। अमीरों की मुझे चिंता नहीं है। वे अपने बच्चों को

अमरीका या कहीं ओर ले जा सकते है। मुझे तो गरीबों की चिंता है। इसके लिए मेरे विचारानुसार इस खंड में अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए अन्यथा इस सामाजिक बुराई को समाप्त नहीं किया जा सकेगा। मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस पर विचार करें।

श्री चिन्त मोहन (तिरूपति) : महोदय, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ विधेयक पर बोलने का अवसर दिये जाने के लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

प्रारम्भ में मैं सुझाव देता हूं कि स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ सलाहकार समिति में विशेषज्ञों को रखा जाना चाहिये न कि राजनीतिज्ञों को। विभिन्न राज्यों को जो कच्ची सामग्री दी जाती है उसका पूरी तरह उपयोग नहीं किया जा रहा है तथा उत्पादक इस अपरिष्कृत सामग्री तथा मार्फिन एवं पेथीडीन की शीशियों को काले बाजार में बेच देते हैं तथा बेचारे मरीजों को ये शीशियां निश्चित दरें पर प्राप्त नहीं होती हैं। अस्पतालों में मरीजों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही हैं।

उन्हें अधिकतर ये शीशियां बाजार से खरीदनी पड़ती हैं तथा 3 रुपये के बजाय उन्हें 10 या 15 रुपये देने पड़ते हैं। जो लोग इन शीशियों को काला बाजार में बेच रहे हैं उनके लिये कठोर सजा होनी चाहिये। इस को ध्यान में रखते हुए कानून में संशोधन किया जाना चाहिये। मादक द्रव्य बोर्ड विशेषज्ञ समिति के साथ होना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि स्वापक आयुक्त के कार्यालय को ग्वालियर से नई दिल्ली लाया जाना चाहिये। इस समय इसका कार्यालय राजधानी दिल्ली से काफी दूर है। अगर राज्यों को कोई शिकायत हैं तो उनके प्रतिनिधियों को ग्वालियर जाना पड़ता है। अत: मेरा सुझाव है कि इसका मुख्य कार्यालय दिल्ली में होना चाहिये। ज्यादा से ज्यादा शाखा कार्यालय ग्वालियर में खोला जा सकता है।

केन्द्र सरकार औषध निर्माताओं को कच्ची सामग्री देती है परन्तु उस कच्ची सामग्री से ये लोग किसी भी प्रकार की दवाइयां नहीं बना रहे हैं। वे इससे काफी बड़ा मुनाफा कमा रहे हैं परन्तु यह उत्पादन आम गरीब मरीज तक नहीं पहुंच रहा है। ये शीशियां औषध-व्यसनियों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है तथा विद्यार्थी इन द्रव्यों के आदि होते जा रहे हैं। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिये तथा इन चीजों के बारे में इस विधेयक में उपयुक्त प्रावधान किये जाने चाहिये।

अंतर्राष्ट्रीय स्वापक समिति की भारतीय स्वापक समिति के बारे में अच्छी राय नहीं है। जेनेवा से हमें जो कच्ची सामग्री प्राप्त हो रही हैं उसका सही उपयोग नहीं किया जा रहा है। हम झूठी रिपोर्टें प्रस्तुत करके जेनेवा से कच्चा माल प्राप्त कर रहे हैं। इस पर सावधानीपूर्वक ध्यान दिया जाना चाहिये।

मैं यही कुछ सुझाव देना चाहता था तथा मैं मन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि इनके बारे में तत्काल कुछ न कुछ किया जाना चाहिये। धन्यवाद

[हिन्दी]

श्री खुमान सिंह (झालावाड़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिक

[श्री जुझार सिंह]

सब्सटांसेस बिल के ऊपर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसे जिले से आया हूं जिसमें अफीम की खेती होती है और मेरी आठ असेंबली कांस्टीट्यूएंसीज में सात में अफीम की खेती हो रही है। इस खेती में लोगों को जिस तरह की परेशानियां होती हैं और जितने आदमी इन्वाल्व्ड हैं, उसके बारे में अभी हमारे मध्य प्रदेश के माननीय सदस्य श्री बालकवि बैरागी जी ने बहुत कुछ कह दिया है। मैं भी अपनी बात क्लाज 19 के ऊपर ही रखूंगा। क्लाज 19 में कृषक के लिए पेनल्टी का क्लाज रखा गया है कि अगर उसके पास अफीम पकड़ी गई, तो उसको एक लाख से दो लाख रुपये का जुर्माना और 10 साल से 20 साल तक की सजा हो सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में 2745 गांवों में अफीम बोई जाती है और 2745 गांवों में से अगर एक-एक गांव में औसत 25-30 काश्तकार भी अफीम की खेती के ले लिए जायें, तो लगभग एक लाख काश्तकार इनमें इन्वाल्व हैं, इनमें से, मैं मानता हूं कि काश्तकार नहीं बल्कि काश्तकारों से खिलवाड़ करने वाले बहुत से लोग स्मगलिंग करते हैं, लेकिन आम काश्तकार स्मगलिंग नहीं करता। दस परसेंट से भी कम आदमी ऐसे हो सकते हैं जो इस स्मगलिंग में इन्वाल्व हों।

परन्तु जैलसी की वजह से, आपसी रंजिश की वजह से ये लोग सीधे लोगों को भी इसमें फंसा सकते हैं और आपके इस 19 क्लाज की वजह से उनको भी सजा हो सकती है उससे उनकी सारी सोश्यल लाइफ बर्बाद हो जाएगी और उन्हें एक बहुत बड़ी परेशानी सामने आ सकती है।

मैंने अभी इसी सत्र में एक प्रश्न किया था कि झालावाड़ जिले में पिछले साल कितनी अवैध खेती करवाई गई है। महोदय, पिछले साल बहुत बड़ी तादाद में नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की तरफ से अवैध खेती करवाई गई है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर खुद इस अवैध खेती करवाने में इन्वाल्व्ड हैं। झालावाड़ कांस्टीट्यूंन्सीज में बहुत बड़ी तादाद में अधिकारियों अन-लाइसेंस्ड खेती करवाई गई थी। इस बात का मैंने संसद में उस समय प्रश्न किया था जबकि इसकी जांच हो सकती थी कि वहां पर अफीम की अन-लाइसेंस्ड खेती की जा रही है। वैसे जांच अभी भी चल रही है। लेकिन अब इस जांच का समय निकल गया है क्योंकि क्राप की हारवेस्ट हो चुकी है। मेरा कहना यह है कि खुद नारकोटिक डिपार्टमेंट बड़ी तादाद में गलत काम करवाने में इन्वाल्व्ड है, दिलचस्पी रखता है।

अभी मंदसौर में जो हैरोइन की फैक्ट्री पकड़ी गई है और उसमें जो लोग इन्वाल्व्ड थे, उसमें भी नारकोटिक विभाग के इस्पेक्टर का एक भाई भी पकड़ा गया था और एक क्लर्क भी है जो गवर्नमेंट के किसी आफिस में काम करता था।

आपने इस बिल में अधिकारियों को बहुत ज्यादा पावर दी है और काश्तकारों के अगेन्स्ट पेनल्टी भी बहुत बड़ी क्लाज रखी है। इससे काश्तकारों को बहुत बड़े नुकसान का भय है। मेरा कहना यह है कि ऐसे काश्तकारों को, जिन पर किसी रंजिश की वजह से अफीम रखी गई हो या गलत तरीके से उनको इन्वाल्व किया गया हो, उनको यह पेनल्टी की सजा बर्बाद कर देगी, इस पर विचार किया जाना चाहिए।

नारकोटिक डिपार्टमेंट में एक क्लास आफ वर्कर्स है, जिसको डी क्लास कहते हैं। दो महकमें के सिपाही होते हैं। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि इस क्लास के एम्पलाइज को प्रमोशन का चैनल तो औपन नहीं है। हालांकि इसमें 75 प्रतिशत लोग एजूकेटेड, मैट्रिकुलेट होते हैं और 25 परसेंट ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं। चूंकि उनकी कोई प्रमोशन की चैनल नहीं है। इसलिए ये एजूकेटेड लोग डिपार्टमेंट से अधिकांशत: डिस-सेटिस्फाइड हैं। जब लैसिंग का टाइम होता है तब इन सिपाहियों के पास बहुत पावर हो जाती है और अफीम की निगरानी के हिसाब से यह मोस्ट क्रूशल टाइम होता है। जब अफीम खेतों से बाहर निकल रही होती है तब इन्सपैक्टर लोग डोर-टू-डोर विजिट करते हैं। इन दिनों में ये इन्सपैक्टर लोग नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के सिपाही ही होते हैं क्योंकि इन सिपाहियों को भी 45 दिन के लिए इन्सपैक्टर और सब-इन्सपैक्टर की पावर दे दी जाती है। यह बड़ा अजीब सा कानून है कि हर साल इन सिपाहियों को 45 दिन के लिए वही अधिकार और पावर्स मिल जाते हैं जो कि इन्सपैक्टर और सब-इन्सपैक्टर को होते हैं और 45 दिन के बाद जब काम खत्म हो जाता है तो ये लोग फिर वापिस सिपाही ही हो जाते हैं।

ऐसे आदमियों को जिनके प्रमोशन औपनिंग के कोई चांस न हों उन्हें तौल व खरीद के पीरियड में इन्सपैक्टर और सब-इन्सपैक्टर की पावर मिल जायें तो उससे कितनी ज्यादा परेशानी व रिस्क हो सकती है, इसका आप खुद अन्दाजा लगा सकते हैं। यह डिफैक्ट है इस डिपार्टमेंट की वर्किंग में सिपाही को इतनी बड़ी पावर एक सर्टेन पीरियड के लिए मिलती है और महकमा डिस-सेटिस्फाइड स्टाफ से काम लेता हैं और इसमें भी काश्तकारों को गलत मामलों में इन्वाल्व कर लिए जाने के चांसेज ज्यादा हो जाते हैं। सिपाही का प्रोमोशन चैनल होना चाहिए।

और दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह यह है कि हैरोइन और रिफाइन्ड अफीम का भाव बहुत ज्यादा है लेकिन जो काश्तकार को भाव दिया जाता है साढ़े सात किलो तक मात्र 150 रुपये प्रति किलो ही होती हैं। अगर वह साढ़े सात से सवा 11 किलो तक पैदा करती है तो साढ़े सात किलो से ऊपर की अफीम पर उसको 240 रुपये प्रति किलो का भाव मिलता है। अगर सवा 11 किलो से ऊपर वह काश्त करता है तो 15 किलो तक उसे 280 रुपये फी किलो का भाव मिलता है। इस प्रकार अगर वह आदमी 15 किलो तक अफीम गवर्नमेंट को देता है तो उसको वेरियस स्लैब में मिलाकर मात्र 3075 रुपये मिलते हैं जबकि यदि वह 15 किलो अफीम को बाजार में बेचता है तो 15 हजार से 25 हजार तक उसको मिल सकते हैं। जो चीज बाजार में 25 हजार रुपये में मिलती है, उसके आप काश्तकार को 3 हजार रुपये देते हैं। इतने डिफरेंस की वजह से लोग टैम्पटेड होते हैं कि थोड़ी बहुत मात्रा इधर उधर करें।

जैसे श्री बाल कवि जी ने कहा है कि काश्तकार को अफीम के ठीक भाव दिए जाने चाहिए मैं उसका समर्थन करता हूं। सरकार ने साढ़े 7 किलो प्रति बीघा लेने का प्रावधान रखा है। ऐसा यह मानकर किया कि साढ़े 7 किलो से ऊपर पैदावार करने में काश्तकार को मुश्किल होती है, इससे ज्यादा पैदावार नहीं होती है। आपको यदि ब्लैक व्यापार को कम करना है तो साढ़े 7 किलो से ज्यादा का प्रक्योरमेंट कर देने पर किसान को भाव अधिक देने पैदावार साढ़े सात किलो की बजाय 10 किलो कर दें जिससे कि उसके पास की सेविंग और कम हो जाए, लेकिन पेनल्टी या एनिशमेंट जो है इसको

[श्री जुझार सिंह]

इतना ज्यादा नहीं रखा जावे, कि काश्तकार के साथ खिसबाड हो जाए इसलिए मेरा निवेदन है कि इस सेक्शन 19 में काश्तकारों के साथ इतनी राहत की जाए ताकि जितना बोझ वह उठा सके, उतना ही बोझ आप उन पर रखें। अगर एक लाख जुर्माना कर दिया तो इसका सारा घर बिक जाएगा, वह एक लाख नहीं दे पाएगा। दस साल तक उसको जेल में रखा गया तो उसके बाल बच्चे मर जायेंगे, इसलिए इसमें रिजनेबल अमेंडमेंट होना चाहिए और व्यावहारिक ढंग से सजा देनी चाहिए। बम्बई आदि बड़े-बड़े शहरों में जो बड़े-बड़े स्मगलर हैं उनके ऊपर जुर्माना 10 लाख का करें, लेकिन काश्तकार की बचत की जानी चाहिए।

श्री अनूपचन्द शाह (बम्बई उत्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ विधेयक जो कि सदन के सामने रखा गया है, मैं उसके समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं। इस बिल का हमारे समाज के ऊपर अत्यधिक असर हुआ है और आने वाले दिनों में हमारी सोशल लाइफ पर भी इसका इफेक्ट होने वाला है। मैं उन एस्पेक्ट को कवर करने के लिए कुछ कहना चाहता हूं। हमारे मैट्रोपालिटन सिटी जैसे बम्बई, मद्रास, कलकत्ता जैसे बड़े-बड़े शहरों नैरोकैटिक ड्रग्स का बहुत उपयोग हो रहा है।

इस सैशन के शुरू होने से पहले जब मैं बम्बई से यहां आ रहा था तो उसके पहले मैं एक्साइज इंस्पेक्टरों को बुलाकर इस बरी के बारे में चर्चा की। उन लोगों से यह सूचना मिली कि अगर इसके ऊपर बंधन नहीं डाला गया तो इस बरी की वजह से समाज का इतना अधो-पतन हो जायेगा कि जहां से वापिस आना मुश्किल हो जायेगा। अभी हमारे पास जो कुछ कानून थे वह कानून अधूरे थे। उस अधूरे कानून की वजह से ऐसे पदार्थों की डीलिंग में जिस को पकड़ा जाता था वह 15 दिन या एक महीने के अन्दर बेल पर छूटकर आ जाता था। आने के बाद अपनी पूरी ताकत से जो धन्धा पहले करता था वही धन्धा चालू रखता था। उन लोगों को अरैस्ट करने वाले हमारे जो आफिसर थे इनकी जिन्दगी खतरे में आ जाती थी ऐसे आफिसर को हरदम थ्रेटिंग दी जाती थी कि अगर आप इससे आगे कदम बढ़ायेंगे तो आपकी जान खतरे में है। आज जब हमने इस कानून को मजबूत करने का प्रयत्न किया है, हमने कम से कम सजा की इसके अन्दर कार्यवाही की है। एक लाख रुपये की जो पेनल्टी है वह उनके लिए कुछ भी नहीं है। जो 4-5 लाख रुपया अीनेस्ट आफिसर की ट्रांसफर के लिए खर्च कर सकता है, उनके लिए लाख दो लाख रुपये कुछ नहीं है। वह लोग 5-10 लाख रुपये खर्च कर इंस्पेक्टर को ऐसी जगह पहुंचा देते हैं जहां पर उनकी लाइफ खत्म हो जाती है। वैसे तो कायदे बहुत हैं, लेकिन उसका अमल कितना होता है, कायदे की दहशत लोगों के अन्दर कितनी है, भय का वातावरण कितना है, वह सबसे बड़ी चीज है। और फीअर कब निर्माण हो सकता है जब ऐसे कानून को बनाने के बाद हम इस कानून पर अमल करने का प्रयत्न करें। क्लाज 78 में हमने स्टेट्स को कुछ पावर दी हैं कि वह रूल बना सकते हैं। हो सकता है कि कभी किसी स्टेट के अन्दर ये जो गैंग्स हैं, स्मगलर्स के या और ऐसे पदार्थों को डील करने वालों के, उनके उस गैंग के प्रभाव के नीचे आकर कुछ ऐसे रूल्स बन जायें जिससे इस कायदे की जो भावना है उसका पालन न हो सके। इस बिल को पढ़ने के बाद मुझे इसमें कुछ ऐसा दिखाई नहीं पड़ा। इसलिए मेरा मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि स्टेट्स जो रूल्स

बनावें वह सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आवें और सेंट्रल गवर्नमेंट उनको अप्रूवल दे। अगर ऐसा है तो अच्छी चीज है और अगर नहीं है तो ऐसा इसमें रखें कि जो भी स्टेट रूल्स बनावें वह सेंट्रल गवर्नमेंट के पास उसके अप्रूवल के लिए आना चाहिए। उसके अप्रूवल के बाद ही वह अमल में आना चाहिए ताकि इसके पीछे जो भावना है वह अमल में आ सके।

हम आज यह समझते हैं कि यह बडी जो हैं केवल स्टूडेंट्स तक ही, या हमारे विद्यार्थियों और छोटे बच्चों तक ही इसका इस्तेमाल सीमित है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमें यह समझना चाहिए कि इसका उपयोग इससे और अधिक हो रहा है। आज हमारे बड़े-बड़े आफिसर्स के ऊपर इसका प्रयोग हो रहा है। अगर इस प्रयोग में वे सकसेसफुल हो गए तो आप जानते हैं कि ड्रग का उपयोग करने के बाद वे क्या नहीं कर सकते। इसलिए दस से बीस साल की सजा या लाख दो लाख रुपये की पैनल्टी से कुछ होने वाला नहीं है। पांच लाख की भी पैनाल्टी की जावे तो उससे भी कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं हैं। फर्क तब पड़ेगा जब जो कानून हम बना रहे हैं उसका सही रूप से इस्तेमाल किया जाय और आनेस्ट और प्रामाणिक आफिसर्स जो हैं उनको कहीं न कहीं हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अगर उनको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो वह भी इस कानून पर अमल करने का प्रयत्न क्यों करेंगे? इसलिए मन्त्री महोदय से मैं कहूंगा कि जब इस-ऐक्ट के तहत रूस के रूल्स फ्रेम किए जावें — वैसे सबार्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी जरूर है रूल्स को देखने के लिए लेकिन फिर भी रूल्स इस ढंग से फ्रेम होने चाहिए जिससे जो इस कानून की जो भावना है वह ठीक से अमल में आ सके। हमें एक इंस्पेक्टर ने बताया, पाकिस्तान का कुछ उल्लेख हो रहा था, मैं किसी कंट्री का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन जो देश भारत को कभी लड़ाई में आज तक नहीं हरा सका है और न हरा सकता है, शायद वह समय आ जावे कि इस प्रकार के ड्रग्स के उपयोग के द्वारा देश की नैतिकता को खत्म करके इस देश को वह हरा सके। यह परिस्थिति निर्माण हो, उसके पहले इस कायदे पर सही ढंग से अमल करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

क्लाज 6 के बारे में मुझे कुछ कहना है। उसमें कंसल्टेटिव कमेटी का कोई प्रावधान है। मैंने देखा है इसके ऊपर कोई अमेंडमेंट भी आया है। मैंने अमेंडमेंट इसलिए नहीं दिया कि हम जानते हैं कि हमारे अमेंडमेंट का क्या होगा? अतः मैं सुझाव देना चाहता हूं कि अगर कंसल्टेटिव कमेटी की जगह पर ऐडवाइजरी कमेटी बनावें तो वह ज्यादा अच्छा होगा। उसकी जरूरत इसलिए है कि इस सदन के और सदन के बाहर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास इस विषय की अच्छी से अच्छी नौलेज हैं। अगर ऐसे नौलेज वाले लोग इस ऐडवाइजरी कमेटी में आएंगे तो इस कानून के अमल में उनकी ऐडवाइस का अच्छे से अच्छे ढंग से हम इस्तेमाल करेंगे और इस देश को अधोपतन के रास्ते पर जाने से बचा सकेंगे।

मैं जब यहां आ रहा था तो मुझे मेरी कांस्टीच्यूएंसी के एक भाई ने आकर यह कहा कि अपनी कांस्टीच्यूएंसी में जो इतने अड्डे चल रहे हैं उनको बन्द करवाइए। मेरी बहन का तो जो होने वाला है वह हो चुका लेकिन और हमारी बहनों और माताओं की जिन्दगी खराब न हो इसलिए आप इस कानून के ऊपर अमल के बारे में कुछ कीजिए। मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर इस कानून का सही ढंग से उपयोग हुआ तो इस देश की माताएं, बहनें और इस देश की जनता भी हमको आशीर्वाद

[श्री अनूपचन्द शाह]

देगी। उनका आशीर्वाद लेने के लिए आप इस कानून को ठीक प्रकार से अमल में लाएं। रूल बनाने के सम्बन्ध में जैसा मैंने आपसे पहले निवेदन किया है वह आप अवश्य ध्यान में रखें। क्लाज (78) और क्लाज (6) के बारे में भी मैंने आपसे निवेदन किया है। क्लाज (27) के बारे में जैसा मैंने कहा है, इस पूरे क्लाज को ही स्क्रैप करने की सख्त जरूरत है। इसी निवेदन और अपेक्षा के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : महोदय मुझे खुशी है कि सम्पूर्ण राष्ट्र ने मादक द्रव्य के व्यसन से होने वाले खतरों को गम्भीरता से लिया है। माननीय वित्त मन्त्री जी ने हाल ही में एक व्यापक विधान लाने का वायदा किया था। उन्होंने अपने वायदे को पूरा तो किया है परन्तु मुझे यह कहते हुए खेद है कि इस विधेयक में, जिस पर इस समय चर्चा की जा रही है बहुत सी खामियां हैं। निश्चित ही मैं निस्सन्देह विस्तार में नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे पास समय बहुत कम है तथा जैसा कि मेरे माननीय मित्र श्री मिश्रा ने कहा है, मैं केवल खण्ड 37 पर ही बोलूंगा। हो सकता है इस खण्ड से विधेयक के उद्देश्य की पूर्ति न हो। यदि यह प्रमाणित हो जाता है कि अमुक व्यक्ति अधिकृत नहीं है, तो उस व्यक्ति को बहुत ही कम सजा देने से इस विधान को निश्चय ही कोई मदद नहीं मिलेगी क्योंकि जैसा कि माननीय सदस्यों ने बताया है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि औषधि बेचने में लगे हुए हैं। वे सभी बहुत कम मात्रा में धन्धा करते हैं।

यह अत्यन्त आवश्यक है कि अनधिकृत रूप से कम मात्रा रखने वालों और व्यसनियों दोनों के लिए कड़ी सजा होनी चाहिए। इनके लिए सजा नाम मात्र नहीं होनी चाहिए।

वास्तव में यह अत्यन्त आवश्यक है कि एक व्यापक कानून होना चाहिए। शताब्दी पुराने कानून आजकल असंगत हैं।

आप एक व्यापक विधेयक लाये हैं परन्तु दुर्भाग्य से इस पर विचार करने के लिए समय नहीं है तथा विधेयक को सभा में जल्दी-जल्दी पारित किया जा रहा है तथा इस विधेयक में बहुत सी कमियां हैं।

मैं केवल इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि इस विधेयक का हाल वही नहीं होना चाहिए जो प्रतिषेध विधेयक का हुआ है। प्रतिषेध के सम्बन्ध में राज्य एवं केन्द्रीय कानून हैं। परन्तु आज प्रतिषेध की क्या स्थिति है। राज्य सरकार इसे दूर करने में समर्थ नहीं हैं। इस विधान का हश्र भी वैसा ही नहीं होना चाहिए।

मैं चाहता हूं कि सरकार इस विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति को भेजने के प्रस्ताव पर सहमत हो जाती है ताकि सरकार के समक्ष एक सुस्पष्ट विधान रखा जा सकता।

इस सम्बन्ध में, मैं एक या दो सुझाव देना चाहूंगा। अब तक ये व्यसनी सिर्फ पश्चिमी देशों में ही पाये जाते थे। परन्तु पिछले दो या तीन वर्षों से हम अपने देश में भी इस अषधि की बिक्री देख रहे हैं। यह देश के पर्यटन स्थानों पर विशेष रूप से प्रचलित है।

मैं एक उदाहरण को उद्धृत करना चाहूंगा जिसका उल्लेख किया गया है। दो या तीन दिन पूर्व बंगलौर में नशीले पदार्थों के बारे में जानकारी देने के लिए एक सेमिनार हुआ था। इस सेमिनार में यह बताया गया कि हाम्पी जिसे माननीय मन्त्री जी जानते हैं—मुझे नहीं मालूम कितने सदस्यगण इसे जानते हैं—यह एक बहुत ही प्रसिद्ध नगरों में से है, तथा महान शासक कृष्ण देव राय के समय में विजय नगर साम्राज्य की राजधानी था यह नगर आजकल औषध व्यसनियों एवं हिप्पियों के लिए स्वर्ग बना हुआ है। एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक रिक्शा चलाने वाला, जो इस औषधि की बिक्री में लगा हुआ था, एकदम अमीर बन गया है क्योंकि इस व्यवसाय में बहुत ज्यादा मुनाफा है। हुआ ऐसे कि उस रिक्शा चालक का औषध व्यसनियों से बहुत परिचय हो गया विशेष रूप में हिप्पियों से। उसने एक फ्रांसीसी महिला से शादी की जिसे वह इन औषधियों की आपूर्ति करता था। वह उस महिला के साथ फ्रांस चला गया। अन्ततः उस महिला ने उसे छोड़ दिया तथा वह व्यक्ति औषधि-व्यसनी ही बना रहा। और अब वह पूरी तरह तबाह हो चुका है। यह एक प्रमाणित खबर है जो कर्नाटक के अखबारों में छपी है। अतः मेरा सुझाव है कि सिर्फ विधान के द्वारा ही हम इस समस्या से नहीं निपट सकते। इसके लिए प्रभावी प्रचार होना चाहिये। रेडियो एवं दूरदर्शन के माध्यम से लोगों को मादक-द्रव्यों के सेवन से होने वाले खतरों से अवगत कराना चाहिये। विशेष रूप से बच्चों को औषधि-सेवन के खतरों के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। हमें सभी प्रसार माध्यमों को यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह उपयोग में लाना चाहिए कि स्कूल जाने वाले बच्चों को इन नशीली औषधियों से पैदा होने वाले खतरों की जानकारी दी जाए।

जैसाकि मैं पहले कह चुका हूं, कि इस विधेयक की मुख्य विशेषता है कि इसके द्वारा सजा को बढ़ाया जा रहा है। मैं इस विधेयक का इस बात के लिए स्वागत करता हूं कि इसमें औषधि बेचने वाला तथा अवैध एवं गैर-कानूनी ढंग से अफीम तथा अन्य चीजों का उत्पादन करने वालों के लिए कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि सरकार के पास सभी प्रावधानों पर विचार करने का समय होता है। मैं माननीय मंत्री को सुझाव देता हूं कि वे खण्ड 27 में सरकारी संशोधन ला सकते हैं ताकि जो लोग अल्प मात्रा में इन औषधियों को रखते हैं उन्हें भी कठोर सजा दी जाये। खण्ड 27 में सरकारी रूप से संशोधन किया जाना चाहिए। इसके लिए क्या सबूत चाहिए कि कोई व्यक्ति अल्प मात्रा में औषधि रखने के लिए अधिकृत हैं ? सिर्फ डाक्टर का प्रमाण पत्र। क्या आजकल डाक्टर का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना कठिन है ? डाक्टर से प्रमाण-पत्र प्राप्त करना बहुत ही आसान है। आप जानते हैं कि प्रतिषेध के दिनों में हमारे राज्य में लोग कितनी आसानी से डाक्टर का प्रमाण-पत्र ला रहे थे। कोई भी व्यक्ति यह कह कर डाक्टर का प्रमाण-पत्र ले सकता है कि उसे एल्कोहल (शराब) दवाई के रूप में चाहिए। क्या चिकित्सा के उद्देश्य से इन औषधियों के लिए प्रमाण-पत्र प्राप्त करना कोई मुश्किल बात है। कोई भी चिकित्सक दे देगा। मैं सुझाव दूंगा कि अगर कोई चिकित्सक चिकित्सा के उद्देश्य से अनधिकृत रूप से प्रमाण-पत्र देता है चाहे यह प्रमाण-पत्र वह अपनी मर्जी से या अनिच्छा से, या औषध-बिक्री को बढ़ाने के उद्देश्य से देता है, तो उसे भी सजा

[श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर]

मिलनी चाहिए, दुरुत्साहन को भी सजा मिलनी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री जी यह सुनिश्चित करेंगे कि खण्ड 27 में उपयुक्त संशोधन किया जाए।

[हिन्दी]

श्री डाल चन्द्र जैन (दमोह) : उपाध्यक्ष महोदय, स्वापक औषधि और मन: प्रभावी विधेयक जो सदन में प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। साथ ही साथ मैं आपसे इस सभा के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि कानून बना देना बहुत सरल बात है और कानून बनाने के लिए हम बैठे हैं, लेकिन कानून का पालन कैसे हो, इस बात के ऊपर हम विचार नहीं करते हैं। जिस ढंग से कानून का पालन होना चाहिए, उस ढंग से कानून का पालन नहीं होता है।

चूंकि नशीली दवाओं और दवाओं के नाम पर नशीले पदार्थों का सेवन हमारी युवा पीढ़ी में बहुत बढ़ गया है, इसलिए इस बिल को लाने की आवश्यकता पड़ी है। पिछले दिनों किन्हीं संस्थाओं द्वारा जो सर्वे हुआ है, वह उस रूप में नहीं हुआ है, लेकिन शासन के द्वारा जो युवकों में नशीली पदार्थों का सेवन होना शुरू हुआ है, उसका एक विस्तृत सर्वे होना चाहिए। इसके साथ-ही-साथ इस आबकारी विभाग में जो कर्मचारी रहते हैं, जिनके द्वारा इस कानून का पालन होता है, उनकी भी हमको समय-समय पर जांच करनी चाहिए कि जब उन्होंने सर्विस की थी उस वक्त उनकी क्या स्थिति थी और सर्वे के दौरान क्या स्थिति हो गई। इस सम्बन्ध में मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं — किसी तालाब में बहुत से मगर पैदा हो गए। उसके लिए स्पेशल फोर्स तैयार की गई है। स्पेशल फोर्स ने पहले महीने में उस तालाब से आधे मगरों की सफाई कर दी, दूसरे महीने में चौथाई मगर मार दिए और तीसरे महीने में बड़ी तत्परता से काम किया। इससे लोगों को बड़ी राहत मिली और उनसे कहा गया कि आपने अच्छा काम किया है। स्वागत किया। इसके बाद देखा गया कि वे एक तरह से निष्क्रिय हो गये। लोगों ने उनसे पूछा कि पहले तो आपने इस तरह से काम किया अब क्या हो गया है ? उन्होंने जवाब दिया —अगर हम चाहें तो सब मगरों को साफ कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने साफ कर दिया तो फिर हम क्या करेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि तालाब में मगर भी रहें और उनको मारने के लिए हम भी रहें···

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : आपने बिलकुल ठीक कहा है—मर्ज भी रहे और मरीज भी रहें।

श्री डाल चन्द्र जैन : इस तरह की मनोवृत्ति हमारे शासकीय कर्मचारी और इस कानून के पालन कर्ताओं की हो गई है। इसको हमें रोकना है और इसकी जिम्मेदारी हम जनप्रतिनिधियों पर भी है। जिस तरह से हमने भारत की आजादी हासिल करने के लिए महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में जन-आन्दोलन किया, उसी तरह का आन्दोलन आज हम जनप्रतिनिधियों को इस समाज सुधार के लिए, एक अच्छे राज्य के लिए करना चाहिए। अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी का पालन नहीं करता है, अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से निर्वहन नहीं करता है तो जिस तरह से हमने ब्रिटिश सरकार

के खिलाफ मोर्चा लिया था उसी तरह से ऐसे सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ मोर्चा लेना चाहिए। तब हम अपने समाज में सुधार ला सकेंगे और अपने समाज को सही रास्ते पर ले जा सकेंगे। हमारे प्रधान मंत्री, आदरणीय श्री राजीव गांधी, का एक सपना है कि हमें देश को इक्कीसवीं सदी की ओर ले जाना है। उस दिशा में जाने के लिए हमको हर वर्ग के लोगों के सहयोग की आवश्यकता है, खासतौर से जो हमारी ब्योरोक्रेसी के लोग हैं, शासनतन्त्र के लोग हैं, उनके सहयोग की भी आवश्यकता है। तभी हमारा कानून प्रभावी हो सकता है।

आपने इस बिल में जो छोटी मात्रा में नशीला पदार्थ (अफीम) रखने के लिए प्रावधान किया है, मैं समझता हूं कि उससे बहुत से गलत काम होंगे। मैं चाहता हूं कि इसमें इस तरह से सुधार किया जाए, जैसे गोल्ड-कन्ट्रोल एक्ट के अन्तर्गत प्राइमरी गोल्ड नहीं रख सकते हैं, उसको रखना है तो परमिट की आवश्यकता होती है। इसलिए छोटी मात्रा में रखने के लिए किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता होनी चाहिए। उसके बाद कोई व्यक्ति छोटी मात्रा में रखने के लिए सक्षम हो सकेगा।

जहां तक किसानों को सरकार द्वारा भाव देने का प्रश्न है, मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर पुनर्विचार करे। जब किसानों को दूसरे लोग या तस्कर लोग ज्यादा कीमत देते हैं, तो यह स्वाभाविक है कि किसान उसको दूसरे लोगों को बेच देता है। सरकार को कीमत के बारे में फिर से विचार करना चाहिए और ऐसी कीमत देनी चाहिए कि वह दूसरों को न बेच कर केवल सरकार को ही अपनी पैदावार बेचे।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ विधेयक के सम्बन्ध में अपने विचार रखना चाहता हूं। हमारे देश के कई राज्यों में अफीम की खेती होती है, लेकिन मेरे क्षेत्र में अफीम की खेती नहीं होती है। माननीय मंत्री जी ने जो बिल प्रस्तुत किया है, उससे तो केवल ऐसा प्रतीत होता है कि पुराने कानून में सजा कम है, इसमें ज्यादा सजा देने का प्रावधान किया गया हैं, ताकि ऐसा काम करने वालों के मन में थोड़ा भय हो। यदि उनके मन में ऐसा विचार है कि इस सजा के बढ़ा देने से हम उनको ऐसा काम करने से रोक सकते हैं, तब तो मैं समझता हूं कि उनकी यह समझ गलत है। जो कानून पहले बना हुआ था, जो पुराना कानून था, वह सक्षम था और तभी कानून का राज कहा जा सकता है जब उस कानून से गलत काम करने वाले लोगों में दहशत पैदा हो। जैसे-जैसे कानून बढ़ते जा रहे हैं, वैसे-वैसे दहशत मिटती जा रही है। तो यह कानून का राज कैसे कहा जा सकता है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने इसमें सजा बढ़ाई है लेकिन मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। इन्डियन पीनेल कोड में धारा 302 है, जिसमें एक आदमी की हत्या करने वाले अनेकों आदमियों को फांसी दी जा सकती है। अगर सभी आदमियों की नीयत किसी एक आदमी को मारने की थी, तो सबों को फांसी दी जाती है। इससे कड़ा कानून और कोई कानून नहीं होगा लेकिन उसके बाद भी आपके राज में हत्याओं की बाढ़ आ गई है और डर नाम की कोई चीज नहीं है। फांसी का डर किसी को नहीं है। अब आप इसमें 20 साल या 2 लाख रुपये कर दें, तो इससे डर आने वाली बात नहीं है। डर तभी होता है जब कानून बनाने वाले और कानून को लागू करने वाले, दोनों ईमान-

[श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह]

दारी से काम करें और दोनों की नीयत ठीक हो। और नीयत ठीक है, तो छोटी सजा के कानून को भी लागू किया जा सकता है और मंदा कार्य करने वालों पर रोक लगाई जा सकती है लेकिन आज तो दोनों की नीयत खराब है। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि कुछ ऐसा काम करने वाले लोगों को पुराने ही कानून के जरिये अधिकारी धड़-पकड़ करता है, तो उन्होंने यह बताया कि 5 लाख रुपया खर्च करवा कर उसका ट्रान्सफर करवा दिया। तो 5 लाख रुपया किसने लिया। वह बड़े अफसर ने लिया या मंत्री ने लिया। जब वह आदमी धड़-पकड़ पुराने कानून में कर रहा था, तो जिसको वह पकड़ रहा था, वह आदमी किसका था। वह आदमी आपका है और जब वह आपका आदमी है, तो वह अफसरों को क्या समझेगा। अगर पहले कानून में ज्यादा सजा देकर और उसकी ताकत बढ़ाकर आप यह समझते हैं कि हम डर नाम की कोई चीज पैदा कर देंगे, तो यह चीज होने वाली नहीं है। सबसे बड़ी चीज यह है कि आप नीति ऐसी बनाएं कि छोटे कानून से भी आप काम कर सकें। यह कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा कानून बना दें। बड़े कानून आपके यहां बने हुए हैं और अगर कोई किसी की हत्या करता है, तो उसका बच निकलना मुश्किल है। अगर हत्या हो जाती हैं, तो 302 में फांसी की सजा का प्रावधान है लेकिन हम देखते हैं कि इसका कोई असर नहीं है।

चौथी बात मैं हेरोइन के बारे में कहना चाहता हूं। एक आदमी के यहां से हेरोइन पकड़ी गई। पहले तो मैं इसके बारे में नहीं जानता था और यही समझता कि फिल्म जगत में काम करने वाली महिलाओं को ही हीरोइन कहते हैं। एक एम० एल० ए० के ब्रीफ केस से हेरोइन पकड़ी गई, तब हमने सोचा कि कोई अलग ही हेरोइन होगी। उत्तर प्रदेश के एक एम० एल० ए० के पास से 4 लाख रुपये की हेरोइन पकड़ी गई। तो आपको इसके बारे में जवाब देना होगा कि वह किस पार्टी का एम० एल०ए० था। कैसे-कैसे लोग आपके यहां से टिकट लेकर विधान सभा, राज्य सभा और लोक सभा में विद्यमान हो जाते हैं। आप ऐसे लोगों को पकड़िये। हमको साफ-साफ इसके बारे में कहना होगा। मैं कम्युनिस्ट पार्टी का हूं। इससे क्या हुआ। अगर गलत काम करता हूं, तो हमको भी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आपके यहां ऐसा नहीं होता है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह कानून देहात वालों पर भी लागू होगा। देहात में हमारे गार्जियन कहते हैं कि इस राज में तीन चीजें सस्ती हैं, खून, कानून और नून और वह चीज देखने को मिल रही है। देश में सब चीजों में महंगाई है लेकिन ये चीजें जरूर सस्ती हैं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि अगर आप इस कानून को लागू करना चाहते हैं, तो आप अपनी नीयत साफ करो। नीयत साफ हो, तो हम समझते हैं कि पुराना कानून ही सक्षम था, जिसमें आप गलत काम करने वालों को पकड़ सकते हैं। आप इसको खेतिहर लोगों पर भी लागू करेंगे। 75 प्रतिशत आदमी तो इसमें ऐसे ही निकल जाएंगे जो आपके साथ हैं, 20 प्रतिशत आदमी ऐसे हैं जो असफरों के बीच में हैं और 5 प्रतिशत पकड़े जाएंगे 27 धारा के अनुसार। मैं आपको बताऊं कि मैं एक थाने में गया। वहां पर गांजे का पेड़ था। जहानाबाद के थाने के कम्पाउन्ड में मैंने एक पेड़ देखा। तो लोगों ने कहा कि यह गांजे का पेड़ है। अब आप बताइये कि थाने से पास लगे गांजे के पेड़ में तीस किलो गांजा होगा तो जो कानून को लागू करने वाला है वह कैसे कानून को लागू करेगा। जो लोग पकड़ने वाले हैं वे ही ऐसा करेंगे तो दूसरों का क्या।

हमारे युवा प्रधान मंत्री युवा वर्ग की दुहाई देते हैं। युवा वर्ग प्रत्येक समाज का भविष्य होता है। लेकिन आप देखिये कि आपके युवा वर्ग ने सोवियत यूनियन में क्या तमाशा किया। आप ऐसा युवा वर्ग तैयार कर रहे हैं। (व्यवधान) हम क्यों नहीं कहें उनके बारे में जो सब यह काम कर रहे हैं।

हम माननीय मंत्री जी से यही चाहेंगे कि जो गलत काम करते हैं उनको आप छोड़ें नहीं और कानून को सही ढंग से लागू करें।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : अध्यक्ष महोदय, मैं स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ विधेयक का समर्थन करता हूं। भारत तस्करों के संगठित गिरोहों का स्वर्ग और अधिकतर पश्चिमी देशों को स्वापक औषधियां भेजने का एक मार्ग बन गया है। पहले इन्हें पड़ौसी देशों से हमारे देश में लाया जाता है।

भारत में हैरोइन प्रयोगशाला में पैदा की जाती है। स्वापकों के लेन-देन में कालिज-प्राध्यापक भी शामिल हैं। जम्मू और कश्मीर में खेतों में चरस और गांजा पैदा किया जाता है और सब्जियों, दालों आदि के खेतों में इसकी खेती की जाती है। हमारे पूर्वी प्रदेशों में बर्मा और थाईलैण्ड से स्वापकों का आयात किया जाता है और इन्हें कलकत्ता भेजा जाता है। आज देश में यह स्थिति है, जिससे देश की जड़ें ही हिल रही हैं विशेषकर युवाओं पर बुरा असर पड़ रहा है। एक सौ वर्ष पुराना अफीम अधिनियम और 50 वर्ष पुराना खतरनाक औषध अधिनियम तस्करों और माफिया दलों से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है। अत: इस व्यापक विधान का निश्चय ही स्वागत है।

विधेयक का स्वागत करते हुए मैं मन्त्री महोदय को सुझाव देना चाहूंगा कि वे भ्रष्टाचार के लिए बिल्कुल गुंजाइश न रहने दें। उदाहरण के तौर पर कम मात्रा में स्वापक रख सकने का प्रावधान है अवैध रूप से किसी भी मात्रा को रखने पर दण्ड दिया जाना चाहिए। अगर कम मात्रा रखने की छूट दी जायेगी तो इससे भ्रष्टाचार में वृद्धि होगी।

मैं सुझाव देना चाहूंगा कि अधिकतम सजा आजीवन कारावास होना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय उचित समय पर इस विधेयक में संशोधन पेश करेंगे ताकि कुछ मामलों में सजा को बढ़ाकर आजीवन कारावास कर दिया जाए। यह विधेयक जब अधिनियम बन जाएगा, तब इसे इस प्रकार अमल में लाया जाना चाहिए कि इस प्रकार के सभी अत्याचार बन्द हों और नियम इस ढंग से बनाए जाने चाहिए कि कोई ऐसी त्रुटि न रह जाए जिससे अपराधी बच सकें।

श्री डी० बी० पाटिल (कोलाबा) : आरम्भ में, मैं सभा का ध्यान उद्देश्यों और कारणों के कथन की ओर दिलाना चाहता हूं, जिसमें कहा गया है :—

"हाल के वर्षों में व्यसन पैदा करने वाली नई औषधियां जिन्हें मन:प्रभावी पदार्थ कहा जाता है, सामने आई हैं, और राष्ट्रीय सरकारों के लिए गम्भीर समस्या बन गई हैं। मन:प्रभावी पदार्थों पर ऐसी रीति से नियन्त्रण करने के लिए समर्थ बनाने के लिए, जैसा कि

[श्री डी० बी० पाटिल]

मन:प्रभावी पदार्थ कन्वेंशन, 1971 में परिकल्पित है, जिसको भारत ने भी अंगीकृत किया है, भारत में कोई व्यापक विधि नहीं है।"

इससे स्पष्ट हो जाता है कि 1971 में जब सम्मेलन हुआ था तब एक व्यापक विधान बनाने के बारे में सोचा गया था। भारत उस सम्मेलन में शामिल था लेकिन मैं नहीं जानता कि इस व्यापक विधेयक को लाने में इतनी देरी क्यों कर दी गई है। सरकार को ज्यादा गम्भीर होना चाहिए था और इसे जल्द लाना चाहिए था। फिर भी देर आयद दुरस्त आयद।

अब विधेयक के उपबंधों की जांच करना आवश्यक है। स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थों का व्यापार करना अपराध है; दो प्रकार के अपराध होते हैं—व्यक्ति के विरुद्ध अपराध और समाज के विरुद्ध अपराध। जहां तक समाज के विरुद्ध अपराध का सम्बन्ध है, मैं महसूस करता हूं कि सरकार ने अपराधियों के विरुद्ध कुछ सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। लेकिन जो कानून विद्यमान हैं उनके कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए, मुझे शक है कि इन्हें सही ढंग से कार्यान्वयन किया जा सकेगा। उदाहरण के लिए, बम्बई में मद्य निषेध है। लेकिन ओल्ड कौंसिल हाल से, जहां विधान सभा है, 100 मीटर के अन्दर कच्ची शराब मिल जाती है। कच्ची शराब एक कप चाय की तरह आसानी से उपलब्ध है। अत: हम निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि कानूनों का सही ढंग से कार्यान्वयन नहीं हो रहा है। अगर कानूनों को ठीक ढंग से कार्यान्वयन न किया जाये तो ऐसे कानून बनाने से कोई लाभ नहीं।

अब जब सरकार ने सभा में एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत किया है, मैं माननीय मंत्री और सम्माननीय सभा का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि आजकल औषधि व्यापार करोड़ों का व्यवसाय बन गया है। समाचारपत्रों में हमेशा ही ऐसे समाचार छपते रहते हैं कि लाखों रुपये की औषधि पकड़ी गई। अगर सरकार यह कहती है, उसे हाल ही में इसकी जानकारी मिली है या देश में हाल ही में औषध सेवन होने लगा है, तो मैं समझता हूं कि यह गलत है। अगर आप 5-10 वर्ष पूर्व गोवा गए हों तो आपने समुद्र के किनारे इन औषध-व्यसनियों को टहलते देखा होगा।

अत:, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, अब जो कानून बनाया जा रहा है उसे ठीक ढंग से अमल में लाया जाना चाहिए और औषध-व्यापार पर रोक लगाई जानी चाहिए। कर्नाटक के कृषि मंत्री ने शिकायत की है कि जहां तक औषध-व्यापार का सम्बन्ध है, कर्नाटक में इस बारे में कोई व्यापक कानून नहीं है। कर्नाटक में ऐसे अपराधों को रोकने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं, अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री शांताराम नायक (पणजी) : मैंने जिन वाद-विवादों में भाग लिया है, उनमें मैं हमेशा ही यह कहता रहा हूं कि कानूनों को समेकित किया जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि आपने अंशत: इस बात को मान लिया है क्योंकि तीन पूर्व कानून—अफीम अधिनियम, 1857, अफीम अधिनियम, 1878 और खतरनाक औषध अधिनियम, 1930 को मिलाकर एक कर दिया गया है। इसका अर्थ है कि इस सिद्धांत को अंशत: स्वीकार कर लिया गया है। मैं नहीं समझता कि औषध नियन्त्रण अधिनियम

और औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम को इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया है। वास्तव में इन पांचों अधिनियमों को मिलाकर एक व्यापक विधेयक लाया जाना चाहिए था। यह मेरा विनम्र अनुरोध है कि सरकार भविष्य में जो विधेयक लाए उनमें इस सिद्धांत को स्वीकार करे।

1.00 म० प०

जहां तक नशीली दवाओं के सेवन का सम्बन्ध है, मेरा क्षेत्र—गोआ, मनाली (हिमाचल प्रदेश) और ऋषिकेश (उत्तर प्रदेश) तीनों क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर हैं। ये तीन ऐसे स्थान हैं जहां नशीली दवाओं का सेवन काफी मात्रा में हो रहा है और गोआ में तो पर्यटन एक मुसीबत बन गया है। इस समय जिस प्रकार गोवा के तट पर नशीली औषधियों का सेवन बढ़ रहा है, अगर इसे इसी प्रकार गांवों में परिवारों में बढ़ने दिया गया—यहां तक कि स्कूल जाने वाले बच्चों में भी इन दवाओं के सेवन की प्रवृत्ति बढ़ रही है—तो हम नहीं जानते कि भविष्य में इसका खतरा कहां तक बढ़ जाएगा। यहां तक कि फिल्मों और ड्रामों में भी यही दिखाया जाता है कि गोवावासी शराब पीते हैं और नशीली दवाओं का सेवन आदि करते हैं। हमारे साथ में सारी बुराइयां जुड़ी हुई हैं। अतः मैं इन नशीली दवाओं के सेवन के प्रति काफी चिंतित था और मैं इस विधेयक में काफी रुचि ले रहा हूं। मैं इस विधेयक के बारे में ठोस सुझाव भी दे रहा हूं।

अमेरिका में अभिभावकों के करीब चार हजार संगठन हैं जो अपने बच्चों के प्रति चिंतित हैं और वे इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि किस प्रकार नशीली दवाओं के सेवन को बिल्कुल समाप्त किया जा सकता है।

पाकिस्तान में, नशीली दवाओं का सेवन करने वाले लोगों में से करीब 61% लोग शहरों में रहते हैं और 39 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं। यहां तक कि मद्रास मेडिकल कालिज में करीब 70 प्रतिशत पुरुष अन्तरंग डाक्टर और करीब 20 प्रतिशत महिला अन्तरंग डाक्टर नशीली दवाओं का सेवन करते हैं। ये सही आंकड़े हैं, जिनकी कि हमें जानकारी है। वर्तमान आतंकवाद के पीछे हमने नशीली दवाओं का सेवन देखा है। असल में आतंकवाद और नशीली दवाओं का सेवन आपस में जुड़े हुए हैं और इनका गहरा सम्बन्ध है क्योंकि जो इन दवाओं का सेवन नहीं करते, उन्हें इनका सेवन कराया जाता है और उनसे घिनौने कृत्य कराए जाते हैं। इन नशीली दवाओं का सेवन करने से ही ये घिनौने कृत्य किए जा सकते हैं और हमें बढ़ते हुए आतंकवाद के परिप्रेक्ष्य में भी इसको देखना होगा। मैंने एक संशोधन भी दिया है। इसमें कोई शक नहीं है कि विधेयक की विभिन्न धाराओं में सख्त और कठोर सजा का प्रावधान है। मैं इसका स्वागत करता हूं। ऐसे व्यक्तियों पर जो खुद ही दवाओं का सेवन करते हैं, जो दवाओं की बिक्री नहीं करते हैं, केवल जुर्माने लगाने का विकल्प रखा गया है। अगर एक व्यक्ति नशीली दवा का सेवन करता है, तो अनुच्छेद 27 के तहत अनिवार्य कैद का प्रावधान नहीं है। ऐसा क्यों है? वास्तव में, ये ऐसी बातें हैं, जिन्हें दबाना ही होगा। जैसा कि मेरे मित्र ने भी कहा है, जो कि यहां उपस्थित हैं, जब कभी कोई युवा लड़का या लड़की नशीली दवाओं का सेवन करते हुए पकड़े जाएं तो उन्हें जुर्माना लगाकर छोड़ दिया जाएगा। यहां मैं इसका विरोध करता हूं। अगर आप इन लोगों को कैद की सजा देते हैं, चाहे वह 10 दिन की अनिवार्य कैद की सजा ही हो, तो इससे उस समय इनके सेवन में कमी आएगी। अगर आप विकल्प रखेंगे तो, जैसा कि आजकल गोवा में हो रहा

[श्री शांताराम नायक]

है, हिप्पी पकड़े नहीं जा सकते। उन्हें जे० एम० एफ० सी० के सामने पेश किया जाता है। युवा लड़कों को पकड़ कर उनके सामने पेश किया जाता है और उन्हें 50 रु० जुर्माना कर के छोड़ दिया जाता है। इस विधेयक से इस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अन्य प्रावधानों का मैं स्वागत करता हूं। मैं इस उपबन्ध का स्वागत करता हूं क्योंकि इस विधेयक में लाखों रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। पहले हमने किसी भी भारतीय कानून को नहीं देखा जिसमें लाखों रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया हो। 10 से 20 वर्षों तक की सजा का प्रावधान किया गया है, यह स्वागत योग्य है। परन्तु सिर्फ एक मामले में, अर्थात्, व्यक्तिगत रूप से दवाओं का इस्तेमाल करने वालों को उसकी थोड़ी मात्रा रखने पर, जिसे भविष्य में परिभाषित किया जा सकता है, समझ में नहीं आता कि यह क्या है ? अत: अगर आपने कुछ सजा का अनिवार्य प्रावधान किया होता तो यह स्वागत योग्य होता, अन्यथा अगर ऐसा नहीं किया गया तो सारा देश यह गाना गायेगा :

[हिन्दी]

"दम-मारो-दम मिट जाए गम"

[अनुवाद]

यह मेरा नम्र निवेदन है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय द्वारा मेरा संशोधन स्वीकार कर लिया जायेगा।

डा० फूल रेणु गुहा (कन्टई) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का हार्दिक स्वागत करती हूं।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : अब आप आलोचना कीजिए।

डा० फूल रेणु गुहा : मेरे से पूर्व वक्ताओं ने जिन मुद्दों का उल्लेख किया है उनमें से कुछ मुद्दों पर मैं और विस्तार से कहना चाहती हूं।

मैं मंत्री महोदय का इस विधेयक को सभा में लाने के लिए धन्यवाद करती हूं। महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय को आपके माध्यम से बताना चाहती हूं कि लाखों परिवार भारत में, विशेषकर औरतें, इस विधेयक को सभा के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए उन्हें आशीर्वाद देंगे क्योंकि नशीली औषधियों की लत से परिवार तबाह हो जाते हैं, और औरतों को इससे सबसे अधिक नुकसान होता है। सिर्फ विधेयक को पारित करने से ही देश का भला नहीं होगा, न ही समाज का भला होगा। उसका उचित कार्यान्वयन नितांत आवश्यक है। मैं इसका उल्लेख इसलिए कर रही हूं क्योंकि हमने देखा है कि हमारे देश में सामाजिक हित के लिए पारित किए गए विधेयक वास्तविक सुधार नहीं कर पाते क्योंकि उनको उचित प्रकार से लागू नहीं किया जाता है।

इस सन्दर्भ में, मैं दहेज तथा एस० आई० टी० कानूनों का हवाला देना चाहती हूं। ये दोनों कानून अच्छे हैं परन्तु अधिकतर औरतें तथा परिवार कष्टों का सामना करते आ रहे हैं। इस सम्बन्ध में, मैं सिर्फ प्रशासकों को ही दोष नहीं देती। सामाजिक दृष्टिकोण भी इसके लिए उत्तरदायी है।

वर्तमान विधेयक के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के लिये सामाजिक दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है।

नशीली औषधियों का प्रयोग न केवल प्रयोग करने वाले व्यक्ति को बल्कि उसके परिवार को भी तबाह कर देता है। इसके परिणामस्वरूप सम्बन्धित क्षेत्र का वातावरण भी दूषित होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया है, परिवार के धन कमाने वाले व्यक्ति की लत के कारण औरतों को इससे सबसे अधिक परेशानी होती है। औरतें आर्थिक रूप से ही परेशान नहीं होतीं परन्तु जब कमाने वाले अपना सारा धन अपनी लत पर खर्च कर देते हैं तो वह घर का सामान बेच देते हैं या उसे गिरवी रख देते हैं। न सिर्फ यही बल्कि वे घर के बर्तन तथा पुराने वस्त्र तक बेच देते हैं। अत: न केवल परिवार भुखमरी का शिकार होता है बल्कि औरत को पति द्वारा सताया जाता है। जब पुत्र लत में पड़ता है तो माता मानसिक रूप से पीड़ा सहन करती है। बहुत से मामलों में वे असहाय होती हैं। शायद आप में से बहुत सों को पता होगा कि कुछ औरतों को बहुत ही बुरी तरह से सताया जाता है; तथा उन्हें पीटा जाता है। बहुत से मामलों में ये औरतें केवल एक काम कर सकती हैं, अर्थात् रोना और कुछ नहीं। (व्यवधान) वे गालियां दे सकती हैं परन्तु इसका कोई असर नहीं होता। पति यह कह देता है कि वह आगे से नहीं करेगा परन्तु अगले ही दिन फिर वह नशे में धुत आता है। (व्यवधान) मैं इस बात से सहमत हूं कि ऐसे मामलों में औरतों को झाड़ू का प्रयोग करना चाहिए परन्तु सभी औरतें शारीरिक रूप से पुरुष से लड़ने में सक्षम नहीं होती हैं। (व्यवधान) हर मामले में यह सम्भव नहीं है क्योंकि आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि औरतें कुपोषण से ग्रस्त होती हैं। हमारे देश में ऐसी बात आंकड़ों से व्यक्त होती है।

अक्सर लोग कहते हैं कि शहरों में ज्यादातर लोग व्यसनी हैं। यह सत्य नहीं है। ग्रामीण लोग भी उनसे पीछे नहीं हैं। महानगरों में तो नशीली औषधियां चाय तथा पान की दुकानों पर भी उपलब्ध हैं। मैं आपको एक उदाहरण दे सकती हूं : कलकत्ता शहर में मसाला चाय तथा पान विभिन्न दुकानों पर बेची जाती हैं। मुझे नहीं मालूम कि वे क्या इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वे यह राज हमें नहीं बताएंगे। उनकी आपस में एक शृंखला है—जो लोग इन चायों को पीते हैं तथा इस प्रकार के दुकानदारों की भी एक शृंखला है। वे किसी प्रकार की चीज डालते है जिससे लत पैदा हो जाती है; और इस प्रकार से उपभोक्ता व्यसनी हो जाता है।

और महोदय मुझे विश्वास है,—मुझे यह कहते हुए खेद भी है कि कुछ प्रशासकों का भी दुकानदारों से सम्बन्ध है। अन्यथा किस प्रकार से ये चीजें वर्षों से दिन दिहाड़े बेची जा सकती हैं?

मैं यह बताना चाहती हूं कि विधेयक के पृष्ठ 8 पर खण्ड 9(2) के अन्तर्गत परमिट देने के सम्बन्ध में विभिन्न शक्तियों का जिक्र है। मैं कहती हूं कि परमिट या लाइसेंस जारी करते समय सावधानी बरती जानी चाहिए क्योंकि असामाजिक तत्व भी इस औषधि व्यापार को बढ़ावा देते हैं और उनका सम्बन्ध उत्पादन करने वालों से भी होता है। ये असामाजिक तत्त्व उन उत्पादकों की सहायता लेकर इन चीजों का प्रयोग करते हैं।

मैं कहना चाहती हूं कि ग्रामीणों को जानकारी उपलब्ध कराने की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए—ऐसा ही एक मित्र ने यहां पहले भी कहा है—और सरकारी अधिकारियों के अलावा पंचायत

[डा० फूल रेणु गुहा]

तथा स्वयं सेवी संगठनों के सदस्यों का इसके प्रति विशेष कर्त्तव्य है। उन्हें बहुत ही कार्यशील होना चाहिए और उन्हें लोगों को इन चीजों के उत्पादन के दुष्प्रभावों के प्रति जानकारी देने में समुचित कार्यवाही करनी चाहिए।

विधेयक के पृष्ठ 9 पर, खण्ड 10(4) के अन्तर्गत राज्यों द्वारा परमिट दिए जाने सम्बन्धी शक्तियों का उल्लेख है। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि चिकित्सीय प्रयोग के लिए परमिट देने में भी बहुत सावधानी बरती जाए। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि विभिन्न भेषज संस्थाएं भी गैर-कानूनी औषधियों के धंधे से मुक्त नहीं हैं। देश में कुछ नकली निर्माता विभिन्न प्रकार की औषधियों का उत्पादन कर रहे हैं और इन निर्माताओं पर कड़ी नजर रखने की आवश्यकता है ताकि किसी भी निर्माता का औषधियों के गलत प्रयोग का कोई भी अवसर न मिल सके। मेरा यह कहना है कि जब तक सारा समाज जागरूक होकर औषधियों के गलत प्रयोग की जानकारी देकर प्रशासन की सहायता नहीं करता तथा जब तक वे प्रशासनिक लोग जो इस कार्य से सम्बन्धित हैं, अपने कर्तव्य के प्रति तथा हमारी युवा पीढ़ी पर इस व्यसन से पड़ने वाले कुप्रभावों के प्रति सचेत नहीं होते तब तक इस विधेयक के उद्देश्यों को पूरी तरह से हासिल करना कठिन होगा। यह हम सब को ज्ञात है कि इन औषधियों के प्रयोग के बारे मे किए गए अनुसंधानों से सम्बन्धित अनेक प्रतिवेदन मौजूद हैं। एक माननीय मित्र ने पहले ही इसका जिक्र किया है और मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि मुझे भावी पीढ़ी के बारे में बहुत ही दुःख होता है क्योंकि मैं नहीं समझ पाती हूं कि यदि हम औषधियों की लत छुड़ाने के लिये समुचित ध्यान नहीं देते तो निकट भविष्य में हमारे समाज की क्या दशा होगी, कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं आशा करती हूं कि हमारा प्रशासन इसके विरुद्ध लड़ेगा तथा हमारे समाज के विभिन्न वर्गों के लोग भी एक साथ मिलकर कार्य करेंगे तथा मिलकर इसके विरुद्ध युद्ध छेड़कर हमारे देश से इस संकट को समाप्त करके देश को, विशेषकर युवा पीढ़ी को बचा लेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जयपाल रेड्डी।

एक माननीय सदस्य : वह लोकपाल से पहले जयपाल हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : वह बाद में है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। मेरी सिर्फ यही इच्छा थी कि इसे बहुत पहले सभा में लाया जाता।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने देश के कई विश्वविद्यालयों में अध्ययन करके इस बात की पुष्टि की है कि विद्यार्थियों में औषधियों की लत की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है। ये हशीश, चरस से नशा शुरू करते हैं और उसके बाद अधिक शक्तिशाली नशीले पदार्थों जैसे एल० एस० डी०, कोकीन तथा बार्बिदयू रेट आदि का नशा करने लगते हैं।

1984 में किये गए सर्वेक्षण के अनुसार दिल्ली विश्वविद्यालयों के छात्रों में से लगभग 33 प्रतिशत छात्र औषधियों के आदी हो गए हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद के एक दल ने दिल्ली के एक अंग्रेजी माध्यम के हाई स्कूल के एक तिहाई-छात्रों को औषधियों का आदी पाया है।

बम्बई में एक दूसरे सर्वेक्षण के अनुसार 4000 छात्रों से प्रश्न करने पर 320 छात्रों ने शक्तिशाली नशीली औषधियां प्रयोग करने की बात स्वीकार की है। अत: मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहती हूं कि छात्रों में फैली इस खतरनाक आदत को समाप्त करने के लिए सरकार वास्तव में कौन से कदम उठाने जा रही है। स्वाभाविक है कि आप उनको उसी तरह से सजा नहीं दे सकते जैसी कि दूसरों को दे सकते हैं।

दूसरे यह देखा गया है कि भारत पूर्व में स्वर्ण तिकोन (गोल्डन ट्राइएंगल), जिसमें थाईलैंड, बर्मा तथा लाओस हैं, और पश्चिम में स्वर्ण क्रेसेंट, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान तथा टर्की हैं, के बीच में फंसा हुआ है। इस प्रकार भारत नशीली औषधियों के व्यापार का एक केन्द्र बिंदु हो गया है। हाल ही की वियना बैठक में यह उल्लेख किया गया का कि नशीले पदार्थों के विश्व नक्शे पर भारत का नाम मुख्य रूप से उभर कर आना शुरू हो गया है। परन्तु भारत में इसके लिए अधिकतम कैद 3 वर्ष है जबकि संयुक्त राष्ट्र अमरीका में यह सजा कम से कम 7 वर्ष है और सिंगापुर में किसी भी व्यक्ति को पांच ग्राम नशीली औषधि रखने पर फांसी पर लटकाया जा सकता है। यद्यपि हमारी सरकार इस सम्बन्ध में आवश्यक उपबंध लायी हैं परन्तु मन्त्री महोदय को ज्ञात है कि इस अधिनियम को क्रियान्वित करने वाले प्रशासन के विरुद्ध मात्र 5 करोड़ रुपये रखे गये हैं। क्या आप समझते हैं कि यह धनराशि इस खतरे को समाप्त करने के लिये पर्याप्त होगी ? क्या मन्त्री महोदय इस सन्दर्भ में कुछ बताएंगे ?

जनवरी 1984 में 100 मिलियन डालर की भारी राशि की औषधि एक मालवाहक पोत से संयक्त राज्य अमरीका के अधिकारियों ने न्यू-जरसी तट के पास पकड़ी थी। लन्दन के 'संडे टाइम्स' द्वारा एकत्रित साक्ष्यों के आधार पर यह पता चलता है कि नशीले पदार्थ कोचीन से आए थे जहां आस्ट्रेलिया के जेम्स हार्ड ने अपनी नाव के द्वारा यह माल भेजने का अभियान चलाया था। इस कार्य के लिए प्रयोग की गई नाव आधुनिकतम इलेक्ट्रोनिक उपकरणों से लैस थी। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि कई माह तक जेम्स हार्ड्ड को कोचीन से अपना कार्य करते रहने की आजादी कैसे मिली। एक अन्य आस्ट्रेलियन को, जिसका नाम मिलमेट है, जिसने हार्ड्ड की गतिविधियों की शिकायत की थी, जेल में डाल दिया गया था। शिकायतकर्त्ता जेल में डाल दिया गया और यह व्यक्ति साफ बचकर निकल गया। मैं आशा करता हूं कि मन्त्री महोदय इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे। हम जो भी कानून बनाएं परन्तु हमें प्रशासनिक तन्त्र को सुधारना होगा। मैं जानना चाहता हूं कि तन्त्र को सुधारने के लिए कौन से कदम उठाये जा रहे हैं ताकि कानूनों को ठीक से क्रियान्वित किया जा सके।

[हिन्दी]

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल में 83 क्लाजेज हैं। अगर ऐसे कानून को बहुत जल्दी पारित करेंगे, हरिडली पास करेंगे तो मैं समझता हूं कि लोक-सभा के सदस्य इसके साथ न्याय नहीं कर सकेंगे और न न्याय कर रहे हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में स्मगलिंग और तस्करी का काम राई की तरह छोटा सा काम था लेकिन इसको करने वाले आज सैकड़ों लोग पैदा हो गए ? हिन्दुस्तान में यह स्मगलिंग का धंधा करने वाले चंद महीनों में मालोंमाल होते जा रहे हैं और करोड़पति और अरबपति बनते जा

[श्री मूल चन्द डागा]

रहे हैं। सरकार यह जो बिल लाई है, वह स्वागत योग्य है। इस बिल के अन्दर हमने देखा है कि 83 क्लाजेज हैं, और हमारे उपाध्यक्ष महोदय कह रहे हैं कि बहुत थोड़ा बोलना है। हमारे राजस्थान में काश्तकारों के साथ बहुत खिलवाड़ हो रहा है। राजस्थान के चित्तौड़ जिले में अफीम पैदा होता है। काश्तकारों को 5 किलो अफीम के दाम ढ़ाई सौ रुपए मिल रहे हैं। वही अफीम विदेशों में एक लाख रुपये में बिकती है।

ईश्वर चोपड़ा ने फतहपुरी में महल बना दिया। वह कहां से इतना रुपया लाया ? क्या आपने इसको देखा ? मन्त्री जी को अपना कानून पारित कराना है और हम सब को अपना अमेंडमेंट विदड्रा करना है। आपने यह निर्णय क्यों ले लिया कि इस कानून को जल्दी पारित करना है। हमारे उधर बैठने वाले नेता लोग केवल लोकपाल बिल के लिए बैठे हैं।···(व्यवधान)···

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : हम तो आपके लिए बैठे हैं।

श्री मूल चन्द डागा : फिर तो आपने बड़ी मेहरबानी की है। मैं आप से कहूंगा कि आप भी इस बार बोलिए। यह जो बिल पास हो रहा है यह कालेज के छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। जो बच्चे इस हिन्दुस्तान का भविष्य हैं, वह खतरे में पड़ रहे हैं। हजारों विद्यार्थी जो इसके शिकार हो रहे हैं, उनके लिए आपने क्या इंतजाम किया है ?

अभी हमने सुना कि लखनऊ यूनिवर्सिटी की अनुसंधानशाला में वहां के रिसर्च स्कालर अफीम किसी और रूप में यानी कि हैरोइन और हशीश बनाकर बेच रहे हैं ? क्या आपको इसकी जानकारी है ? क्या यू० पी० विधान सभा में यह सवाल उठाया गया ?

महोदय, कौन-सी ऐसी मशीनरी है जो कि स्मगलिंग को रोक सकेगी। आपने पुलिस वालों को, बड़े-बड़े अधिकारी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पुलिस एजेन्सियों को क्लाज 41 के अन्दर शामिल कर लिया है, लेकिन यह नहीं बताया कि यह क्या काम करेंगे। हमने यह भी देखा है कि जो स्मगलिंग करते हैं, इनका बहुत बड़ा गैंग होता है। उसमें असली चेहरा घर में बैठा रहता है और नकली चेहरा बाहर आता है। औरतें भी इस स्मगलिंग में शामिल हैं। और तरीके से करवा देते हैं। स्मगलर्स अपने साथ औरत को लेकर घूमते हैं। वह औरत उनकी पत्नी नहीं होती है लेकिन वह कह देते हैं कि हमारी पत्नी हैं। यह तो हालत है। आपने लिखा है कि हम इसका सुधार करेंगे। क्लाज 71 के अन्दर आप क्या कहते हैं ? गवर्नमेंट कहीं बता दे कि इस प्राविजन के द्वारा इसका सुधार होगा। क्लाज 71 में आप कहते हैं :—

[अनुवाद]

"सरकार अपने स्वविवेकानुसार, कई केन्द्र स्थापित कर सकेगी···" 'कर सकेगी' का क्या अभिप्राय है। मैं नहीं जानता—

[हिन्दी]

इसके लिए एक्सपेडीचर कितना हो ?

[अनुवाद]

कौन उस व्यय को वहन करेगा ?

[हिन्दी]

आप कहीं यह तो बता दीजिए कि इस तरह का बिल लाने से पहले कि अगर ऐडिक्ट्स का सुधार करना चाहते हैं तो उसके लिए इसमें आपने क्या रखा है ? आज तक आप इसका सर्वे तक नहीं करा सके कि कितने विद्यार्थियों में इसकी आदत पड़ चुकी है ? यूनाइटेड नेशन्स के अन्दर यह निर्णय हो चुका था कि हर कंट्री अपने यहां का सर्वे कराए। यह दुर्भाग्य है कि इस विभाग या किसी दूसरे विभाग ने आज तक इसका सर्वे नहीं कराया कि हिन्दुस्तान में मद्रास, बम्बई, दिल्ली या और दूसरी जगहों में कितने इसके ऐडिक्ट्स हैं। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय या और विद्यालयों में कितने ऐडिक्ट्स हैं उनका कोई सर्वे नहीं किया गया है। सरकार के पास कोई फिगर्स नहीं हैं। आने वाला हिन्दुस्तान अगर तरक्की कर जायगा और तरीकों से और दूसरी तरफ इन नशीले पदार्थों या दूसरी इस तरह की चीजों का उपयोग बढ़ता गया तो क्या हाल होगा इस देश का ? आज पाकिस्तान से ऊंटों के काफिलों के काफिले राजस्थान के रेगिस्तान को पार करते हुए इस प्रकार के पदार्थों को लेकर अपने देश में घुसते हैं। आपके अधिकारियों को, पुलिस को, सारी जानकारी है। उनका बंधा हुआ तरीका है काम करने का। यह तो उनके कमाने का एक साधन है। क्या कभी आपके इनकम टैक्स के अधिकारी या मंत्रालय के अधिकारी कस्टम अधिकारियों या उनके आफिसर्स पर छापे मारते हैं ? कभी मारा हो तो एकाध तो बताइए।

आपने जो क्लाज 17 और 18 दिया है इसको देखिए। उसको देखकर कहिए कि उस काश्तकार की हालत क्या होगी ? बैरागी जी ने बिलकुल ठीक बात कही। वह लेखक और विद्वान व्यक्ति हैं, वह जानते हैं कि जूते लगाने हों तो कैसे मीठी भाषा में मीठे तरीके से लगाना चाहिए। इसलिए उन्होंने बड़े मीठे तरीके से अपनी बात कही। क्या यह मालूम नहीं है कि काश्तकार जो इसकी खेती करता है उसको इसकी क्या कीमत मिलती है ? आजकल के बाजार भाव में इसी किताब के आधार पर बताऊं कि दिल्ली में एक किलो की कीमत 1500 रुपये मिलती है। अगर बम्बई में इसे कोई लेना चाहता है तो 5230 रुपये में उसको मिलती है···(व्यवधान)···कलकत्ते का भाव मुझे मालूम नहीं है।

श्री बालकवि बैरागी : कलकत्ते में 6 हजार रुपये में मिलती है।

श्री मूल चन्द डागा : बाहर विदेशों में उसका मूल्य बढ़कर एक लाख रुपये तक पहुंच गया है। यह हेरोइन और हशीश आदि सब उसी के नाम हैं। ये सब अफीम से ही निकलते हैं। काश्तकार अगर खुद कुछ यूज करता है तो उसकी क्या गति होगी ? वह दस साल के लिए जेल में चला जायेगा। लेकिन काश्तकार की यह कल्चर नहीं है। ··(व्यवधान) मैंने यह प्रस्ताव किया था कि इस बिल को ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाए। ऐसे बिल, जो सभी लोगों को प्रभावित करते हों, उनको आप मेहरबानी करके, इन्साफ दिलाने के लिए सेलेक्ट कमेटी में जाने दीजिए। एक-दो महीने में आसमान नीचे नहीं आ जायेगा। लेकिन आप तो तुले हुए हैं कि इस बिल को आज ही पारित

[श्री मूल चन्द डागा]

कराना है। हम तो आपकी आज्ञा मानेंगे लेकिन फिर एक बार आपसे अनुरोध करूंगा, पुरजोर शब्दों में, कि इस बिल को आप सेलेक्ट कमेटी में एग्जामिन कराइये, क्लाज बाई क्लाज इस पर विचार होना चाहिये और इसमें किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं की जानी चाहिए। सेलेक्ट कमेटी में विचार करने के बाद अगले नवम्बर-दिसम्बर के सेशन में आप इस बिल को पारित करा सकते हैं। मैं नहीं जानता आज एट दि फैग एन्ड आफ दि सेशन में इसको लाने की क्या आवश्यकता थी। हमारे ह्विप गुलाम नबी आजाद साहब कहते हैं कि जल्दी पास करो। हम तो हाथ उठा देंगे, जैसा भी आप कहेंगे लेकिन यह जो अन्याय होगा उसके दोषी आप ही होंगे, हम नहीं होंगे। (व्यवधान) मैंने ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी में भेजने के लिए मूव किया है। जिस बिल में इतने अधिक क्लाजेज हों उसको तो आप मेहरबानी करके सेलेक्ट कमेटी में जरूर भेजिए। यदि आप कालेजेज में, विद्यार्थियों में, इस चीज को मिटाना चाहते हैं तो उसके लिए यह बहुत आवश्यक है। जैसा कि कहा गया है कि औरतों में भी यह चीज फैल रही है, धार्मिक स्थानों में यह चीज फैल रही है, मन्दिरों में यह फैल रही है। उड़ीसा के पुरी में फैल रही है। बनारस में तो लोगों ने भंग को छोड़ दिया है। हमारे विश्वनाथ प्रताप सिंह जी उधर के ही हैं वहां पर बनारस में तो भंग को छोड़ रहे हैं। अजमेर में बीड़ी सिगरेट में भर कर पीते हैं। पुष्कर में सिगरेट में हशीश भरी होती है, धुवें के चक्कर चलते हैं। लोग एडिक्ट हो जाते हैं। (व्यवधान) मैं मन्त्री जी से यही कहना चाहता हूं कि इन सारी समस्याओं पर विचार करने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि इस बिल को ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया जाए। आप इसके लिए एक समय निश्चित कर दें। हमारे ह्विप साहब मौजूद हैं वे इस सम्बन्ध में मन्त्री जी से सलाह कर लें और इसको सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दें तो बड़ा अच्छा रहेगा। आप यह मत सोचिए कि पार्लियामेन्ट इस बिल को लम्बे समय तक खींचना चाहती है—ऐसी बात नहीं है।

[अनुवाद]

डा० कृपासिंधु भोई (सम्भलपुर) : "बॉक्स आइटम" नाम पर सी० आई० ए० के लोग उन छात्रों के विरुद्ध क्या कर रहे हैं जो स्वापक द्रव्य लेते हैं।

[हिन्दी]

श्री मूल चन्द डागा : मैं यह अर्ज कर रहा था कि दूसरे देशों से अफीम आती है, जैसे नेपाल की तरफ से आती है और उसमें हमारे बार्डर सिक्योरिटी फोर्स के लोग भी मिले हुए हैं। मैंने आपको 44 चौकियों के बारे में बताया है, उन चौकियों पर ये लोग आपस में मिलकर इस तरह का काम करते हैं। जब आपके सेवक, आपका काम करने वाले लोग ईमानदार नहीं हैं। उनके अन्दर देशभक्ति की भावना नहीं है, तब आप यह कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपका बिल कार्यान्वित हो जाएगा। इस बिल के द्वारा आपने भ्रष्टाचार का मुंह खोल दिया है और इससे ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ेगा। मैं संक्षेप में आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि इन्साफ के लिए इस बिल को सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दीजिए।

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : महोदय, मैं माननीय सदस्यों का

आभारी हूं कि उन्होंने इस वाद-विवाद में भाग लिया और अपने मूल्यवान तथा ठोस सुझाव दिए।

महोदय, इस वाद-विवाद में करीब 16 सदस्यों ने भाग लिया। इन माननीय सदस्यों के नाम हैं—श्री मनोज पांडे, श्री रेणु पद दास, श्री बालकवि बैरागी, श्री अजय मुशरान, श्री चिन्त मोहन, श्री जुझार सिंह, श्री अनूपचन्द शाह, श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर, श्री डाल चन्द्र जैन, श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह, श्री सोमनाथ रथ, श्री डी० बी० पाटिल, श्री शांताराम नायक, श्रीमती फूल रेणु गुहा, श्री जयपाल रेड्डी, और मूल चन्द डागा।

महोदय, माननीय सदस्य जानते हैं कि इस सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव वाले दिन, अर्थात् 7-8-85 को, माननीय सदस्य, श्री डागा जी ने भी तथा अन्य सदस्यों ने भी, जिनमें श्री अमिताभ बच्चन भी शामिल हैं, उस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बहस में भाग लिया था। हमने इस विषय पर सदन में माननीय सदस्यों द्वारा पूछे गए कई तारांकित तथा अतारांकित प्रश्नों का भी उत्तर दिया है। देश में समाचार पत्रों में भी इस पर चिंता व्यक्त की है। संसद के भीतर तथा बाहर लोगों ने नशीली वस्तुओं के बढ़ रहे सेवन पर अपनी गम्भीर चिंता व्यक्त की है। सरकार ने भी अपनी चिंता व्यक्त की है और वास्तव में देश में यह महसूस किया गया है कि तस्करों तथा गैर-कानूनी कार्य करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। इस चर्चा में भाग लेने वाली एकमात्र महिला सदस्या ने भी सदन का ध्यान इसके सेवन के नुकसान तथा स्त्रियों के दिमागों पर पड़ने वाले इसके प्रभाव की ओर दिलाया है। इस सभा की माननीय सदस्या, श्रीमती वैजयन्ती माला बाली ने भी पहले इस ओर··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहले यह मामला उठाया होगा।

श्री जनार्दन पुजारी : आज नहीं। मैं जानता हूं कि आज इस वाद-विवाद में केवल एक महिला सदस्या ने भाग लिया है। पहले श्रीमती वैजयन्ती माला बाली ने भी सदन का ध्यान लोगों की इस कारण हो रही दुर्दशा की ओर दिलाया था। हमें यहां देश में इस बुराई के फैलने के विवरण मिले हैं और प्रश्न यह है कि क्या हमको इस बुराई की तह में जाना होगा और कार्यवाही करनी होगी।

माननीय सदस्यों ने विधेयक के उपबन्धों को पढ़ा है और इन पर विचार किया है और उन्होंने अपने मूल्यवान सुझाव दिए हैं।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि जहां तक स्वापक द्रव्यों के उपभोग के लिए दंड का संबंध हैं, इसके लिए एक वर्ष की सजा या जुर्माना अथवा सजा और जुर्माना दोनों बहुत कम हैं और यह पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए कड़ी सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि इस व्यसन में पड़े लोगों के लिए जो इतनी कम सजा रखी गई है उससे इस अधिनियम का प्रयोजन ही समाप्त हो जाता है।

कुछ आगे कहने से पूर्व मैं धारा 27 का उल्लेख करना चाहूंगा। यह सच है कि इस अधिनियम में एक वर्ष के दंड या जुर्माना अथवा दोनों की व्यवस्था की गई है।··· (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : इस विधेयक को चयन समिति को सौंपना होगा।

श्री जनार्दन पुजारी : वे कौन लोग हैं, जो स्वापक द्रव्यों के व्यसनी बन रहे हैं ? सदन में जिन लोगों का जिक्र किया गया है उनमें कुछ छात्र हैं और छात्राएं हैं जो कालेजों में पढ़ रहे हैं।

जैसा कि पहले माननीय सदस्य श्री अमिताभ बच्चन ने कहा कि कई बार बच्चों को भी, जो कि अभी विद्यार्थी ही होते हैं, इन नशीले पदार्थों की खुराक दी जाती है।

इन नशीले पदार्थों की एक खुराक लेने से क्या होता है ? उसे और लेने की इतनी उत्कट इच्छा होगी कि वे उसकी दूसरी खुराक तलाश करेंगे।

प्रो० मधु दंडवते : क्या आप अनुभव से ऐसा कह रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : वह स्थिति बता रहे हैं।

श्री जनार्दन पुजारी : वे दूसरी खुराक ले लेते हैं या बाद में ही दूसरी खुराक लेते हैं तो उन्हें उसका व्यसन पड़ जाता है।···(**व्यवधान**)

श्री अजय मुशरान (जबलपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री अजय मुशरान : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि यह विधेयक विद्यार्थियों के खिलाफ नहीं है। यह विधेयक सभी ऐसे लोगों के खिलाफ है।

श्री जनार्दन पुजारी : मैंने तो कुछ वे बातें बताई है जो देखी जा रही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप मुझे यह बताइए कि मंत्री महोदय ने किस व्यवस्था का उल्लंघन किया है। उन्होंने किस नियम का उल्लंघन किया है ? उन्होंने किस प्रक्रिया का उल्लंघन किया है ?

श्री अजय मुशरान : नियम 357 के अन्तर्गत, इसका जिक्र इस तरह नहीं किया जा सकता।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : मंत्री महोदय, स्वापक द्रव्यों का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ रहा है।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं खंड 27 का जिक्र कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपने उन्हें थोड़ी-सी अफीम दी है ?

श्री अजय मुशरान : वह यह कह रहे हैं कि यह छात्रों की समस्या है :

1.43 म० प०

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री जनार्दन पुजारी : मैं कुछ व्यसनियों का जिक्र कर रहा हूं। मैंने कहा है कि पहले भी इस

सभा में उन छात्रों के सम्बन्ध में प्रश्न उठाए गए हैं जो ऐसे द्रव्यों के व्यसनी हो रहे हैं और उनके बारे में भी जिन्हें, कि इनकी लत पड़ चुकी है।

मैंने यह कहा कि कुछ छात्र और छात्राएं भी स्वापक पदार्थों के व्यसन में पड़ रही हैं और उन्हें किसी न किसी तरह खाने के पदार्थों में ये पदार्थ दिये जा रहे हैं। पिछली बार इस बात की ओर ध्यान दिलाया गया था कि आइसक्रीम और चाय तक में भी मिलाकर ऐसे पदार्थों का सेवन कराया जा रहा है। एक बार इसका सेवन करने पर दूसरी बार लेने की तीव्र इच्छा होती है। और जब वे दूसरी खुराक ले लेते हैं तो धीरे-धीरे उन्हें इनका व्यसन पड़ जाता है। इस तरह अनजाने में भी लोग इनके व्यसनी बन रहे हैं। उन्हें समाज की सहानुभूति मिलती है। इतना ही नहीं, उन्हें न्यायालय से भी सहानुभूति मिलती है।···(व्यवधान)

श्री अजय मुशरान : महोदय, हमने इस विधेयक पर चर्चा की है। प्रश्न यह है कि सरकार ऐसे लोगों का पता क्यों नहीं लगा पाती जिनके पास अल्प मात्रा में ऐसे पदार्थ होते हैं। किन्तु छात्रों की, पहली खुराक की, दूसरी खुराक की आदी बातें कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : फर्क केवल इतना है कि आप कहीं और की खुराक की बात करना चाहते हैं और मंत्री महोदय कहीं और की बात कर रहे हैं।

श्री अजय मुशरान : हम चाहते हैं कि मंत्री महोदय हमारे द्वारा उठाये गये मुद्दों का जवाब दें।

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : उन्हें समझना बहुत मुश्किल है। शायद उन्हें ज्यादा खुराक की जरूरत है।

अध्यक्ष महोदय : आप अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि आप सेना में थे।

श्री जनार्दन पुजारी : वह समझते हैं कि मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अन्य सदस्यों ने भी वाद-विवाद में भाग लिया है और मैं एक-एक करके सभी मुद्दों का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। माननीय सदस्य को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। मैं इस प्रश्न के बारे में भी आऊंगा जो अल्प मात्रा में स्वापक पदार्थ रखने वालों के सम्बन्ध में उठाया गया है। यदि वह धैर्य रखें तो मैं सभी प्रश्नों का जवाब दूंगा।

प्रो० मधु दंडवते : अगली बात पर आइये।

श्री जनार्दन पुजारी : प्रश्न यह है कि ऐसे लोगों से कैसे निपटा जाए। मैंने कुछ ऐसे छात्रों का जिक्र किया है जो इन पदार्थों के व्यसनी बन रहे हैं। कई मामलों में—सरकार का भी ध्यान इस ओर दिलाया गया है—कुछ लड़कियों से बलात्कार करने और उनसे छेड़छाड़ करने के लिए उन्हें इन नशीले पदार्थों का सेवन करा दिया जाता है। यदि उन्हें जेल भेज दिया जाए तो क्या स्थिति होगी? क्या उनके लिए विवाह करना मुश्किल नहीं हो जाएगा? और यदि उन्हें जेल भेज दिया जाता है और कड़े अपराधियों के साथ रख दिया जाता है···

श्री जी० जी० स्वैल (शिलांग) : हम नशीले पदार्थों का अवैध व्यापार करने वालों की बात कर रहे हैं।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (हावड़ा) : वह यह क्यों मानते हैं कि उन्हें कड़े अपराधियों के साथ रखा जाएगा ?

श्री जी० जी० स्वैल : मैं समझता हूं कि वाद-विवाद का विषय बदल गया है। हम नशीले पदार्थों का अवैध व्यापार करने वालों को दंड देने की बात कर रहे थे न कि उन छात्र-छात्राओं की जो अनजाने में इनका शिकार बन जाते हैं।···(व्यवधान)

श्री जनार्दन पुजारी : मैं उस बात पर भी आ रहा हूं। कई बातें उठाई गई हैं। जब वे वाद-विवाद में भाग ले रहे थे तो मैंने उनकी बातें बड़े धैर्य से सुनीं। यदि अब वे संतुष्ट नहीं हैं, तो उन्हें अन्त में स्पष्टीकरण मांगने का अवसर मिलेगा। उन्हें इस तरह हर बात में व्यवधान नहीं डालना चाहिए···

एक माननीय सदस्य : किंतु आप ही हमें उत्तेजित करते हैं।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, आपको असंगत बातें कहने के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए।

श्री जनार्दन पुजारी : सरकार को सभी पहलुओं को ध्यान में रखना होता है। कई बार कई लोगों को अनजाने में ही नशीले पदार्थों की लत पड़ जाती है। ऐसे लोगों का पता लगाने के लिए खंड 71 के अन्तर्गत व्यवस्था की गई है। उन्हें पुन: सामान्य व्यक्ति बनाने के लिए, उनका पुनर्वास करने के लिए और उनके इलाज आदि के लिए हमने विधेयक में व्यवस्थाएं की हैं।

दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं वह यह है कि उन लोगों का पता लगाने के बाद यदि कठोर दंड की व्यवस्था होगी तो क्या वे लोग अपने पुनर्वास और इलाज के लिए आगे आएंगे···

श्री जी० जी० स्वैल : कौन लोग ? (व्यवधान)

श्री जनार्दन पुजारी : हमने उनके पुनर्वास के लिए और उनके उपचार के लिए भी व्यवस्था की है। अब मैं इस बात पर आता हूं कि···

प्रो० मधु दंडवते : विषय !

श्री जनार्दन पुजारी : ऐसे पदार्थों की मात्रा, जिसका जिक्र यहां किया गया है, के बारे में भी हमें बहुत सावधानी से काम करना होगा। कुछ माननीय सदस्यों ने यह बात उठाई है कि अल्प मात्रा में नशीले पदार्थ रखना दंडनीय नहीं है। परन्तु एक ग्राम नशीला पदार्थ रखने के लिए भी दंड की व्यवस्था है और उसके लिए विधेयक में न्यूनतम दंड की व्यवस्था है। और जहां यह दंडनीय नहीं है, वहां यह सिद्ध करने का दायित्व उस व्यक्ति पर होगा जिसके पास से नशीला पदार्थ पाया जाये कि उसके पास कम से कम निर्धारित मात्रा थी और यह न्यूनतम मात्रा अधिसूचना द्वारा निर्धारित करनी

होगी। वहां महोदय, यदि यह उन लोगों के उपभोग के लिए उपयोग की गई हैं जो इसके आदी हो गए हैं और जो इसकी बहुत कम मात्रा लेते हैं तो इस तरह के मामलों में साबित करने का दायित्व उन पर है। अन्यथा कम मात्रा को रखने के लिए भी वे दंड के भागीदार हैं तथा यह दंड अन्य प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित किया जाएगा न कि धारा 27 के अन्तर्गत। इस धारा के अन्तर्गत एक वर्ष की सजा या जुर्माना या दोनों का प्रावधान नहीं है। अत: इस सन्देह का भी निराकरण हो गया है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य यह जानकर खुश होंगे कि इस अधिनियम के अन्तर्गत कम मात्रा रखना भी दंडनीय है।

एक माननीय सदस्य : महोदय, मैं खुश नहीं हूं।···(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी : मैं आपकी आज्ञा से पूछना चाहता हूं कि राजस्थान और मालवा की संस्कृति में सभ्यता और शिष्टाचारवश असल कसूम्बा पेश करते हैं। उस किसान का क्या होगा जिसके घर में इसके लिए कुछ क्वान्टिटी रखी होगी !···(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बच्चा होता है या कोई और मौका होता है तो उसका क्या होगा ?

अध्यक्ष महोदय : उसको दुबारा देने की जरूरत नहीं रहेगी।···(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी : वाद विवाद के दौरान माननीय सदस्यों ने कुछ मुद्दे उठाए हैं। अब जबकि मैं उत्तर दे रहा हूं, वे यदि कुछ और मुद्दे उठाते हैं तो मैं उनको कैसे उत्तर दे सकता हूं।

(व्यवधान)

या तो उन्हें यह कह देना चाहिए कि मुझे उनके अन्य मुद्दों का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है···

अध्यक्ष महोदय : वे इसे बिल्कुल इसी तरह पारित कर देंगे।

श्री जनार्दन पुजारी : अब इसकी खेती के बारे में जिसमें आपकी भी दिलचस्पी थी···

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय पहले उन्होंने नशीली औषधि के व्यसनियों की बात की है और अब महोदय वह आप पर आ रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : तब उसके बाद···बारी होगी। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी : मेरा एक निवेदन और है। आप किसानों को जो मूल्य दे रहे हैं, सरकार की ओर से, वह स्लैब सिस्टम पर दे रहे हैं। इसका अन्तिम परिणाम यह निकलता है कि जो किसान

[श्री बालकवि बैरागी]

जितना ज्यादा पैदा करता है उसको उतना कम मूल्य मिलता है। आंकड़ों के पाखण्ड में तो यह नजर आता है कि हम ज्यादा मूल्य दे रहे हैं। जो किसान 30 किलोग्राम से 45 किलोग्राम तक पैदा करता है उसको आप 180 रुपए किलोग्राम मूल्य देते हैं। जो 45 से 60 किलोग्राम तक पैदा करता है उसको 150 रुपए किलोग्राम देते हैं। हमारे देश में जो मोटर बनाने वाले हैं, जूता बनाने वाले हैं वे सब एक ही भाव पर बेचते हैं। जूता जो बाजार में बिकता है, वह शुरू से लेकर आखिर तक एक ही भाव पर बिकता है। किसान जो पैदा करता है उसके भाव में फर्क हो जाता है।

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, स्वापक औषधि पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अन्य देशों द्वारा निर्यात के लिए अफीम की खेती करने पर प्रतिबन्ध लगाया गया था। केवल भारत देश को ही निर्यात के लिए अफीम का उत्पादन करने की अनुमति दी गई है। क्योंकि उन्होंने सोचा कि यह देश परम्परागत रूप से इसका उत्पादन कर रहा है और इस खेती पर भी इसका बहुत अच्छा नियन्त्रण है। लेकिन महोदय हमारी बदकिस्मती यह है कि हालांकि केवल हमारा देश निर्यात के लिए इसका उत्पादन कर रहा है। फिर भी अफीम, पोस्त की खेती के उत्पादन के द्वारा कुछ अन्य देश चुनौती दे रहे हैं। उदाहरण के लिए आस्ट्रेलिया, टर्की, स्पेन तथा अन्य देश भी इसका उत्पादन कर रहे हैं। इस चुनौती के कारण हमें अपना उत्पादन और पूर्ति दोनों ही नियन्त्रित करने होंगे क्योंकि हमारे पास पहले ही दो हजार मीट्रिक टन का भण्डार कारखानों में इकट्ठा हो गया है। पहले हम इसकी खेती लगभग 64,000 एकड़ भूमि पर किया करते थे और अब इसे 25,000 एकड़ तक कम कर दिया गया है।

मैं बताना चाहता हूं कि इसकी खेती की अनुमति केन्द्र सरकार द्वारा दी जाती है। लाइसेंस के बिना किसी को उत्पादन करने की अनुमति नहीं है। अफीम का सारा उत्पादन सरकार को बेचना पड़ता है। खेती नियन्त्रित है।

महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में कठिनाइयां हैं। मैं यह नहीं कहता कि किसी से कानून का उल्लंघन करने की आशा नहीं की जाती है परन्तु यदि वे कोई अपराध करते हैं तो उन्हें दण्ड दिया जाएगा। कानून उपभोग को मना करता है। यहां तक कि उत्पादन भी लाइसेंस के द्वारा किया जाता है। यदि कोई कानून का उल्लंघन करता है तो वह दण्ड का भागीदार है। चाहे वह किसान या कोई और व्यक्ति हो। यह संसद और देश का कानून है अत: सबको कानून का पालन करना चाहिए।

महोदय, माननीय सदस्यों ने किसानों को दिए जाने वाले मूल्य के बारे में मुद्दा उठाया है। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि इस पहलू की जांच की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य द्वारा जो मुद्दा उठाया गया था वह यह था कि केवल किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए अधिकारी को वहां तैनात करते समय और वहां से उसके स्थानांतरण के बाद उसकी सम्पत्ति का मूल्यांकन करने का कोई रास्ता निकाला जाना चाहिये।

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, यदि अधिकारी सांठ-गांठ करता है तो वह भी दण्ड का भागीदार है। कम से कम सजा पांच वर्ष की है। मैं आप से पूरी तरह से सहमत हूं कि हमें कार्यान्वयन के बारे में बहुत सख्त होना चाहिए और हमें इन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिए। हमें उन लोगों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करनी होगी जो प्रावधानों का उल्लंघन करने के जिम्मेदार हैं। यदि अधिकारी सांठगांठ करते हैं या वे अपने कर्त्तव्यों का पालन ठीक से नहीं करते हैं तो उनके लिए भी दण्ड की व्यवस्था की गई है। वे दण्ड के भागी होंगे।

माननीय सदस्य श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर ने उल्लेख किया है कि उकसाने तथा षडयन्त्र के लिए प्रावधान कहां है। उकसाने के लिए प्रावधान हैं। उकसाने तथा षडयन्त्र के लिये हम धारा 29 के अन्तर्गत कार्यवाही कर सकते हैं।

महोदय, वर्ष 1984 में हमने विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के अन्तर्गत 112 लोगों को बन्द किया है, माननीय सदस्य श्री मुशरान ने बताया है कि यह विधेयक जल्दी में लाया गया है और कोई परामर्श नहीं किया गया है। उन्होंने कहा है कि इसे बिना परामर्श के नहीं लाना चाहिए था। माननीय सदस्यों की सूचना के लिए मैं निवेदन करता हूं कि परामर्श किया गया है। गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, समाज कल्याण मंत्रालय तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय से परामर्श किया गया है।

2.00 म० प०

सभी सम्बन्धित लोगों के साथ परामर्श के बाद यह व्यापक विधान संसद के सामने लाया गया है। माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गए विभिन्न पहलुओं पर उचित ध्यान दिया गया है।

श्री अजय मुशरान (जबलपुर) : यदि माननीय समाज कल्याण मंत्री से परामर्श किया गया था तो क्या वह इस प्रकार के कमजोर प्रावधान, जैसाकि धारा 71 में है, के लिये सहमत हो गई थीं ? यह बहुत महत्त्वपूर्ण बात है। कोई अधिदेशात्मक या बजट में प्रावधान नहीं किया गया है। नशीली औषधियों के व्यसनियों के लिए शिक्षा केन्द्रों, औषधालयों, गृहों आदि के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। मैं नहीं समझता कि माननीय समाज कल्याण मन्त्री इस प्रावधान से सहमत हुई होंगी।

श्री जनार्दन पुजारी : धारा 71 (1) में यह है :—

"सरकार स्वविवेकानुसार, व्यसनियों की पहचान, उपचार, शिक्षा, पश्चात्वर्ती देख-रेख, पुनर्वास, सामाजिक पुन: एकीकरण के लिये तथा सरकार के पास रजिस्ट्रीकृत व्यसनियों को और अन्य व्यक्तियों को किसी स्वापक औषधि या मन:प्रभावी पदार्थ के प्रदाय के लिए, जहां ऐसा प्रदाय चिकित्सीय आवश्यकता है, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए और ऐसी रीति से जो सम्बन्धित सरकार द्वारा विहित की जाए, इतने केन्द्र स्थापित कर सकेगी जितने वह ठीक समझे।"

इसलिए उचित प्रावधान किया गया है।

श्री अजय मुशरान : "कर सकेगी" के स्थान पर "करेगी" होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यदि इस तरह के लोग होंगे तो वे इसे निश्चय ही करेंगे। यह सरकार की ड्यूटी है।

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, माननीय सदस्यों द्वारा बताये गए सुझावों पर उचित ध्यान दिया जाएगा। मैं माननीय सदस्यों को एक बार फिर उनके समर्थन के लिये धन्यवाद करता हूं।

डा० कृपासिंधु भोई (सम्बलपुर) : श्री डागा ने एक बहुत उपयुक्त प्रश्न पूछा था और उसका जवाब नहीं दिया गया है। भारत एक ऐसा देश है जहां से स्मेक और इस तरह की अन्य चीजें गुजरती हैं। कुछ सी० आई० ए० तथा अन्य लोग छात्रों को भारत-विरोधी संस्कृति की शिक्षा देते हैं। वे सिगरेट, तम्बाकू, आदि में स्मेक देते हैं।

अध्यक्ष महोदय : वे कहां करते हैं ?

डा० कृपासिंधु भोई : बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता तथा अन्य स्थानो पर वे करते हैं।

[हिन्दी]

श्री के० डी० सुल्तानपुरी : ऊपर कुल्लू में भी ऐसा चलता है। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : और अधिक स्पष्टीकरण नहीं।

श्री डागा, आपने विचारार्थ प्रस्ताव पर संशोधन रखा है।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : मैं विचारार्थ प्रस्ताव पर अपना संशोधन वापस लेने के लिये सभा की अनुमति चाहता हूं।

संशोधन संख्या 1 सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधि का समेकन और संशोधन करने के लिये, स्वापक औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों से सम्बन्धित संक्रियाओं के नियन्त्रण और विनियमन के लिये तथा उससे सम्बन्धित विषयों के लिए कड़े उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

खंड-2-परिभाषाएं

श्री डी० बी० पाटिल (कोलाबा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3, पंक्ति 18,—

"औषधीय कैनेबिस" का लोप किया जाए। (2)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री पाटिल द्वारा रखे गए खण्ड 2 के संशोधन को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 2 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड-3 मन:प्रभावी पदार्थ की सूची में लोप करने या जोड़ने की शक्ति।

श्री डी० बी० पाटिल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 5, पंक्ति 13,—

"पदार्थ का एक ग्राम' के पश्चात्

"प्रत्येक एक सौ ग्राम में अन्तर्विष्ट है" अंत:स्थापित किया जाए। (3)

महोदय, मैं एक सौ ग्राम शब्दों को जोड़ता हूं क्योंकि मैं महसूस करता हूं कि यह अनजाने में रह गया है। मुझे आशा है कि इसे स्वीकार किया जायेगा।

श्री जनार्दन पुजारी : खण्ड तीन के सम्बन्ध में, तरल स्वापक औषधि के मामले में प्रतिशतता निर्धारित करने का आधार तरल पदार्थ की कुल मात्रा है। इसलिए इस उपबन्ध को रखा जाएगा। हम संशोधन से सहमत नहीं हो रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री पाटिल द्वारा रखे गए खंड 3 के संशोधन संख्या 3 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 3 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

धारा 4 और 5 विधेयक में जोड़ दिए गये

खंड 6

अध्यक्ष महोदय : श्री मुंशी, क्या आप खण्ड 6 में अपने संशोधन को प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : जी, नहीं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 6 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : श्री मुंशी, क्या आप अपने संशोधन को प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : जी, नहीं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 8 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड-9-अनुज्ञा देने, नियन्त्रण और विनियमन करने की

केन्द्रीय सरकार की शक्ति।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (हावड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 7, पंक्ति 34

"और उनका विनियमन कर सकेगी" के स्थान पर "उनका विनियमन कर सकेगी और उन पर प्रतिबंध लगा सकेगी" प्रतिस्थापित किया जाए। (13)

पृष्ठ 8,—

पंक्ति 10 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाए :

"(vii) जीनस कैनेबिस या गांजा आदि के कैनेबिस पौधे की खेती, बिक्री, आयात, निर्यात, उपयोग अथवा दुरुपयोग :" (14)

अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल सीधी सी बात है। यह कहा गया है कि धारा 8 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये केन्द्रीय सरकार खेती का विनियमन करने की अनुज्ञा दे और विनियमन करे। मैं

केवल एक शब्द अर्थात् 'प्रतिबंध' जोड़ देता हूं। मैं समझता हूं कि सरकार के पास खेती पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये एक उपबन्ध अवश्य होना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि इसमें कोई विशेष बात है।

मैं श्री प्रिय रंजन दास मुंशी द्वारा प्रस्तुत खंड 9 में संशोधन संख्या 13 और 14 सभा में मतदान के लिये रखता हूं।

संशोधन संख्या 13 और 14 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड (9) विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 10-अनुज्ञा देने, नियन्त्रण और विनियमन करने की राज्य सरकार की शक्ति।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 9, पंक्ति 15,—

"और उनका विनियमन कर सकेगी" के स्थान पर, "उनका विनियमन कर सकेगी और उन पर प्रतिबन्ध लगा सकेगी" प्रतिस्थापित किया जाए। (15)

पृष्ठ 9,—

पंक्ति 35 के पश्चात् जोड़ा जाये—

"(vii) जीनस कैनेबिस या गांजा आदि के कैनेबिस पौधे की खेती, बिक्री, आयात, निर्यात, उपयोग अथवा दुरुपयोग;" (16)

मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है क्योंकि में समझता हूं कि हो सकता है कि प्रारूप के स्तर पर अधिकारियों ने यह गलती की हो। मैं मन्त्री महोदय का ध्यान पृष्ठ 9, पंक्ति 41 की ओर दिलाना चाहता हूं। उन्होंने जीनस कैनेबिस या गांजा आदि के कैनेबिस पौधे की खेती, बिक्री, आयात, निर्यात, उपयोग अथवा दुरुपयोग के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया है। मैं नहीं जानता कि इसे क्यों निर्यात, शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने इसे पूरा नहीं किया है। जिसका आशय है कि इसे छोड़ दिया जायेगा। क्या मन्त्री महोदय इस बात को स्पष्ट करेंगे।

अध्यक्ष महोदय । मन्त्री महोदय, क्या आपको इस बारे में कुछ कहना है ?

श्री जनार्दन पुजारी : जी, नहीं।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री प्रिय रंजन दास मुंशी द्वारा प्रस्तुत खण्ड 10 में संशोधन संख्या 15 और 16 सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 15 और 16 मतदान के लिए

रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 10 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : श्री पाटिल, क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री डी० बी० पाटिल (कोलाबा) : जी, नहीं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 11 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 12 से 14 विधेयक में जोड़ दिये गए।

"खंड 15—पोस्त तृण के सम्बन्ध में उल्लंघन के लिए दण्ड।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ 11, पंक्ति 16,—

"दो लाख रुपए" के स्थान पर

"पांच लाख रुपये" प्रतिस्थापित किया जाए, (51)

पृष्ठ 11, पंक्ति 17 और 18,—

"दो लाख रुपये" के स्थान पर

"पांच लाख रुपये" प्रतिस्थापित किया जाए। (52)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री डागा का संशोधन सभा में मतदान के लिए रखता हूं :

संशोधन संख्या 51 और 52 मतदान के लिए रखे गए तथा

अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 15 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 15 विधेयक में जोड़ दिया गया।

"खंड 16—कोका के पौधे और कोका की पत्तियों

के सम्बन्ध में उल्लंघन के लिए दण्ड।"

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 11, पंक्ति 26,—

"एक लाख" के स्थान पर "पांच लाख" प्रतिस्थापित किया जाए। (17)

पृष्ठ 11, पंक्ति 26,—

"दो लाख के स्थान पर "दस लाख" प्रतिस्थापित किया जाए। (18)

पृष्ठ 11, पंक्ति 29,—

"दो लाख" के स्थान पर, "दस लाख" प्रतिस्थापित किया जाए।

आज मेरा संशोधन माननीय सदस्यों के भाषणों का निचोड़ है। यदि केवल एक लाख का जुर्माना है तो पांच लाख का क्यों नहीं ?

श्री जनार्दन पुजारी : मुझे खेद है, पूर्व संशोधनों में भी मैं यह निवेदन करना चाहता था कि एक उपबन्ध है। जहां तक इन माननीय सदस्य का सम्बन्ध है इन्होंने इसे पढ़ा होगा। मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि उन्होंने इसे नहीं पढ़ा होगा। यदि माननीय सदस्य खण्ड 10(क) (एक) तथा 10(2) को पढ़ेंगे, तो यह अत्यन्त स्पष्ट है। यहां भी यदि आप इसे पढ़ेंगे तो इस प्रकार का उपबन्ध है। इसमें भी यह अत्यन्त स्पष्ट है कि न्यायालय अपने निर्णय में कारण देते हुए 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री मुंशी का संशोधन सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 17, 18 और 19 मतदान के

लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 16 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 16 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड-17

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रिय रंजन दास मुंशी, क्या आप खंड 17 में संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : जी; नहीं।

अध्यक्ष महोदय : श्री मूल चन्द डागा—अनुपस्थित।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 17 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 17 विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप खण्ड 18 में संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : जी, नहीं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 18 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 18 विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रिय रंजन दास मुंशी ने खण्ड 19 में संशोधन प्रस्तुत किए हैं।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : मैं इन्हें प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 19 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 19 विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : खण्ड 20 में संशोधन हैं।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : मैं इसे प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"खण्ड 20 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 20 विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप खण्ड 21 में संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : जी, नहीं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 21 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 21 विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : अब खण्ड 22 श्री दास मुंशी, क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : जी, नहीं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 22 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 22 विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : अब खण्ड 23 श्री दास मुंशी।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : मैं संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 23 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 23 विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : अब खण्ड 24, श्री दास मुंशी।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : मैं इन्हें प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 24 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 24 विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : अब खण्ड 25 श्री दास मुंशी।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : मैं इन्हें प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 25 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 25 विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : खण्ड 26 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 26 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 26 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड —27

किसी स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ के वैयक्तिक उपभोग के लिए अल्प मात्रा में अवैध कब्जे या औषधि या पदार्थ के उपभोग के लिए दण्ड।

अध्यक्ष महोदय : अब खण्ड 27। श्री शांता राम नायक, क्या आप संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री शांताराम नायक : जी हां, मैं इन्हें प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 14, पंक्ति 12 और 13,—

"एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से" के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :—

"दो महीनों से कम की नहीं होगी, किन्तु एक वर्ष तक की हो सकती है," (5)

पृष्ठ 14, पंक्ति 17,—

"छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से" के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :—

"एक महीने से कम की नहीं होगी, किन्तु छह महीने तक की हो सकती है," (6)

अध्यक्ष महोदय : श्री दास मुंशी, क्या आप इन्हें प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : जी हां, मैं इन्हें प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 14, पंक्ति 12,—

"एक वर्ष" के स्थान पर, "तीन वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाए। (47)

पृष्ठ 13, पंक्ति 17,—

"छह मास" के स्थान पर "दो वर्ष" प्रतिस्थापित किया जाए। (48)

श्री शांताराम नायक : उन सभी माननीय सदस्यों ने जिन्होंने चर्चा में भाग लिया स्वीकार किया कि जो अल्प मात्रा में भी अर्थात वैयक्तिक उपयोग के लिए उपभोग करते हैं उन्हें भी अवश्य दण्ड दिया जाना चाहिए। सभा का यही रुख रहा है। इस खण्ड के अनुसार यदि मेरे पास मेरी जेब में थोड़ी सी मात्रा में स्वापक औषधि है और यदि मैं यह कहता हूं कि यह मेरे अपने उपभोग के लिए है···

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में उनके पास कोई लाइसेंस होता है···

श्री शांताराम नायक : यदि मैं यह कहता हूं कि यह मेरे अपने उपभोग के लिए है तो मुझे जुर्माना करके छोड़ा जा सकता है। यदि मैं कहता हूं कि यह बिक्री के लिए है तो मुझे दस वर्ष के लिए जेल भेजा जा सकता है, आदि। इस खण्ड का यही सार है। मैं मन्त्री महोदय, से इस बारे में कुछ कहने का पुनः अनुरोध कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब श्री दास मुंशी। क्या आप कुछ कहना चाहते हैं ?

प्रिय रंजन दास मुंशी (हावड़ा) : यह उपबन्ध अत्यन्त विलक्षण है। यदि कोई इसका सेवन करता है तो केवल छः मास के कारावास की व्यवस्था है। भारत में विश्वविद्यालयों में महाविद्यालयों में एक ऐसा गिरोह सक्रिय है जो अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास करता है और इसके लिए वह युवाओं को चाय और काफी के साथ भी ऐसे पदार्थों का सेवन करने के लिए प्रोत्साहित करता रहता है। इसके लिए किसी निवारक दण्ड की व्यवस्था नहीं है। कोई भी गिरोह का नेता बन सकता है और कोई भी व्यसनी हो सकता है। उनके माता-पिता का समाज में प्रतिष्ठित स्थान होता है और इसलिए उनका कुछ नहीं हो पाता। यदि उन्हें छः महीनों के लिए जेल भेज दिया जाता है, तो वे जमानत पर बाहर आ जाते हैं, वे पुन: जेल जाएंगे और वहां भी वे ये चीजें उन्हें देंगे। अत: यह उपबन्ध क्यों नहीं किया जाता कि जो इनका सेवन करेंगे उन्हें दो वर्ष के कारावास की सजा होगी ? छः महीने की सजा कुछ नहीं है। (**व्यवधान**) क्या इसका कुछ अर्थ है ? इस उपबन्ध का क्या लाभ है ? (**व्यवधान**) आप एक ऐसी परम्परा बना रहे हैं कि इसका सेवन कोई अपराध नहीं है। अत: आप इसका सेवन कर सकते हैं, केवल इसका बेचना और देना ही अपराध है। यह ठीक नहीं है। मैं कहता हूं कि जो इन पदार्थों का सेवन करते हैं और अन्य लोगों को सेवन के लिए प्रेरित करते हैं उन्हें भी सजा दी जानी चाहिए और कम से कम दो वर्ष के कारावास की सजा दी जानी चाहिए। यह मेरा संशोधन है। यदि यह अवधि छः मास रहेगी तो इसका कोई लाभ नहीं होगा। लोग सोचेंगे कि यदि वे पकड़े गए तो उन्हें केवल छः महीने का कारावास होगा। जो कि कुछ नहीं है। (**व्यवधान**)

श्री जनार्दन पुजारी : अपने मुख्य उत्तर में मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि एक न्यायाधीश को किन परिस्थितियों में कार्य करना होता है। दण्ड भी निर्धारित कर दिया है। न्यूनतम दण्ड निर्धारित नहीं है। जैसा कि मैंने पहले कहा है, मुद्दा यह है कि न्यायाधीश छः महीने की सजा भी दे सकता है। अपराध की गम्भीरता को देखते हुए वह तीन महीने, छः महीने या नौ महीने की सजा भी सुना सकता है।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : मन्त्री महोदय वह उपबन्ध बताएं जिसके अन्तर्गत एक न्यायाधीश अधिक अवधि के लिए सजा दे सकता है। जैसे उन्होंने पहले उपबन्ध बताया था वैसे ही अब वह इस सम्बन्ध में भी उपबन्ध बता सकते हैं। मैंने तो इसे पढ़ा है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपका यह अर्थ है कि उन्होंने इस बार उपबन्ध नहीं पढ़ा है ?

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : वह पहले वाले उपबन्ध के अनुसार अपनी बात कह रहे हैं, इस मामले से संबंधित उपबन्ध के अनुसार नहीं। विकल्प केवल जुर्माने के बारे में है।... (**व्यवधान**)

श्री जनार्दन पुजारी : मैंने पहले भी बताया था।

श्रीमती वैजयन्ती माला बाली (मद्रास दक्षिण) : मैं इस विषय में विस्तार से बोली हूं।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं न्यायालयों की शक्तियों से संबंधित खंड 39 पढ़ रहा हूं :—

"39(1) "जब किसी व्यसनी को धारा 29 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का दोषी पाया जाता है और यदि ऐसे न्यायालय को, जिसके द्वारा वह दोषी पाया जाता है, अपराधी की आयु, चरित्र, पूर्ववृत अथवा शारीरिक या मानसिक दशा को ध्यान में रखते हुए, यह राय है कि ऐसा करना समीचीन है, तब इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, न्यायालय उसे तत्काल किसी कारावास से दण्डादिष्ट करने के बजाय उसकी सहमति से यह निदेश दे सकेगा कि उसे सरकार द्वारा चलाये जा रहे या मान्यता प्राप्त किसी अस्पताल से या निराविषीकरण या निराव्यसन के लिए चिकित्सीय उपचार कराने के लिए....."

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : यह व्यसनी के बारे में है।

श्री जनार्दन पुजारी : आपराधिक न्यायशास्त्र में भी यह प्रावधान है कि आयु को और अपराध की गम्भीरता को देखते हुए न्यायाधीश अपने विवेकानुसार कार्यवाही कर सकता है।

पहले कुछ लोगों को, कुछ निर्दोष लोगों को सजा दी गई है जिसका इस सभा में उल्लेख किया गया है। जैसा कि मैंने पहले कहा है, कुछ लड़कियां··· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : वे आप से दण्ड के बारे में पूछ रहे हैं। कड़े दंड की व्यवस्था की जानी चाहिए।

श्री जनार्दन पुजारी : यदि किसी के पास ऐसा पदार्थ थोड़ी सी मात्रा में है तो यह सिद्ध करना उसका काम है कि वह उसके अपने इस्तेमाल के लिए है।

श्री शान्ता राम नायक : मैंने देखा है कि गोवा में पिछले पांच वर्षों से केवल 50 रुपए जुर्माना किया जा रहा है यदि इसे दस गुणा भी कर दिया जाए तो भी यह कड़ा दंड नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय : वे चाहते हैं कि कम से कम पांच वर्ष का कारावास होना चाहिए, छः महीनों का नहीं।

श्री जनार्दन पुजारी : यदि मेरे पास ऐसा पदार्थ कुछ मात्रा में है और वह किसी अन्य व्यक्ति के लिए है तो यह एक अपराध है अर्थात् उसका मेरे पास पाया जाना अपराध है। यह सिद्ध करने की जिम्मेदारी मेरी है कि वह मेरे अपने सेवन के लिए है, अन्यथा बात मेरे विरुद्ध मानी जायेगी।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : इस उपबन्ध को पुनः पढ़ा जाए।

गिरोह बना रहे लोगों का क्या होता है ? वे गिरोह के लिए कुछ मात्रा इकट्ठी कर लेते हैं और गिरोह के लोगों में वितरित कर देते हैं, इस प्रकार प्रत्येक सदस्य के पास थोड़ी सी मात्रा होगी।

[श्री प्रिय रंजन दास मुंशी]

ऐसे गिरोह वालों को या तो सजा नहीं होगी और अथवा छः महीने से कम की सजा होगी। इससे कुछ नहीं होगा। मुझे यह प्रावधान कुछ समझ में नहीं आता। विश्वविद्यालयों में ऐसा ही हो रहा है। उपबन्ध मौजूद है, परन्तु ऐसे लोगों को अधिक सजा नहीं होती।

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, मैं अभी इसे पूरी तरह स्पष्ट कर देता हूं। यदि मेरे पास कुछ है और वह अन्य लोगों को देने के लिए है अथवा अन्य लोगों को खिलाने के लिए है तो यह दंडनीय है और मैं इस प्रकार ऐसा पदार्थ नहीं रख सकता। इस सम्बन्ध में केवल धारा 27 है। यदि मेरे पास कुछ ऐसा पदार्थ कुछ मात्रा में है और वह मेरे अपने सेवन के लिऐ है तो यह सिद्ध करना मेरी जिम्मेदारी है कि यह मेरे अपने ही सेवन के लिए है।

अध्यक्ष महोदय : तो क्या मैं सभी संशोधनों को सभा के मतदान के लिए रख दूं ?

श्री शान्ता राम नायक : मैं आग्रह नहीं करूंगा, मैं अपना संशोधन वापस ले लूंगा।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : मैं भी अपने संशोधन पर आग्रह नहीं करता और मैं माननीय मन्त्री जी को सदन के सत्र के बाद अपनी बात समझाऊंगा।

अध्यक्ष महोदय : क्या सभा का यह मत है कि सर्वश्री शान्ताराम नायक और श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी द्वारा पेश किए गए संशोधन वापस ले लिए जाएं ?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

संशोधन संख्या 5, 6, 47 और 48, सभा की अनुमति से, वापस लिए गए

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"खंड 27 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 27 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 28 से 33 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 34—अपराध के किए जाने से प्रवरित रहने के लिए प्रतिभूति

श्री डी०बी० पाटिल (कोलाबा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ 16, पंक्ति 7,—

"के अधीन" के पश्चात्, निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये :—

"ऐसे व्यक्ति द्वारा कारावास की अवधि पूरी किये जाने के पश्चात्," (7)

पृष्ठ 16,—पंक्ति 11 से 14 तक,—

"और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंध जहां तक वे लागू होते हैं, ऐसे बन्धपत्र से संबंधित सभी बातों को इस प्रकार लागू होंगे मानो वह उस संहिता की धारा 106 के अधीन परिशांति बनाये रखने के लिए निष्पादित किये जाने के लिए आदिष्ट बन्धपत्र हो" का लोप किया जाये। (8)

अपराधी की दोषसिद्धि के बाद न्यायालय को बन्धपत्र मांगने के लिए प्राधिकृत किया गया है। मैं एक शर्त का सुझाव दे रहा हूं। ऐसी कई मिसालें हैं जिनमें अपराधी अपने कारावास की अवधि पूरे करने से पहले ही रिहा कर दिए गए हैं। मैं महाराष्ट्र के एक ऐसे मामले से अवगत हूं। एक उद्योगपति जिसे आर्थिक अपराध के लिए दंडित किया गया था अपने कारावास की अवधि पूरी करने से पहले ही रिहा कर दिया गया था। यह 'फैडको अफेयर' के रूप में प्रसिद्ध है। इस मामले को राज्य विधान सभा में उठाया गया था और मुख्य मन्त्री को इसके लिए सभा में खेद व्यक्त करना पड़ा था। इसीलिए मैंने यह संशोधन रखा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री पाटिल के दोनों संशोधनों को मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 7 और 8 सभा के मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 34 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 34 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 35 से 45 तक विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 46 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 46-क

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : मैं प्रस्ताव करता हूं।

पृष्ठ 20,—

[श्री प्रिय रंजन दास मुंशी]

पंक्ति 11 के पश्चात्, निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये :—

"46क— कोई भी व्यक्ति, जो पोस्त और कैनेबिस के पौधे की अनधिकृत खेती, चरस, हशीश, गांजा, हिरोइन और अन्य स्वापक तथा मन:प्रभावी पदार्थों जैसी चीजों के उत्पादन या बिक्री, उपयोग या दुरुपयोग, आयात या निर्यात के सम्बन्ध में ठोस और सही सूचना सरकार को समुचित स्तर पर देता है, उसे सूचना के स्वरूप और जब्त की गई या कब्जे से निकाली गई सामग्री की मात्रा आदि के अनुसार विभाग के समाधान के अनुसार दो हजार रुपए से लेकर एक लाख रुपए तक इनाम दिया जाएगा।" (50)

मन्त्री जी ने आरम्भ में सभा में कहा है कि इस विधेयक का उद्देश्य उन लोगों के हथकण्डों को विफल करना है जो हमारे देश की युवा पीढ़ी को बिगाड़ने के लिए इस व्यापार को प्रोत्साहित कर रहे हैं। इससे समुचित रूप से निपटने के लिए स्वापक आयुक्त के साथ कई अधिकारी जुड़े हुए हैं। मेरा संशोधन यह है कि कोई की व्यक्ति जो ठोस और मान्य सूचना दे उसे उचित रूप से पुरस्कृत किया जाए। उदाहरण के लिए कुछ दिन पूर्व राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में किसी स्थान पर कुछ लोग पकड़े गए थे जिनके पास करोड़ों रुपये की हशीश और चरस थी। यह खबर सरकार को पुलिस से नहीं अपितु स्थानीय ग्रामीणों से मिली। समाज की सहायता करने वाले लोगों को पुरस्कृत किया जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि स्वापक औषधियों की काले बाजार में बिक्री, उनका अवैध निर्यात और आयात तथा पोस्त और कैनाबिस की अनधिकृत खेती को रोकने की स्वस्थ प्रवृत्ति युवा लोगों में पनपनी चाहिए।

दवाइयों की दुकानों में एक नई प्रवृति पैदा हुई है। नौ बजे के बाद आप किसी भी समय जाएं तो आप देखेंगे कि कुछ लोग मैन्डरीन की गोलियां लेने के लिए अपने एजेंटों को भेज रहे हैं। ये विद्यार्थियों में 'थम्स अप' और 'लिम्का' के साथ वितरित की जाती हैं। इनका सेवन काफी मात्रा में होता है। इसके साथ वे मारिजुआना का सेवन करते हैं। मारिजुआना हशीश और चरस का मिश्रण है। वे इसे उस गोली में मिला देते हैं। और 'थम्स अप' और 'लिम्का' में डाल देते हैं। इनका भण्डारण संबंधित स्थानों पर होता है।

अत: मैं यह कहता हूं कि यदि अप्राधिकृत रूप से भण्डारण की गई इन चीजों को पकड़वाने के लिए सूचना दी जाती है तो आप सूचना देने वालों को भी पुरस्कृत क्यों नहीं करते हैं? वे सूचना देते रहेंगे यदि आप उन्हें पुरस्कृत करते रहेगें तो आपके सारे विभाग को सूचना मिलती रहेगी। यदि मंत्री महोदय इसे स्वीकार कर सकें तो मेरा उनसे केवल यही अनुरोध है।

श्री जनार्दन पुजारी : इस सुझाव पर विचार किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं खंड 46-क के संबंध में श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी द्वारा दिए गए संशोधन संख्या 50 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 50 सभा के मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 47 से 77 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 47 से 77 तक विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 78 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 79 से 83 तक विधेयक में जोड़ दिए गए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गयी।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

———

2.33 म० प०

लोकपाल विधेयक

संयुक्त समिति को सौंपने के लिए प्रस्ताव

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अगली मद लोकपाल विधेयक है। श्री अशोक सेन। सेन महोदय, आपके अपना भाषण आरम्भ करने से पूर्व, मेरे पास संशोधनों का पुलिन्दा है और मैंने प्रेस रिपोर्ट्स भी देखी हैं। मेरे विचार से कहीं अच्छा होगा कि विपक्ष के नेताओं और सत्तारूढ़ दल से बात कर ली जाए। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इसे सभा में प्रस्तुत करने से पहले इस पर व्यापक अध्ययन और स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। अतः, मैं समझता हूं कि दोनों ही दल मेरे सुझाव से सहमत हैं और मैं अब यह चाहता हूं कि इस विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति के पास भेज दिया जाए। श्रीमन् सेन, आप प्रस्ताव लाइए। आप कितना समय लेंगे ?··· (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, मेरी केवल एक ही टिप्पणी है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर बाद में विचार करेंगे।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव (पार्वतीपुरम) : हम इस पर सभा में चर्चा कर सकते हैं और उसके बाद समिति के पास भेज सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब तो हम इसे समिति के पास ही भेजेंगे। वे इस पर चर्चा करेंगे और

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : जहां तक कार्यवाही वृत्तांत का संबंध है, सुझाव अध्यक्षपीठ की ओर से नहीं आना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : इसे सारी सभा की सर्वसम्मति मिलनी चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते : निधन सम्बन्धी उल्लेख के सिवाय, अध्यक्षपीठ को कुछ भी सुझाव नहीं देना चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, अभी उनका प्रस्ताव तैयार नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ समय लगेगा··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसमें केवल कुछ ही मिनट लगेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : तो फिर आप सभा में सामान्य चर्चा की अनुमति क्यों नहीं दे देते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यदि मैं एक बार अनुमति देना आरम्भ कर दूं तो, इसमें चार घंटे लग जाएंगे। इसका कोई अन्त नहीं होगा··· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री के० सी० पंत।

अतः, आप 4.30 बजे म० प० आयेंगे।

विधि और न्याय मन्त्री (श्री अशोक सेन) : 4.30 बजे म० प० हमारी एक बैठक हो रही है। हम चार बजे म० प० आएंगे।

प्रो० मधु दण्डवते : उनका इतना समय किसलिए चाहिए ? प्रस्ताव तो तैयार ही है। विगत में भी वे इसे तीन बार प्रस्तुत कर चुके हैं जिसमें विधेयक संयक्त प्रवर समिति के पास भेजा गया है। (**व्यवधान**)

———

2.36 म० प०

आरोविल (आपात उपबन्ध) संशोधन विधेयक

[अनुवाद]

शिक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं*

"कि आरोविल (आपात उपबंध) अधिनियम, 1980, में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

महोदय, इससे पहले कि सभा इस विधेयक पर चर्चा आरम्भ करे, मेरे विचार से इस प्रस्ताव की पृष्ठ भूमि को संक्षेप में याद करना लाभदायक रहेगा। एक अन्तर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक नगरी स्थापित करना श्री अरविन्द और मां श्री के सपनों में से एक था। इस नगरी का, जिसका श्री मां ने 1968 में उद्घाटन किया था, नाम आरोविल रखा गया था। उद्घाटन समारोह में कई राष्ट्रों ने भाग लिया था। नगरी के मूलभूत, लक्ष्य निर्धारित कर दिए थे। भारत सरकार और 'यूनिस्को' ने इस नगरी की स्थापना का स्वागत किया था। भारत सरकार की पहल पर 'यूनिस्को' ने 1966, 1968 और 1970 में आरोविल की प्रशंसा करते हुए संकल्प पारित किए थे, जो कि 'यूनिस्कों' के आदर्शों में रुचि रखते हैं और सदस्य राष्ट्रों, तथा अन्तर्राष्ट्रीय, सरकारी और गैर सरकारी संगठनों से आरोविल को एक अन्तर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक नगरी के रूप में विकास में भागीदार बनने का नियंत्रण दिया था, जिसमें एक ऐसे सदभावनामय वातावरण में विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं के मूल्यों को एक साथ लाया जा

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

[श्री कृष्ण चन्द्र पंत]

सके जो कि मानव की भौतिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं के अनुरूप ढाली गई हो।

2.38 म० प०

(श्री वक्कम पुरुषोत्तमन पीठासीन हुए)

भारत के भीतर और बाहर से विभिन्न संगठनों ने धन प्रदान किया। हमारी केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों ने भी पर्याप्त अनुदान दिए। श्री अरविन्द सोसाइटी, जो कि एक गैर-सरकारी संगठन है, ने भारी धन राशि दी। यह सोसाइटी श्री अरविन्द आश्रम और आरोविल से बिल्कुल अलग है।

1973 में जब मां श्री का देहावसान हो गया तो गंभीर समस्याएं उठ खड़ी हुईं। श्री अरविन्द सोसाइटी द्वारा धन के दुरुपयोग की शिकायतें मिलीं थीं और 1976 में पांडिचेरी के उप-राज्यपाल की अध्यक्षता में एक समिति इन शिकायतों की जांच करने के लिए बनाई गई थी। श्री अरविन्द सोसाइटी के लेखाओं की विस्तृत जांच करने के बाद, और लेखा-परीक्षा दल की रिपोर्ट से भी समिति को उपरोक्त सोसाइटी के प्रबन्ध में गंभीर अनियमितताओं के मामलों का पता चला, जिसमें इसके धन का दुरुपयोग और अन्य कामों में उपयोग करना भी सम्मिलित था।

चूंकि भारत सरकार की रुचि आरोविल के व्यवस्थित और क्रमबद्ध विकास में थी, उन्होंने विभिन्न समस्याओं और विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के कई प्रयास किए। आरोविल के निवासी, श्री अरविन्द सोसाइटी से असंतुष्ट थे, जिसके परिणामस्वरूप आरोविल के प्रबन्ध को लेकर गंभीर कठिनाइयां पैदा हो गई हैं। इन परिस्थितियों में भारत के राष्ट्रपति ने, लोक हित में सीमित अवधि के लिए आरोविल के प्रबन्ध को अपने हाथ में लेने के लिए 10 नवम्बर, 1980 को एक अध्यादेश प्रख्यापित किया बाद में इसका स्थान 17 दिसम्बर, 1980 को आरोविल (आपात उपबन्ध) अधिनियम ने ले लिया।

श्री आरोविल अधिनियम के द्वारा आरोविल से सम्बद्ध सम्पत्ति के प्रबन्ध की शक्तियां अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय सरकार के हाथ में चली गई। प्रारम्भ में, प्रबन्ध को 10 नवम्बर, 1980 से 2 वर्ष की अवधि के लिए अधिग्रहीत किया गया था, परन्तु अधिनियम के प्रावधानों के अधीन इसे नवम्बर, 1985 तक वर्ष -प्रति-वर्ष आधार पर बढ़ाते चले जाना था।

श्री अरविन्द सोसाइटी ने आरोविल (आपात उपबन्ध) अधिनियम की वैधता को पहले तो कलकत्ता उच्च-न्यायालय में और उसके बाद उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी। उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किए गए अन्तरिम निर्देशों के कारण अधिनियम नवम्बर, 1982 तक पूर्णतया लागू नहीं किया जा सका, जबकि उच्चतम न्यायालय ने इस अधिनियम की वैधता को स्वीकार किया। इस प्रकार श्री अरविन्द सोसाइटी की कार्यवाही के कारण दो वर्ष की अवधि व्यवहार्यतः गंवा दी गई। इसके अतिरिक्तः केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा श्री अरविन्द सोसाइटी के विरुद्ध अनियमितताओं और वित्तीय

अनौचित्य को लेकर आरम्भ की गई कानूनी कार्यवाही पांडिचेरी और उड़ीसा के न्यायालयों में अभी लम्बित पड़ी हैं। अन्ततः, आरोविल के प्रबन्ध को सुदृढ़ आधार प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। गत तीन वर्षों के दौरान हुई प्रगति को और भी प्रोत्साहित और समेकित करने की आवश्यकता है। जिन क्षेत्रों में प्रगति हुई है वे हैं कृषि, बागबानी, भू-संरक्षण, जल-संरक्षण, सौर ऊर्जा का उपयोग, बायो-गैस, शिक्षा, नाटक, संगीत और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियां। गत फरवरी, अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष में, आरोविल ने युवा और मानव एकता विषय पर एक अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया था जिसमें विश्व भर से 50 देशों के युवा प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।

मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य उन परिस्थितियों को समझेंगे जिनमें सरकार को प्रबन्ध को और दो वर्ष तक की अवधि के लिए बढ़ाने हेतु इस विधेयक को लाने की आवश्यकता पड़ी।

इन शब्दों के साथ, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आरोविल संशोधन विधेयक पर विचार किया जाए।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :

"कि आरोविल (आपात उपबन्ध) अधिनियम, 1980, में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

अब, डा० सुधीर राय बोलेंगे।

डा० सुधीर राय (बर्दवान) : सभापति महोदय, मै इस विधेयक का स्वागत करता हूं। इसमें स्थिति को स्वच्छ बनाने और परियोजना को समेकित करने हेतु सरकार को और दो वर्ष प्रदान करने का प्रावधान है। महोदय, स्वातन्त्रयोत्तर काल में, धार्मिक मिशनों और न्यासों की अत्यधिक वृद्धि हुई है। हमने प्रायः देखा है कि उन्होंने सरकारी धन ऐंठने/प्राप्त करने और राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों से चन्दा वसूलने के लिए विद्यालय और महाविद्यालय तथा धर्मार्थ संस्थाएं खोलीं। हमने प्रायः यह भी देखा है कि हमारे जैसे धर्म निरपेक्ष राज्य में, बाबाओं और माताओं की बाढ़ सी आ गई है। हमने यह भी पाया है कि वे सरकार से अधिकाधिक धन ऐंठने के लिए अधिकाधिक संस्थानों की स्थापना करते चले गए। जन-हित की बात तो उनमे नाममात्र की है, जबकि उनका एक-मात्र उद्देश्य धन प्राप्ति के सिवाय कुछ भी नहीं है। यह आरोविल धमाके के साथ आरम्भ हुआ। यह इस इरादे से आरम्भ किया गया था कि यह अन्तर्राष्ट्रीय सूझ-बूझ और सद्भाव, के नए युग की शुरूआत करेगा। परिणामस्वरूप, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों, 'यूनेस्को' और बहुत से अभिकरणों से इस योजना के अधीन भारी दान प्राप्त हुए। महोदय हमने सोचा था कि यह नई नगरी अन्तर्राष्ट्रीय सूझ-बूझ और मित्रता का वातावरण पैदा करेगी और यह वातावरण संकीर्ण राष्ट्रवाद, प्रान्तीयता, क्षेत्रीयतावाद और जातिवाद की सीमाओं को पार कर जाएगा। परन्तु आज उपलब्धि क्या हुई है। इस अरविन्द सोसाइटी ने इस समग्र परियोजना से धन कमाने का प्रयास किया और बहुत सी अनिय-मितताएं बरती गई हैं। इसलिए सरकार एक जांच समिति नियुक्त करने को बाध्य हुई जिससे बहुत से चौंकाने वाले मामले सामने आए, बहुत सी अनियमितताएं पकड़ी गईं, जिसके परिणामस्वरूप प्रबन्ध

[डा० सुधीर राय]

को अपने हाथ में लेने के लिए अधिनियम पारित किया गया। जब अधिनियम पारित किया गया तो पवित्र आत्माओं ने नई जटिलताएं उत्पन्न करने का प्रयास किया। इसके परिणामस्वरूप सरकार कम ही कार्य कर सकी, क्योंकि अन्तहीन मुकदमेबाजी की प्रक्रिया चल पड़ी थी। मन्त्री महोदय ने बताया है कि उड़ीसा उच्च न्यायालय और पांडिचेरी उच्च न्यायालय में अभी भी बहुत से मामले लम्बित पड़े हैं।

इसलिए अब हमारा मत यह है कि सरकार को और दो वर्ष की अवधि के लिए प्रबन्ध को अपने हाथ में रखना चाहिए। लेकिन जब कभी वे किसी प्रकार की विचार धारा को प्रकट करने जा रहे हों तो सरकार को किसी धार्मिक संघ या सम्प्रदाय के प्रति किसी प्रकार का आदर नहीं प्रदर्शित करना चाहिए। हम देखते हैं कि भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष राज्य में ये धार्मिक संस्थाएं धर्मनिरपेक्षता को समाप्त कर रही है। प्रायः ये पंजीकृत समितियां न्यास समितियां लोगों को बेवकूफ बनाती हैं और उनका शोषण करने की कोशिश करती हैं। अतः मैं अन्त में सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह ऐसी किसी भी संस्था से अर्थात् अरविन्द सोसाइटी आदि से संबंध न रखे। भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में किसी भी धार्मिक संस्था को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : महोदय, मैं प्रबन्ध की अवधि दो वर्षों के लिए और बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए गए इस उपाय का समर्थन करता हूं।

महोदय माननीय मंत्री जी ने उन परिस्थितियों को स्पष्ट किया है किसके कारण सरकार को बाध्य होकर यह विधेयक इस सदन में लाना पड़ा। जैसा कि बताया जा चुका है उच्चतम न्यायालय को भेजे गए एक मामले के कारण, सरल और कारगर बनाने तथा समेकित करने की उस प्रक्रिया में ही विलम्ब हो गया जिसके लिए सरकार ने प्रबन्ध कार्य को अपने हाथ में लिया था। इसलिए वास्तविक कार्य 1982 में शुरू हुआ। पिछले साल मैंने स्वयं उस क्षेत्र का दौरा किया था और देखा कि वहां कुछ गतिविधियां जारी हैं।

महोदय, इस धारणा से मैं सहमत नहीं हूं कि यह हमारी धर्मनिरपेक्षता पर हमला है। मेरे विचार से हमारी सांस्कृतिक धरोहर का विकास करना सरकार की प्रतिबद्धता है। यह धरोहर संजो कर रखनी चाहिए तथा इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सरकार आरोविल को एक दिव्य नगर या अरुणोदय का नगर बनाना चाहेगी जैसा कि 28 फरवरी 1968 को इसके उद्घाटन के समय मां आनन्दमयी ने इसकी कल्पना की थी।

महोदय जैसा कि आप जानते ही हैं कि उस समय लोगों की विभिन्न आकांक्षायें और आशायें थीं कि आरोविल अविरल शिक्षा और निरन्तर प्रगति का स्थल बनेगा। यह ऐसे युवा के समान बनेगा जिस पर बुढ़ापा नहीं आता। यह भूत और भविष्य के बीच एक कड़ी बनेगा। ये अत्यन्त आदर्श विचार

हैं और इस नगर को, जहां सभी राष्ट्रीयताओं, जातियों, प्रदेशों तथा संस्कृतियों से आगे बढ़ना था तथा वास्तविक मानवीय एकता के सजीव मूर्त रूप के लिये भौतिक और आध्यात्मिक पुनरुत्थान का साक्षी बनना था। अरविन्द कि विभिन्न लेखों से पता चलता है उन्हें मानवता का ज्ञान था। इस तरह यह नगर मानवता की भावी अशाओं का प्रतीक था और इसी उद्देश्य को लेकर इस शहर की स्थापना की गई। जब भी किसी संगठन द्वारा किसी संस्था की स्थापना की जाती है तो उसमें कभी-कभी विभिन्न असंगतियों और कई कमियों का आ जाना स्वाभाविक है। सम्भव है इन्हीं कमियों के कारण आरोविल का विकास उतनी तीव्र गति से न हुआ हो जितने की कल्पना या लोगों ने आशा की थी। लेकिन सरकार का देश के प्रति कर्त्तव्य है कि वह श्री अरविन्द और मां आनन्दम यी की कल्पना को साकार करने का पूरा अवसर दे और जैसा कि कल्पना की गई थी इसे दिव्य नगर या अरुणोदय का नगर बनाया जाए।

महोदय, निरन्तर शिक्षा का यह विचार एक आधुनिक विचार है जिसके अन्तर्गत 'शिक्षा' की परिभाषा इस प्रकार की गई है कि विद्यालयों और कालेजों में जो कुछ सीखा था वह सब भूला दिया गया है। शेष अब शिक्षा ही बची है जो एक सतत प्रक्रिया है। अत: एक प्रसिद्ध चीनी विद्वान कफ्यूसियस ने भी कहा था कि व्यक्ति को मृत्यु के अन्तिम दिन तक सीखते रहना चाहिए। अत: यही विचार धारा सभी दिशाओं और सभी संस्कृतियों से प्रवाहित होगी। यह पूर्व और पश्चिम का सौहार्दपूर्ण मिलन होगा जैसाकि विश्व भारती की स्थापना करके टैगोर ने समान भाव से परिकल्पना की थी।

प्रो० मधु दंडवते : गांधी जी ने भी।

प्रो० नारायण चन्द्र पराशर : जी हां, प्रोफेसर साहब। सभी कल्पनाशील व्यक्ति भविष्य की कल्पना करते हैं लेकिन अंतिम तौर पर प्रबंध की किस प्रणाली को अपनाया जाएगा। सरकार की मंशा इस बोझ को सदैव ढोने की नहीं है। सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है और मेरा विचार है कि जिन अदालतों को ये मामले भेजे जा रहे हैं उनका भी ऐसा कोई विचार नहीं है। वह तात्कालिक जटिलताओं और मुकदमें की कार्यवाहियों पर विचार नहीं करेगा। आरोविल के लिए स्थायी हल यही है कि संस्कृति के व्यापक विकास के लिए यहां बसने की इच्छा रखने तथा इसके नए पर्यावरण मे अपने भाग्य का निर्माण करने वालों के लिए आरोविल निवासियों के लिए स्वशासन हेतु एक संगठन स्थापित किया जाना चाहिए। इसे चलाने की जिम्मेवारी अंतत: उन्हीं की होगी। इसका उल्लेख आरोविल आपात उपबन्ध अधिनियम 1980 की धारा 6 में भी है, जिसे आनन्दमयी मां का अत्यधिक सम्मान करने वाली स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी के कहने पर अधिनियम में शामिल किया गया था सोचा यह गया है कि इस तरह का जो संगठन बनाया जाएगा, जिसे आरोविल अन्तर्राष्ट्रीय सलाहकार परिषद या कोई अन्य नाम दिया जा सकता है वह इस बात को सुनिश्चित करेगा कि जिन आदर्शों के लिए इसकी स्थापना की गई है उसके लिए यह काम करें और उन्हें प्रोत्साहन दे। यह आशा की जाती है कि इस तरह की संस्था को जब ऐसे संगठन द्वारा जिसमें सभी देशों के, राष्ट्रीयता की सीमाओं को लांघ कर आए आध्यात्मिकता के क्षेत्र में विद्वान तथा अनुसंधानकर्त्ता होगें तो उसके सदस्यों को आरोविल चार्टर में उल्लिखित कार्यों तथा संस्था की प्रगति के लिए स्वतंत्रता दी जाएगी।

[प्रो० नारायण चन्द्र पराशर]

आरोविल को कोई मामूली नगर अथवा बस्ती नहीं समझा जाना चाहिए। हमें इसे उसी रूप में देखना चाहिए जैसा की श्री अरबिन्द ने इसकी कल्पना की और भारत के समक्ष एक नयी कल्पना प्रस्तुत की।

आरोविल के साथ एक बात यह जुड़ी हुई है कि एक दिन भारत पूरे मानव समाज की संस्कृति के जनक के रूप में उभर कर आएगा और इसके लिए सरकार को यथासंभव अपने सामर्थ्य तथा क्षमता के अनुसार काम करना चाहिए और अन्त में इसके साथ अपना संबन्ध नहीं रखना चाहिए। यह ऐसा बच्चा नहीं है जो वैसाखियों पर चलेगा। यह ऐसा फूल है जिसे पूरी तरह खिलने दिया जाना चाहिए इस बाग के फूलों की सुरभि समस्त मानवता में फैलनी चाहिए इससे एक ऐसी आध्यात्मिक व्यवस्था की स्थापना होनी चाहिए जहां किसी तरह का मतभेद न हो।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी (हावड़ा) : यह आरोविल विधेयक एक महत्वपूर्ण उपाय है क्योंकि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार सरकारी प्रबंध का कार्यकाल नवम्बर, 1985 में समाप्त होने वाला है। यह विधेयक इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए लाया गया है। मैं इस कार्यवाही का स्वागत करता हूं।

मुझे मार्क्सवादी दल के अपने माननीय मित्र श्री सुधीर राय का भाषण सुनकर बहुत हैरानी हुई है। उन्होंने श्री अरविन्द, आरोविल और इस विधेयक की धार्मिक आधार पर तुलना करने की कोशिश की है और कहा है कि अन्य धर्मों की तरह यह भी मात्र एक धार्मिक केन्द्र है। मेरे विचार से श्री राय, जो कि इस सदन के विद्वान सदस्य तथा अध्यापक हैं, जिन्होंने इस ढंग से बात की है, ने इस मामले को ठीक से समझा नहीं है। मैं समझ नहीं सका कि किस आधार पर उन्होंने श्री अरविन्द की धार्मिक नेता के रूप में तुलना करने का प्रयास किया है। श्री अरविन्द किसी धर्म विशेष से नहीं बंधे हुए थे। उनकी दिव्य सत्य, श्रेष्ठ मानवीय भावना, जियो और जीने दो की विचारधारा किसी धर्म विशेष की विचारधारा नहीं है बल्कि विश्व के समस्त धर्मों की विचारधारा है। सर्वप्रथम मेरे मार्क्सवादी मित्रों को अरविन्द की विचारधारा को समझना चाहिए और उसके बाद ही उन्हें टिप्पणी करनी चाहिए। यह महान अरविन्द ही थे जिन्होंने दिव्य सत्य तथा मानव आत्मा की अनश्वरता का ज्ञान प्राप्त करने से पूर्व बंगाल में युवकों को क्रांति का पाठ पढ़ाया था। जैसा कि आप जानते हैं, इन्होंने ही कलकत्ता में अलीपुर जेल में कारावास में रहने से पूर्व युवकों में क्रांति की भावना भरी थी। और जब उन्होंने देखा कि युवक आतंकवाद की राह पकड़ रहे हैं तो उन्होंने ही उन्हें बताया कि अन्ततः आनन्दमयी मां के प्रति श्रद्धा ही अटल है मात्र आतंकवाद नहीं। अब मैं यह सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि उस समय उन्होंने जो कुछ कहा वह भारत की वर्तमान स्थिति को देखते हुए बहुत प्रासंगिक है।

मैं माननीय मन्त्री के विचारार्थ केवल तीन-चार मुद्दे ही रखूंगा। एक संकट उपस्थित हो गया है। यह संकट, चाहे यह सही है या गलत, परस्पर विरोध का है। आरोविल निवासियों तथा अरविन्द

सोसाइटी के बीच परस्पर विरोध आनन्दमयी मां की मृत्यु के तत्काल बाद, बल्कि उनके जीवनकाल में ही शुरू हो गया था। यह सच है कि आरोविल की विचारधारा एक अन्तर्राष्ट्रीय विचारधारा है। विश्व भर में फैले आरोविल निवासी अरविन्द की आराधना-मात्र एक धर्म गुरू के रूप में नहीं करते। आनन्दमयी मां तथा अरविन्द की विचारधारा समस्त मानवता और विश्व के लिए है। केन्द्रीय जांच ब्यौरों द्वारा की गई जांच, उच्चतम न्यायालय के निर्णय आदि ने सोसाइटी की कार्यवाहियों का पर्दा-फाश कर दिया। स्वयं आनन्दमयी मां ने अपने जीवनकाल में इसके विरुद्ध बहुत सी बातें कहीं। (व्यवधान) मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि वह दो मुद्दों के बारे में ही विशेष रूप से बताए।

इस विधेयक के उपबन्धों में निर्धारित कार्यकाल के समाप्त हो जाने के बाद अरविन्द आश्रम के लिए क्या स्थायी व्यवस्था की जाएगी ? यह भारत का है और भारतीयों तथा भारतीय सभ्यता का गौरव है। आरोविल निवासी तथा सोसाइटी अभियान चला रहे हैं कि यह उन्हें लौटा दिया जाए। मैं इन दोनों विचारों का विरोध करता हूं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय विचार-धारा अच्छी है लेकिन कौन जानता है कि भविष्य में क्या होगा ? भारत के एकदम दक्षिण में स्थित सामरिक केन्द्र पांडिचेरी आरोविल के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय आंदोलन का केन्द्र बनता जा रहा है। वहां कुछ ऐसा हो सकता है जो किसी दिन गृह मन्त्रालय या भारत सरकार के लिए सिरदर्द बन जाए। इसलिए आरोविल के उद्देश्यों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए, मैं इसे अरविन्द सोसाइटी या आरोविल निवासियों को देने के विरुद्ध हूं। मैं यह सुझाव इसलिए दे रहा हूं चूंकि आनन्दमयी मां और महर्षि अरविन्द ने समस्त विश्व में ज्ञान का प्रसार किया। मेरा प्रस्ताव है कि इस विधेयक का कार्य-काल पूरा होने के बाद सरकार एक स्थाई समिति बनाए जिस पर सरकार का पूरा नहीं तो आंशिक नियंत्रण तो अवश्य हो—वहां के कार्यकलापों की जांच की समस्या एक स्थाई प्रश्न है, यह केवल आज या कल की बात नहीं है। अगर अरविन्द सोसाइटी को पूरे अधिकार दे दिए गए तो वह आरोविल को अपनी जकड़ में ले सकती है, उसे नष्ट कर सकती है तथा सभी भ्रष्ट काम कर सकती हैं। और इसे अगर आप आरोविल निवासियों को देंगे तो किसी भी दिन किसी अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसी के माध्यम से किसी तरह का षडयंत्र रचा जा सकता है। मुझे आशंका है कि हमें दस साल बाद यहां विदेशियों के साथ उसी समस्या का सामना न करना पड़े जिसका सामना हमने अमृतसर में स्वर्ण मन्दिर में भिंडरा-वाला के साथ किया था। मैं उन पर इसलिए आरोप नहीं लगा रहा कि वे विदेशी हैं मैं केवल यह बता रहा हूं कि भारत विश्व के अनेक षड्यंत्रकारियों की लक्ष्य-भूमि बन गया है और वे लोग अन्दाजा लगा रहे हैं कि निशाना कहां लगाया जाए। माननीय मन्त्री से मेरा यही विनम्र निवेदन है। एक स्थाई संस्था होनी चाहिए जिसमें भारत सरकार, तमिलनाडु सरकार तथा पांडिचेरी सरकार के प्रतिनिधि हों। आप इस संस्था में अरविन्द आश्रम तथा समाज के विख्यात व्यक्तियों को शामिल कर सकते हैं। लेकिन किसी को भी पूर्ण अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए अन्यथा भविष्य में खतरा उपस्थित हो सकता है और गृह मन्त्रालय तथा भारत सरकार के लिए सिरदर्द बन सकता है।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

3.00 म०प०

श्री चिन्तामणि जेना (बालासोर) : सभापति महोदय, मैं पूरे दिल से इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं। मुझे अपने शिक्षा मन्त्री जी को बधाई देनी चाहिए जो इस विधेयक को लाए हैं जिसमें इस अधिनियम की अवधि को दो वर्ष तक बढ़ाने का प्रयास किया गया है।

महोदय, हम सभी जानते हैं कि 7वीं लोक सभा में हमने इस विधेयक को पारित किया था। उस समय भी हमने ऐसी कई बातों की आशंका की थी जो वास्तव में श्री अरविन्द सोसाइटी में चल रही है और जो आरोविल में गतिविधियां हो रही हैं। मैं अपने माननीय अच्छे मित्र श्री दास मुन्शी द्वारा बताए गए मुद्दों पर नहीं जा रहा हूं। मैं उस सोसाइटी की आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैं उनके साथ पूरी तरह से सहमत हूं कि आरोविल का प्रबन्ध भारत सरकार द्वारा किया जाना चाहिए और इस पर भारत का नियंत्रण होना चाहिए तथा इसका प्रशासकीय नियंत्रण उन्हें या सोसाइटी को नहीं दिया जाना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि 7वीं लोक सभा में इस सदन द्वारा अरविन्द अधिनियम क्यों पारित किया गया था।

माननीय मन्त्री ने हमें अपने प्रारम्भिक भाषण में पहले ही बताया है कि श्री अरविन्द सोसाइटी और आरोविल के निवासियों के बीच धन लेने तथा इसके उपयोग के बारे में झगड़ा है। आरोविल पर केवल चर्चा हो सकती है क्योंकि आनन्दमयी मां तथा श्री अरविन्द ने एक ऐसे स्थान के बारे में सोचा था जो सानालोक नगरी होगी जहां अन्य देशों का शासन नहीं होगा और न इस तरह की कोई बात होगी। इस पुनीत उद्देश्य से उन्होंने इसे शुरू किया।

3.02 म०प०

(श्री शरद बिघे पीठासीन हुए)

लेकिन इसे आनन्दमयी मां के निधन हो जाने से पहले पूरा नहीं किया जा सका। हालांकि अब वह हमारे साथ नहीं हैं फिर भी वह सदा हमारे साथ हैं और नश्वर विश्व में हमारी गतिविधियों पर नजर रख रही हैं। उनकी इच्छा यह थी कि विश्व और मानव जाति भी शांति तथा सद्भाव के साथ रहे। लेकिन अरविन्द सोसाइटी के पदाधिकारी और आरोविल निवासी श्री अरविन्द और मां के आदर्श भूल गए हैं तथा वे आपस में लड़-झगड़ रहे हैं। इस पर भारत सरकार ने हस्तक्षेप किया है। उस समय हमारी स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी इस विधेयक को लाई थीं तथा हमने इसे इस आशा के साथ पारित किया था कि उनके बीच कुछ सौहार्दपूर्ण समझौता होगा। मां और श्री अरविन्द का एक सानालोक नगरी बनाने का विचार था जिसका प्रशासन खुद किया जाएगा, ताकि पूरे विश्व से लोग बिना किसी डर के वहां आ सकें और ठहर सकें। लेकिन यह सम्भव नहीं हो सका।

अतः माननीय मन्त्री से यह मेरा विनम्र अनुरोध है कि हालांकि हम इसे 2 वर्ष तक बढ़ा रहे हैं, इसका प्रशासन भारत सरकार द्वारा चलाया जाना चाहिए और सोसाइटी या आरोविल के निवासियों द्वारा नहीं। अन्यथा फिर से वही बातें सामने आएंगी। माननीय मन्त्री ने हमें पहले ही बताया है कि जो कार्य शुरू किए गए थे उन्हें जारी रखा जाएगा। जो भी वहां जाएगा वह श्री अरविन्द के

सिद्धांत की प्रशंसा करेगा। लेकिन हमारी बदकिस्मती के कारण इसको श्री अरविन्द तथा मां के जीवन काल में प्राप्त नहीं किया जा सका। माननीय मन्त्री बहुत नेक व्यक्ति हैं और इस प्रकार मैं उनसे यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करता हूं कि हमारे वर्तमान शिक्षा मन्त्री के माध्यम से श्री अरविन्द और मां के विचारों को लागू किया जाए। उस स्थान को सानालोक स्थान या सानालोक नगरी समझा जाना चाहिए।

माननीय मन्त्री ने यह भी बताया है कि बहुत से विकास कार्य शुरू किए गए थे लेकिन संसाधनों की कमी के कारण उनको पूरा नहीं किया जा सका। इसके लिए आरोविल के निवासी अरविन्द सोसाइटी पर दोष लगा रहे हैं तथा उसी समय अरविन्द सोसाइटी आरोविल निवासियों पर दोष लगा रहे हैं। अनेक आरोविल निवासी विदेशी हैं। उनकी संस्कृति हमारे देश के लोगों के रीति-रिवाजों के समान नहीं है। अतः इस प्रकार के झगड़े वहां हैं। उड़ीसा राज्य तथा कुछ और स्थानों में उनके बीच मामले कुछ न्यायालयों में लम्बित हैं। और यदि न्यायालयों के मामलों में निर्णय के बाद यदि यह दोनों में से किसी एक के नियंत्रण में चला जाता है तो फिर वही बात दोहराई जाएगी। इसलिए मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस पर विचार करें।

महोदय, वहां कोई शोध कार्य नहीं हो रहा है। इसे रोक दिया गया है। मैं माननीय मन्त्री से यह देखने के लिए अनुरोध करता हूं कि बागबानी, कृषि और अन्य विकासात्मक गतिविधियों को भारत सरकार की सहायता से पूरे जोर के साथ शुरू किया जाए।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि मां के आह्वान पर विदेशों से धन आता था। मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस पहलू को ध्यान में रखें ताकि इस सानालोक स्थान या सानालोक नगरी के विकास के लिए विदेशी धन प्राप्त हो सके।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्री को एक बार फिर से बधाई और पूरे दिल से समर्थन देता हूं।

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी (हिन्दूपुर) : आरोविल की संकल्पना से यह अपेक्षा की गई थी कि एक अन्तर्राष्ट्रीय नगरी का विकास किया जाये जहां अनेक धर्मों और मतों के लोग आएं तथा ठहरें। हालांकि ऐसे लोग भी वहां आ सकते और रह सकते हैं जिनका कोई धर्म या मत नहीं है। उनसे वहां सांस्कृतिक दृष्टि से एक होकर रहने की अपेक्षा की जाती है। उनसे कई क्षेत्रों में विकसित होने की अपेक्षा की जाती है। यह एक प्रकार का परीक्षण है। यह "वसुधैवकुटुम्बकम" की संकल्पना है अर्थात पूरा विश्व एक है। पिछले 20 वर्षों से इस संकल्पना को विकसित करने के लिए कदम उठाए गए हैं। यह अच्छा और उत्कृष्ट विचार है। केवल एक बात है कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यह एक अव्यावहारिक लक्ष्य है। जिसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह एक आदर्श है "वसुधैव-कुटुम्बकम" जो व्यवहार में नहीं बल्कि कल्पना में सफल हो सकता है। लेकिन यहां विभिन्न धर्मों के लोगों से यहां रहने की अपेक्षा की जाती है। हमारे देश का उदाहरण ही लीजिए। हमारे देश में कई धर्म हैं। परन्तु हम एक दूसरे के साथ, दूसरे धर्मों के लोगों के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर सके हैं। हम उनके साथ लड़ते हैं। हमारे उनके साथ अनेक झगड़े होते हैं। जब हमारे पास एक ही

[श्री के० रामचन्द्र रेड्डी]

तरह की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, एक ही संस्कृति और कई अन्य सामान्य पृष्ठिभूमि है तथा फिर भी हम सामंजस्य स्थापित नहीं कर सके हैं तो विभिन्न देशों से सम्बन्धित लोगों और विभिन्न धर्मों को मानने वालों तथा विभिन्न पृष्ठभूमि वाले लोगों के अनुकूल लोग अपने आपको यहां कैसे बना सकते हैं ? क्या हम इन सभी लोगों को एक साथ ला सकते हैं ? आप कह सकते हैं कि पूरा विश्व एक परिवार है और आप एक एकत्व की भावना विकसित करने जा रहे हैं लेकिन मैं महसूस करता हूं कि यह सम्भव नहीं है।

धर्म को लोगों को विभाजित करने का सबसे बड़ा साधन समझा जाता है। मनुष्य में स्वार्थ-परता की भावना कुछ अधिक आ गई है। मनुष्य बहुत लालची हो गया है। विश्व में इतनी अधिक बुराइयों के लिए मनुष्य की स्वार्थपरता की भावना ही जिम्मेदार है।

इस सोसाइटी में भारी धनराशि लगी है। इस सोसाइटी के प्रबन्ध के लिए जिम्मेदार लोगों को धनराशि के दुरुपयोग करने का दोषी पाया गया है। इसीलिए सरकार इसके प्रबन्ध को हाथ में लेने के उद्देश्य से आगे आई है।

धर्म और क्षेत्रवाद ने मानवजाति को अलग-अलग वर्गों में बांट दिया है। जब तक धर्म का शासन चलता है और वह मनुष्य के मनोविकारों को नियन्त्रित करता है तथा मानव जाति पर प्रभुत्व रखता है तब तक एक मानव जाति एक परिवार के रूप में विश्व का दर्शन कभी भी हासिल नहीं किया जा सकता। एकत्व की संकल्पना और धर्म साथ-साथ नहीं चलते हैं। यदि कोई धर्म को भूलने को तैयार है तो तभी एकत्व की संकल्पना प्राप्त की जा सकती है। मनुष्य में अहंवाद 'अहं ब्रह्म' होते हैं। वह सोचता है कि वह स्वयं ब्रह्म है। जब इस प्रकार के सभी लोग एक साथ रहते हैं तो यह वैज्ञानिक मिश्रण नहीं होता है बल्कि यह केवल अनुभवसिद्ध मिश्रण होता है। जब तक वे वहां रहते हैं तब तक वे महसूस करते हैं कि वे एक हैं लेकिन उनकी धारणाएं अलग-अलग होती हैं। इसलिए एकत्व की संकल्पना को सफल नहीं बनाया जा सकता।

जब हम यह सोचते हैं कि 25 या 30 विभिन्न देशों के लोग साथ-साथ रह सकते हैं, एक समाज बना सकते हैं और एक हो सकते हैं तो शायद यह सबसे बड़ा ढोंग है। क्योंकि हम देखते हैं कि असम में क्या हो रहा है। असम में हम यह कहकर लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि वे असमियां नहीं हैं। उन्हें मतदान करने का अधिकार नहीं है, हालांकि वे वहां दस वर्षों से रह रहे हैं।

विभिन्न देशों से लोग यहां आते हैं और उन्हें साथ-साथ रहने तथा एकत्व की संकल्पना का विश्वास करने को कहा जाता है। दूसरी ओर हम असम में क्या देखते हैं ? क्या यह केवल आडंबर नहीं हैं जब हम एक बात असम में कहते हैं और आरोविल में इससे भिन्न दृष्टिकोण अपनाते हैं तो क्या यह केवल आडंबर नहीं है।

आरोविल में यह अन्तर्राष्ट्रीय सोसाइटी अन्तर्राष्ट्रीय तस्करी का स्थान, राष्ट्रविरोधी लोगों का अड्डा और हमारे देश के विरुद्ध षड़यन्त्र रचने का एक स्थान बन गई है। 1978 में 45 लोगों को इस स्थान से निकाला गया और 1980 में 10 लोगों को इस देश को छोड़ने के लिए कहा गया था। उन सभी बातों से यह पता चलता है कि इन लोगों के साथ सब कुछ ठीक नहीं है। इन लोगों के एकत्व यहां वहां रहने के विचार को विकसित नहीं किया है या वे उस स्थान पर देश के लिए कुछ गलत हरकतें करने के विचार से आए हैं।

यह हमारा अनुभव रहा है कि भारत सरकार ने जब भी किसी उपक्रम के प्रबन्ध को अपने अधिकार में लिया है तो उसे भारी धनराशि खर्च करने के बावजूद कोई सफलता नहीं मिली। उदाहरण के लिए चीनी मिल या कपड़ा मिल का ही मामला लें। जब कभी सरकार ने उनके प्रबन्ध को अपने हाथ में लिया है तो उनकी रुग्णता हटी नहीं है, यह हमेशा बढ़ी है। अतः यह प्रायः साबित हो गया है कि इन उपक्रमों के सरकारी प्रबन्ध सफल नहीं होते हैं। लगभग ढाई वर्ष पहले इस प्रबन्धक को न्यायालय में ले जाया गया था और उच्चतम न्यायालय तथा कलकत्ता उच्च न्यायालय में मामले अनिर्णीत पड़े हुए हैं। मन्त्री महोदय ने ऐसा कुछ नहीं बताया कि इन $2\frac{1}{2}$ वर्षों में उनकी क्या उपलब्धि रही है। क्या प्रबन्धक एकत्व की भावना को बढ़ावा दे सका है? क्या इसने कोई सुधार किया है? अब, उसने अन्य दो वर्षों तक इसे बढ़ाने के लिए कहा है। अन्य दो वर्षों तक और बढ़ा करके उसे क्या उपलब्धि होगी? इन सभी बातों को नहीं बताया गया है। मैं नहीं समझता कि दो वर्ष की अवधि बढ़ाने में कोई गलत बात हुई है। लेकिन प्रश्न यह है: क्या सरकार को कुछ उपलब्ध हो सकती है? यह प्रयास व्यर्थ ही हो सकता है और इसका परिणाम कुछ नहीं निकलेगा। मैं आशा करता हूं कि मेरी आलोचना के बावजूद सरकार को वास्तव में आरोविल में कुछ उपलब्धियां होंगी। यदि ऐसी बात होती है और यदि उसे वहां कुछ उपलब्ध हो सकती है तो मैं सरकार की प्रशंसा करता हूं।

श्री चिन्ता मोहन (तिरूपति): मुझे यह अवसर देने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। इस विधेयक का स्वागत करने से पहले मैं माननीय मन्त्री के विचार के लिए दो सुझाव देना चाहता हूं।

वास्तव में अब आध्यात्मिक कार्यशाला शैतान की कार्यशाला के रूप में बदल गई है। मैं हाल ही में पांडिचेरी के समीप आरोविल आश्रम गया था जहां विदेशी लोग आश्रम में घुस गए तथा उन्होंने देवी मां के नाम को कलंकित किया है। यह 1964 में 2200 एकड़ भूमि पर शुरू की गई थी और उसमें लगभग 3 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। उन्होंने केन्द्रीय सरकार से भी कुछ धन इकट्ठा किया। लेकिन प्रशासक विदेशियों के साथ मिल गए और लगभग 77 लाख रुपए हड़प गए जिसके लिए सरकार ने सी० बी० आई० आयोग इन सभी बातों की जांच करने के लिए नियुक्त किया है। हमने दो वर्ष का पर्याप्त समय दिया है और दो वर्ष के बाद मैं चाहता हूं कि सरकार इसे पुनः अरविन्द सोसाइटी को वापस दे दे। अरविन्द सोसाइटी को एक समिति का गठन करना चाहिए जिसमें पूरे देश में आध्यात्मिक, नेक और धार्मिक लोग हों जो वास्तव में इस संगठन में दिलचस्पी लेते हों। केवल तभी हम वर्तमान सोसाइटी को बचा सकते हैं जो श्री अरविन्द द्वारा शुरू की गई थी।

मैं यह भी चाहूंगा कि माननीय मंत्री यह आश्वासन दें कि इस आश्रम को अरविन्द सोसाइटी

[श्री चिन्ता मोहन]

को वापस दे दिया जायेगा, जोकि काफी समय पहले आरम्भ की गई थी। दूसरे, इसे इसी प्रकार रहने देने की बजाय, हम इसे फ्रेंड्स विश्वविद्यालय क्यों न बना दें, जिससे उन व्यक्तियों को धार्मिक शिक्षा दी जा सके जिनकी इनमें रुचि है। इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागाओ) : सभापति महोदय, यह उन मामलों में से एक ऐसा मामला है, जिसमें उच्च विचारों के लोग, आध्यात्मिक नेता जो कि अपार नैतिक शक्ति वाले होते हैं, ऐसी संस्थाएं स्थापित करते हैं जो कि अन्तर्राष्ट्रीय भाईचारे, सभी के लिए सत्य, न्याय के लिए समर्पित होती हैं। लेकिन जैसे ही ये आध्यात्मिक नेता मर जाते हैं, उनके द्वारा स्थापित इन संस्थाओं का प्रबन्ध प्राय: ऐसे लोगों के हाथ में चला जाता है जो आम व्यक्ति की तरह भ्रष्ट होते हैं और उनका आचरण भी आम व्यक्ति की ही तरह होता है। तब हमारे सामने वैसी दु:खद स्थिति आती है जैसी कि हम आज आरोविल की देख रहे हैं या जो हमने कुछ वर्ष पूर्व 1980 तक देखी थी जबकि बेईमान लोग अध्यात्मवाद की आड़ में उन लोगों की, जो मर चुके हैं, महज आध्यात्मिक परम्परा को विरासत में प्राप्त करने का बहाना बना करके स्वयं भ्रष्टाचार करते हैं, अव्यवस्था फैलाते हैं, धोखाधड़ी करते हैं और उन संस्थाओं को बदनाम करते हैं जिनका महान और उच्च आदर्शों के लिए निर्माण किया गया था। अरविन्द सोसाइटी का मामला भी वास्तव में एक ऐसा ही मामला है, जिसके बारे में विपक्ष के मेरे मित्र वाक्पटुता से तर्क दे रहे थे। मैं उनके भाषण के समाप्त होने के समय यहां पहुंचा, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि वह सोसाइटी की वकालत कर रहे थे, जिस पर उच्चतम न्यायालय ने (मैं अपने साथी की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं) यह आरोप लगाया कि जिस समय यह मामला दायर किया गया था, उस समय इस संस्था में ऐसे व्यक्ति थे जो भ्रष्ट रहे हैं और धोखाधड़ी करते रहे हैं। ये बातें रिकार्ड में हैं। यह मामला भारत के उच्चतम न्यायालय के 1980 की रिट याचिका संख्या 5874 के निर्णयों में देखा जा सकता है, जो कि अब आरोविल मामले के नाम से प्रसिद्ध है। श्रीमन्, उच्चतम न्यायालय ने एक नहीं कई मामलों में बताया है कि आरोविल सोसाइटी में कुप्रबन्ध है, धोखा-धड़ी है और धन का दुरुपयोग हुआ है, और इसलिए इस उपबन्ध या इसके लिए मूल अधिनियम के समर्थन में कोई असहमति नहीं हो सकती। यह अधिनियम इसी उद्देश्य से लाया गया था। आरोविल सोसायटी ने गलत तरीकों से ये सभी कदाचार करते हुए न केवल श्री अरविन्द की महान शिक्षाओं को ही बदनाम किया, बल्कि आनन्दमयी मां द्वारा स्थापित संस्था को भी बदनाम किया है। श्रीमन्, मां इस संस्था को कैसे देखना चाहती थीं, यह जानना आवश्यक है। मैं श्री मां के शब्दों को यहां उद्धृत कर रहा हूं :—

> "पृथ्वी में एक ऐसे स्थान की आवश्यकता है जहां कोई व्यक्ति प्राकृतिक बाधाओं, सामाजिक परम्पराओं, आत्मविरोधाभासी नैतिकताओं, संघर्षपूर्ण धर्मों से दूर जाकर रह सके। यह एक ऐसा स्थान हो जहां मनुष्य सभी पिछली दासताओं से मुक्त होकर सही चेतना की मात्र खोज और काम में अपने आपको समर्पित कर सके। यह संकल्पना श्री अरविन्द की है, जिनकी मूर्ति अर्द्धप्रतिमा हमने संसद भवन के सेन्ट्रल हाल के प्रवेश द्वार पर लगाई है। वह

स्वत: व्यक्त करने का एक प्रयास है। आरोविल के द्वार उन सभी के लिए खुले हैं जो आने वाले कल के सत्य में जीना चाहते हैं।"

श्रीमन्, 1980 के विधान द्वारा, जब सरकार ने इसका अधिग्रहण किया, तब ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों की एक सलाहकार परिषद बनाई गई थी। जैसे कि भूतपूर्व विदेश मन्त्री और अब रक्षा मन्त्री श्री पी० वी० नरसिंह राव, यूनेस्को के महानिदेशक श्री इम्बो, श्री जे० आर० डी० टाटा और बुलगारिया की तत्कालीन शिक्षा मन्त्री स्व० श्रीमती जुकोवा। यह परिषद मात्र प्रतिष्ठित व्यक्तियों के लिए ही नहीं थी। समय-समय पर इस परिषद की बैठकें होती रही हैं और इसका कार्य प्रशंसनीय है। कई अच्छे कार्य किए गए हैं। उन सभी का उल्लेख करने के लिए मेरे पास यहां समय नहीं है। लेकिन इस परिषद के प्रबन्ध में भारत सरकार के प्रबन्ध या पर्यवेक्षण में किए गए कार्यों को उच्चतम न्यायालय के निर्णय द्वारा सही बताया गया है और उनकी अभिपुष्टि की गई है।

1984 में श्री आरोविल अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी। जनवरी, 1984 मे वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की गई थी। फरवरी, 1985 में अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष मनाने के लिए विश्व मानव एकता संगोष्ठी आयोजित की गई। अगस्त, 1984 में अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव पर राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई थी। सांस्कृतिक कार्यक्रम और संगीत, नृत्य और नाटक कला आदि आयोजित किए गए और शिक्षाप्रद प्रदर्शनियां लगाई गईं। 'लर्निंग टू टीच' जैसी कई प्रदर्शनियां यूनेस्को ने प्रायोजित कीं। अखिल भारत स्तर पर अध्यापक प्रशिक्षण से संबंधित सामग्री तैयार की जा रही है। और वास्तुशिल्पीय-आविष्कार सम्बन्धी प्रयोग किए जा रहे हैं। अखिल भारतीय स्तर पर मैत्री मन्दिर का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जो कि अपने आप में बेजोड़ है और सभी धर्मों का एक आध्यात्मिक केन्द्र है।

श्रीमन्, जब से सरकार ने आरोविल का पर्यवेक्षण आरम्भ किया है, कई उपलब्धियां सामने आई हैं। अब कोई असहमति नहीं हो सकती। अगर किसी व्यक्ति को, जो अपने विचार व्यक्त करना चाहता है, तथ्यों की जानकारी है, तो इस विधान का समर्थन करना होगा ताकि सरकार और परिषद आरोविल में रहने वाले वास्तविक लोगों को पूरी स्वतन्त्रता प्रदान कर सकें।

हम इस विधान का समर्थन करते हैं। उच्चतम न्यायालय में मुकदमेबाजी में जो दो वर्ष लग गये हैं उसकी पूर्ति की जानी चाहिए, क्योंकि उस समय उच्चतम न्यायालय ने इस अधिनियम के लागू करने पर रोक लगा दी थी। अत: इसकी पूर्ति की जानी चाहिए।

मैं सरकार से पूछना चाहता हूं : इस प्रकार खण्डश: विधान लाने की बजाय, जिसे आप आपात विधान कहते हैं, लेकिन जिसे हम एक अस्थायी विधान कहते हैं, आप आरोविल और इससे संबद्ध समस्याओं के लिए एक व्यापक विधान क्यों नहीं लाते हैं ?

दूसरे, अरविन्द सोसाइटी, जिस पर उच्चतम न्यायालय ने अभ्यारोपण किया है, के विरुद्ध मामलों पर अन्तिम सही फैसला होना चाहिए। केन्द्रीय गुप्तचर विभाग ने मामला दायर किया है। उसका क्या हुआ ? और मामले क्यों दायर नहीं किये जा रहे हैं, जबकि कदाचारों के कई आरोप हैं ?

[श्री एडुआर्डो फैलीरो]

हम जानते हैं कि इसके पीछे बड़ी और शक्तिशाली ताकतें कार्य कर रही हैं। लेकिन मैं पश्चिम बंगाल से आये अपने मित्र को बधाई देना चाहता हूं—जब कभी वह अच्छा कार्य करते हैं तो मुझे उन्हें और पश्चिम बंगाल सरकार को भी बधाई देनी चाहिए जिसने अरविन्द सोसाइटी के कार्यों की जांच कराई है।

डा० सुधीर राय (बर्दवान) : हमें किसी भी धार्मिक सोसाइटी में आस्था नहीं है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : अरविन्द सोसाइटी कोई धार्मिक सोसाइटी नहीं है। पश्चिम बंगाल सरकार ने वहां हो रहे कदाचारों—धर्म निरपेक्ष कदाचारों के बारे में जांच कराई है।

इस सोसाइटी की शाखाएं पश्चिम बंगाल या तमिलनाडु में ही नहीं, बल्कि सारे भारत में फैली हुई हैं। क्या सरकार सारे देश में इस सोसाइटी द्वारा की जा रही अनेक अनियमितताओं की जांच करायेगी और कार्यवाही करेगी।

तीसरे, सरकार का आरोविल की गतिविधियों पर पर्यवेक्षण करने का अधिकार है, यह जारी रहना चाहिए, क्योंकि यह आरोविल के निवासियों को सभी तरह की पहल को प्रोत्साहित करने के लिए कार्य करती रही है। इसके साथ ही उन्हें संरक्षण और प्रोत्साहन देती रही है और नियन्त्रण रख कर इस बात को सुनिश्चित करती रही है कि श्री अरविन्द द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा किया जा सके और आरोविल के संस्थापकों द्वारा निर्धारित लक्ष्य ज्यों के त्यों बने रहें।

इन शब्दों के साथ, मैं इस विधान का स्वागत करता हूं और इसे लाने के लिए भारत सरकार की प्रशंसा करता हूं। मेरा केवल इतना ही कहना है कि खण्डशः विधान को लाने की बजाय, शीघ्र ही एक व्यापक विधान लाया जाए।

*श्री पी० वल्लभ (पांडिचेरी) : सभापति महोदय, मैं इस आरोविल (आपात उपबंध) संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं।

1968 में, 25 देशों से रेत लाकर आरोविल अन्तर्राष्ट्रीय नगरी का शिलान्यास 5000 से अधिक अन्तर्राष्ट्रीय विद्वान व्यक्तियों की उपस्थिति में हुआ था, आरोविल का उद्देश्य एक ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक समुदाय के लिए आवास की व्यवस्था करना था, जो छोटे-छोटे जातिगत मत-भेदों और धार्मिक झगड़ों से दूर रहे। आरोविल को विश्व की विभिन्न संस्कृतियों का संगम होना था। यह योजना थी कि यह भविष्य और भूत के बीच एक पुल का कार्य करेगा। आरोविल में विभिन्न देशों के अनेक विख्यात व्यक्ति रहने के लिए आते थे और मानवजाति के लिए स्व-प्रयास करने का उदाहरण पेश करने की कोशिश करते थे। वे अरविन्द के सपनों का 'अन्तर्राष्ट्रीय मानव' बनाने की कोशिश कर रहे थे। वे विश्व को दिखाना चाहते थे कि सारा ब्रह्माण्ड एक परिवार है।

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

केन्द्रीय सरकार ने 97 लाख रुपए का अनुदान दिया और 3.38 करोड़ रुपए की राशि अन्तर्राष्ट्रीय स्रोतों से दान के रूप में प्राप्त हुई। इस नगरी के निर्माण और प्रबन्ध का कार्य पंजीकृत सोसाइटी, अरविन्द सोसाइटी को सौंपा गया। जब तक पुनीत मां, इस सोसाइटी की अध्यक्ष रहीं तब तक वहां सब कुछ ठीक-ठाक चलता रहा। मां आरोविल के निवासियों के लिए प्रकाश स्तम्भ थीं।

इस धारणा को त्याग दिया गया है कि भाषा जनता के बीच एक सेतु है और ईश्वरत्व निवासियों को परस्पर जोड़ने का एक साधन बन गया है। किन्तु 1978 में अरविन्द सोसाइटी के कार्यचालन के संबंध में कदाचार के कई आरोप लगाए गए। उस समय आनन्दमयी मां पार्थिव शरीर त्याग चुकी थीं। धन संबंधी कदाचारों की बातें फैला दी गई थीं। सांसारिक मामले मनुष्य की आध्यात्मिक खोज से आगे निकल गए। भारत सरकार ने इन आरोपों की जांच की और केन्द्रीय जांच ब्यौरों ने भी अरविन्द सोसाइटी के विरुद्ध मामले दायर किये। 1980 में इस सभा द्वारा आरोविल आपात उपबन्ध अधिनियम पारित किया गया जिसके द्वारा केन्द्रीय सरकार को पांच वर्ष की अवधि के लिए इस उपनगर के रोजमर्रा मामलों का प्रबन्ध संभालने की जिम्मेदारी सौंपी गयी। किन्तु अरविन्द सोसाइटी को उच्चतम न्यायालय से स्थगन मिल गया और इस स्थगन आदेश को हटाने में दो वर्ष लग गए। इसके परिणामस्वरूप इस अधिनियम को पारित होने के दो वर्ष पश्चात् ही केन्द्र सरकार इस उपनगर का प्रबन्ध अपने हाथ में ले सकी। उच्चतम न्यायालय ने भी सोसाइटी की कुप्रबन्ध के लिए भर्त्सना की।

केन्द्रीय सरकार ने उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत न्यायाधीश को प्रबन्धक नियुक्त किया। न्यायमूर्ति एल० पी० निगम के अधीन एक अन्तर्राष्ट्रीय परामर्शदात्री परिषद् का गठन किया गया और गत तीन वर्षों से यह परिषद् इस उपनगर के प्रबन्ध की जिम्मेवारीपूर्ण कार्य कुशलता पूर्वक निभा रही है। गत तीन वर्षों के दौरान, आरोविल में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। भ्रष्टाचार के आरोप नहीं हैं। कानून और व्यवस्था कायम है। अनेक विकास योजनाएं सफलतापूर्वक चलाई गई हैं। फरवरी 1985 में एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया था जिसमें 55 देशों के 200 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

अधिनियम पारित होने के पश्चात् पहले दो वर्ष इस प्रकार की विकास गतिविधियां आरम्भ नहीं की जा सकीं। अतः इस अधिनियम को और दो वर्ष के लिए लागू करने के लिए सभा की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सरकार यह संशोधनकारी विधेयक लाई है। साथ ही मैं यह कहना चाहूंगा कि इस समस्या का कोई स्थायी समाधान ढूंढा जाना चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय परामर्शदात्री परिषद् के अतिरिक्त केन्द्र को एक उच्च स्तर की समिति का गठन करना चाहिए जिसमें स्थानीय निवासियों के प्रतिनिधि हों। इस समिति के काम को चलाने का कार्य इस समिति को सौंपा जाना चाहिए। इस समिति के सदस्यों को प्रशासनिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि अन्ततः वे इस उपनगर का प्रशासन अन्तर्राष्ट्रीय परामर्शदात्री परिषद् से प्राप्त कर सकें। स्थानीय जनता को इस उपनगर के मामलों में भाग लेने के लिए उत्साहित किया जाना चाहिए। केवल इसी प्रकार आरोविल सचमुच अन्तर्राष्ट्रीय संस्कृति तथा विश्व के सभी धर्मों में प्रतिपादित ईश्वरत्व को जानने का एक केन्द्र बन जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

3.35 म०प०

[अनुवाद]

कपड़े पर राजकोषीय उदग्रहणों की समीक्षा के बारे में वक्तव्य

वित्त मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह): सदन को ज्ञात है कि 1985 के टेक्सटाइल नीति संबंधी कथन का उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, उचित दामों पर स्वीकार्य क्वालिटी के कपड़े के उत्पादन में वृद्धि करना है। मुख्य फाइबर के रूप में कपास बनी ही रहेगी, किन्तु यह आवश्यक समझा गया है कि कृत्रिम फाइबरों, सूत पर कर उदग्रहण को ऐसी रीति में कम किया जाए जिससे कि ग्राहकों को कम कीमत वाले संश्लिष्ट और संमिश्रित फैब्रिकों का लाभ पहुंच सके। जिस कर संबंधी पैकेज की घोषणा मैं कर रहा हूं वह अप्रत्यक्ष कर ढांचे में प्रस्तावित सुधारों की पहली किस्त के रूप में है और उन कदमों में से है जो मेरे विचार से अगले बजट की प्रतीक्षा किए बिना इसी समय उठाए जा सकते हैं।

2. सरकार 1981 के टेक्सटाइल नीति संबंधी कथन के अनुसरण में संमिश्रित सूत और फैब्रिक पर शुल्कों में उत्तरोत्तर कमी करके ऐसे संमिश्रित फैब्रिकों के उत्पादन को निरन्तर प्रोत्साहन दे रही है जिनमें पालिएस्टर कुछ मात्रा में है। मैं पालिएस्टर फाइबर पर उत्पादक-शुल्क को 45 रुपए से कम करके 25 रुपए प्रति किलोग्राम करने का प्रस्ताव करता हूं। यह इस क्षेत्र में और राहत देने की ओर एक कदम है और इस व्यापक उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया जा रहा है कि कम कीमत पर स्वीकार्य क्वालिटी का कपड़ा मिल सके। मैं पालिएस्टर कपास संमिश्रित सूत पर, जिसमें पालिएस्टर फाइबर भार के आधार पर 40 प्रतिशत से अधिक किन्तु 70 प्रतिशत से कम है, उत्पाद-शुल्क को 5 रुपए से कम करके 2 रुपए प्रति किलोग्राम करने का भी प्रस्ताव करता हूं। पालिएस्टर विस्कोस संमिश्रित सूत के ऐसे ही अन्य संमिश्रों पर, शुल्क 10 रुपए से घटाकर 4 रुपए प्रति किलोग्राम करने का प्रस्ताव है। जहां तक पालिएस्टर सूती संमिश्रित फैब्रिकों की बात है, उनकी बाबत 2 प्रतिशत की रियायती दर पहले से ही उपलब्ध है। तथापि, पालिएस्टर विस्कोस संमिश्रित फैब्रिकों के लिए रियायती दरें उपलब्ध नहीं हैं। मैं कुछ पालिएस्टर अन्तर्वस्तु वाले पालिएस्टर विस्कोस संमिश्रित फैब्रिकों पर उत्पाद-शुल्क की विद्यमान दरों को, जो अधिक से अधिक 13.2 प्रतिशत तक भिन्न-भिन्न हैं, कम करके 5 प्रतिशत मूल्यानुसार करने का प्रस्ताव करता हूं। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि शुल्क में की गई कमी का फायदा मुख्य रूप से सस्ते फैब्रिकों को हो, मैं पालिएस्टर फाइबरयुक्त, 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर से अधिक निर्धारण योग्य कीमत के सूती और कृत्रिम फैब्रिकों पर, शुल्क के आपतन में वृद्धि करने का प्रस्ताव करता हूं। यह वृद्धि मुख्यतया विक्रय कर के स्थान पर अतिरिक्त शुल्क के भाग में वृद्धि करके की जा रही जिससे कि राज्यों के हितों की सुरक्षा की जा सके। कम कीमत वाली फैब्रिकों पर शुल्क में कमी से फुटकर कीमतों में लगभग 10 से 15 प्रतिशत तक गिरावट होने की आशा है।

3. कम कीमत की संमिश्रित फैब्रिकों के अधिक उत्पादन के लिए एक स्कीम भी बनाई जा रही है और उनके लिए पालिएस्टर फाइबर उत्पाद-शुल्क या अतिरिक्त (काउन्टर वेलिंग) सीमा-

शुल्क का, जो इस समय 45 रुपए प्रति किलोग्राम है, संदाय किये बिना उपलब्ध कराया जायेगा किन्तु यह बात वस्त्र विभाग द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार ऐसी कम कीमत वाली फैब्रिकों के उत्पादन और प्रदाय पर निर्भर होगी। विभाग ने राष्ट्रीय वस्त्र निगम की यूनिटों के लिए ऐसा कार्यक्रम तैयार कर दिया है।

4. एक्रिलिक फाइबर काफी लोकप्रिय हो गया है और इससे अपरिष्कृत ऊन के उत्पादन की पूर्ति हो रही है। इस उद्योग को राहत के उपाय के रूप में, मैं एक्रिलिक फाइबर पर उत्पाद-शुल्क को 17.50 रुपए से घटाकर 10.00 रुपए प्रति किलोग्राम करने का प्रस्ताव करता हूं।

5. इन प्रस्तावों से एक पूरे वर्ष में लगभग 131 करोड़ रुपए के, और 1985-86 वर्ष के शेष भाग में लगभग 77 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि होने का अनुमान है।

6. उपरोक्त प्रस्तावों को प्रभावी करने के लिए अधिसूचनाएं सदन के पटल पर रखी जा रही हैं।

7. यह कर सम्बन्धी पैकेज इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है कि ऐसी उचित कीमत वाले फैब्रिक उपभोक्ताओं को और अधिक प्राप्त हो। कुछ समय बाद इस बात का पुनरीक्षण किया जाएगा कि यह उद्देश्य पूरा हुआ है या नहीं। इस स्कीम का चालू रहना उसी पर निर्भर होगा।

सभा-पटल पर रखे गए पत्र (—जारी)

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 तथा सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962

[अनुवाद]

वित्त तथा वाणिज्य मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं—

(एक) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या 190/85-के० उ० शु० से 198/85-के० उ० शु० तक की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो भारत के राजपत्र में 28 अगस्त, 1985 को प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो 1985 के कपड़ा नीति विवरण; संदर्भ में जारी किया गया था।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 1419/85]

(दो) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 276/85-सी० शु० की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो भारत के

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह]

राजपत्र में 28 अगस्त, 1985 को प्रकाशित हुई थी, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जो पोलिएस्टर फाइबर पर 45 रुपये प्रति किलोग्राम के संपूर्ण प्रतिरोधी शुल्क के अन्य बातों के साथ-साथ इस पूर्ति के अध्यधीन छूट देने के बारे में है कि ऐसे पोलिएस्टर फाइबर का प्रयोग ऐसे कम कीमत वाले कपड़े के निर्माण में किया जाये जिसमें पोलिएस्टर फाइबर का वजन 40 प्रतिशत से अधिक परन्तु 70 प्रतिशत से अनधिक हो, जैसा कि वस्त्र विभाग द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित निर्माण कार्यक्रमों में है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—1420/85]

कम कीमत के सम्मिश्रित कपड़े के उत्पादन और पूर्ति के लिए कार्यक्रम के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

पूर्ति तथा वस्त्र विभाग के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : नई वस्त्र नीति, 1985 का मुख्य उद्देश्य "स्वीकार्य क्वालिटी के वस्त्र का समुचित कीमतों पर उत्पादन बढ़ाना है ताकि बढ़ती हुई जनसंख्या की कपड़े की आवश्यकताएं पूरी की जा सकें।" इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए नीति में प्रावधान है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह बताया गया है कि "समुचित कीमतों पर मानव-निर्मित रेशों तथा धागे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाएगी और मानव निर्मित रेशों/धागे पर राजकोषीय लेवी इस ढंग से उत्तरोत्तर कम की जाएगी ताकि बढ़े हुए स्वदेशी उत्पादन को खपाना सुविधाजनक हो सके जिससे कि लाभ संश्लिष्ट एवं ब्लैंडिड वस्त्रों की अपेक्षाकृत कम कीमतों के रूप में उपभोक्ताओं को मिल सके।"

मेरे माननीय सहयोगी, वित्त मन्त्री महोदय ने उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से अभी-अभी विशिष्ट शुल्क राहत सम्बन्धी उपायों की घोषणा की है। ब्लैंडिड वस्त्रों की खपत बढ़ाने के लिए पोलिएस्टर रेशे, पोलिएस्टर काटन ब्लैंडिड यार्न, शुल्क राहत पोलिएस्टर विस्कोस ब्लैंडिड यार्न, पोलिएस्टर विस्कोस ब्लैंडिड वस्त्रों तथा देश में निटवीयर एवं होजरी सम्बन्धी वस्तुओं में इस्तेमाल के लिए कच्ची ऊन की उपलब्धता की कमी को पूरा करने के लिए एक्रेलिक रेशों के सम्बन्ध में दी गई है। मैं यह आपको बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सरकार का आशय अपेक्षतया ऊंची कीमतों वाले कपड़ों की कीमतें कम करने की रही है। राजस्व की हानि को कम से कम करने के उद्देश्य से अपेक्षतया ऊंची कीमत वाले कपड़े पर, यदि मूल्य 25 रु० प्रति वर्ग मीटर से अधिक हो, तो उत्पादन शुल्क 2 रु० प्रति वर्ग मीटर बढ़ाया जा रहा है।

हमने ब्लैंड्स की लागत को कम करने पर काफी जोर दिया है जिसकी जन साधारण को बड़े पैमाने पर आश्वयकता होती है। इस प्रकार मध्य कीमत वाले ब्लैंडिड शर्टिंग कपड़े की वर्तमान मांग प्रतिवर्ष 134 मिलियन मीटर है जिसमें काफी वृद्धि होने की सम्भावना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से सरकार नये कार्यक्रम अर्थात् "निम्न कीमत वाले ब्लैंड्स के उत्पादन और सप्लाई के लिए अनुमोदित कार्यक्रम" को आरम्भ करने की सहर्ष घोषणा करती है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीय वस्त्र निगम के साथ-साथ अन्य ऐसे संगठनों, जिन्हें कि समय-समय पर इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अनुमति दी जाये, उन कीमतों पर ब्लैंड के उत्पादन और बिक्री की व्यवस्था करेंगे जिनमें शुल्कों में कमी पूर्णतः दर्शाई गई हो। राष्ट्रीय वस्त्र निगम की ऐसी तात्कालिक योजनाएं हैं जिससे ब्लैंडिड शर्टिंग और ट्राउजर्स के उत्पादन को 24 मिलियन मीटर के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 80 मिलियन मीटर किया जाए। इसमें से 8 मिलियन मीटर विद्यमान स्कीम के अन्तर्गत नियंत्रित कपड़ा, 8 मिलियन मीटर डी० जी० एस० एण्ड डी० तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा शेष 64 मिलियन मीटर खुले बाजार के लिए होगा। एन० टी० सी० अनुमोदित कार्यक्रम के अन्तर्गत इस बात के सभी प्रयास करेगा कि शर्टिंग के लिए खुदरा कीमतें लगभग 20 रु० प्रति वर्ग मीटर के आसपास लाई जाएं तथा ट्राउजर्स के लिए अपेक्षाकृत भारी कपड़े के लिए लगभग 40 रु० प्रति वर्ग मीटर के आसपास कायम रखी जाए। मूल रूप से यह कार्यक्रम बाजार में कीमत नियंत्रण बनाये रखने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है कि शुल्क राहत वास्तव में उपभोक्ता को पूरी तरह मिले।

जब सरकार राजस्व का त्याग कर रही है तो उद्योगों का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व बन जाता है। सरकार को आशा है कि उद्योग मध्य कीमत वाले वस्त्रों के उत्पादन को बढ़ाकर तथा लाभ को उपभोक्ताओं तक पहुंचा कर अपनी उचित भूमिका अदा करेगा। सरकार ऐसे वस्त्रों की कीमत पर निगरानी रखेगी तथा यदि आवश्यक समझा गया तो और उपाय कर सकती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शुल्क राहत का लाभ उद्योग द्वारा उपभोक्ताओं को पहुंचाया जाये।

3.44 म० प०

आरोविल (आपात उपबन्ध) संशोधन विधेयक (—जारी)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री कृष्ण चन्द्र पन्त विधेयक पर हुए वाद-विवाद का उत्तर दे सकते हैं।

शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : मैं उन माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इस वाद-विवाद में भाग लिया। वास्तव में इस विधेयक के उपबन्धों पर किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है और मेरे विचार में किसी भी माननीय सदस्य ने आरोविल में सरकार का प्रबन्ध दो वर्ष बढ़ाने का विरोध नहीं किया है। परन्तु अपना समर्थन देते हुए कुछ माननीय सदस्यों ने अन्य मुद्दों

[श्री कृष्ण चन्द्र पंत]

को उठाया है और मैं संक्षेप में उन पर अपने विचार प्रकट करूंगा। श्री राय ने इस तथ्य की ओर संकेत किया कि उनके विचार में आरोविल एक धार्मिक निकाय है। मैं समझता हूं कि श्री फैलीरो ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस मुद्दे पर वास्तव में उच्चतम न्यायालय के समक्ष चर्चा हुई थी और उच्चतम न्यायालय अन्त में इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि यह धार्मिक निकाय नहीं है। अतः मेरे विचार में मेरे मित्र श्री राय को, यदि उन्हें इसमें अधिक दिलचस्पी है तो उच्चतम न्यायालय के निर्णय का अध्ययन करना चाहिए। जहां तक इस मुद्दे का सम्बन्ध है, वह उच्चतम न्यायालय के निर्णय से सन्तुष्ट हो जाएंगे।

मूलतः आरोविल एक कार्यरत दर्शन है। इसके पीछे एक विशिष्ट दर्शन है। प्रो० पराशर सहित मेरे कुछ मित्रों ने इस दर्शन का भावात्मक वर्णन किया है। मेरे विचार में हम सब को यह स्वीकार करना चाहिए कि जब हम अन्तर्राष्ट्रीय भाई चारे और सद्भावना की बात करते हैं, तब एक सच्चा दार्शनिक व्यक्ति इस विचार के सम्बन्ध में प्रयोग करने हेतु, विभिन्न पृष्ठ भूमियों, विभिन्न संस्कृतियों और विभिन्न धर्मों के लोगों को मिल-जुलकर एक साथ रहने के लिए एक-दूसरे के निकट लाता है ताकि वे एक-दूसरे को समझने का प्रयास कर सकें, एक दूसरे के प्रति पूर्वा ग्रहों, भय, घृणा तथा संकीर्णता की भावना छोड़ सकें और अन्ततः एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकें। यह उपयुक्त ही है कि श्री अरविन्द तथा मां ने इस प्रकार के विचार की अगुवाई की क्योंकि श्री अरविन्द को भारत के इतिहास में पिछले कुछ दशकों में महान प्रतिष्ठा का स्थान प्राप्त है। वह एक विशिष्ट व्यक्ति रहे हैं उन्होंने न केवल स्वतन्त्रता संग्राम में योगदान दिया अपितु एक समय उन्होंने नवयुवकों के हृदय तथा मस्तिष्क में एक नई ज्योति जलायी जैसा कि श्री प्रिय रंजन दास मुंशी ने उल्लेख किया था। तत्पश्चात उन्होंने अपनी अजेय शक्तियों, अपनी आत्मिक शक्तियों, विशाल बुद्धि को भारत की संस्कृति को जैसा उन्होंने समझा है वैसा प्रकट करने, इस धारणा के सम्बन्ध में अपनी, भावी कल्पना को प्रकट करने की ओर मोड़ दिया। उन्होंने इसे इस प्रकार प्रकट किया कि हम देशवासी इस पर गर्व कर सकते हैं। उन्होंने इसे इस ढंग से प्रकट किया कि इसे राष्ट्रवाद की तंग सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। अतः यह एकदम उपयुक्त ही है कि वही व्यक्ति जो इस प्रकार का भविष्य दृष्ठा हो, जिसका अनुभव असीम हो, इस प्रकार के राष्ट्र की एक अन्तर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक समुदाय की कल्पना कर सकता है। मां ने इसे उचित स्थान दिया होता और इसका निर्माण भी हुआ होता।

इस आणविक युग में बौद्धिक तौर पर हम सभी स्वीकार करते हैं कि एक युद्ध से सारी मानवता नष्ट हो जाएगी। किन्तु इसे स्वीकार करते हुए और लोगों को समीप लाने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए भी हम संकोच करते हैं क्योंकि अतीत के पूर्वाग्रह हमें सहज ही नहीं छोड़ते हैं। हम सभी इन पूर्वागहों के शिकार हैं। अतः श्री अरविन्द जैसी असाधारण कल्पना शक्ति वाला व्यक्ति ही इस प्रकार की परियोजना की कल्पना कर सकता था और मेरे विचार में कि हमें इसके प्रति श्रद्धांजली अर्पित करनी चाहिए।

यह सत्य है कि यह स्वप्न अभी पूरी तरह साकार नहीं हुआ है। यद्यपि 25 देशों के लोग आजकल आरोविल में रह रहे हैं फिर भी अशोभनीय कहा सुनी हुई है वित्तीय मामलों में गड़बड़ हुई है जिसका सभा में भी उल्लेख किया गया है। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस सभी

बातों का प्रभाव न केवल आरोविल के कार्य चालन पर अपितु इस की ख्याति पर भी पड़ा है। अतः सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। परन्तु मूल रूप में मुझे आशा है कि सभा इस बात से सहमत है कि यह दर्शन ऐसा है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं कि हमें यह आशा पूरी तरह नहीं छोड़नी चाहिए कि हम इसे उसी उत्साह से नहीं चला सकते जिस उत्साह से श्री अरविन्द ने इसकी कल्पना की थी अथवा मां ने इसकी कल्पना की थी। निस्सन्देह यह कठिन है। किन्तु जिस प्रकार हम मानव स्वभाव की सभी विकृतियों को देखकर उसको गलत रास्ते पर जाता हुआ देखकर कभी निराश नहीं होते, उसी प्रकार साथ-साथ रहने की यह धारणा विभिन्न देशों के लोगों को निकट लाना तथा अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय स्थापित करने में सफल होना एक भावी स्वप्न है यह आज व्यावहारिक न दिखायी दे किन्तु यह निस्सन्देह एक ऐसा प्रयोग है जो अपने प्रभाव के कारण आकर्षक है। अतः मैं सभा से निवेदन करूंगा कि इस विचार को न छोड़ें बल्कि इस पर दृढ़ रहें। साथ ही हमें यह देखना है कि आरोविल में जो त्रुटियां आ गई हैं उन्हें इस अन्तर्राष्ट्रीय निकाय के सहयोग से, इस सभा के सहयोग से तथा अन्य सदाशय व्यक्तियों के सहगोग से इस ताकि हम इसे पुनः स्वस्थ कर सकें।

अब कुछ प्रश्न उठाये गए थे। इन में एक प्रश्न यह है कि इन दो वर्षों की समाप्ति के पश्चात् क्या होगा। आरोविल का प्रबन्ध कौन संभालेगा? क्या यह फिर सोसाइटी के हाथ में जाना चाहिए? क्या एक नई समिति का निर्माण किया जाना चाहिए? क्या यह पुनः निवासियों के हाथों में जाना चाहिए अथवा इसे आरोविल के निवासियों को सौंप दिया जाना चाहिए? मूल अधिनियम के खंड (1) और (2) में आरोविल को पुनः सोसाइटी को सौंपे जाने की व्यवस्था की गई है। अन्य सुझाव दिए गए हैं। यह इस विधेयक से सम्बद्ध नहीं हैं। किंतु जहां तक आरोविल की मूल धारणा का सम्बन्ध है वे पूरी तरह सुसंगत हैं।

अतः मैं दिए गए सुझावों का स्वागत करता हूं। किन्तु मैं अभी इसी समय यह निश्चय नहीं करना चाहता हूं कि अन्ततः प्रशासन का रूप क्या होगा। फिलहाल यह विधेयक सरकार को अस्थायी तौर पर थोड़ी अवधि के लिए प्रबन्ध ग्रहण करने की शक्ति प्रदान करता है, जिसे अन्ततः वापस कर दिया जाएगा। मेरा विचार है कि सरकार इसी प्रकार इसका प्रबन्ध लम्बे समय तक अपने हाथ में नहीं रखेगी। अच्छा यही होगा कि ऐसी संस्थाओं का विकास उन्हीं लोगों द्वारा हो जो इनके आदर्शों के प्रति समर्पित हैं। और यद्यपि आज हमारे पास अत्यन्त प्रतिष्ठित लोगों की अन्तर्राष्ट्रीय परिषद है जो आरोविल के मामलों का व्यापक रूप से मार्गदर्शन कर रही हैं—हमारा प्रबन्धक एक न्यायाधीश रहा है—और उनके नेतृत्व में प्रगति हुई है। एक प्रश्न पूछा गया था कि क्या प्रगति हुई है। पांडिचेरी के सदस्य, श्री षण्मुख ने स्वयं आप लोगों को बताया है कि पिछले कुछ वर्षों में कितनी प्रगति हुई है। उन्होंने विभिन्न योजनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने उठाए गए विभिन्न ठोस कदमों का उल्लेख किया है। जो कुछ उन्होंने कहा इसके अतिरिक्त मैं एक और बात कहना चाहता हूं और वह कानून-और व्यवस्था की स्थिति के बारे में है जिसमें आरोविल में निश्चित रूप से सुधार हुआ है। अतः जब से सरकार ने इसे अपने हाथ में लिया है, इसमें सुधार हुआ है। मेरा विचार है कि हम इस सुधार को जारी रखेंगे।

फिर कुछ और मुद्दों का उल्लेख किया गया। उन विदेशियों का जिक्र किया गया जो तस्करी

[श्री कृष्ण चन्द्र पंत]

में भाग ले रहे हैं। मैंने कुछ पूछ-ताछ की। प्रबन्धक यहां हैं। मुझे बताया गया है कि तस्करी के किसी भी मामले की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

प्रो० एन० जी० रंगा : वे आपस में ही लड़ रहे थे।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : ठीक है; वह आपस में लड़ रहे थे। मैं इस बात का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जहां हमें सुरक्षा मामलों के संबंध में सतर्क रहना चाहिए वहीं हमें तब तक भारी आरोप अथवा सामान्य आरोप नहीं लगाने चाहिए जब तक कोई आधार न हो। यदि तस्करी हो रही है तो इसे निश्चय ही रोक दिया जाना चाहिए। किन्तु मुझे तस्करी का कोई समाचार प्राप्त नहीं हुआ है। और अतः मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे उन आरापों के सम्बन्ध में थोड़ा सतर्क रहें जिनकी सदन में चर्चा होती है।

दूसरी बात यह कही गई है कि आरोविल के निवासियों को आरोविल के कार्यकरण में सहयोजित किया जाए। उनमें भागीदार की भावना उत्पन्न की जानी चाहिए। मैं पूर्णतया सहमत हूं और मुझे अपने माननीय मित्र को बताते हुए प्रसन्नता होती है कि वास्तव में प्रशासक इस समय भी वहां के निवासियों के समूह को आरोविल की विभिन्न विकास संबंधी गतिविधियों का कार्य भार सौंपता है तथा उन्हें सहयोजित करने के लिए यह आवश्यक भी है। अतः मेरे विचार में प्रशासक महोदय, जो यहां उपस्थित हैं और जिन्होंने वादविवाद को सुना है, इन बातों को ध्यान में रखेंगे।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि श्री एडुआर्डो फैलीरो ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो के मामलों का उल्लेख किया था और मैंने आरम्भ में भी कहा था कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने तीन आरोप-पत्र दिए हैं—एक उड़ीसा में और दो पांडिचेरी में। वर्तमान स्थिति यह है। यदि कुछ और करना जरूरी है तो श्री एडुआर्डो फैलीरो का स्वागत है कि वह आएं और हमें बताएं कि क्या किन्हीं और तथ्यों की जांच की जानी है। परन्तु वर्तमान स्थिति यह है और मैं इसे यहीं छोड़ता हूं।

श्री चिन्ता मोहन (तिरूपति) : पश्चिम बंगाल सरकार की जांच के बारे में क्या है?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : पश्चिम बंगाल की जांच के बारे में मैं अधिक नहीं जानता। पश्चिम बंगाल सरकार की जांच के बारे में मैं किसी भी समय जान सकता हूं। मैं उनसे पता लगाऊंगा। मैं नहीं जानता कि हमारा प्रत्यक्ष संबंध किससे है? मैं उस जांच के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैंने वास्तव में तथ्यों की जांच नहीं की है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों का विधेयक का समर्थन करने के लिए धन्यवाद करता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आरोविल (आपात उपबन्ध) अधिनियम, 1980 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब हम विधेयक पर खंड वार विचार करेंगे

खंड-2 धारा 3 में संशोधन

श्री भोला नाथ सेन (कलकत्ता दक्षिण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 1, पंक्ति 7,—

अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए :

'और विद्यमान परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह और कि उपर्युक्त अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार आरोविल की प्रबन्ध व्यवस्था के लिए स्थायी आधार पर एक प्राधिकरण स्थापित करेगा और उस प्राधिकरण में प्रबन्ध निहित करेगी।" (1)

आरोविल के कार्य क्षेत्र और आरोविल को अन्तर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक नगर बनाने के पीछे श्री अरविन्द के दर्शन और मां के दर्शन के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु वर्तमान विधेयक प्रबन्ध की अवधि दो वर्ष और बढ़ाने के सम्बन्ध में है।

धारा 8 (2) में यह कहा गया है :

उपधारा (1) के अधीन किए गए आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख से ही सोसाइटी की ऐसी सम्पत्ति का प्रबन्ध जो आरोविल की भागरूप या उससे संबंधित है शासी निकाय में (चाहे उसका कुछ भी नाम हो) निहित हो जाएगा और ऐसा प्रबन्ध वेस्ट बंगाल सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1961 के उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा, किन्तु इस प्रकार की सोसाइटी की ऐसी सम्पत्ति के प्रबन्ध के बारे में कार्रवाई, यदि कोई हो, जो आरोविल की भागरूप या उससे संबंधित है, उप धारा (1) के अधीन किए गए आदेश के प्रकाशन के पश्चात् की जा सकेगी।"

अत: यदि हम इस धारा सहित इस अधिनियम में परिवर्तन नहीं करते तो इस उपबन्ध की पुष्टि हो जाएगी। दो और वर्षों के बाद यह संस्था के हाथ में चला जाएगा। प्रबन्ध व्यवस्था वापस संस्था के शासी निकाय के पास चली जाएगी। जब यह संस्था आरम्भ हुई थी मां संस्था की संस्थापक अध्यक्षा थी और आरोविल एक चार्टर के अन्तर्गत आरम्भ हुआ था। मां अब नहीं हैं। तीन मामले हैं। एक की सुनवाई आज हो रही है। कोई नहीं जानता कि ये मामले कब तक चलेंगे। एक प्राधिकरण की स्थापना की जाए और प्रबन्ध व्यवस्था इस प्राधिकरण को हस्तान्तरित कर दी जाए न कि संस्था को। यदि कानून में परिवर्तन नहीं किया जाता तो प्रबन्ध का अधिकार संस्था को वापस मिल जाएगा यद्यपि मां वहां अब नहीं हैं।

[श्री भोला नाथ सेन]

यद्यपि मैं अपने संशोधन के लिए आग्रह नहीं कर रहा हूं, फिर भी मैं माननीय मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह मेरी बात पर विचार करें और इस दो वर्ष की अवधि के भीतर निर्णय लें तथा एक प्राधिकरण की स्थापना करें जिसे प्रबन्ध करने का अधिकार हस्तान्तरित किया जाए।

4.00 म० प०

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं संशोधन का उद्देश्य भली-भांति समझता हूं। माननीय सदस्य चाहते हैं कि सरकार प्रबन्ध व्यवस्था की दो वर्ष की यह अवधि पूरी करने के बाद, प्रबन्ध व्यवस्था के ढांचे के बारे में अन्तिम निर्णय लें। मैं यह समझता हूं। परन्तु यह संशोधन इस विधेयक विशेष में ठीक नहीं बैठता क्योंकि जैसा कि उन्होंने कहा है यह विधेयक अस्थाई अधिग्रहण के लिए है। जब स्थाई व्यवस्था की बात उठेगी तो इसका स्थाई अधिग्रहण करना पड़ेगा, मैं नहीं जानता। कुछ भी हो अगर अधिग्रहण की आवश्यकता हुई तो एक अलग विधान बनाना पड़ेगा और इस सम्बन्ध में इसके सारे प्रभावों पर सावधानीपूर्वक विचार करना होगा। परन्तु इसके लिए इस विधेयक में कोई स्थान नहीं है। अतः यदि माननीय सदस्य के सुझाव पर विचार किया जाना है; तो मेरे विचार में यह निश्चय ही विचार करने योग्य है उस पर अलग से विचार किया जा सकता है। न कि इस संशोधन के माध्यम से।

सभापति महोदय : मैं संशोधन को मतदान के लिए रखता हूं···

श्री भोला नाथ सेन : मैं अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूं।

संशोधन संख्या 1 सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने :"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

4.02 म० प०

लोकपाल विधेयक

नियम 74 के निलंबन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सभा अब कार्यसूची की मद संख्या 10 को लेती है। श्री ए० के० सेन।

विधि और न्याय मन्त्री (श्री ए० के० सेन) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 74 के प्रथम परन्तुक को, भारत संघ के मन्त्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के अभिकथनों की जांच करने के लिए लोकपाल की नियुक्ति का और उससे सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर लागू होने के सम्बन्ध में निलम्बित करती है।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 74 के प्रथम परन्तुक को, भारत संघ के मंत्रियों के भ्रष्टाचार के अभिकथनों की जांच करने के लिए लोकपाल की नियुक्ति का और उससे सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर लागू होने के सम्बन्ध में निलम्बित करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

4.03 म० प०

लोकपाल विधेयक

संयुक्त समिति को सौंपने के लिए प्रस्ताव

[अनुवाद]

विधि और न्याय मंत्री (श्री ए० के० सेन) :

"कि भारत संघ के मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के अभिकथनों की जांच करने के लिए

[श्री ए० के० सेन]

लोकपाल की नियुक्ति का और उससे सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करने वाला विधेयक, दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाए, जिसमें 45 सदस्य हों, जिनमें 30 सदस्य इस सभा के हों, अर्थात :—

(1) श्री ए० के० सेन

(2) श्री एच० के० एल० भगत

(3) श्री के० पी० सिंह देव

* (4) श्री एच० आर० भारद्वाज

(5) प्रो० एन० जी० रंगा

(6) प्रो० के० के० तिवारी

(7) श्री टी० बशीर

(8) श्री सी० डी० पटेल

(9) श्री बी० वी० देसाई

(10) श्री अजीज कुरेशी

(11) श्री वाई० एस० महाजन

(12) श्री जी० जी० स्वैल

(13) श्री पी० चिदम्बरम्

(14) श्री बृज मोहन महन्ती

(15) श्री ब्रह्म् दत्त

(16) श्री मनोरंजन भक्त

(17) श्री श्याम लाल यादव

(18) श्री मूल चन्द डागा

(19) श्री जैनुल बशर

(20) प्रो० एम० आर० हलधर

* इनके स्थान पर श्री के० पी० उन्नीकृष्णन रखे गये।

(21) श्री प्रियरंजन दास मुंशी

(22) श्री एडुआर्डो फैलीरो

(23) श्री शरद दिघे

(24) श्री डी० के० नायकर

(25) श्री सी० माधव रेड्डी

(26) श्री अमल दत्त

(27) श्री पी० कुलनदईवेलू

(28) प्रो० मधु दंडवते

(29) श्री इन्द्रजीत गुप्त

(30) श्री इब्राहीम सुलेमान सेट

और 15 सदस्य राज्य सभा के हों;

कि संयुक्त समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति की कुल सदस्य संख्या का एक-तिहाई होगी;

कि समिति 15 मार्च, 1986 तक इस सभा को अपना प्रतिवेदन देगी;

कि अन्य प्रकरणों में, संसदीय समितियों सम्बन्धी इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ लागू होंगे, जो अध्यक्ष द्वारा किये जायें; और

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और उस संयुक्त समिति के लिए राज्य सभा द्वारा नियुक्त किये जाने वाले 15 सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत संघ के मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के अभिकथनों की जांच करने के लिए लोकपाल की नियुक्ति का और उससे सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करने वाला विधेयक, दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाए, जिसमें 45 सदस्य हों, जिनमें 30 सदस्य इस सभा के हों, अर्थात :—

(1) श्री ए० के० सेन

(2) श्री एच० के० एल० भगत

(3) श्री के० पी० सिंह देव

* (4) श्री एच० आर० भारद्वाज

(5) प्रो० एन० जी० रंगा

(6) प्रो० के० के० तिवारी

(7) श्री टी० बशीर

(8) श्री सी० डी० पटेल

(9) श्री बी० वी० देसाई

(10) श्री अजीज कुरेशी

(11) श्री वाई० एस० महाजन

(12) श्री जी० जी० स्वैल

(13) श्री पी० चिदम्बरम्

(14) श्री बृज मोहन महन्ती

(15) श्री ब्रह्म दत्त

(16) श्री मनोरंजन भक्त

(17) श्री श्याम लाल यादव

(18) श्री मूल चन्द डागा

(19) श्री जैनुल बशर

(20) प्रो० एम० आर० हलधर

(21) श्री प्रिय रंजन दास मुंशी

(22) श्री एडुआर्डो फैलीरो

(23) श्री शरद दिघे

(24) श्री डी० के० नायकर

(25) श्री सी० माधव रेड्डी

*इनके स्थान पर श्री के० पी० उन्नीकृष्णन रखे गए।

(26) श्री अमल दत्त

(27) श्री पी० कुलनदईवेलू

(28) प्रो० मधु दंडवते

(29) श्री इन्द्रजीत गुप्त

(30) श्री इब्राहीम सुलेमान सेट

और 15 सदस्य राज्य सभा के हों;

कि संयुक्त समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति की कुल सदस्य संख्या का एक-तिहाई होगी;

कि समिति 15 मार्च, 1986 तक इस सभा को अपना प्रतिवेदन देगी;

कि अन्य प्रकरणों में, संसदीय समितियों सम्बन्धी इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ लागू होंगे, जो अध्यक्ष द्वारा किये जायें; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और उस संयुक्त समिति के लिए राज्य सभा द्वारा नियुक्त किए जाने वाले 15 सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : सभापति महोदय, मुझे यह बताना है कि इसी प्रकार के विधेयक संयुक्त प्रवर समितियों को 1968 में तथा 1971 और 1977 में भी भेजे गए थे जब-जब इस विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति को भेजा गया, तब तक लोक सभा भंग हो गई। मुझे पता नहीं कि क्या यह इस बात का सूचक है कि··· व्यवधान।

श्री ए० के० सेन : प्रो० दंडवते हम लोगों से अच्छे भविष्य दृष्टा हैं। हम लोग उनके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहते हैं।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : महोदय, अन्तर केवल इतना ही है कि उस समय जनता पार्टी सत्तारूढ़ थी जो स्वतः ही भंग होने में निपुण थी किन्तु इस समय कांग्रेस की सरकार है जो स्थिर रहना जानती है।··· व्यवधान

प्रो० मधु दंडवते : 1971 के बारे में क्या कहते हैं ? ··· (व्यवधान)

सभापति महोदय : अब हम दूसरी मद लेंगे।

16.07 म० प०

पांडिचेरी विश्वविद्यालय विधेयक*

[अनुवाद]

शिक्षा मन्त्री (श्री के० सी० पंत) : मैं प्रस्ताव* करता हूं :

"कि पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र में अध्यापन और सहबद्धकारी विश्वविद्यालय की स्थापना और उसका निगमन करने के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।"

इससे पहले कि सभा इस विधेयक पर सामान्य चर्चा आरम्भ करे, मेरे विचार में इस प्रस्ताव की पृष्ठ भूमि पर प्रकाश डालना उपयुक्त होगा। महोदय, पांडिचेरी में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव 1971 में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था जब कि श्री अरविन्द शताब्दी समारोह समिति ने शताब्दी वर्ष के उपलक्ष में विभिन्न कार्यक्रमों पर विचार करना आरम्भ किया था। इस समिति के सुझाव पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परामर्श से इस प्रस्ताव की जांच आयोग ने इस प्रस्ताव को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया था। पांडिचेरी का प्रशासन इस बात के लिए उत्सुक था कि विश्वविद्यालय एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया जाए क्योंकि उनके पास विश्वविद्यालय को स्थापित करने तथा विकसित करने के लिए कोई संसाधन नहीं थे। और अधिक जांच करने के बाद सरकार ने 1 जनवरी, 1974 में पांडिचेरी में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव का सिद्धान्त रूप में अनुमोदन कर दिया और उसकी स्थापना के ब्यौरे तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त कर दी। समिति ने जुलाई, 1974 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस प्रतिवेदन के आधार पर विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव तैयार किये गये। किन्तु संसाधनों की कमी के कारण विश्वविद्यालय स्थापना का कार्य समय-समय पर स्थगित किया जाता रहा।

4.08 म० प०

(श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए)

पांडिचेरी में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने के सरकारी निर्णय से संघ राज्य क्षेत्र में अत्यधिक आशा उत्पन्न हुई हैं। इसकी स्थापना में हुई देरी के प्रति लोग अपनी चिन्ता व्यक्त करते

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

रहे हैं। अतः सरकार ने यह महसूस किया कि इस मामले में और देरी करने से पांडिचेरी के लोगों में अत्यधिक निराशा होगी। इसीलिए हमने विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए यह विधेयक प्रस्तुत किया है।

इस विधेयक में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना पांडिचेरी विश्वविद्यालय के नाम से करने का प्रस्ताव है। यह विश्वविद्यालय अध्यापन व सहबद्धकारी विश्वविद्यालय होगा और इसमें उच्च अध्ययन एवं अनुसंधान के लिये सुविधायें भी प्रदान की जायेंगी। इस विश्वविद्यालय के शिक्षण विभाग का सम्बन्ध स्नातकोत्तर शिक्षा से होगा जबकि इससे सम्बद्ध कालेज अधिकांशतः स्नातक-स्तर तक की शिक्षा के लिए जिम्मेवार होंगे। पांडिचेरी के कालेज इस समय निम्नलिखित तीन विश्व-विद्यालयों से सम्बद्ध हैं —

(1) मद्रास विश्वविद्यालय;

(2) आंध्र विश्वविद्यालयों; और

(3) कालीकट विश्वविद्यालय।

पांडिचेरी विश्वविद्यालय की स्थापना से पांडिचेरी के समस्त संघ राज्य क्षेत्र में शिक्षा प्रणाली एक हो जाएगी।

जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं पांडिचेरी विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव श्री अरविन्द शताब्दी समारोह समिति कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप सामने आया है। श्री अरविन्द अपने समय में न केवल पांडिचेरी पर, जो अपनी ख्याति के लिए उनका ऋणी है, पुनर्जागरण पर और मानव मात्र के विकास पर गहरी छाप छोड़ी है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में देश के बौद्धिक और अध्यात्मिक जीवन में उनका जो योगदान रहा है तथा पूरे विश्व के समक्ष उन्होंने जिस प्रकार बहुमुखी भारतीय प्रतिभा को उजागर किया, उसे दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्री अरविन्द दर्शन यद्यपि यहां भारत में पनपा परन्तु यह पूर्व और पश्चिम की सीमाओं को लांघ गया है इसलिये हमने यह निर्णय लिया कि विश्व विद्यालय को श्री अरविन्द के नाम से एक स्कूल की स्थापना करनी चाहिए जिसमें पूर्वी तथा पश्चिमी देशों की विचारधारा का अध्ययन किया जा सके।

हम लोगों ने यह भी निर्णय लिया है कि उस विश्वविद्यालय को सुब्रह्मण्यम भारती को भी स्मरण करना चाहिए जिनका राष्ट्रीय जागृति और राष्ट्रीय एकता में स्मरणीय योगदान रहा है। पांडिचेरी विश्वविद्यालय में तमिल भाषा और साहित्य के अध्ययन का एक स्कूल होगा जिसका नाम तमिल के सर्व श्रेष्ठ कवि सुब्रह्मण्यम भारती के नाम पर होगा।

जैसा कि सभा को पता है, पांडिचेरी अपने विगत ऐतिहासिक, पृष्ठभूमि के संदर्भ में फ्रेंच के अध्ययन का एक आदर्श केन्द्र है। इसलिये हमने यह प्रावधान किया है कि इस विश्व विद्यालय में फ्रेंच अध्ययन के संवर्धन पर विशेष ध्यान दिया जायगा।

[श्री के० सी० पन्त]

इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार पांडिचेरी का समस्त संघ राज्य क्षेत्र होगा हमने यह भी प्रावधान किया है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के संघ राज्य क्षेत्र यदि चाहें तो पांडिचेरी विश्वविद्यालय के अधिकार में आ सकते हैं। इन क्षेत्रों का प्रशासन यदि केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से से निर्णय लेता है तो इन क्षेत्रों के कालेज इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किये जा सकते हैं। इस उपबन्ध का यह अर्थ नहीं है कि इन दो संघ राज्य क्षेत्रों के कालेज अनिवार्य रूप से पांडिचेरी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किये जायेंगे।

पांडिचेरी विश्वविद्यालय का ढांचा और गठन साधारण तौर पर अन्य केन्द्रीय विश्व विद्यालय के सामान ही है। तथापि इसमें कुछ विशेष उपबन्ध हैं जिससे कि यह विश्व विद्यालय कुछ ऐसे महत्व-पूर्ण क्षेत्रो की ओर और अधिक ध्यान दे सके जिनकी दुर्भाग्यवश देश के अधिकांश विश्वविद्यालय ने उपेक्षा की है। हमारा प्रस्ताव है कि पांडिचेरी विश्वविद्यालय में निदेशक होने चाहिएं जो विशेष रूप से शैक्षिक नवीकरण और ग्रामीण पुनर्गठन सम्बन्धी कार्यक्रमों, संस्कृति और सांस्कृतिक सम्बन्ध सम्बन्धी कार्यक्रमों तथा शारीरिक शिक्षा, खेल कूद राष्ट्रीय सेवा और छात्र कल्याण कार्यक्रमों के लिए नियुक्त किए जाएं। समय-समय पर शैक्षणिक कार्यक्रमों की पुनरीक्षा करने, अभिनव परिवर्तन और प्रयोग का संबर्द्धन करने, नई शिक्षण और अध्ययन प्रक्रियाओं का विकास करने शिक्षा के क्षेत्र में नैतिक मूल्यों के संवर्धन में सहायक वातावरण तैयार करने के लिए हमने सांविधिक प्राधिकरण के रूप में एक योजना बोर्ड की स्थापना का उपबन्ध किया है।

चूंकि यह एक नया विश्वविद्यालय है और जिसे इस विधेयक के विनियमन के तत्काल बाद कार्य आरम्भ करना है, इसलिये हमने सभी नये विश्व विद्यालयों के मामले में किये जाने वाले वे उपबन्ध किए हैं, जिनके अन्तर्गत कुलाध्यक्ष, जो भारत का राष्ट्रपति होता है, प्रथम कुलपति, उप-कुलपति तथा अन्य अधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है तथा प्रथम कोर्ट कार्यकारी परिषद् तथा शैक्षिक परिषद् का गठन कर सकता है।

मैं आशा करता हूं कि पांडिचेरी में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना से संघ शासित क्षेत्र के लोगों की आकांक्षायें पूर्ण होंगी। मुझे विश्वास है कि इस सभा के सभी वर्ग के सदस्य इस उपाय का पूर्ण हृदय से समर्थन करेंगे।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र में और अध्यापन और सहबद्धकारी विश्वविद्यालय की स्थापना और उसका निगमन करने के लिये तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।"

अब श्री एस० एम० भटुम बोलेंगे।

श्री एस० एम० मट्टम (विशाखापत्तनम) : महोदय, पांडिचेरी में एक विश्वविद्यालय खोलने का सुझाव मूल रूप से श्री अरबिन्द शताब्दी समारोह समिति ने रखा था इस विचार को स्वीकार तो कर लिया गया था किन्तु नाम नहीं रखा गया था। कुछ कारण बताये गये थे। संभवतः सरकार के दृष्टिकोण से वे उचित हैं क्योंकि सरकार को प्रत्येक स्तर पर समझौता करना पड़ता है। किन्तु क्या मैं सभा के और विशेष कर माननीय मंत्री जी के विचारार्थ विनम्रतापूर्वक यह निवेदन कर सकता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि सरकार हर स्तर पर दबाव में आ रही है वह दबाव चाहे उचित हो। अथवा अनुचित चाहे ठीक है या गलत चाहे विवेकपूर्ण है या अविवेकपूर्ण और शताब्दी समारोह समिति द्वारा रखे गए मूल विचार को, जिसे सरकार ने पहले अपना लिया था, तिलांजलि दे दी है। इस प्रकार हर स्तर पर किए गए समझौते मूल धारणा तथा मूलभूत कल्पना के सर्वथा विरुद्ध जाते हैं।

वर्ष 1974 में सरकार ने पांडिचेरी में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का निर्णय सिद्धांत रूप से ले लिया था किन्तु वास्तव में सरकार 1985 में इस सभा के समक्ष यह विधेयक प्रस्तुत कर रही है। सरकार ने 11 वर्ष लगाये। देश में शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों में इस प्रकार की प्रगति हो रही है और शिक्षा को तथा शिक्षा से सम्बन्धित मामलों को सामान्यतः यह महत्व दिया जा रहा है।

महोदय, मेरा विचार था कि मंत्री महोदय एक आदर्श विधेयक प्रस्तुत करेंगे। इस सभा में हाल ही में चर्चा के दौरान उन्होंने कुछ विचार प्रकट किये थे और इसीलिये मुझे आश्चर्य हो रहा था कि क्या इसमें शिक्षा के वे सभी उच्च आदर्श सम्मिलित किए जाएंगे जिनके लिए सरकार वचनबद्ध है। किन्तु दुर्भाग्य की बात यह है कि इसे एक आदर्श विधेयक नहीं माना जा सकता और किसी भी दृष्टिकोण से यह मिसाल स्थापित करने वाला नहीं हो सकता। इसलिये संभव है कि मंत्री महोदय को दो या तीन वर्षों के बाद स्वयं विधेयक की पुनरीक्षा करनी पड़े।

सर्वप्रथम, मैं विश्व विद्यालय की स्वायत्तता से संबंधित मामले के बारे में कहना चाहूंगा। वास्तविकता यह है कि मंत्री महोदय को परम्परागत रूप से चली आ रही एक दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति विरासत में मिली है। शिक्षा संस्थान में अराजकता की स्थिति है, वे पूरी तरह से असंगठित और अनुशासन हीन हैं तथा इन संस्थानों में हर प्रकार के कार्य हो रहे हैं।

हाल ही में समाचार-पत्रों में पढ़ने को मिला है कि बिहार में किस प्रकार बिहार के राज्यपाल ने किन्हीं कारणोंवश बिहार विश्वविद्यालय के उपकुलपति को त्यागपत्र देने के लिए विवश किया। यदि वह त्यागपत्र न देते तो विश्वविद्यालय की किसी न किसी संविधि के अन्तर्गत उसे अपना पद छोड़ना पड़ता। विश्वविद्यालय की स्वायत्तता कहां है? इतना ही नहीं; राज्यपाल ने राज्य सरकार के आपराधिक अन्वेषण विभाग को पूरा मामला सौंपने के बारे में भी विचार किया। हो सकता है कि उपकुलपति द्वारा कुछ चूक हुई हो। किन्तु राज्य सरकार के आपराधिक अन्वेषण विभाग को सौंपने के बजाय, निश्चित रूप से उन्हें सुधारा जा सकता था, उन पर विचार किया जा सकता था अथवा शिक्षा क्षेत्र से सम्बद्ध किसी सक्षम निगम द्वारा उसकी जांच कराई जा सकती थी। उपकुलपति के विरुद्ध लगाये गये विभिन्न आरोपों को राज्यपाल की प्रेस विज्ञप्ति में दिया गया था। अतः सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता का सामान्यतः इस प्रकार हनन किया जा रहा है। एक ओर तो सरकार

[श्री एस० एम० भट्टम]

ने यह चरम दृष्टिकोण अपना रखा है और दूसरी ओर सरकार यह कह रही है कि विश्वविद्यालयों की स्थिति पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये।

हाल ही में समाचारपत्रों में यह पढ़ने को मिला है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में, उपकुलपति ने अपना पद त्यागने से पूर्व बहुत बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की है और इनमें से अधिकांश नियुक्तियां अनियमित समझी जा रही हैं क्योंकि वे नियुक्तियां विश्वविद्यालय के विनियमों के अनुरूप नहीं हैं। और इस प्रकार की घटनायें उत्तरोत्तर बढ़ रही हैं।

आज ही समाचारपत्रों में पढ़ने को मिला है कि काशी विद्यापीठ में इसी प्रकार की घटनायें घटी हैं। वर्ष 1983 में 37 नये शिक्षण विभाग बनाये गये थे और 153 शिक्षक नियुक्त किये गये थे और ये सभी नियुक्तियां विश्वविद्यालय संविधि के उपबन्धों के विरुद्ध थीं। इसलिये, महोदय, विश्वविद्यालयों में इस प्रकार के कांड हो रहे हैं। इसका क्या उपाय है ? एक तरफ तो हम देखते हैं कि ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो सभी प्रकार के ऐसे कार्य करते हैं जो ठीक नहीं हैं तथा दूसरी ओर सरकार है जो अत्यधिक कड़ा रुख अपना लेती है और विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता पर रोक लगाने का प्रयत्न करती है। इन दोनों के बीच कुछ ऐसा होना चाहिए जिसको सरकार कर सके और जिसे उचित कहा जा सके।

मैं आन्ध्र प्रदेश के एक विशेष मामले को जानता हूं। पश्चिम गोदावरी जिले में ऐलुरू नामक स्थान में एक स्नातकोत्तर केन्द्र खोला जाना था। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने उसके लिये स्वीकृति दे दी थी। आन्ध्र विश्वविद्यालय के सिंडिकेट की एक बैठक में एक संकल्प पारित किया गया जिसमें प्रस्ताव को सिद्धान्त रूप से मंजूरी दे दी गई। इस प्रकार विश्वविद्यालय इस स्नातकोत्तर केन्द्र में, जो पहले से ही विद्यमान है, नई कक्षाओं को चलाने की स्वीकृति दे सकता था। लेकिन फिर यह कहा गया कि कालेज के लिये यह आवश्यक है कि वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुमति प्राप्त करे। मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों किया गया। विश्वविद्यालय ने अपनी सहमति दे दी है। राज्य सरकार ने भी सहमति दे दी है, फिर भी कालेज को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास अनुमति के लिए जाना होगा। मुझे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संबंधित उपाध्यक्ष से बात करने का भी अवसर मिला। उन्होंने कहा कि यह आवश्यक है कि वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास अनुमति के लिये जायें। मुझे सदन को सूचित करते हुए बहुत दुःख होता है कि वह प्रस्ताव रद्द कर दिया गया और स्वीकार नहीं किया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस प्रकार से, एक अजीब तरीके से, कार्य करता है।

जहां तक दक्षिण का संबंध है, दक्षिण भारत के राज्यों के सभी शिक्षा मंत्रियों ने हाल ही में एक सम्मेलन किया था और इसमें अपनी यह शिकायत उठाई थी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दक्षिण के साथ भेदभाव किया जा रहा है। इसलिए उन्होंने भारत सरकार को लिखा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक क्षेत्रीय शाखा स्थापित की जाये।

महोदय, मैं केवल उन कुछ बुराइयों को दूर करने के बारे में कह रहा हूं जो वर्तमान शिक्षा

संस्थानों में प्रवेश कर गई हैं। हाल ही में सरकार ने मॉडल स्कूलों को स्थापित करने का निर्णय लिया है। वहां भी शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी या हिन्दी होगा। आन्ध्र प्रदेश ने इस पर आपत्ति की है। क्षेत्रीय भाषाओं का क्या होगा ? प्रत्येक जिले में हमारे पास एक केन्द्र है। सभी जिला केन्द्रों में क्या हमें अनिवार्यत: केवल अंग्रेजी माध्यम के द्वारा ही शिक्षा प्रदान करनी होगी, क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से नहीं।

मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है और उचित नहीं है। हमने त्रिभाषा सूत्र स्वीकार किया है और वह लागू किया जाना चाहिए तथा उसे जारी रखा जाना चाहिए। उसका कोई उल्लंघन या कोई विकल्प हमें स्वीकार्य नहीं होगा और वह उचित भी नहीं होगा। मैं इस संबंध में यहां धारा 8(1) का उल्लेख करता हूं :—

"विश्वविद्यालय सभी स्त्रियों और पुरुषों के लिए खुला होगा चाहे वे किसी भी मूलवंश, पंथ, जाति या वर्ग के हों, आदि आदि···"

महोदय, विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए, जाति, वर्ग या मूलवंश के संबंध में, हमारे लोगों को एक जैसा समान अवसर प्राप्त हो, यह इसका प्रयोजन है। अब क्या मैं मंत्री जी से विनम्रपूर्वक यह पूछ सकता हूं कि क्या प्रवेश फार्म में ऐसा नहीं होता कि छात्र से यह पूछा जाता है कि वह आवश्यक रूप से यह बताये कि वह किस जाति से मूल रूप से संबंध रखता है ? हर जगह यह प्रथा बनी हुई है और जाति का नाम अनिवार्यत: लिखना होता है कि क्या कोई उम्मीदवार अनुसूचित जाति से संबंधित है या अनुसूचित जन जाति से। जाति का नाम प्रत्येक को अवश्य देना होता है। जहां कहीं उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता हो वहां उन्हें जाति का नाम देने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए सरकार को प्रत्येक शिक्षा संस्था के लिए यह अनिवार्य कर देना चाहिए कि प्रवेश पत्र में से जाति का नाम हटा दिया जाए और किसी विद्यार्थी पर यह दबाव नहीं डाला जाना चाहिए कि वह अपनी जाति का नाम बताये जिससे वह संबंधित है। यहां भी परन्तुक में यह कहा गया है :—

"परन्तु इस धारा की कोई बात विश्वविद्यालय को जनता के कमजोर वर्ग और विशिष्टतया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के छात्रों के प्रवेश के लिए विशेष उपबन्ध करने से निवारित करने वाली नहीं समझी जायेगी, आदि।"

जहां तक कमजोर वर्गों का संबंध है, इसका मतलब अनुसूचित जातियों और जन जातियों को छोड़कर अन्य पिछड़े वर्गों से है। इस प्रकार यह एक ऐसा विषय है जो सम्पूर्ण राष्ट्र का ध्यान आकर्षित कर रहा था। इस सदन को इस मामले से अवगत कराया जाना चाहिए था। सभी राजनैतिक दलों से परामर्श किया जाना चाहिए था और उससे राष्ट्र की आम राय सामने आ जाती। लेकिन हमें इस मामले से अवगत नहीं कराया गया। इस प्रकार अन्य पिछड़े वर्गों के लिए क्या प्रावधान रह जाता है तथा उन्हें क्या आरक्षण देने की यहां व्यवस्था की जा रही है ? भारत सरकार ने इस संबन्ध में स्पष्ट अनुदेश दिए हैं, यद्यपि सभी संगठन यह कह रहे हैं कि उन्हें वे प्राप्त नहीं हुए। पूरे राष्ट्र की एक राय सामने आनी चाहिए। इसलिए इसे तब तक स्थगित रखा जाना चाहिए जब तक कि इस संबंध में राष्ट्र की कोई एक राय सामने नहीं आती।

[श्री एस० एम० भट्ट]

इस विधेयक के विभिन्न प्रावधानों पर सरसरी नजर डालने के बाद हम इसे लोकतन्त्र के विरुद्ध पाते हैं। लोकतन्त्रीकरण के स्थान पर इस विधेयक में हम इसका उलटा ही पाते हैं। सभी का नामांकन किया जाना है। प्रत्येक का नामांकन किया जायेगा। निस्संदेह सबसे पहले पदाधिकारियों को तो आवश्यक रूप से नाम निर्दिष्ट करना होगा, वहां कोई चुनाव नहीं हो सकता, लेकिन फिर पृष्ठ 7 पर देखिये —

"12.(1) कुलपति की नियुक्ति कुलाध्यक्ष द्वारा ऐसी रीति से की जाएगी जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए।"

क्योंकि उसे आवश्यक रूप से नियुक्त किया जाना है और इसके लिये कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन कुछ परिनियमों की व्यवस्था की गई है। मैं पृष्ठ संख्या 9 का हवाला दे रहा हूं :—

"25. इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा। अर्थात् :

(ख) उक्त प्राधिकारियों और निकायों के सदस्यों का निर्वाचन और पदों पर बने रहना, सदस्यों के पदों की रिक्तियों का भरा जाना तथा उन प्राधिकारियों और अन्य निकायों से संबंधित सभी अन्य विषय, जिनके लिए उपबन्ध करना आवश्यक या वांछनीय होगा।

अत: नामांकन जारी रखे जा सकते हैं। यह अनिवार्य नहीं है कि चुनाव होने चाहिए, यह वैकल्पिक है।

पृष्ठ 12 में यह कहा गया है :—

"27. (2) प्रथम अध्यादेश, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, कुलपति द्वारा बनाए जाएंगे और इस प्रकार बनाए गए अध्यादेश परिनियमों द्वारा विहित रीति से कार्य परिषद् द्वारा किसी भी समय संशोधित, निरसित या परिवर्धित किए जा सकते हैं।"

पहला अध्यादेश उप-कुलपति द्वारा केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से बनाया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि केन्द्रीय सरकार सर्वदा ही इसमें बीच में आयेगी। प्रथम परिनियम वे हैं जो इस अनुसूची में दिये गये हैं। जो उपकुलपति द्वारा बनाए जाने वाले परिनियमों से भिन्न हैं जिनके लिए केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा। अत: सरकार का हाथ हर जगह देखा जा सकता है। जब तक सरकार स्वीकृति नहीं देगी तब तक कुछ नहीं होगा। विश्वविद्यालयों को इस स्थिति तक गिरा दिया गया है।

और फिर आप देखेंगे कि इन परिनियमों को बाद में संशोधित नहीं किया जा सकता। वे केवल

कुलाध्यक्ष के अनुमोदन से ही संशोधित किए जा सकते हैं। अन्यथा वे भविष्य में भी संशोधित नहीं किये जा सकते। इस प्रकार सर्वप्रथम वे राज्यपाल द्वारा ही बनाये जायेंगे और उन्हें संशोधित नहीं किया जा सकता; तथा फिर वे संशोधित किये जा सकेंगे तो केवल सरकार की लिखित स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही। अन्यथा कुलपति या कुलाध्यक्ष को इन्हें अनुमति देनी होगी। विश्व-विद्यालयों की स्थिति इतनी गिरा दी गई है।

इसके अतिरिक्त जहां तक इन संस्थानों के लोकतन्त्रीकरण का सम्बन्ध है, शैक्षणिक मामलों में तथा अन्य मामलों में छात्रों के भाग लेने और उनकी भूमिका का बहुत महत्व है।

इसके अलावा, मैं यहां यह बताना चाहता हूं कि यदि किसी छात्र के विरुद्ध अनुशासनहीनता सम्बन्धी कार्रवाई की जाती है तो उसके लिए उसे कार्यकारी परिषद या विवाचन न्यायाधिकरण के समक्ष अपील करने का अवसर उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में क्या होगा ? प्रत्येक जगह यह होगा कि उपकुलपति द्वारा किसी भी छात्र के विरुद्ध कोई कार्रवाई करना सम्भव नहीं होगा। यह उसके लिए असंभव होगा कि वह आगे बढ़े क्योंकि वहां एक अपील प्राधिकरण है। छात्र कार्यकारी परिषद से कह सकता है कि वह जांच करे। इसलिए विश्वविद्यालयों में उचित अनुशासन बनाये रखने लिये पर्याप्त परिजानों की व्यवस्था होनी चाहिए। कुलाध्यक्ष को इस पहलू पर भी ध्यान रखना होगा। धन्यवाद।

प्रो० के० वी० थामस (एरणाकुलम) : सबसे पहले मैं इस विधेयक को लाने के लिए शिक्षा मंत्री श्री के० सी० पन्त को बधाई देता हूं। संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी के विभिन्न कालेज आज तक केरल के कालीकट विश्वविद्यालय, तमिलनाडु के मद्रास विश्वविद्यालय या आन्ध्र प्रदेश के वाल्टेर विश्वविद्यालय के साथ संबद्ध है। अतः पांडिचेरी के तथा साथ ही माहे को इन कालेजों के अब एक ही विश्वविद्यालय के साथ संबद्ध किया जा सकता है।

यह भी प्रशंसनीय है कि इस केन्द्रीय विश्वविद्यालय ने श्री अरविन्द के नाम पर और सुब्रह्मण्यम भारती के नाम पर भी स्कूल चलाने का निर्णय लिया है। मुझे विश्वास है कि इससे उन छात्रों को मदद मिलेगी जो हमारे राष्ट्र की महान संस्कृति की विरासत के बारे में तथा गूढ़तम नैतिक मूल्यों के बारे में अध्ययन करने के लिए इस विश्वविद्यालय के द्वार पर आते हैं।

विश्वविद्यालय में गठित किये जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण निकायों के बारे में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। एक तो कार्यकारी परिषद है और दूसरा शैक्षणिक परिषद, मेरा यह अनुरोध है कि इन दोनों महत्वपूर्ण निकायों का, जो कि विश्वविद्यालय के कार्यों को निर्धारित करेंगे, शैक्षणिक स्तर हमारे विश्वविद्यालयों के सिंडिकेटों और सीनेटों जैसा गिरा हुआ नहीं होना चाहिए। जरा देखिये कि हमारे सुस्थापित विश्वविद्यालयों के सीनेट और सिंडिकेट किस तरह से कार्य कर रहे हैं और सीनेट के सदस्यों और सिंडिकेट के सदस्यों का किस प्रकार चयन या नामांकन किया जाता है। कई सीनेट या सिंडिकेट सदस्य आबकारी ठेकेदारों की तरह होते हैं, जो आपराधिक कार्यों से संबंधित होते है।

इसके अतिरिक्त बहुत कम सौभाग्यशाली अकादमी सदस्य होते हैं और उनकी शैक्षिक योग्यता केवल यह होती है कि अपने आप को भारी वर्षा या कड़ी धूप से बचाने के लिए वे अपने जीवन में एक-

[प्रो० के० वी० थामस]

दो बार कालेज या स्कूल के प्रवेश द्वार में घुस गये हों। अतः मेरा कहना यह है कि जब पांडिचेरी विश्वविद्यालय में आप कार्यकारी परिषद या शिक्षा परिषद का गठन करें तो यह इतनी गिरी हुई दशा नहीं होनी चाहिए। इनमें ऐसे लोगों को शामिल किया जाना चाहिए जो उत्कृष्ट शैक्षिक चरित्र सम्पन्न हों, जिनका उत्कृष्ट शैक्षिक रिकार्ड हो, इसके अतिरिक्त उनकी किसी और बात पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। आमतौर पर ऐसा होता है कि विश्वविद्यालय के इन महत्वपूर्ण पदों पर वे लोग आ जाते हैं जो अधिक राजनैतिक दबाव डलवा लेते हैं। जब उपकुलपति का चयन किया जाता है तो उसकी शैक्षिक योग्यता पर ध्यान नहीं दिया जाता बल्कि यह देखा जाता है कि वह कितना राजनैतिक दबाव ला सकता है। अतः मेरा विनम्र अनुरोध यह है कि इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। राजनीति सम्बन्धी किसी बात पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। केवल योग्यता के आधार व्यक्ति लिये जाने चाहिए।

दूसरी बात जो मैंने नोट की है वह न्याय निर्णयन के लिए अधिकरण का गठन है। यदि विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के बीच झगड़ा होता है तो सामान्यतः हमारे देश में कर्मचारी हड़ताल पर चले जाते हैं। इस विधेयक में एक प्रावधान है कि वे न्यायनिर्णयन के लिए न्यायाधिकरण के पास जा सकते हैं जो कार्यकारी परिषद से एक सदस्य या कर्मचारियों के एक सदस्य से बनता है और ये लोग कुलाध्यक्ष द्वारा नामंकित किये जाते हैं जो अम्पायर के समान कार्य करता है। यह बहुत अच्छी प्रक्रिया है।

इसी तरह, यदि छात्रों और विश्वविद्यालय के बीच कोई झगड़ा होता है तो वह विवाद भी इसी प्रकार के न्यायाधिकरण के पास भेजा जा सकता है। यह पद्धति इतनी अच्छी है कि इसका विभिन्न राज्यों में कार्यरत हमारे विश्वविद्यालयों में उपयोग किया जा सकता है।

महोदय, इसके अतिरिक्त एक और भी प्रावधान है जो छात्र परिषद के बारे में है। जरा देखिये हमारे जो विश्वविद्यालय और कालेज हैं उनमें यह परिषद किस प्रकार से कार्य करती है। यदि हम अपने कालेजों में या विश्वविद्यालयों में किये जाने वाले चुनावों को देखें तो हमें 'विलियम द कॉनकेरर' का समय याद आ जायेगा। उस समय, जब दीवानी मुकदमा या फौजदारी मुकदमा भी उनके पास जाता है तो यह गुण-दोष के आधार पर तय नहीं किया जाता है। बल्कि दोनों व्यक्तियों को, यानि कि जो व्यक्ति शिकायत करता है तथा जिससे शिकायत है उन दोनों को लड़ने के लिए कहा जाता है तथा इस लड़ाई में जो भी व्यक्ति जीतता है वही जीता हुआ माना जाता है। हमारे महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों का भी यही हाल है। यहां लोग या छात्र अपनी योग्यता के आधार पर नहीं, अपितु बाहरी दबावों का इस्तेमाल करके चुनाव जीतते हैं और देखते हैं कि कितने लोग वहां चुनाव लड़ सकते हैं। कुछ दिन पहले मैंने अखबारों में पढ़ा था कि दिल्ली विश्वविद्यालय चुनाव करवाने में एक लाख रुपया खर्च कर रहा है। क्या विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों का काम सिर्फ राजनीतिज्ञों को तैयार करना है? हमें इस बारे में विचार करना चाहिये।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : मैं उनकी यथार्थवादिता की प्रशंसा करता हूं।

श्री के० वी० थामस : मेरे कहने का अभिप्राय है कि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को इस उद्देश्य के लिए काम में नहीं लाया जाना चाहिये। ऐसा करने से 85 प्रतिशत विद्यार्थी प्रभावित होते हैं।

विधेयक में बताया गया है कि विद्यार्थी परिषदों के बनाने के लिए योग्य विद्यार्थियों को ही चुना जायेगा। यह एक अच्छा सुझाव है जिसपर अन्य विश्वविद्यालय भी अमल कर सकते हैं।

श्री हरद्वारी लाल (रोहतक) : मैं विधेयक का विरोध नहीं कर रहा हूं। हम देखते हैं कि शिक्षा मंत्री में एक अत्यन्त प्रभावोत्पादक वाद-विवाद करने की शक्ति है तथा सामान्यतः मैं उनकी दलीलों का विरोध नहीं कर सकता। परन्तु इस विधेयक का पूरे मन से समर्थन करने के लिए वह मुझे सहमत नहीं कर सके। मेरे विचार से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता अगर वह देश में उच्च शिक्षा में विद्यमान गम्भीर कठिनाइयों से परिचित है।

1951 में 27 विश्वविद्यालय थे जिनकी संख्या अब बढ़कर 140 तक हो गई है। इसमें से कुछ लोग अपने आपको धोखा देते हैं। और यह सोचते हैं कि इन संस्थाओं की संख्या में वृद्धि से ही यह प्रतीत होता है कि शिक्षा के क्षेत्र में यह एक असाधारण उपलब्धि है। वास्तव में विभिन्न विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए हमारे पास पर्याप्त मान्यता वाले न तो अध्यापक ही हैं और न ही उनका समुचित विकास करने के लिए हमारे पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन ही हैं।

जहां तक अध्यापकों का सम्बन्ध है, हमें बनावटी प्रोफेसरों की संख्या से अपने आपको गुमराह नहीं होने दिया जाना चाहिए जिससे हमारा भारतीय शिक्षा जगत भरा पड़ा है। जैसे कि हमारे देश में सम्मानार्थ डिग्री अथवा डिग्रियां पाने वाला हरेक व्यक्ति अपने आपको डाक्टर कहता है उसी प्रकार से प्रत्येक अध्यापक, चाहे वह निजी शिक्षक (ट्यूटर) 'लेक्चरार' या रीडर हो, वह अपने आपको प्रोफेसर कहलावाना पसन्द करता है, शिक्षा संस्थाओं में उसका पद चाहे जो भी हो। अतः जहां तक प्रोफेसरों का संबंध है। इनकी हमारे यहां कोई कमी नहीं है। परन्तु हम भ्रम में हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से देश के विभिन्न विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में वितरित करने के लिए शिक्षा मन्त्रालय द्वारा निर्धारित धन राशि के बारे में जितना कम कहा जाए उतना ही अच्छा है। प्रत्येक राज्य का विश्वविद्यालय असंतुष्ट है, क्योंकि विकास के लिए उसे पर्याप्त अनुदान प्राप्त नहीं होता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्वयं ही राज्य विश्वविद्यालयों से घिरा हुआ है तथा शिक्षा मन्त्रालय इसकी मांगों को पूरा करने में असमर्थ है।

हम कई वर्षों से यह स्वीकार करते आ रहे हैं कि हम विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की संख्या में अनुचित रूप से वृद्धि होने दे रहे हैं तथा वर्षों से यह भी संकल्प करते आ रहे है कि इनकी संख्या में और वृद्धि को रोकना चाहिए। सच तो यह है कि प्रत्येक वर्ष नये विश्वविद्यालय और महाविद्यालय खुलते जा रहे हैं। आज केन्द्रीय अनुदान पाने के लिए आधे दर्जन से ज्यादा विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और हम तेजी से केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि करते जा रहे हैं। तथा ये विश्वविद्यालय धन की काफी बड़ी

[श्री हरद्वारी लाल]

राशि हजम कर रहे हैं जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को देश के सभी विश्वविद्यालयों में आबंटित किए जाने के लिए मिलती है।

अगर कुछ विश्वविद्यालय राष्ट्रीय कार्य में लगे हुए हैं, अगर वे उत्कृष्ट शिक्षा केन्द्र हैं, और यदि वे राज्य विश्वविद्यालयों के लिए उदाहरण पेश करने वाले साबित हों, तो ऐसे कुछ विश्वविद्यालयों की देख-रेख के लिए अगर केन्द्र सरकार पैसा दे तो किसी को आपत्ति नहीं होगी। परन्तु केन्द्रीय विश्वविद्यालय कई राज्य विश्वविद्यालयों से बेहतर नहीं हैं उदाहरण के लिए, दिल्ली मद्रास से किस मायने में अच्छा है ?

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के वास्तविक कार्यकरण के बारे में सचाई जानने के लिए हमें केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कार्यकरण की जांच करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त की गई समिति के प्रतिवेदन को देखना होगा। उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सात केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में एक भी राष्ट्रीय संस्था नहीं है। इनमें से दो, पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय तथा हैदराबाद विश्वविद्यालय पूरी तरह से स्थानीय संस्थायें हैं, जिन्हें केन्द्रीय अनुदान दिया जाता है जोकि राजनैतिक निर्णयों का परिणाम है। परन्तु अन्य विश्वविद्यालय, जिन्हें केन्द्र द्वारा धन दिया जा रहा है, राष्ट्रीय संस्थायं समझी जाती हैं।

हम बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से शुरूआत करते हैं। छठे दशक के अंत में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस विश्वविद्यालय के कार्यकरण की जांच के बारे में एक समिति नियुक्त की थी। तथा उस समिति का कहना था कि यह एक राष्ट्रीय संस्था नहीं है। शिक्षा मंत्रालय ने कुलाध्यक्षों एवं शिक्षा मंत्रियों की बैठक बुलाई तथा उन्होंने भी यह माना कि केन्द्र को विश्वविद्यालयों को धन की सहायता देनी चाहिए अगर वे कोई राष्ट्रीय कार्य करते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बारे में भी यही बात है। इस विश्वविद्यालय द्वारा दाखिला संबंधी अपनायी जा रही नीतियां अखिल भारतीय स्वरूप बनाये रखने में सहायक नहीं हैं। जहां तक शिक्षकों का संबंध है, बनारस विश्वविद्यालय में 70 प्रतिशत तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 81 प्रतिशत स्टाफ उत्तर प्रदेश का है।

दिल्ली विश्वविद्यालय की एक विशेष स्थिति है। यहां के प्रवेश संबंधी नियमों के अनुसार इस विश्वविद्यालय के स्नातक छात्रों को ही स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिला मिलता है। शिक्षकों के बारे में स्थिति यह है कि 40 प्रतिशत अध्यापक दिल्ली के हैं तथा 82 प्रतिशत प्रोफेसर के पद तथा 77 प्रतिशत 'रीडर' के पद आंतरिक उम्मीदवारों द्वारा ही भरे जाते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि यह भी अपने आप में एक स्थानीय संस्था है। अतः दिल्ली भी एक अखिल भारतीय संस्था होने का दावा नहीं कर सकती।

विश्व भारती के बारे में अगर कम ही कहा जाये तो अच्छा होगा। यह विश्वविद्यालय परम्परागत विश्वविद्यालयों के आधार पर विकास करने का सक्रिय प्रयास कर रहा है। इस में 80 प्रतिशत विद्यार्थी पश्चिम बंगाल के हैं तथा 80 प्रतिशत शिक्षकगण पश्चिम बंगाल के हैं। मैं यह

कहना चाहूंगा कि गुरूदेव की आत्मा इस बात से दर्द से छटपटा रही होगी। वह इसे एक अखिल भारतीय संस्था बनाना चाहते थे।

यहां तक कि जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय को विद्यार्थियों की भर्ती अखिल भारतीय स्तर पर सुनिश्चित करने के लिए दाखिला सम्बन्धी अपनी नीति की पुनरीक्षा करनी होगी।

संक्षेप में, किसी भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय का अखिल भारतीय स्वरूप नहीं है। मैं प्रतिवेदन में से कुछ भी उद्धृत नहीं करूंगा क्योंकि समय बहुत कम है अन्यथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त समिति का प्रतिवेदन स्पष्ट ही है।

मैं माननीय शिक्षा मन्त्री से एक प्रश्न पूछता हूं कि नया विश्वविद्यालय—पांडिचेरी विश्वविद्यालय किस प्रकार का होगा। क्या यह स्थानीय अथवा प्रादेशिक संस्था होगी अथवा राष्ट्रीय महत्व की संस्था होगी और अगर यह राष्ट्रीय महत्व की संस्था होगी तो हम इसे स्थानीय बनने से बचाने के लिए क्या करेंगे ? मैंने विधेयक में दिये गये विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को देखा है तथा विधेयक के खण्ड 6 को भी देखा है जिसमें कि इसके साथ-साथ स्कूलों की स्थापना के बारे में उल्लेख है।

अब, जहां तक एकीकृत पाठ्यक्रमों एवं अन्तर विषय अध्ययनों का संबंध है, प्रत्येक नये विश्वविद्यालय में अधिनियमों को बनाने के लिए नई शब्दावली का प्रयोग किया जा रहा है। जिन लोगों को इन अधिनियमों का कार्यान्वयन करना पड़ता है उनके लिए नई शब्दावली का कोई अर्थ नहीं है। वे इसके प्रति जरा भी गंभीर नहीं हैं।

नये विश्वविद्यालय की एक और महत्वपूर्ण बात यह होगी कि इसमें फ्रेंच भाषा के अध्ययन के लिए विशेष प्रावधान होगा। अब निश्चित रूप से आपको फ्रेंच भाषा के अध्ययन की व्यवस्था करने के लिए एक विश्वविद्यालय स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है।

यह काम मद्रास विश्वविद्यालय को सौंपा जा सकता है। वास्तव में हमारे बहुत से विश्वविद्यालय फ्रेंच भाषा में डिप्लोमा पाठ्यक्रम चला रहे हैं। इन्हें सुदृढ़ किया जा सकता है।

खण्ड 6 में स्कूलों की स्थापना के बारे में बताया गया है। एक तमिल स्कूल है। तंजौर में पहले ही एक तमिल विश्वविद्यालय है। इसका एकमात्र उद्देश्य है तमिल भाषा तथा इसके साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देना है।

मैं उस विश्वविद्यालय के अधिनियम की प्रस्तावना को पढ़ूंगा। इसमें उसका स्पष्ट उल्लेख है।

> "तंजौर में तमिल विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन का उपबंध करने वाला अधिनियम जबकि यह आवश्यक हो कि एक सरल रूप से तमिल भाषा के लिए एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना चाहिए जिसकी एक शानदार और प्राचीन साहित्यिक तथा सांस्कृतिक परम्परा रही है और जिसका गद्य, काव्य, नाटक, नृत्य, मूर्तिकला, चित्रकला, चिकित्सा, दर्शन और अन्य सम्बद्ध क्षेत्रों में योगदान भारतीय विद्वानों द्वारा आज तक

[श्री हरद्वारी लाल]

आंके गए योगदान से अधिक व्यापक रहा है और जबकि तमिल भाषा में ज्ञान का प्रवर्धन और अनुसंधान कार्य जारी रखने के लिए एकात्मक और रिहायशी स्वरूप के विश्वविद्यालय की स्थापना वांछनीय है भारतीय गणतन्त्र के 33वें वर्ष में तमिलनाडु राज्य विधान-मण्डल द्वारा यह अधिनियम किया जाए ...।"

अब यह सम्पूर्ण विश्वविद्यालय तमिल भाषा के प्रसार में लगा है। दूसरा स्कूल, पूर्वी एवं पश्चिमी विचारण के अध्ययन के लिए होगा। सब कुछ एक षड्यन्त्र है। क्या अध्ययन होगा ? पूर्व और पश्चिम के धार्मिक और तत्व मीमांसा विचारों का अध्ययन किया जायेगा या प्राच्य और पाश्चात्य राजनैतिक विचारों का अध्ययन किया जायेगा। धार्मिक और तत्व मीमांसा के संबंध में जहां तक इसका पश्चिम से संबन्ध है अध्ययन करने की कोई जरूरत नहीं है।

जहां तक तुलनात्मक राजनैतिक विचारों का संबंध है, सभी विश्वविद्यालयों में इसके अध्ययन की व्यवस्था है। और इसका अध्ययन करने के लिये आपको नया विश्वविद्यालय खोलने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास अतिरिक्त धन है तो आप कुछेक विश्वविद्यालयों के राजनीति शास्त्र के विभागों को अधिक मजबूत बनायें जिन्हें इस विषय का उच्च अध्ययन करने के लिए चुना जा सकता है। कतिपय विषयों के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इसे पहले ही शुरू कर चुका है।

अध्ययन एवं छात्रवृत्तियों के सहायक वातावरण पैदा करने के बारे में जितना कम कहा जाये उतना ही अच्छा है। केन्द्रीय विश्वविद्यालय प्रतिभाओं को पैदा करने अथवा किसी भी राष्ट्रीय कार्य को करने की अपेक्षा उपद्रवों अध्यापकों पर हमलों, विद्यार्थियों को निष्कासित करने के मामलों के लिए प्रसिद्ध है। यह बात सभी लोग जानते हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की समिति के प्रतिवेदन के अनुसार केन्द्रीय विश्वविद्यालय लगातार संकट की स्थिति में है।

इसके बाद केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का न सिर्फ वित्त के ही मामले में परन्तु शैक्षिक मार्गदर्शन के बारे में भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ सम्बन्ध एक समस्या बनता जा रहा है। धनराशि देना सुनिश्चित करने के बाद, ये विश्वविद्यालय हठी होते जा रहे हैं। अनुदान आयोग द्वारा धन दिये जाने वाले एक नये विश्वविद्यालय की स्थापना करते समय इस बात पर विचार करना चाहिये था कि इस विश्वविद्यालय के साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका स्पष्ट रूप से बताई जायेगी। परन्तु विधेयक में ऐसी कोई परिभाषा नहीं है।

महोदय, मुझे संदेह है कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह ली गई है अथवा नहीं। कुलपतियों की नियुक्तियों का भी प्रश्न उठा है। इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। देश में उच्च शिक्षा की समस्या पर पूरे देश में विद्यमान स्थिति को देखते हुए विचार किया जाना चाहिए।

अब आप असम में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोलने जा रहे हैं; प्रधानमंत्री ने पहले ही उसका वायदा कर लिया है। कछार में एक पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय (एन० ई० एच० यू०) कैम्पस का भी वायदा किया गया है। आप एक खर्चीले मुक्त विश्वविद्यालय की भी स्थापना कर रहे हैं। हाल ही में शिक्षा मन्त्री ने विधेयक का संचालन किया है। आप कलकत्ता विश्वविद्यालय के अधिग्रहण करने की बात सोच रहे हैं। यह बात हम प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं। प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण करने की योजना है। आप चाहते हैं कि प्रत्येक वयस्क शिक्षित हो। मैं स्वयं भी प्रत्येक राज्य में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की वकालत करता हूं। परन्तु इन सब कार्यों के लिए धन कहां है? यही मुख्य मुद्दा है।

महोदय, कई कारणों से एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी है, हो सकता है कि इसमें कोई राष्ट्रीय हित है अथवा राजनैतिक औचित्य। इसे उसी तरह से स्पष्ट किया जाना चाहिए जैसा कि एन० ई० एच० यू० के मामले में स्पष्ट किया गया था। अगर यह एक क्षेत्रीय बात है तो यह ठीक है। परन्तु अगर यह एक राष्ट्रीय संस्था है तो हमें इसके बारे में बताया जाना चाहिए। बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रस्तावित विश्वविद्यालय से कोई राष्ट्रीय कार्य नहीं होता है तो क्या यह वित्त मंत्री का मामला है कि राजनैतिक औचित्य, अथवा "एक संघ राज्य क्षेत्र की आवश्यकता" को देखते हुए पांडिचेरी में विश्वविद्यालय स्थापित करने की जरूरत है? इस प्रश्न के बाद मैं अपना आसन ग्रहण करता हूं।

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : सभापति महोदय, पांडिचेरी में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने की आवश्यकता बहुत समय से महसूस की जा रही थी। मैं इस विधेयक का पूरे दिल से स्वागत करता हूं। मैं इस बात का भी उल्लेख करूंगा कि विन्ध्याचल के दक्षिण में यह अपनी किस्म का पहला विश्वविद्यालय है। महोदय, भारत में कहीं भी कोई विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने का स्वागत है।

स्कूलों में पढ़ने वाले हमारे ऐसे बच्चों का प्रतिशत बहुत कम है जो उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं। और इस छोटी-सी संख्या के लिए भी हमारे पास उच्चतर शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधायें नहीं हैं।

हमारे शैक्षिक समुदाय एक गंभीर चर्चा चल रही है कि किस प्रकार से हमारे विद्या केन्द्रों तथा विश्वविद्यालयों को कार्य करना चाहिए।

मैं इस बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इस विधेयक में इसका उल्लेख नहीं है कि विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति तथा विश्वविद्यालय के निर्वाचित निकायों, अर्थात्, कार्यकारी परिषद्, शिक्षा परिषद् तथा ऐसे महत्वपूर्ण निकायों, की स्थापना कैसे की जायेगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से देश में उच्चतर शिक्षा को नियन्त्रित करने की अपेक्षा की जाती है। इसके महत्वपूर्ण अधिकारियों का नियमित रूप से यह विचार रहा है कि 'विश्वविद्यालयों में किसी निर्वाचित निकाय तथा निर्वाचित शिक्षा परिषद् या किसी भी प्रकार के निर्वाचित निकाय की कोई जरूरत नहीं है'। अब

[श्री सुरेश कुरूप]

जो तर्क वे सामने रखते हैं वह यह है कि ये सभी निर्वाचित निकाय विश्वविद्यालयों को राजनैतिक रूप देते हैं, जैसे कि एक मनोनीत निकाय बिना किसी राजनैतिक प्रभाव के कार्य करेगा।

5.00 म०प०

मुझे नहीं मालूम कि राजनीति के बारे में उनकी क्या धारणा है। हमारे राज्य में इस बात पर गर्व है कि नये विश्वविद्यालय के अतिरिक्त हमारे राज्य में विश्वविद्यालय बोर्ड है। हमारे राज्य में दोनों ही विश्वविद्यालय सिंडिकेट में छात्रों के प्रतिनिधित्व सहित लोकतांत्रिक रूप से कार्य कर रहे हैं। मेरे ख्याल से केरल में दो विश्वविद्यालय, त्रिवेन्द्रम विश्वविद्यालय और कालीकट विश्वविद्यालय ही केवल दो विश्वविद्यालय हैं जो विश्वविद्यालय के सर्वोच्च निकाय सिंडिकेट में, छात्रों को प्रतिनिधित्व देता है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : वे किस प्रकार से चल रहे हैं ?

श्री सुरेश कुरूप : वे इतने ही लोकतांत्रिक तरीके मे चल रहे हैं जितना कि देश का अन्य कोई विश्वविद्यालय।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : उनका कार्य निष्पादन कैसा है ?

श्री सुरेश कुरूप : उनका कार्य निष्पादन भी बहुत अच्छा है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यह बहुत ही बुरी बात है।

श्री सुरेश कुरूप : महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय को जो मैं बताना चाहता हूं वह यह है कि मंत्री जी को एक स्पष्ट आश्वासन देना चाहिए कि यह नया विश्वविद्यालय लोकतांत्रिक तरीके से कार्य करेगा और मैं उनसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के इन विचारों पर, कि छात्रों का निर्वाचित निकाय नहीं होना चाहिए, उनकी राय जानना चाहूंगा। इस अधिनियम में पहले ही यह उपबन्ध है कि छात्र संघ, आदि बनाए जाने चाहिए, यह कार्यकारी परिषद की इच्छा पर छोड़ दिया जाए। इसमें भी मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि छात्रों का संघ बनाया जाना चाहिए और इसे एक निर्वाचित निकाय होना चाहिए। छात्रों, शैक्षिक समुदाय तथा देश के अन्य सभी लोकतांत्रिक वर्गों के कारण मैं मंत्री महोदय को आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रस्तावित विश्वविद्यालय में लोकतांत्रिक रूप से काम करने वाले निकाय होने चाहिए और यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसका मैं जिक्र करना चाहता था।

दूसरी बात विश्वविद्यालय के नाम के सम्बन्ध में है। महोदय, इस विश्वविद्यालय को स्थापित करने का विचार 1972 में आया था जब श्री अरविंद की जन्म शताब्दी मनाई गई थी। सामान्य तौर पर लोगों का यह ख्याल था कि अगर पांडिचेरी में एक नया विश्वविद्यालय खोला जाता है तो यह श्री

अरविंद के नाम पर होगा, और जैसा कि आप जानते हैं, महान देशभक्त सुब्रह्मणयम भारती का नाम भी पांडिचेरी से जुड़ा हुआ है। अतः सरकार इस विश्वविद्यालय का नाम श्री अरविंद-भारती क्यों नहीं रख देती?··· (व्यवधान) लोगों की यह धारणा नहीं होनी चाहिए कि आजादी की लड़ाई देश में सिर्फ एक परिवार ने ही लड़ी थी। सभी स्वतन्त्रता सेनानियों को, जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन तथा खून दिया, समुचित सम्मान दिया जाना चाहिए और यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि हमारे देश के सभी देशभक्त यह आशा करते हैं कि जब पांडिचेरी में जो वह स्थान है जहां श्री अरविंद तथा सुब्रह्मणयम भारती रहते थे, एक नया विश्वविद्यालय शुरू किया जाना है, तो उसका नाम उन्हीं के नाम पर रखा जाना चाहिए। इसलिए, मैं, मन्त्री जी को सुझाव दूंगा कि नये विश्वविद्यालय का नाम श्री अरविंद-भारती विश्वविद्यालय रखा जाना चाहिए।

श्री एन० जी० रंगा (गुंटूर) : क्यों न यह बात उन्हीं के सिंडिकेट पर छोड़ दी जाए ?

श्री सुरेश कुरूप : वे नहीं कर सकते। यह सम्मानित सभा यह कार्य क्यों नहीं कर सकेगी ? हमें रास्ता दिखाना चाहिए।

दो या तीन छोटी बातें, जिनका मैं यहां उल्लेख करना चाहता हूं ये हैं कि माहे में इस नए विश्वविद्यालय का अध्यापन केन्द्र खोला जाना चाहिए, ताकि केरल के लोग इसका लाभ उठा सकें। कालीकट विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र माहे में शुरू किये जाने वाले केन्द्र में आसानी से आ सकते हैं।

दूसरा सुझाव यह है कि इसमें सभी दक्षिण भारतीय भाषाओं में, अर्थात् तेलगु, तमिल, मलयालम तथा सभी अन्य दक्षिण भारतीय भाषाओं में उच्च अध्ययन की सुविधा होनी चाहिए। उचित सुविधाएं सुलभ होनी चाहिए······

एक माननीय सदस्य : कन्नड़

श्री सुरेश कुरूप : कन्नड़ में भी उच्च अध्ययन की समुचित सुविधा होनी चाहिए।

एक और सुझाव यह है कि यह कहा गया है कि स्नातकोत्तर के बाद ही केवल अध्यापन सुविधायें उपलब्ध होंगी, अध्यापन की सुविधायें स्नातक के बाद उपलब्ध होनी चाहिए। यह मेरा सुझाव है।

मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री इन सभी महत्वपूर्ण सुझावों पर विचार करेंगे। धन्यवाद !

***श्री पी० षण्मुगम (पांडिचेरी)** : सभापति महोदय, मैं पांडिचेरी विश्वविद्यालय विधेयक, 1985 का स्वागत करता हूं।

संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने की आवश्यकता बहुत समय से महसूस की जा रही है। ऐसे विश्वविद्यालय को पांडिचेरी में स्थापित करने का निर्णय

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री पी० वण्मुख]

1974 में लिया गया था। सरकार ने इस निर्णय को क्रियान्वित करने में 11 वर्ष लगा दिये हैं। यद्यपि इसमें बहुत देरी की गई है फिर भी संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी के छात्र समुदाय ने भारत सरकार के इस कदम का खुले रूप से स्वागत किया है।

पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र से चुने गये सदस्य के नाते मैं छात्र समुदाय की समस्याओं को जानता हूं। संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी तीन राज्यों तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश तथा केरल तक फैला हुआ है। छात्रों को मद्रास विश्वविद्यालय, कालीकट विश्वविद्यालय तथा आंध्र विश्वविद्यालय, वालटेयर में प्रवेश लेना पड़ता है। छात्रों को केरल, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश के इन स्थानों में जाना पड़ता है। उन्हें अपनी शिक्षा पर बहुत व्यय करना पड़ता है। कई बार उन्हें इन विश्वविद्यालयों में प्रवेश भी नहीं मिलता है। अब पांडिचेरी में इस विश्वविद्यालय की स्थापना से उनकी समस्याओं का समाधान हो गया है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि पांडिचेरी केन्द्रीय विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों तक होगा। इन संघ राज्य क्षेत्रों के छात्रों ने भी इस विश्वविद्यालय में उन्हें सुविधायें प्रदान किए जाने के लिए शिक्षा मन्त्री के प्रति अपना आभार व्यक्त किया है। मैं शिक्षा मन्त्री को सूचित करना चाहता हूं कि पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र एक पिछड़ा क्षेत्र है जहां रोजगार के अवसर न के बराबर हैं। माननीय शिक्षा मन्त्री यह सुनिश्चित करें कि इस विश्वविद्यालय में रोजगार प्रधान पाठ्यक्रम आरम्भ किए जायें। केवल तभी छात्र इस विश्वविद्यालय से अधिकतम लाभ उठा सकेंगे।

5.07 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

1974 में गठित की गई एक समिति ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए दस साल में 8 करोड़ रुपये का अनावर्ती व्यय तथा पांच साल में 2.2 करोड़ रुपये का आवर्ती व्यय होने का अनुमान लगाया था। अब 1985 का वर्ष चल रहा है। विधेयक में दस साल में 15 करोड़ रुपये का अनावर्ती व्यय और पांच साल में तीन करोड़ रुपये का आवर्ती व्यय किए जाने का उपबन्ध है। महोदय, 1974 की तुलना में 1985 में मूल्यों में छः गुना से भी अधिक वृद्धि हुई है। स्वाभाविक है कि किया गया प्रावधान बहुत ही कम है। मैं यह कह सकता हूं कि इस धनराशि का प्रावधान करते समय बढ़ती हुई कीमतों की वास्तविक स्थिति पर ध्यान नहीं दिया गया है। इसके बारे में मुझे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारे शिक्षा मन्त्री एक बुद्धिमान तथा योग्य मन्त्री हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वह दस वर्ष में 30 करोड़ रुपये का अनावर्ती व्यय और पांच वर्ष में 5 करोड़ रुपये का आवर्ती व्यय का प्रावधान करें। मैं यह सुझाव इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इस विश्वविद्यालय की स्थापना में धन की कमी बाधक नहीं बननी चाहिए। पहले ही इसकी स्थापना में 11 वर्षों की देरी हो चुकी है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा व्यय अपने योजना आबंटन से किया जायेगा। इसका

अर्थ है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अपने सातवीं पंचवर्षीय योजना आबंटन से धनराशि उपलब्ध करायेगा, क्योंकि छठी पंचवर्षीय योजना पहले ही समाप्त हो चुकी है। सातवीं पंचवर्षीय योजना को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अभी तक स्वीकृत नहीं किया गया है। दूसरे शब्दों में, पांडिचेरी विश्वविद्यालय के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा धनराशि देने में देरी होने की संभावना है। इस अवसर पर मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के छात्र अब और अधिक समय तक इन्तजार नहीं करेंगे। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तुरंत कुछ तदर्थ धनराशि इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए आबंटित करे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा केन्द्रीय सरकार को पांडिचेरी में इस केन्द्रीय विश्वविद्यालय के लिए अग्रिम योजनागत सहायता देनी चाहिए। केवल तभी और देरी को रोका जा सकता है। मुझे विश्वास है कि माननीय शिक्षा मन्त्री इस पर विचार करके आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं यह भी सुझाव दूंगा कि पांडिचेरी विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर अध्यापन में सभी दक्षिण भारतीय भाषाओं को सम्मानजनक स्थान दिया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का एक बार फिर स्वागत करते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री शांताराम नायक (पणजी) : महोदय, एक ही नमूने पर देश में बहुत से विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है। मेरा सुझाव है कि कम से कम भविष्य में प्रत्येक विश्वविद्यालय को एक दूसरे से भिन्न होना चाहिए। अगर आप किसी भी विश्वविद्यालय के अधिनियम को देखें तो आप एक ही पद्धति पायेंगे, अर्थात् कुलाधिपति, कुलपति, कुलाध्यक्ष, संविधि, अध्यादेश, नियम तथा विनियमन। यह एक सामान्य पद्धति है।

उपाध्यक्ष महोदय : कल हमने मुक्त विश्वविद्यालय के बारे में चर्चा की थी। उसमें कोई कुलाधिपति नहीं है। उसमें केवल कुलपति है।

श्री शांताराम नायक : कुलाध्यक्षों के अतिरिक्त यही पद्धति कुछ विश्वविद्यालयों में रखी गई है। मैं अपने ही अनुभव से बोल रहा हूं। हमने हाल ही में मुश्किल से तीन माह पूर्व गोवा में एक विश्वविद्यालय खोला है। प्रारम्भ में हमें अनुदान प्राप्त नहीं होता है। हम किसी भी परिसर में विश्वविद्यालय खोल देते हैं। गोवा विश्वविद्यालय को मेडिकल कालिज (कम्पलेक्स) के एक छोटे परिसर में खोल दिया गया है। वहां पर हमें कुछ कमरे मिल सकें और कुलपति तथा एक अभियन्ता की नियुक्ति करके इस नाममात्र स्टाफ से इसे खोल दिया गया है। जिस दिन यह विश्वविद्यालय खोला गया था उस समय सारे विश्वविद्यालय में स्टाफ के नाम पर केवल एक कुलपति और उस प्रस्तावित भवन का प्रभारी, एक अभियन्ता था, और वे दोनों ही मेडिकल कालिज के कम्पलेक्स में घूम रहे थे। उनसे ही विश्वविद्यालय का गठन हुआ। जब कुछ छात्रों ने पाठ्यक्रम, आदि के बारे में पूछताछ करनी चाही तो उन्हें कुछ भी बताने के लिए वहां कोई नहीं था। जैसा कि मेरे मित्र श्री षण्मुख ने बताया है, यदि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कुछ अग्रिम अनुदान दे तो, इस समस्या को हल किया जा सकता

[श्री शांताराम नायक]

है। (व्यवधान) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों में यह उल्लेख है "हमें भवन और बैंक खाते में 2 करोड़ रुपये दिखाइये, केवल तभी हम आपको धन देंगे।" शुरू में तो विश्वविद्यालय आयोग हमें सहायता देता ही नहीं है। इसीलिए मैं अपने साथी द्वारा दिये गए इस सुझाव से सहमत हूं कि प्रारम्भ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कुछ अनुदान दिया जाना चाहिए।

फिर यह भी है कि जो विश्वविद्यालय हम स्थापित करते हैं, वे विशिष्ट होने चाहिए। गोवा में हमारा विशिष्ट विश्वविद्यालय है। गोवा विश्वविद्यालय में पर्यावरण, समुद्री विज्ञान और सम्बद्ध विषय शुरू किए जाने वाले हैं। इसी प्रकार आपको उन विषयों के इस पहलू पर भी ध्यान देना होगा जो कि पांडिचेरी के लिए उपयुक्त हैं। अतः, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य सम्बन्धित प्राधिकरणों को विषयों पर विशेष बल देना होगा।

दूसरे, हर कहीं संविधि की वही पद्धति नहीं अपनाई जानी चाहिए। यहां तक कि केन्द्रीय अधिनियम में और अन्य अधिनियमों में, हमारे यहां अधिनियम, नियम आदि हैं। विश्वविद्यालय जैसी संस्था में, आपके पास अनेक प्रकार के नियम होते हैं। अधिनियम है, कुछ नियम हैं, और फिर आपके पास अध्यादेश हैं और उसके बाद संविधियां हैं। ये आन्तरिक विधान परस्पर व्यापी होते हैं और इसलिए संघर्ष की सम्भावना होती है। अधिकांश समय संविधियां और अध्यादेश एक-दूसरे का विरोध करते हैं। एक अध्यादेश का अस्थायी होना चाहिए। परन्तु उसके अधीन कौन-कौन सी मदें आती हैं? शैक्षिक हित के पर्याप्त प्रश्न अध्यादेशों के अधीन आते हैं। आओ, हम इन मदों को देखें। छात्रों का प्रवेश—यह तो ठीक है। उसके बाद, उपाधियों, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्रों आदि के अध्ययन पाठ्यक्रम निर्धारित करना, शिक्षा का माध्यम और परीक्षा का माध्यम, उपाधियां प्रदान करना, शुल्क प्राप्ति, शिक्षा वृत्ति प्रदान करने की शर्तें, परीक्षा लेना, तथा परीक्षा निकायों, परीक्षकों के कार्यकाल और नियुक्ति तथा उनके कार्य, विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास की शर्तों आदि, आदि सहित ये सब बातें कार्यकारी परिषद द्वारा बनाई जाने वाली एक पर्याप्त संविधि के अधीन लानी पड़ेंगी। इनबातों को 'अध्यादेशों' के लिए नहीं छोड़ा जा सकेगा। इस अधिनियम के अतिरिक्त केवल एक सहायक विधान होना चाहिए। आप इसे कुछ भी कहिए। परन्तु अध्यादेशों, विनियमों नियमों आदि जैसी चार चीजें न होकर केवल एक विधान होना चाहिए।

और फिर मेरा यह कहना है कि आपको बाहर भी आवश्यक वातावरण पैदा करना होगा। थोड़ी देर पहले, हमने स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ विधेयक पर चर्चा की थी। यदि विश्वविद्यालयों को स्वच्छ रखना है तो प्राधिकारियों की अनुशासनात्मक शक्तियों को संशोधित करना पड़ेगा। जब तक उन्हें कुछ कठोर दण्ड का प्रावधान करके सशक्त नहीं बनाया जाता है तब तक निस्सन्देह उन्हें सभी प्रकार के अवसर प्रदान करके —विश्वविद्यालय परिसर में स्वच्छ वातावरण पैदा नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ परिसर के बाहर उनकी गतिविधियों को नियन्त्रित करने के लिए सरकार को सशक्त विधान भी तैयार करना चाहिए। यदि सरकार सशक्त विधानों द्वारा परिसर के बाहर की छात्र-गतिविधियों पर नियंत्रण रखती है तो फिर परिसर के अन्दर वातावरण स्वच्छ रहेगा।

अतः, मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि—अन्त में मैंने एक संशोधन दिया है वह तब आएगा जब कि हम इसे खण्ड वार स्वीकार करेंगे। हम संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी की जनता के लिए एक विश्व-विद्यालय स्थापित कर रहे हैं। जब हम पांडिचेरी के लिए एक विश्वविद्यालय स्थापित करने जा रहे हैं तो पांडिचेरी की जनता के प्रति हमारे कुछ कर्त्तव्य भी हैं। प्रवेश पांडिचेरी के सभी लोगों के लिए खुला है। संगत खण्ड में, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और कमजोर वर्गों के लिए कुछ आरक्षणों का प्रावधान किया जाता है जो कि उसमें हो सकता है। परन्तु क्या स्वयं पांडिचेरी के छात्रों के लिए कुछ आरक्षण या कुछ कोटा निर्धारित नहीं किया जा सकता है ? यदि अन्य विश्वविद्यालयों के लोग भी वहां जाने लगेंगे तो छात्रों के भाग्य का क्या होगा ? तब क्या होगा जब हर कहीं से लोग पांडिचेरी जाने के लिए आवेदन करने लगेंगे। जब हम पांडिचेरी की जनता के लिए एक विश्वविद्यालय स्थापित करने जा रहे हैं तो पांडिचेरी की जनता के छोटे से वर्ग के लिए कुछ न कुछ आरक्षण होना ही चाहिए। यह चाहे 40 प्रतिशत या 50 प्रतिशत जो भी हो, परन्तु कुछ न कुछ कोटा तो होना ही चाहिए।

मैंने एक संशोधन पेश किया है और मैं आशा करता हूं कि आप उसे स्वीकार करेंगे।

श्री वी०एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। महोदय, यह बहुत पहले लाया जाना चाहिए था और इसकी 1971 से प्रतीक्षा की जा रही है जबकि महान सन्त श्री अरविन्द की जन्म शदाब्दी थी।

इस सम्बन्ध में मैं कुछेक सुझाव देना चाहूंगा। जब कोई नया विश्वविद्यालय खोला जाता है तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को उसको अनुदान अवश्य देना चाहिए। क्योंकि वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत राज्यों को कितने भी विश्वविद्यालय खोलने की शक्तियां प्राप्त हैं। वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान मिलने की प्रत्याशा में विश्वविद्यालय खोल बैठते हैं, परन्तु दुर्भाग्य से ऐसा कई मामलों में हो चुका है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनिश्चित काल तक अनुदान नहीं दे सका। उदाहरणार्थ हमारे अपने राज्य कर्नाटक में, गुलबर्गा और मंगलौर इन दो विश्वविद्यालयों के लिए, जो कि पांच वर्ष पूर्व खोले गये थे, आज तक एक भी पाई नहीं दी गई है। राज्य सरकार इन विश्वविद्यालयों पर लगभग 16 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है। अतः, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से स्वीकृति मिले बिना तब तक कोई विश्वविद्यालय नहीं खोला जाना चाहिए, जब तक कि आप इस बारे में आश्वस्त नहीं हो जाते हैं, अन्यथा उनका भी वही हाल होगा जो गुलबर्गा और मंगलौर विश्व-विद्यालयों का हुआ। निस्सन्देह, मुझे प्रसन्नता है कि शिक्षा मन्त्री महोदय और हमारे राज्य शिक्षा मंत्री महोदय ने मामले को हल कर लिया है और दोनों विश्वविद्यालयों को शीघ्र ही मान्यता प्रदान कर दी जायेगी।

अतः, महोदय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रारम्भ से ही विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता देनी चाहिए। जिस पांडिचेरी विश्वविद्यालय पर हम अब चर्चा कर रहे हैं, वह एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय है। मुझे प्रसन्नता है कि यह स्नातकोत्तर शिक्षा प्रदान करने पर बल देगा और स्नातक पूर्व के पाठ्यक्रमों को सम्बद्ध महा-विद्यालयों पर छोड़ देगा—जो कि बहुत आवश्यक है।

[श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर]

एक अन्य मुद्दा यह है कि 'फ्रेन्च' पाठ्यक्रमों के विशेष अध्ययन की भी यहां पर व्यवस्था की जाये। जैसा कि आप जानते हैं पांडिचेरी की अपनी अलग संस्कृति है। एक अन्य विशेषता यह है कि महान सन्त श्री अरविन्द की स्मृति को बनाए रखने हेतु प्राच्य एवं पश्चिम विचार धारा के लिए एक विभाग और तमिल, सन्त महान सुब्रह्मण्यम भारती के नाम पर तमिल भाषा के विकासार्थ एक अन्य विभाग खोला जा रहा है। इस सम्बन्ध में मैं अपने माननीय साथी श्री सुरेश कुरूप द्वारा व्यक्त किए गए विचार का समर्थन करता हूं कि यह बिल्कुल सही होगा कि एक विश्वविद्यालय का नाम इन दो महान व्यक्तियों के नाम पर रखा जाए जिन्होंने न केवल शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दिया, बल्कि उन्होंने हमारे देश की स्वतन्त्रता के लिए भी भारी योगदान किया है। उन्होंने उन दिनों हमारे देश में स्वतन्त्रता आन्दोलन को प्रोत्साहन दिया, अतः, यह बिल्कुल उचित है।

कुछ ही समय पहले मन्त्री महोदय ने महान अरबिन्द की महती प्रशंसा की। मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय अपना उत्तर देते समय यह स्पष्ट करें कि क्या यह विधेयक शिक्षा प्रतिवेदन के माध्यम से घोषित की गई नई शिक्षा नीति के अनुरूप है जिसे राष्ट्रीय वाद-विवाद के लिए खुला रखा जा रहा है।

मुझे प्रसन्नता है कि जब मैं उस दिन अपने निर्वाचन क्षेत्र में गया तो वहां के शिक्षाविद् बहुत प्रसन्न थे कि शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन लाया जा रहा है। उन्होंने शिक्षा पर उस विस्तृत प्रतिवेदन की प्रतियों की मांग की, जिसे जनता को उपलब्ध करा दिया गया है। परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि यह सदस्यों को भी उपलब्ध नहीं है। अतः, मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह इसे उपलब्ध कराएं।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : आप सभी इसे प्राप्त करेंगे।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : हम देखते हैं कि उपाधियों को नौकरियों से अलग करके और उपाधि (डिग्री) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ज्ञान परीक्षा लागू करके, शिक्षा के क्षेत्र में एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया गया है जिसमें जोर व्यावसायिक शिक्षा पर रहेगा। इस सबको वास्तव में प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। लोगों ने इसका स्वागत किया है। मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या इस मामले में भारत सरकार के नवीनतम उद्देश्यों में यह विधेयक सही उतरता है।

मेरा यह कहना है केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को राज्य विश्वविद्यालयों के लिए एक आदर्श होना चाहिए। मुझे यह कहते हुए दुःख हो रहा है कि ऐसा हो नहीं रहा है। बहुत से केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थिति अनेक राज्य विश्वविद्यालयों से भी खराब है। यह अत्यन्त आवश्यक है कि उन्हें अन्य विश्वविद्यालयों के लिए आदर्श होना चाहिए। और फिर आपको इस विश्वविद्यालय की स्वतन्त्रता हर कीमत पर बनाए रखना चाहिए। विश्वविद्यालय के कार्यकरण का मूलसार विश्वविद्यालय को प्रदान की गई स्वायतता में निहित है। सरकार को विश्वविद्यालय के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

इस विधेयक में, मैंने देखा है कि (विजिटर) और कुलपति के मध्य में एक और पद की व्यवस्था है अर्थात् कुलाधिपति। राज्य विश्वविद्यालयों में हमने यह प्रक्रिया नहीं अपनाई है। विधेयक में आपने उल्लेख किया है कि कुलाधिपति दीक्षान्त-समारोह की अध्यक्षता करेगा। कुलाधिपति की क्या शक्तियां हैं। आपको एक और पद क्यों चाहिये ? क्योंकि जब 'विजिटर' है तो उसकी आवश्यकता ही नहीं है। विजिटर दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता कर सकता है। समस्त कार्यकारी शक्ति कुलपति के पास है। मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि इसको स्पष्ट करें।

हमारे राज्य और अन्य राज्यों में विश्वविद्यालय के सभी निकाय निर्वाचित निकाय हैं। परन्तु यहां पर यह कहा गया है कि इन विश्वविद्यालय निकायों के सदस्यों के चयन के तरीके के बारे में परिनियम निर्णय करेंगे। अधिकांश सदस्य निर्वाचित सदस्य होने चाहिये। मैंने देखा है कि एक निकाय अर्थात् योजना निकाय में, शिक्षा परिषद के सदस्यों में से ही छः सदस्यों को कुलपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जाना है। यह गलत है। इसे शिक्षा परिषद पर छोड़ दिया जाना चाहिये। नामनिर्दिष्ट की कतई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। नामनिर्दिष्ट की व्यवस्था विश्वविद्यालयों में कम से कम होनी चाहिये।

जहां तक अध्यादेशों की बात है, प्रथम अध्यादेश कुलपति की सिफारिश पर केन्द्र सरकार जारी करेगी। प्रथम अध्यादेश को केन्द्रीय सरकार की बजाय 'विजिटर' द्वारा स्वीकृत किया जाना चाहिये। आपको सरकार को बीच में नहीं लाना चाहिये। मैं जानता हूं कि सरकार ही धन देती है, परन्तु सरकार को विश्वविद्यालय के कार्यों में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिये।

महोदय, आज विश्वविद्यालयों में अनुशासन बनाये रखना महत्वपूर्ण है। हम पाते हैं कि प्रत्येक विश्वविद्यालय में काफी अनुशासनहीनता है, जिसके कारणों का हमें पता लगाना चाहिये। हो सकता है इसका कारण हमारे नैतिक मूल्यों का ह्रास हो। महात्मा गांधी के समय हमने यहां तक राजनीति में भी नैतिकता और सिद्धान्तों को महत्व दिया था। दुर्भाग्य से आज हमारा राष्ट्रीय चरित्र बिलकुल गिर गया है। अतः राष्ट्रीय एकता और नैतिक मूल्यों पर आधारित शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये। इसके लिए आवश्यक उपबन्ध किया जाना चाहिये।

अतः इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत और इसकी प्रशंसा करता हूं। मुझे विश्वास है कि यह किसी अन्य विश्वविद्यालय के विधेयक की तरह नहीं होगा और प्रत्येक विश्वविद्यालय का एक विशेष स्वरूप होगा। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री मेरे सभी सुझावों को ध्यान में रखेंगे। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : उपाध्यक्ष जी, पांडिचेरी में केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोले जाने के बिल का मैं समर्थन करता हूं और स्वागत करता हूं।

इधर जब से वर्तमान सरकार आई है, यह देखने को मिला है कि शिक्षा मंत्रालय भी कुछ काम कर रहा है। शिक्षा मंत्री जी के कई बिल इस माननीय सदन में पास हुए हैं। इन्दिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी का बिल पास हुआ और पांडिचेरी में केन्द्रीय विश्वविद्यालय कायम करने का बिल पास होने जा रहा है। शिक्षा की नीति में आमूल परिवर्तन करने की बात भी सामने आई है और हम

[श्री जैनुल बशर]

यह आशा कर सकते हैं कि हमारे शिक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में शिक्षा में व्यापक सुधार होंगे।

उपाध्यक्ष जी; अभी कुछ साथी यह कह रहे थे कि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की हालत राज्य के विश्वविद्यालयों से भी खराब है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जैसा हम चाहते हैं, वैसे न हों लेकिन केन्द्रीय विश्वविद्यालय राज्यों के विश्वविद्यालयों से बहुत अच्छे हैं। आज भी जिस प्रकार से केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने की होड़ लगी हुई है, जिस प्रकार से देश के कोने-कोने से प्रतिभाशाली और अच्छे छात्र केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में, दिल्ली विश्वविद्यालय में, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए होड़ लगा रहे हैं, उससे निःसंदेह इस बात में कोई शंका नहीं है कि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में पढ़ाई का स्तर, डिस्सिपिलिन का स्तर राज्य के विश्वविद्यालयों से जरूर अच्छा है। हमारे देश में जब से आधुनिक शिक्षा कायम हुई है और जबसे विश्वविद्यालय बने हैं, तबसे हमारे देश के विश्वविद्यालयों का शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा हुआ करता था। यहां के कुछ विश्वविद्यालय सिर्फ अपने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मशहूर थे। उनमें कलकत्ता विश्वविद्यालय का नाम सामने आता है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नाम सामने आता है, मद्रास विश्वविद्यालय का नाम सामने आता है और बम्बई विश्वविद्यालय का नाम सामने आता है। ये सारे विश्वविद्यालय परम्परागत तरीके से हमारी आधुनिक शिक्षा के इतिहास से काफी जुड़े हुए हैं। बिना इन विश्वविद्यालयों की कल्पना के हम भारत में आधुनिक शिक्षा की बात सोच भी नहीं सकते लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि किन्हीं कारणों से इन महान् विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं दिया गया। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और राज्य सरकारों को इनकी जिम्मेदारी सौंप दी कि वे इन महान् विश्वविद्यालयों की देखरेख करें। राज्य सरकारें बहुत से विश्वविद्यालयों की देखरेख करती हैं। उनके लिए यह नामुमकिन है कि वे किसी विश्वविद्यालय को प्राथमिकता के आधार पर देखें और किसी विश्वविद्यालय को कम पैसा दें। यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन भी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की तो मदद करता है लेकिन राज्यों के विश्वविद्यालयों की आंशिक रूप से मदद करता है। ऐसी हालत में ये जो बड़े-बड़े महान् विश्वविद्यालय हम को विरासत में मिले हैं और जो हमारी राष्ट्रीय धरोहर हैं, उनमें आज शिक्षा का स्तर गिर रहा है, उनमें आज डिस्सिपिलिन गिर रहा है। कलकत्ता विश्वविद्यालय के बारे में हम रोजाना अखबारों में पढ़ते हैं कि वहां क्या हालत है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की भी यही हालत है। मद्रास विश्वविद्यालय कुछ अच्छा जरूर है लेकिन वह दिल्ली विश्वविद्यालय से बहुत अच्छा नहीं है। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि कलकत्ता, इलाहाबाद, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालयों को राष्ट्रीय महत्व का विश्वविद्यालय घोषित किया जाए और इन विश्वविद्यालय को भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाए।

मैंने इस बिल पर केवल इसलिए बोलना मुनासिब समझा कि कोई और बात कहने के अलावा मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि जो हमारे राष्ट्र की धरोहर है और जिन विश्वविद्यालयों के साथ आधुनिक शिक्षा का नाम जुड़ा हुआ है, उन विश्वविद्यालयों का आप स्तर गिरने मत दीजिए। ये वे विश्वविद्यालय हैं जिन्होंने भारत के प्रत्येक वाक आफ लाइफ में, चाहे वह राजनीति हो, चाहे वह समाज

सेवा हो, चाहे वह प्रशासन हो; चाहे वह एजूकेशन हो, सभी वाक्स आफ लाइफ में महान् भारतीयों को जन्म दिया है। बड़े बड़े भारतीय, बड़े बड़े विद्वान बड़े बड़े वैज्ञानिक बड़े बड़े प्रशासक इन्हीं विश्व-विद्यालय की देन है। इन्हीं विश्वविद्यालयों ने उन्हें महानता प्रदान की। आज बीसवीं शताब्दी का भारत इन विश्वविद्यालयों की देन महान् विभूतियों पर गर्व कर सकता है।

लेकिन आज दुःख की बात है कि ये विश्वविद्यालय पैसे की कमी के कारण, ठीक से मदद न मिलने के कारण, सरकार की उपेक्षा के कारण आज नीचे जा रहे हैं। इसलिए मैं आज इस अवसर का उपयोग करते हुए, जितना भी मेरे अन्दर बल है, नैतिक शक्ति है, उससे कहना चाहता हूं कि शिक्षा मंत्री जी जल्दी ही कोई ऐसा बिल लाएं जिससे कलकत्ता विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बम्बई विश्वविद्यालय और मद्रास विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय घोषित करें जिससे कि ये विश्वविद्यालय आगे जा सकें।

एक माननीय सदस्य : आपने पटना विश्वविद्यालय को क्यों छोड़ दिया ?

श्री जैनुल बशर : ये विश्वविद्यालय तो भारत की धरोहर है अगर आप पटना विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो और सारे विश्वविद्यालयों को क्यों नहीं लेते ? (व्यवधान) मैं अपने सी० पी० एम० के दोस्तों से भी कहना चाहता हूं कि कलकत्ता विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनने दीजिए। इसमें राजनीति मत लाइये। इस विश्वविद्यालय ने बंगाल को जीवन-दान दिया है। आपके बंगाल को महान् विभूतियां कलकत्ता विश्वविद्यालय ने दी है। कलकत्ता विश्वविद्यालय ने डा० राधाकृष्णन्, डा० राजेन्द्र प्रसाद को पैदा किया था। मैं कहां तक नाम गिनाऊं जिनको कि इस विश्वविद्यालय ने जन्म दिया। ये जो महान् विश्वविद्यालय हैं ये हमारे देश की धरोहर हैं। इनको राज्यों के हाथों में नहीं सौंपा जाना चाहिए। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि कलकत्ता, मद्रास, बम्बई और इलाहाबाद विश्व-विद्यालयों, को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाये जाने का बिल लाइये मैं समझता हूं कि इस देश के सारे लोग इसका स्वागत करेंगे और हमारे देश में आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार अच्छे प्रकार से होगा और वह ठीक प्रकार से आगे बढ़ती रहेगी। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री ए० ई० टी० बैरो (नामनिर्देशित आंग्ल-भारतीय) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो कुछ कह रहा हूं वह यह है कि मैं इस विधेयक के पेश करने के विरुद्ध नहीं हूं, क्योंकि पूर्वस्नातकों की संख्या, विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने वालों की संख्या बढ़ रही है और हमारे इन इरादों के बावजूद कि रोज-गार के साथ डिग्री का संबंध हटाया जाए। यह स्थिति कई वर्षों तक जारी रहेगी।

लेकिन मुझे बड़ी निराशा है कि पहले के अधिनियमों में से नकल करके यह एक और घिसा-पिटा विधेयक है और यह सुनिश्चित करने के लिए इसमें कोई उपबन्ध शामिल नहीं किये गए हैं कि हम अधिकाधिक संख्या में घटिया स्नातक तैयार नहीं करेंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए भी कोई उपबन्ध नहीं किया गया है कि शिक्षा के स्तर में कोई गिरावट नहीं आएगी।

प्रधानमंत्री जी ने असम में दूसरा केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है।

[श्री ए० ई० टी० बैरो]

मैं समझता हूं कि अन्य विश्वविद्यालय अधिनियमों में कमियां देखने और एक आदर्श विधेयक लाने का मंत्री जी के लिए यह उचित समय है ताकि अन्य अधिनियमों में संशोधन किया जा सके और कमियों को दूर किया जा सके।

मन्त्री जी के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के उद्देश्यों और लक्ष्यों पर विचार करने और इन उद्देश्यों और लक्ष्यों को एक नई दिशा देने का भी समय था। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के मूल उद्देश्य का प्रभाव अखिल भारतीय स्तर पर प्रवेश, नियुक्तियों और उनके पाठ्यक्रमों के स्वरूप पर पड़ना था। केन्द्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश के मामले में असफल रहे हैं। मुझे कतई संदेह नहीं है कि अन्य क्षेत्रों में इन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को खोलते समय इस बात का ध्यान रखा जाएगा, ताकि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में स्थानीय लोगों को प्रवेश दिया जा सके। लेकिन पाठ्यक्रमों के मामले में कहीं भी एक समानता नहीं है और स्तर के मामले में यह एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय से भिन्न है।

नई दिशा ऐसी होनी चाहिए कि इस प्रकार के केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थानीय लोगों के प्रवेश पर ध्यान देंगी। परन्तु ऐसा करते समय केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अखिल भारतीय स्तर पर अपने कर्मचारियों को भर्ती करना चाहिए और इसमें केवल पहली डिग्री के स्तर तक के लोग होने चाहिएं न कि शोध तथा स्नात्तकोत्तर के स्तर के। हमारे सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में एक समान पाठ्यक्रम होने चाहिए। परीक्षाओं में भी एक समान स्तर होना चाहिए। एक समान पाठ्यक्रम और एक समान उच्च स्तर, इन दोनों से हमारे केन्द्रीय विश्वविद्यालय उन क्षेत्रों में जहां वे स्थित हैं, आदर्श विश्वविद्यालय बनेंगे। हमारा यह उद्देश्य होना चाहिए कि जिन क्षेत्रों में ये स्थित हैं वहां ये विश्वविद्यालय आदर्श विश्वविद्यालय होंगे।

मैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और इन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के बीच सम्बन्धों पर इस अधिनियम और अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में चूक होने के बारे में अपना ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस अधिनियम में इस संबंध के बारे में तो बताया गया है और न ही इसे स्पष्ट किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम में यह साफ बताया गया है कि विश्वविद्यालय की शिक्षा और अनुसंधान के स्तर के निर्धारण, इसके बनाए रखने और इसमें सुधार लाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिम्मेदार है। अब कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि विश्वविद्यालय स्वायत्तशासी हैं। वे शिक्षा के मामलों में विनियमों के अधीन नहीं होते हैं। इसे अधिनियम में स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए और इसलिए मैंने एक संशोधन पेश किया है जिसमें मैंने पूछा है कि एक विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम निर्धारित करने से पहले उनके सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सहमति अवश्य ली जानी चाहिए और इस तरह से हम सुनिश्चित करेंगे कि हमारे केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में एक समान पाठ्यक्रम हों। मैं इसे स्पष्ट करना चाहता हूं कि विश्वविद्यालयों में किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को नियन्त्रण करने और अपने शैक्षिक कार्य को विनियमित करने के लिए कानूनी अधिकार हो और उसे नियंत्रण करने तथा

अपने कर्मचारियों की अर्हता को निर्धारित करने का अधिकार हो।

जैसा कि मैं यह देखता हूं कि विश्वविद्यालयों में अकुशल ढंग से शिक्षा देने के कारण हमारे स्तर में इस समय गिरावट आई है। मैं समझता हूं कि इसका कारण यह है कि किसी समय पुरानी इंडियन सिविल सर्विस में जाने की कोशिश करने के बाद विश्वविद्यालय छोड़ने के बाद लोग पढ़ने के लिए विश्वविद्यालय में जाते थे परन्तु अब वे उद्योग के लिए वाणिज्य, इंजीनियरी और चिकित्सा में जाते हैं तथा अन्त में शिक्षा व्यवसाय की ओर आते हैं। लेकिन महोदय मेरा विश्वास है कि शिक्षा व्यवसाय में घटिया किस्म के लोगों के होने पर भी और उनकी अच्छी तरह न पढ़ाने की इच्छा होने पर भी हम अभी भी अपने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में एक समानता ला सकते हैं और यहां मैं माननीय मन्त्री से पूछना चाहता हूं कि वह इस मामले में मेरे विचारों पर ध्यान दें। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की जांच के लिए हमारे पास एक केन्द्रीय निकाय होना चाहिए। हमारे सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की प्रथम डिग्री स्तर की परीक्षाएं आयोजित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अन्तर्गत एक केन्द्रीय निकाय होना चाहिए ताकि हम प्रत्येक क्षेत्र में उच्च और समान स्तर के लोग तैयार कर सकें। यह केवल केन्द्रीय परीक्षा निकाय द्वारा ही किया जा सकता है। इस समय दिल्ली विश्वविद्यालय को अपनी सभी परीक्षाओं को लेने में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। परीक्षाओं में एक समानता नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष के अन्त में परीक्षा लेती है। अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालय इस पद्धति को नहीं अपनाते हैं। यदि हमारे पास एक परीक्षा निकाय हो जो प्रत्येक वर्ष के अन्त में समान रूप से परीक्षा ले तो मैं समझता हूं कि हम एकरूपता बना सकेंगे। इसे प्रथम डिग्री स्तर पर किया जाना चाहिए। जहां तक स्नातकोत्तर तथा अनुसंधान कार्य का संबन्ध है प्रत्येक विश्वविद्यालय को अपने कार्यक्रमों पर चलाना चाहिए। लेकिन मानविकी, अर्थशास्त्र, वाणिज्य और विज्ञान में प्रथम डिग्री स्तर पर एक समान पाठ्यक्रम होने चाहिए और तब हमारी एक समान परीक्षा होनी चाहिए। महोदय, केवल तभी हम अपने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में समान रूप से शिक्षा का स्तर ऊंचा रख सकेंगे। तब वे क्षेत्रीय विश्वविद्यालयों के लिए आदर्श और बढ़िया शिक्षा के केन्द्र बन सकेंगे।

"विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को वेतन, वेतन वृद्धि तथा-भत्तों को निर्धारित करने के प्रश्न पर निर्णय करने का समुचित कार्य सौंपा जाना चाहिए विश्वविद्यालयों और कालेजों को अपने वेतनमान और भत्ते बढ़ाने की अनुमति दी जानी चाहिए तथा जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है इसे पहले से ही अस्त-व्यस्त वित्तीय स्थिति को जटिल नहीं बनाये दिया जाना चाहिए।

कार्यकारी परिषद और विद्या परिषद सदस्यता की के बारे में विधेयक के खण्ड 21 और 22 की ओर मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं विद्या परिषद और कार्यकारी परिषद के चुनावों के सिद्धांत के विरुद्ध हूं मैं इसके विरुद्ध हूं और मैं छात्रों को कार्यकारी परिषद में लेने के खिलाफ हूं। जहां तक शिक्षकों का सम्बन्ध है यदि वे इन परिषदों में हैं तो उन्हें बारी-बारी से आना चाहिए। जहां तक छात्रों का सम्बन्ध है उनका योग्यता के आधार पर चयन किया जाना चाहिए। मैं नहीं समझता कि छात्रों को कार्यकारी परिषद में होना चाहिए जहां कर्मचारी मामलों पर चर्चा होती है और जहां परीक्षकों की नियुक्ति की जाती है।

[श्री ए० ई० टी० बैरो]

अन्त में, मैं समझता हूं कि विश्वविद्यालय कोर्ट अब आवश्यकता नहीं है और इसलिए इस न्यायालय को समाप्त किया जाना चाहिए। यह संसद इस निधि के लिए जिम्मेदार है जिसे यह विश्वविद्यालय को देती है। पुराने दिनों में विश्वविद्यालय कोर्ट एक साधन था जिसके द्वारा आपके पास एक मंच था जिसमें बाहर के लोगों को सहयोगित किया जाता था और विश्वविद्यालय की नीतियों को निर्धारित करने में लोगों के विचारों को जाना जा सकता था विश्वविद्यालय की रिपोर्ट और विश्वविद्यालय लेखे इस संसद के समक्ष पेश करने होते हैं और मैं समझता हूं कि यह नीतियों के निर्धारण तथा विश्वविद्यालय के निर्देशन के लिए सर्वोत्तम मंच है मैं समझता हूं कि इस कोर्ट को समाप्त किया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर कहूंगा कि मैं इस विधेयक के विरुद्ध नहीं हूं।

5.44 म० प०

लोकपाल विधेयक

संयुक्त समिति को सौंपने के लिए प्रस्ताव के बारे में

[अनुवाद]

विधि और न्याय मंत्री (श्री ए० के० सेन) : दोनों सदनों की संयुक्त समिति को लोकपाल विधेयक सौंपने के प्रस्ताव में श्री एच० आर० भारद्वाज जो कि राज्य सभा के सदस्य हैं का नाम अनजान में उल्लेख किया गया है। इसलिए निवेदन है कि उनके नाम के स्थान पर श्री के० पी० उन्नी कृष्णन का नाम रखा जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे आशा है कि सदन इसके लिए सहमत होगा।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां, हम इसका स्वागत करते हैं।

5.45 म० प०

पांडिचेरी विश्वविद्यालय विधेयक (—जारी)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब डा० गौरीशंकर राजहंस बोलेंगे।

[हिन्दी]

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, पांडिचेरी विश्वविद्यालय विधेयक की बात करते हुए हमारा ध्यान बरबस नई एजुकेशन पौलिसी की ओर चला जाता है, जिसको अभी माननीय मंत्री जी ने इस संसद में प्रस्तुत किया है। यद्यपि उसकी रिपोर्ट हम सभी माननीय सदस्यों को नहीं मिल सकी है फिर भी मैंने कहीं से स्मगल करके उस रिपोर्ट को देखा है। जब वह रिपोर्ट हम सब लोगों के सामने आयेगी तो आप देखेंगे कि कई दिलचस्प बातों का उसमें समावेश है।

उसमें कहा गया है कि हमारे देश में कई यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहां पर पढ़ाई-लिखाई नहीं होती है। माननीय मंत्री जी मुझे करैक्ट करेंगे, यदि कहीं पर मैंने गलती की हो। कई यूनिवर्सिटीज हमारे यहां ऐसी हैं। जहां के वाइस चान्सलर कैद हैं, जहां पढ़ाई-लिखाई से कोई मतलब नहीं है। वहां इस बात की तारीफ होती है कि कौन सा ग्रुप, दूसरे ग्रुप के मुकाबले ज्यादा होड़ लगाता है कि कितने दिनों के लिए यूनिवर्सिटी को बन्द रखा जाए वैसे यहां पर मुझसे पहले एक माननीय सदस्य ने कह दिया है कि यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर्स तो कहने के लिए हैं, सारे लोग अपने को प्रोफैसर समझते हैं और कहते हैं चाहे वे लैक्चरार हों, टीचर हों अथवा रीडर हों। उनमें आपस में होड़ लगती है। श्रीमन् वैसे तो इस पर विस्तृत चर्चा अगले सैशन में होगी, परन्तु मैं यहां सिर्फ एक ही आग्रह करना चाहता हूं, एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश में यूनिवर्सिटी की शिक्षा सड़ गई है और अब वह समय आ गया है जब कि उसका औपरेशन किया जाए।

मेरे दोस्त माननीय कुरूप साहब ने इस विधेयक पर विचार व्यक्त करते हुए कहा कि पोलिटिक्स से एलर्जी क्यों है, पोलिटिक्स क्या होती है और एजूकेशन में पोलिटिक्स का प्रवेश क्यों न कराया जाए, एकाडैमिक कौसिन्ल में, सीनेट में या सिन्डीकेट आदि में जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना चाहिए लेकिन कुरूप साहब मैं आपको उत्तर प्रदेश और बिहार सहित नौर्दर्न इण्डिया के बारे में बताना चाहता हूं शायद आपको मालूम नहीं है कि यहां पौलिटिक्स का क्या मतलब होता है। बिहार और उत्तर प्रदेश में पौलिटिक्स शब्द का प्रयोग करने पर लोग कहते हैं कि।

[अनुवाद]

मेरे साथ-राजनीति मत कीजिए। इसका अर्थ है कि मेरी जड़ मत खोदिये।

[हिन्दी]

इसलिए मैं कहूंगा कि यूनिवर्सिटीज में भगवान के वास्ते पालिटिक्स को न आने दीजिए, पोलिटीशियन्स को यूनिवर्सिटी से अलग रखिए।

जैसा कि पांडिचेरी यूनिवर्सिटी बिल में कहा कहा गया है इसके निर्माण के विषय में 1971 में सोचा गया था कि पांडिचेरी में विश्व-विद्यालय की स्थापना की जाए परन्तु इस यूनिवर्सिटी को बनने में 14 साल लग गए, यदि हम यह कहें कि पैसों के अभाव में यह यूनिवर्सिटी नहीं बन सकी तो शायद किसी को विश्वास नहीं होगा। इसमें आगे कहा गया है कि आप फ्रैंच की पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देंगें। मैं समझता हूं कि पांडिचेरी में चूंकि फ्रैंच ज्यादा बोली जाती है, इसीलिए आप चाहते हैं

[डा० गौरी शंकर राजहंस]

कि पांडिचेरी विश्वविद्यालय में फ्रेंच की पढ़ाई पर जोर दिया जाए लेकिन बात बहुत जमती नहीं। फ्रेंच के साथ साथ आप दक्षिण भारत की दूसरी भाषाओं तमिल तेलगू मलयालम आदि पर भी जोर दीजिए। मैं हिन्दी की बात कहते हुए डरता हूं कि कहीं मैं गलत न समझा जाऊं। यदि हिन्दी की पढ़ाई हो तो नथिंग लाइक दैट। इससे अच्छी चीज और हो ही क्या सकती है।

उसके आगे आपने एक स्थान पर बिल में कहा है कि पांडिचेरी विश्वविद्यालय में इंटर-डिसिप्लीनरी स्टडी और रिसर्च पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। यहां हमारे मित्र श्री हरद्वारी लाल जी ने बहुत ही अच्छा कहा कि यह वर्ड इतना अच्छा है जो अमेरिका से हिन्दुस्तान में आया है इण्टर डिसिप्लीनरी टीचिंग और यहां तो बहुत से लोग उसका मतलब ही नहीं समझते हैं, बहुत से लोग समझते होंगे···बहुत से लोग मतलब समझते हैं बहुत से मतलब नहीं समझते हैं लेकिन सही अर्थ में इंटर डिसिप्लिनरी टीचिंग हो, तो इस देश का उद्धार हो जाए। जैसा कि मैंने ओपनिंग यूनिवर्सिटी बिल पर भाषण के समय भी कहा था कि इकनौमिक्स के विद्यार्थी को इंजीनियरिंग पढ़ने का मौका मिलना चाहिए, इंजीनियरिंग के विद्यार्थी को स्टेटिस्टिक्स और मैडीकल पढ़ने की छूट होनी चाहिए।

आपने पेज 3 पर लिखा है कि दूसरी यूनिवर्सिटी से स्पेसिफाइड पीरियड के लिए टीचर्स लिए जाएंगे इसमें मेरा अनुभव यह है कि इसमें एक लैक्चरर जो अपनी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और रीडर भी नहीं बन पाता है, उसको आप स्पेसिफाइड पीरियड के लिए दूसरी यूनिवर्सिटी में रीडर के पद पर बुला लेते हैं दो तीन वर्ष के लिए, लेकिन होता क्या है वह मैनीपुलेट कर लेता है और ज्यादा समय तक वहां रीडर के पद पर बना रहता है, और जब वह अपनी यूनिवर्सिटी में जाता है, तो वहां जाकर कहता है कि भाई मुझे तो रीडर का एक्सपीरिएन्स है, इसलिए मुझे रीडर की पोस्ट ही दी जाए। जो अपनी यूनिवर्सिटी में लैक्चरर से ऊपर नहीं बन सकता, इस प्रकार से मैनीपुलेट कर के वह रीडर की पोस्ट पर आना चाहता है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें आपने जो डोनेशन का प्राविजन किया है, यह बहुत ही खतरनाक है, इसको आप एकेडेमिक यूनिवर्सिटी बनाएं, यह प्राविजन इसमें करना ठीक नहीं है। चूंकि आपने घंटी बजा दी, इसलिए श्रीमन्, अन्त में मेरा यही कहना है कि इस पांडिचेरी यूनिवर्सिटी को आप ऐकेडेमिक यूनिवर्सिटी बनाइए, एक ऐसा विश्वविद्यालय हो, जो सारे देश के लिए आदर्श विश्व-विद्यालय बन सके और अरविन्द की इस यूनिवर्सिटी को एक आइडिअल यूनिवर्सिटी बनाया जाए।

श्री० सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मुझे तो मूलरूप से एजूकेशन के बारे में कुछ कहना है। हमारे देश की 70 प्रतिशत से ज्यादा जनता जो गांवों में रहती है, जिनकी प्राथ-मिक शिक्षा प्रायमरी स्कूलों में होती है, वहां पर स्कूलों में न चाक हैं, न ब्लैकबोर्ड हैं, न बैठने के लिए टाटपट्टियां हैं और नंगे-भूखे बच्चे आते हैं और अगर पानी पड़ता है, तो स्कूल बन्द, धूप ज्यादा होती है, तो स्कूल बन्द, सर्दी ज्यादा होती है, तो स्कूल बन्द, यह हमारे देश में गांवों की हालत है। इसलिए मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि जितना प्रायमरी एजूकेशन पर खर्च होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। सिर्फ 35 या 40 परसेंट टोटल एजूकेशन के बजट का प्रायमरी और माध्यमिक

शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है और विश्वविद्यालय शिक्षा पर, हायर एजूकेशन पर हम अपने शिक्षा के बजट का 60 परसेंट पैसा खर्च कर रहे हैं। इसका नतीजा क्या हो रहा है कि भारतवर्ष में हजारों की संख्या में लोग प्रतिवर्ष विश्वविद्यालयों में पढ़कर डिग्रियां लेकर निकल रहे हैं और बाजारों में फिर रहे हैं, एम्प्लायमेंट एक्सचेंजेज में जा रहे हैं लेकिन उनको काम नहीं मिल पा रहा है। दूसरी ओर जो मजदूर हैं, जिन बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए उनके प्राथमिक शिक्षा भी हम नहीं दे पा रहे हैं वे प्रारंभिक शिक्षा से भी वंचित हैं। शहरों के रहने वालों के लिए आप शिक्षा देने पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं और गांवों में बहुत कम खर्च कर रहे हैं। प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के बारे में जो कोठारी कमीशन ने रिपोर्ट दी है, उसमें हमें देखने को मिलता है कि दो सौ बच्चे होते हैं और एक टीचर, यानी सिंगल टीचर होता है जिसके कारण होता यह है कि जिस दिन टीचर आया, उस दिन तो स्कूल खुला जिस दिन टीचर नहीं आया उस दिन स्कूल बन्द।

मैं, शिक्षा मंत्री महोदय से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप सातवीं योजना में नई शिक्षा नीति के बारे में क्या सोच रहे हैं। आप दिल्ली में एक ओपन यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं, हैदराबाद में यूनिवर्सिटी है, तो ये शिक्षा के बारे में आपकी क्या नीति है, यह बताएं।

[अनुवाद]

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (हावड़ा) : मैं भारत में ऐसा कोई भी विश्वविद्यालय नहीं जानता हूं, जहां प्राथमिक शिक्षा दी जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह इस बात पर आग्रह कर रहे हैं कि उच्च शिक्षा पर इतना अधिक खर्च करने की बजाय प्राथमिक शिक्षा पर खर्च करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : मैं माननीय मंत्री महोदय से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि आप जितने भी नए स्कूल सातवीं पंच वर्षीय योजना में खोलने जा रहे हैं उनके लिए राज्य केन्द्र पर निर्भर होते हैं और आप शहरों में जितना पैसा एजूकेशन पर खर्च कर रहे हैं वह ज्यादा है। प्राथमिक शिक्षा पर ज्यादा खर्चा होना चाहिये। जहां लोगों की संख्या ज्यादा होती है वहां 200 बच्चों पर एक अध्यापक क्या पढ़ा सकता है ?

विश्वविद्यालय की शिक्षा के बारे में, अभी-अभी बताया गया कि इंटर डिसिप्लिन इत्यादि इत्यादि शर्तें बनाकर आप इन-एक्ट कर रहे हैं विश्वविद्यालय स्तर पर जो अनुशासन और डिग्री का कार्य हो रहा है, उसके बारे में सोचना चाहिये कि क्या हो रहा है।

हैदराबाद में आपने एक सैंट्रल यूनिवर्सिटी खोली है, उसके कोई कालेजेज नहीं हैं। उसका कम-से कम एक हजार एकड़ में क्षेत्र बनाया है, लेकिन उसमें पढ़ने वाले विद्यार्थी कितने हैं ? 500 से ज्यादा नहीं। जितना हम यू० जी० सी० से ग्रांट दे रहे हैं, उसका उपयोग ठीक ढंग से होना चाहिए।

दक्षिण के जो शिक्षा मंत्री बैठे थे, उन्होंने यह कहा कि उत्तर प्रदेश में या उत्तर भारत में जितना

[श्री सी० जंगा रेड्डी]

विश्वविद्यालय के स्तर पर खर्चा हो रहा है वह दक्षिण में कम हो रहा है। इसके क्या कारण हैं? मैचिंग ग्रान्ट्स दक्षिण के लिए कम देते हैं इसलिये एक अलग यू० जी० सी० की उन्होंने वहां के लिए मांग की। उनकी मांग ठीक नहीं है, मैं उसका विरोध करता हूं।

दिल्ली में जो सैंटर में यू० जी० सी० बैठी है, उसको चाहिये कि जिस प्रकार उत्तर भारत के विश्वविद्यालयों को ग्रान्ट दे रहे हैं, उसी प्रकार दक्षिण की यूनिवर्सिटी को भी दें। उनके मन में, भाव में दक्षिण और उत्तर अलग हैं तो इस प्रकार की भावना उत्पन्न करने की कोशिश नहीं होनी चाहिये। दक्षिण भारत के लिए अलग यू० जी० सी० की डिमांड जो हमारे तेलुगु देशम वाले मित्र कर रहे हैं सैंट्रल गवर्नमैंट के पास आकर उसे प्लीड करते हैं, मैं उसका सख्त विरोधी हूं। दक्षिण भारत के लिये अलग यू० जी० सी० नहीं होनी चाहिये मगर दक्षिण के विश्वविद्यालयों को उतना ही पैसा मिलना चाहिये जितना उत्तर के विश्वविद्यालयों को आप दे रहे हैं।

इस सदन में शिक्षा मंत्री को मैंने कहा था कि काकातिया यूनिवर्सिटी को साल में जो ग्रान्ट्स देते हैं, उसके कन्वोकेशन में यू० जी० पी० की चेयरमैन आने वाली थीं, मगर वहां की राज्य सरकार को जितना पैसा खर्च करना चाहिये था, उसके न करने के कारण जो मैचिंग ग्रान्ट नहीं दे रहे हैं इसलिये उन्होंने वहां जाना अनुचित समझ कर बैठी हैं।

मैं यही कहना चाहता हूं कि दक्षिण में कुछ रेजिडैंशियल यूनिवर्सिटी हैं नागार्जुन यूनिवर्सिटी हैं काकातिया यूनिवर्सिटी है उनके कालेज भी होनें चाहियें। हैदराबाद में यूनिवर्सिटी है लेकिन नो कालेज, नो एफिलियेशन है, केवल अनुसंधान का कार्य वहां हो रहा है। इससे कुछ लाभ नहीं होगा। मेरा अनुरोध है कि जो विश्वविद्यालय आप हैदराबाद में या पांडिचेरी में बना रहे हैं, उनके कालेज बनाने चाहियें। केवल कुछ प्रोफेसरों, रीडरों, को और बड़े-बड़े मेधावी वर्ग को वहां पर लाकर कुछ लोगों को तर जीह देकर कुछ नहीं होगा। मेरा अनुरोध है कि केन्द्रीय सरकार की ओर से कालेज भी खोलने चाहिये।

आप हर यूनिवर्सिटी में कुछ नये विषयों को लेकर अनुसंधान कर रहे हैं, उनके लिये अलग-अलग स्कूल खोलने चाहिये। अभी-अभी हमारे मित्र ने बताया कि राज्य में विश्व विद्यालय अच्छे स्तर के हैं या केन्द्र में, मैं इस झंझट में नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि दिल्ली में दो यूनिवर्सिटी हैं एक जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी है जिसमें 2, 3 साल पहले श्रीमती इंदिरा गई गांधी कन्वोकेशन के लिये गई, लेकिन वहां के विद्यार्थियों ने उनके खिलाफ नारे लगाये तो वह आ वापिस आ गई। इस विश्वविद्यालय में जो प्रवृत्ति पनप रही है, उसको खत्म होना चाहिये। उनके ऊपर शीघ्र रोक लगनी चाहिए।

6.00 म० प०

यह जो जे० एन० यूनिवर्सिटी है, इसमें हमारे कई स्टूडेंट पढ़ते हैं यह मार्क्सवादी यूनिवर्सिटी है। इसमें से जो बच्चा पढ़कर निकलता है वह मार्क्सवादी हो जाता है। दक्षिण के लोग अपने बच्चों को

वहां पढ़ने भेजना नहीं चाहते, इसलिये आपको इस पर नियंत्रण लगाना चाहिए और स्ट्रिक ऐक्शन लेना चाहिए।

यही अनुरोध करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि इस विधेयक के पारित होने तक सदन का समय बढ़ा दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत होगा।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

एक माननीय सदस्य : इसमें कितना समय लगने की सम्भावना है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि आधे घण्टे के अन्दर यह हो जाएगा। मैं यह समय लगभग बता रहा हूं। मैं अन्य सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे बहुत संक्षिप्त और मुद्दे ही बोलें। अब श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही बोलेंगे।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत अच्छा विधान है और मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। वास्तव में केन्द्रीय सरकार का शिक्षा मन्त्रालय और विशेष रूप से शिक्षा मन्त्री बधाई के पात्र हैं जिन्होंने दो-तीन दिनों के अन्दर दो विधेयकों को लाए जिसमें दो विश्वविद्यालयों की स्थापना की मांग की गई है। एक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है और दूसरा पांडिचेरी विश्वविद्यालय है। इस प्रस्ताव की उत्पत्ति 1971 में हुई जब राष्ट्र श्री अरविंद की शताब्दी मना रहा था जो आधुनिक अर्थ में एक महान शहीद थे। वह वास्तव में देशभक्त, महान दार्शनिक तथा महान शिक्षा शास्त्री और बहुत प्रतिष्ठित व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे जिनकी ख्याति हमारे देश की सीमा तक ही सीमित नहीं है बल्कि पूरे विश्व में भी फैली हुई है। उनका दर्शन, पूर्वी और पश्चिमी दोनों दर्शनों को खुशी से एक साथ मिलाता है। यह अच्छी बात है कि इस विश्वविद्यालय के अधीन पूर्वी और पश्चिमी दर्शनों की विचारधारा का अध्ययन करने के लिए एक स्कूल होगा जो उनके नाम पर होगा। इस विधेयक में कुछ अच्छी विशेषताएं हैं। यह वस्तुत: खेदजनक है कि पांडिचेरी जो अन्यथा भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध था उसे अभी अभी अपना विश्वविद्यालय स्थापित करना है। अब तक इसके संस्थानों को तीन विभिन्न राज्यों में स्थित तीन विश्वविद्यालयों केरल में कालीकट विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश में वाल्टर में आंध्र विश्वविद्यालय और तमिलनाडु में मद्रास विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्ध किया गया था।

इस विधेयक में कुछ विशेष विशेषताएं हैं और वे अध्ययन के लिए स्कूल की स्थापना है जिसमें तमिल भाषा और साहित्य का विकास और फ्रेंच भाषा का अध्ययन भी किया जाएगा। समय की कमी के कारण मैं इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहता

[श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही]

हूं। इस विश्वविद्यालय के लिए एक योजना बोर्ड पर विचार किया गया है जो विश्वविद्यालयों में परम्परागत रूप से हैं जहां विद्या संस्थाएं या निकाए हैं उनके अतिरिक्त यह समय-समय पर शिक्षा विकास की पुनरीक्षा करेगा जिसे हम सामान्यतः ऐसे अन्य विश्वविद्यालय के संगठनों में नहीं देखते हैं। एक बात जो हमें दुखी करती है और जिसकी आज इस सदन में भी चर्चा हुई है वह हमारे छात्रों के नैतिक पतन के बारे में है। इस समय देश में लगभग 114 विश्वविद्यालय हैं। देश के विभिन्न भागों में हर वर्ष बहुत से कालेज खोले जा रहे हैं। वे वास्तव में शिक्षा और संस्कृति के केन्द्र हैं। वे समाज के संकेत दीप बन सकते हैं। लेकिन वास्तविक रूप से क्या हो रहा है? कुछ छात्रों के आचरण बहुत परेशानी पैदा करते हैं इस सदन में आज के पहले घंटे की चर्चा मे से यह नोट किया गया कि उनमें से बहुत से छात्र नशीली वस्तुओं के आदी हो गए हैं। आंकड़े भी उद्धृत किये गये हैं। मैं यहां आंकड़ों को उद्धृत करके सम्मानित सदन का अमूल्य समय नहीं लेना चाहता हूं। हमारी शिक्षा पद्धति का मुख्य उद्देश्य विशेषकर यह है कि विश्व विद्यालय की शिक्षा से व्यक्ति की श्रेष्ठता को तैयार किया जाए। बालक के व्यक्तित्व के सभी पहलुओं का विकास श्री अरविंद की अपनी शिक्षा नीति की विशेषता थी। श्री टैगोर और महात्मा गांधी को भांति श्री अरविंद भी एक शिक्षाविद थे। शिक्षा के बारे में उनके अपने विचार थे। जैसा कि आप जानते हैं कि वह महान देशभक्त क्रान्तिकारी थे। वह भारत के प्रथम देशभक्त क्रान्तिकारी थे जिन्होंने देश की पूरी आजादी के लिए आह्वान किया था। उन्होंने सितम्बर 1906 में इस प्रकार का वक्तव्य विख्यात समाचार-पत्र 'लन्दन टाइम्स' में दिया था परन्तु इस क्रान्तिकारी देशभक्त ने बाद में आजादी के आन्दोलन से अपने आपको अलग कर लिया। उनके अनुसार आजादी अनिवार्य थी और कोई भी इसको रोक नहीं सकता। वे महसूस करते थे कि 1947 के आस-पास भारत को आजादी प्राप्त करनी थी। लेकिन उसके बाद क्या होगा? समाज तथा विश्व पर सामान्य रूप से और छात्रों, युवकों को सामान्य रूप से मानवजाति का क्या होगा जिस पर सब कुछ निर्भर करता है? वह उसके बारे में बहुत चिंतित थे। इसलिए उनके पास अपनी शिक्षा की पद्धति की अर्थात् बच्चे के व्यक्तित्व के सभी पहलुओं का विकास चाहे यह शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक या सौंदर्यशास्त्र सम्बन्धी हो। वह इसको बहुत ध्यान से देखते थे कि बच्चे के व्यक्तित्व के इन सभी पहलुओं का विकास आने वाले वर्षों में सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन के लिए एक वास्तविक साधन बनेंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा कि पूर्वी और पश्चिमी विचारधारा का समन्वय करने का उनका विचार था और आध्यात्मिकवाद तथा वैज्ञानिक प्रगति का भी समन्वय करने उनका उद्देश्य था। उनका कितना अद्भुत विचार था! हमें श्री अरविंद पर गर्व है।

यदि इस विश्वविद्यालय का नाम श्री अरविंद के नाम पर रखा जाता तो यह अधिक उपयुक्त होता जिन्होंने शिक्षा पद्धति को स्वीकृत करने पर विचार किया। आज भी इस नए विश्वविद्यालय में इस शिक्षा पद्धति की कुछ विशेषताओं पर बल दिया जाना चाहिए। बच्चे के व्यक्तित्व के एकीकृत विकास पर जोर देना चाहिए ताकि वह समाज और अभिभावक के लिए चिन्ता का विषय न बन सके। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि आजादी प्राप्त करने के बाद हम अपनी पद्धति और नीतियों में परिवर्तन नहीं लाए हैं। यहां वहां कुछ संशोधन के साथ हमने उसी पुरानी पद्धति को बनाया हुआ है।

विश्वविद्यालयों और कालेजों की स्थापना ही महत्वपूर्ण नहीं है। ज्ञान मंदिर होने के कारण

उनका स्वागत है। देश में लोकतन्त्र को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए हम शिक्षा का प्रसार चाहते हैं। लेकिन किस प्रकार की शिक्षा ? क्या यह इसी प्रकार की शिक्षा है जो हमारे पास इस समय है या कुछ और है ? वास्तव में शिक्षा की आदर्श प्रणाली इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे कि छात्रों का समग्र विकास हो सके जैसा कि प्रधानमन्त्री जी ने कहा कि 21वीं शताब्दी में सफलतापूर्वक प्रवेश करें। श्री अरविंद विश्व परिवार में 'वसुदेवकुटुम्बकम' में विश्वास करते थे और वास्तव में भारत इस भूमिका का नेतृत्व करता है। जब तक हमारे बच्चों के व्यक्तित्व का विकास उचित रूप से नहीं किया जाता है और जब तक वे वांछित परिवर्तनों के लाने के साधनों को प्रभावी नहीं बनाते हैं तब तक स्थिति बदतर रहेगी। अतः नैतिक शिक्षा पर भी जोर देना होगा। नैतिक शिक्षा के साथ आध्यात्मिक के क्षेत्र पर भी ध्यान देना चाहिए। शिक्षा केवल ज्ञान ही प्रदान नहीं करता है। यह छात्रों को सही आकार देने के लिये नैतिक मूल्य भी प्रदान करती है।

अब नई शिक्षा नीति के लिये 'स्टेटस' रिपोर्ट को चर्चा के लिए परिचालित किया गया है। नई शिक्षा नीति में इन तथ्यों पर जोर देना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। एक या दो दिन के दौरान दो विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक को आगे लाने के लिए मैं माननीय शिक्षा मन्त्री और केन्द्रीय सरकार को बधाई देता हूं।

श्री विजय एन० पाटिल (इरन्दोल) : उपाध्यक्ष महोदय, अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के विधेयकों के रूप में यह विधेयक घिसापिटा प्रतीत होता है जिसमें दो विशेषताएं हैं कि स्वर्गीय श्री अरविन्द और सुब्रह्मण्यम भारती के नाम पर क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी विचारधारा का स्कूल तथा तमिल और अन्य भाषाओं के लिए स्कूल होगा। ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा अन्य विषयों के लिए निदेशकों की नियुक्ति का भी इसमें उल्लेख है।

मैं सिर्फ कुछ सुझाव देना चाहता हूं। पांडिचेरी विश्वविद्यालय के अन्तर्गत अण्डमान निकोबार और लक्षद्वीप भी आएंगे। उसके लिए व्यवस्था की गई है। अतः इस विश्वविद्यालय में समुद्र विज्ञान तथा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के उच्च प्रशिक्षण में अन्य विषय भी शामिल क्यों नहीं किए जाने चाहिए कि इस क्षेत्र के लिए यह उपयुक्त हो और भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को भी पूरा कर सके।

अब महोदय, कुछ लोगों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अलग से दक्षिण भारत में स्थापित करने की मांग की है। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि हैदराबाद अथवा बंगलौर में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया जा सकता है।

जहां तक अकादमी परिषद और कार्यकारी परिषद तथा अन्य निकायों का सम्बन्ध है मैं केरल के अपने माननीय मित्र के प्रस्ताव से सहमत नहीं हूं कि चुनाव होने चाहिए। मैं इसे इसलिए कहता हूं क्योंकि विश्वविद्यालय में राजनीति लाने से अनेक समस्याएं पैदा हो जाती हैं। अतः इस विधेयक में मनोनीत करने की जो व्यवस्था की गई है वह उपयुक्त है। वास्तव में मैं इससे सहमत हूं कि उपकुलपति

[श्री विजय एन० पाटिल]

के अधिकारों में वृद्धि होनी चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयास किए जाने चाहिए कि जो भी राशि खर्च की गई है वह उस क्षेत्र तथा आसपास के क्षेत्रों में वास्तविक, उचित प्रशिक्षण तथा शिक्षा के लिए उपयोग की गई है।

महोदय, एक माननीय, सदस्य की ओर से एक सुझाव था कि स्थानीय व्यक्तियों के लिए कुछ आरक्षण होना चाहिए। मैं भी इससे सहमत हूं। मैं इसे इसलिए कहता हूं क्योंकि अन्य क्षेत्रों से योग्यता रखने वाले छात्र पांडिचेरी विश्वविद्यालय में आ सकेंगे और स्थानीय लोग छूट सकते हैं।

इसके बाद मैं अन्तिम सुझाव देना चाहता हूं और वह यह है :

इन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में ऐसे छात्रों को कुछ प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए, जिनके अभिभावक छोटे परिवार रखते हैं। उत्तर प्रदेश में जो सरकारी कर्मचारी परिवार को छोटा रखते हैं उन्हें कुछ रियायतें तथा प्रोत्साहन देने की घोषणा मुख्य मन्त्री जी ने पहले से ही कर दी है। यहां भी यदि हम इस प्रकार के छात्रों के लिए कुछ रियायतों को दे सकते हैं जो केवल 2 वास्तविक भाई या बहन हैं अर्थात जिनके अभिभावक के तीन बच्चे हैं तो इससे बहुत मदद मिलेगी। इस केन्द्रीय विश्वविद्यालय में आप ऐसे बच्चों को रियायत देने के बारे में सोच सकते हो जो छोटे परिवार से आए हैं। अपने इन सुझावों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। हालांकि इस विधेयक के बारे में मेरे मन में कुछ आरक्षण है क्योंकि मुक्त विश्वविद्यालय पांडिचेरी के लोगों को शिक्षा प्रदान करने के प्रयोजन को भी शामिल करेगा। लेकिन फिर भी, जैसा कि यह दूर-दराज क्षेत्र है और आप अंडमान तथा निकोबार और लक्षद्वीप को भी शामिल करोगे इसलिए मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और समय देने के लिए मैं सभापति जी का धन्यवाद करता हूं।

[हिन्दी]

श्री अजीज कुरेशी (सतना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पांडिचेरी यूनिवर्सिटी बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और ऐसा करते समय मैं विशेष बधाई देना चाहूंगा माननीय शिक्षा मन्त्री जी को, जिन्होंने इस बिल के आब्जेक्ट्स में फ्रेन्च स्टडीज का विशेष प्राविजन करने की बात कही है। इसके लिए वे अवश्य बधाई के पात्र हैं। मुझे याद है पांडिचेरी का जब भारत में विलीनीकरण हुआ था तो उस समय भारत के प्रथम प्रधान मन्त्री, पं० जवाहर लाल नेहरू ने यह घोषणा की थी :

[अनुवाद]

पांडिचेरी में फ्रांस की संस्कृति और भाषा को सुरक्षित, संरक्षित तथा प्रोत्साहित किया जाएगा।

[हिन्दी]

मुझे खुशी है कि पंडित जी के वे शब्द इस बिल के जरिए से आज हमें पूरे होते दिखाई देते हैं।

[अनुवाद]

सुरक्षित, संरक्षित तथा प्रोत्साहित किया जाएगा।

[हिन्दी]

इस बिल के अन्दर सैक्शन-32 में एफिलिएटेड कालेज की बात कही गई है। मैं माननीय शिक्षा मन्त्री जी से कहना चाहूंगा, उनके मन्त्रालय ने जो बिल पेश किए, यूनिवर्सिटीज, के, उनका एक घिसा-पिटा परफोर्मा है। मेरे ख्याल में सिर्फ नाम बदल कर बिल पेश कर दिए जाते हैं। आज जब शिक्षा मंत्री जी जैसे योग्य और साहस के व्यक्ति हमारे सामने हैं, मैं चाहूंगा कि आप अपने आफिसर्स को इतनी गाइडलाइन दें कि घिसे पिटे तरीके को बदल कर कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन लायें और क्रांतिकारी नजरिया आज समाज के सामने रखें। मेरे ख्याल में उनके मन्त्रालय के कर्मचारियों में इतनी बुद्धि और इतनी अकल शायद बाकी होगी। मैं कहना चाहूंगा कि जितने पाप इन एफिलिएटेड कालेजेज में होते हैं, शिक्षा के ये मंदिर पाप के अड्डे बन गए हैं, बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि ये व्यापार के, तिजारत के घर बन गए हैं। शिक्षा के बजाए तिजारत और व्यापार इन कालेजेज का असल उद्देश्य बन कर रह गया है। इसके अन्दर तमाम लोग, जो समाज के अन्दर बड़े-बड़े स्थान रखते हैं, प्रभाव रखते हैं, उनका कब्जा आज उन पर हो गया है। वे ही इसके अन्दर करप्शन कराते हैं। शिक्षा मन्त्री जी जैसे साहसी और योग्यता के व्यक्ति से क्या मैं यह उम्मीद करूं कि वे एक अन्य बिल के जरिए से इस बात की घोषणा करना चाहेंगे कि इन तमाम लोगों का जिनका कि राजनीति से किसी भी तरह का सम्बन्ध है, उनका या उनके परिवार के किसी भी सदस्य का किसी भी शिक्षा संस्था के मैनेजमेंट से कोई ताल्लुक नहीं रहने दिया जाएगा, उन पर बैन लगा दिया जाए। तो शायद शिक्षा मन्त्री जी जैसे साहस के मन्त्री भी ऐसा साहस न कर पायें और इस बिल को लेकर यहां न आ पायें। मैं कहना चाहूंगा, जहां आपने इस बिल के अन्दर एफिलिएटेड कालेजेज की बात की है, वहां जिनको कालेज में एडमिशन मिले, उनकी गवर्निंग बाडी, उनके टीचर्स का मानवीय शोषण, उनकी सैलरीज, उनका स्टेट्स, उनका प्रोटेक्शन पूरा-पूरा संरक्षण कम से कम बाकी रहे। उसके बाद ही आप किसी कालेज को भी एफिलिएशन दे पायें।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां हमने इस देश के अन्दर सैकड़ों यूनिवर्सिटीज बनाई हैं, वहां मैं एक बात इस सदन के सामने रखना चाहूंगा। दिल्ली के अन्दर भारत की राजधानी में एक ऐसी संस्था भी है, जो पिछले 70 सालों से इस देश के अन्दर शिक्षा की शमा को जलाए हुए है और वह है—जामिया-मिलिया-इस्लामिया जिसको महात्मा गांधी के नेतृत्व में डाक्टर अन्सारी, हकीम अजमल खां और डा० जाकिर हुसैन जैसे लोगों ने इस देश के अन्दर उसको स्थापित किया था। वह इसलिए स्थापित किया था, क्योंकि अलीगढ़ के अन्दर जो मुस्लिम लीग का अड्डा बन गया था, उनकी इस फिरकापरस्ती का जवाबदेने के लिए उन्होंने जामिया-मिलिया-इस्लामिया की स्थापना की। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 38 साल गुजर जाने के बाद भी आज तक जामिया-मिलिया एक डीम्ड-टु-बी यूनिवर्सिटी है, जिसको शासन पूरी यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दे पाया है। उस यूनिवर्सिटी में कौन लोग थे—डा० जाकिर हुसैन, डा० आबिद हुसैन, प्रो० मुजीब जिन्होंने 1920 के अन्दर जर्मनी से और लंदन से डबल-डबल पी० एच० डी० की और अपना सारा जीवन जामिया-मिलिया-इस्लामिया में 40 रु० महीने में सेवा

[श्री विजय एन० पाटिल]

करके व्यतीत कर दिया और देश के अन्दर राष्ट्रीयता की भावना को जगाया। मैं चाहूंगा कि शिक्षा मन्त्री जी तारीख के उन सुनहरे औराक (पत्री) को देखें, जिन पर आज वक्त की धूल जम रही है; जिन्होंने जामिया-मिलिया द्वारा देश की सेवा की, उस जामिया-मिलिया को पूरी यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा करें। डा० आबिद हुसैन और प्रो० मुजीब जैसे लोगों ने, जिन्होंने अपना सारा जीवन वहां व्यतीत कर दिया, उनके नाम पर उस यूनिवर्सिटी के अन्दर चेयर्स कायम करके उनकी याद को ताजा करायें, ताकि भविष्य का आने वाला इतिहासकार उस धूल को हमारे मुंह पर न पोत दे, जिस धूल को आज हमने अपनी राष्ट्रीय तवारिख पर जमने दिया है।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

डा० फूलरेणु गुहा (कन्टई) : महोदय, पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की आवश्यकता बहुत पहले से महसूस की जा रही है। मैं विधेयक का हार्दिक समर्थन करती हूं। मैं विधेयक के सभी उद्देश्यों का भी समर्थन करती हूं।

मैं यह कहना चाहूंगी कि हमारे देश की 10 प्रतिशत जनसंख्या भी उच्च शिक्षा के लिए न जा सकती है और न जाती है। फिर भी वर्तमान विश्वविद्यालय उन्हें स्थान देने में समर्थ नहीं हैं। अतः मैं इस नए विश्वविद्यालय विधेयक का स्वागत करती हूं।

अभी तक, पांडिचेरी के कालेज तीन विश्वविद्यालयों के साथ सम्बद्ध हैं। अब इसे एक एकीकृत शिक्षा प्रणाली प्राप्त होगी।

हमारे देश में सभी विश्वविद्यालयों के लिए (एक समान) अधिनियमों की व्यवस्था नहीं है। अब समय आ गया है जबकि केन्द्रीय सरकार तथा शिक्षा मंत्रालय देश के सभी विश्वविद्यालयों की रूप रेखा तथा ढांचा तैयार करे, ताकि देश के सभी विश्वविद्यालय उसी ढांचे के अन्तर्गत कार्य करें जिसका सुझाव दिया जाएगा।

मैं यह सुझाव भी देती हूं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिनिधि भी चयन समिति में होने चाहिए क्योंकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुदान देता है।

मैं इसकी सभी बातों में विस्तार से नहीं जाना चाहती हूं। मैं यह सुझाव देती हूं कि उस विशेष विषय का एक शैक्षिक प्रतिनिधि से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजा जाना चाहिए।

किसी विश्वविद्यालय को राजनीति का अड्डा नहीं होना चाहिए। इस बात की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। आरम्भ में मैं यह सुझाव देना चाहूंगी कि इस विश्वविद्यालय में अध्यापकों तथा विद्यार्थियों को समय-समय पर मिलते रहना चाहिए और उन्हें अपनी समस्याओं तथा शिक्षा सम्बन्धी

सभी समस्याओं पर चर्चा करनी चाहिए। केवल ऐसा करने से ही वे एक-दूसरे के समीप आएंगे और अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे और विद्यार्थी स्वयं विकास कर सकेंगे।

वहां भूतपूर्व छात्रों का एक संघ है। मैं यह पता नहीं लगा सकी कि इस छात्र संघ का कृत्य क्या होगा। मैं उसका स्वागत करता हूं किंतु मुझे आशा है कि हमें इस संबंध में कुछ बताया जाएगा कि छात्र संघ का कृत्य क्या होगा।

मैं नहीं जानती कि क्या ऐसा किया जा सकता है किंतु मेरे विचार में शिक्षा शास्त्रियों और विशेषकर माननीय मंत्री को देखना चाहिए कि अनेक विश्वविद्यालयों में, कम से कम कुछ विश्वविद्यालयों में कुछ ही विद्यार्थी अध्ययन न करें। वे विश्वविद्यालय में वर्षों से केवल राजनीति में भाग लेने के लिए रहते हैं। मैं विद्यार्थी राजनीति से ही इस स्थिति में आई हूं। मेरा विचार है कि विद्यार्थियों को राजनीति में भाग लेना चाहिए। किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि कुछ लोग एक वर्ष से दूसरे वर्ष एक विषय से दूसरे विषय में जाएंगे और विश्वविद्यालय में बाधा उत्पन्न करते रहेंगे। इतना ही नहीं। वे विश्वविद्यालय की शिक्षा चलने नहीं देते। वे पढ़ने नहीं हैं किंतु वे इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करते हैं जिससे अन्य लोग भी नहीं पढ़ सकते हैं। मैं नहीं समझती कि क्या किया जा सकता है किंतु कुछ किया जाना चाहिए क्योंकि समय बदल चुका है और बदली हुई स्थिति के अनुसार नये नियम, नई विचार-धारा शुरू की जानी चाहिए।

मैं इस विधेयक का समर्थन और स्वागत करती हूं।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मंत्री को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा, वे एक हफ्ते के अन्दर यो बिल लाए। सबसे बड़ी चीज यह है कि पांडिचेरी महाविश्वविद्यालय जो खोलने की बात है, यह बहुत जरूरी है। आज हमारे देश में शिक्षा की आवश्यकता है और किसी भी देश की तरक्की के लिए शिक्षा बहुत ही प्रमुख स्थान रखती है। आज जो शिक्षा की हालत है, वह ठीक नहीं है। समय कम है, इसलिए मैं इस पर ज्यादा नहीं कहना चाहता। मैं यही कहूंगा कि शिक्षा में वांछित परिवर्तन नहीं हो रहा है। बहुत से कालेजेज खुल जाएं या यूनिवर्सिटीज खुल जाएं, तो इससे हम यह नहीं समझ सकते कि शिक्षा में सुधार हो रहा है। आज जो गरीब हैं, वे शिक्षा से वंचित रह रहे हैं। कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि वे भी पढ़ सकें। मंत्री जी ने कहा है कि शिक्षा की नई नीति ला रहे हैं। वह लाने के बाद अगर यह काम होता, तो अच्छा होता, बेहतर होता। मंत्री जी ऐसी नीति लाएं जिससे पूरे देश का एकीकरण हो और शिक्षा में एकरूपता लाने के लिए कोई बिल बनाते, तो उससे देश को ज्यादा लाभ हो सकता है और देश मजबूत हो सकता है। आज तो शिक्षा एक व्यवसाय की शक्ल मे बदल गई और शिक्षा बहुत खर्चीली हो गई है। पैसे वालों के लिए यह हो गई है। शिक्षा ऐसी हो, जिससे देश के ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचे।

मैं कोई क्षेत्रीय बात नहीं कह रहा हूं लेकिन यह कहना चाहता हूं कि सबसे पिछड़ा हुआ बिहार है और हर राज्य से वह पिछड़ा हुआ है। इसलिए वहां पर आप एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करें, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ हो सकता है। इसलिए मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वे

[श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह]

इसके बारे में सोचें और यह न कहा जाए कि पैसे की कमी है, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि विकसित देशों में शिक्षा पर सबसे ज्यादा खर्च किया जाता है। हमारा देश विकासशील देश है और इसको शिक्षा पर ज्यादा से ज्यादा खर्च करना चाहिए। तभी यह दूसरे बड़े विकसित देशों के मुकाबले में आ सकता है।

इतना कहकर मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

[अनुवाद]

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : महोदय, मैं उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने वाद-विवाद में भाग लिया है, और इस विधेयक का समर्थन करने के लिए मैं उनका आभारी हूं। वैसे तो विधेयक का कोई विरोध नहीं हुआ। अधिक से अधिक विरोध यदि किसी ने किया तो वह श्री हरद्वारी लाल ही थे जिन्होंने कहा कि वह पूरे मन से विधेयक का समर्थन नहीं कर सके, किंतु जब उन्होंने अपने विचारों को स्पष्ट किया तो यह बात स्पष्ट हो गई कि वह इस विशेष विधेयक के संबंध में ही नहीं अपितु इससे भी अधिक विस्तार में बोल रहे थे। वैसे तो वह नए विश्वविद्यालयों विशेषकर केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना के विरुद्ध हैं। मैं उनके उस मुद्दे को भी लूंगा जिसका उल्लेख उन्होंने किया है।

किंतु एक मुद्दे पर मुझे अभी आरंभ में ही बात करनी चाहिए और वह विश्वविद्यालय के नाम के संबंध में है। अनेक माननीय मित्रों ने कहा है कि विश्वविद्यालय का नाम अरविन्द के नाम पर रखा जाना चाहिए। एक सुझाव यह भी था विश्वविद्यालय के साथ श्री अरविन्द तथा सुब्रह्मण्यम भारती दोनों का नाम सम्बद्ध किया जाना चाहिए था। सदन इस पृष्ठभूमि से अवगत है; उन्हें पता है कि पांडिचेरी में एक विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार 1971 में अरविन्द शताब्दी समारोह समिति की सिफारिश के परिणामस्वरूप आया और उस पृष्ठभूमि में इस बात की आशा करना तर्कसंगत है कि विश्वविद्यालय का नाम श्री अरविन्द के नाम पर हो। इसके अतिरिक्त जैसा कि विभिन्न माननीय सदस्यों द्वारा बड़े भावपूर्ण ढंग से बताया गया है कि पांडिचेरी के विकास में श्री अरविन्द का अद्वितीय योगदान है। उनका नाम केवल पांडिचेरी से ही नहीं जुड़ा हुआ है। पांडिचेरी उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है। मैं समझता हूं कि एक देशभक्त बुद्धिजीवी, दिव्य दर्शन द्रष्टा के रूप में तथा एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिन्होंने महान आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त की स्वतंत्रता सेनानी, लेखक के रूप में इस देश के इतिहास में उनका स्थान उन सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों में रहेगा जिन्हें हमारे देश में पैदा हुए हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं है।

वह हमारे प्रमुख व्यक्तियों में से एक हैं और हम उनसे प्रेरणा प्राप्त करते रहेंगे। अतः मैं उनसे सहानुभूति प्रकट करता हूं जिन्होंने इस बात पर बल दिया है कि विश्वविद्यालय के साथ श्री अरविन्द का नाम से सम्बद्ध किया जाए। वास्तव में "सम्बद्ध" एक गलत शब्द है, उन्हें यह कहना चाहिए था कि इसका नाम श्री अरविन्द के नाम पर रखा जाना चाहिए था।

दुर्भाग्य की बात है कि इस प्रस्ताव के कार्यान्वयन में इतनी देर नाम के संबंध में विवाद होने के कारण लगी। कुछ लोग ऐसे भी थे—मैं इस बात का उल्लेख नहीं करना चाहता हूं कि किन पार्टियों ने अथवा किन लोगों ने इस नाम को स्वीकार नहीं किया। अब मैं इस मामले में जाना भी अच्छा नहीं समझता हूं। व्यक्तिगत तौर पर मेरा यह विचार है कि विश्वविद्यालय के साथ श्री अरविन्द का नाम जोड़ने से उनकी अपेक्षा विश्वविद्यालय का सम्मान अधिक बढ़ता है। अत: मैं नहीं समझता कि कोई भी उनके नाम को विवाद में घसीटेगा। एक बार मतभेद था, और मैंने विचार किया कि शायद बेहतर यही होगा कि इस प्रस्ताव को मंत्रिमण्डल में ले जाया जाए जहां हम श्री अरविन्द का नाम विवाद से अलग रखें।

एक मांग श्री सुब्रह्मण्यम भारती का नाम जोड़ने की भी थी। वह भी युक्तियुक्त है और हमने अब इन दो व्यक्तियों के नाम पर दो स्कूलों की स्थापना की है और मेरा विचार है कि सदन मेरे और कहने के बिना उत्पन्न हुई कठिनाई को समझेगा। यही कारण है। अब यह विश्वविद्यालय है और यह चिरकाल की मांग के प्रतिक्रियास्वरूप है और यह पांडिचेरी के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करती है। और इस भावना से मैं देखता हूं कि सदन ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया है और सभी वर्गों ने इसका समर्थन किया है।

इस विधेयक और हमारे देश मे शिक्षा की स्थिति के संबंध में अनेक बातों का उल्लेख किया गया है और वास्तव में कुछ भाषणों में विश्वविद्यालय शिक्षा से भी आगे की बात कही गयी यहां तक कि स्कूल शिक्षा के संबंध में भी उस दस्तावेज के संबंध में भी उल्लेख किया गया जो हाल ही में तैयार किया गया जिसका नाम "शिक्षा की चुनौती — नीति परिप्रेक्ष्य" है। माननीय सदस्य इसे देखना चाहते थे। मैं इस बात की ओर ध्यान दूंगा कि सभी माननीय सदस्यों को इस रिपोर्ट की प्रतियां प्राप्त हों और मैं इस रिपोर्ट तथा शिक्षा नीति के निर्माण में उनके पूर्ण सहयोग का स्वागत करूंगा।

महोदय, वाद-विवाद के दौरान जो मुद्दे तथा सुझाव सामने आए हैं वे इतने व्यापक हैं कि मैं उन सभी की ओर ध्यान दे सकूंगा। किन्तु मैं अपने मित्रों को आश्वासन देना चाहूंगा कि हम इन सभी सुझावों की ओर ध्यान देंगे और उन सुझावों से हम लाभ उठाने का प्रयत्न करेंगे। साथ ही ऐसी बात भी कही गई हैं जिनकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। श्री एस० एम० भट्टम ने दक्षिण में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक शाखा की स्थापना करने का उल्लेख किया है और श्री रेड्डी ने इसका पुरजोर उत्तर दिया है। मुद्दा यह है कि हमें उस उद्देश्य को समझना चाहिए जिसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई है और उस घोषणा पत्र को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यकरण को देखना चाहिए जिसे इस संसद ने स्वीकार किया है। माननीय सदस्य ने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कुछ ऐसे प्रस्तावों को अस्वीकार किया है जो आन्ध्र प्रदेश से आए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के घोषणा पत्र में कुछ स्तर को बनाये रखने की अपेक्षा की गई है। संसद इससे विश्वविद्यालय के स्तर को बनाये रखने की अपेक्षा करती है। यह सचमुच एक कठिन काम है और आज के भाषणों में हमने देखा कि सदस्य गिरते हुए स्तर के सम्बन्ध में कितने चिन्तित हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केवल उस समय इन पर किसी प्रकार के नियन्त्रण का प्रयोग कर सकता है जब विश्वविद्यालय इसके पास किसी अनुदान के लिए आयेगा। आगे इसमें कहा

[श्री कृष्ण चंद्र पंत]

गया है कि मैं आपको कोई अनुदान तब दूंगा जब कुछ चीजें की जायेंगी। जब एक निश्चित संख्या तक अध्यापक रखे जायेंगे ताकि कुछ स्तर बनाये रखा जा सके।

यदि हर समय किसी राज्य का विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास आता है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कोई आपत्ति उठाता है और यदि उसे एक क्षेत्रीय कारक के रूप में लिया जाता है तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कार्य नहीं कर सकेगा। स्पष्टतः हम सबको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा लगाई गई पाबंदियों के लिए एक प्रकार की सूझबूझ तथा सहनशीलता रखनी होगी। परन्तु इसके लिए सभी पर प्रतिबन्ध समान रूप से लगाये जाएंगे और इन शर्तों का जोर इस बात पर हो कि शिक्षा का स्तर बनाये रखा जायेगा। मेरा विचार है कि यह तर्कसंगत और आवश्यक है और सदन इस प्रस्ताव का समर्थन करेगा। अतः मूलतः यदि आप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का केवल इस आधार पर विरोध करते हैं कि हमारा कोई भी प्रस्ताव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है और उसी आधार पर हम दक्षिण, पश्चिम अथवा पूर्व में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की एक अलग शाखा की मांग करते हैं तो वह अनुचित होगा, और मेरा विचार है कि यह तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यकरण पर अनुचित दबाव डालने की बात होगी।

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : हम दक्षिण के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की शाखा नहीं अपितु आयोग चाहते हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मुझे उसे संकल्प की एक प्रति प्राप्त हुई है। मुझे श्री हरद्वारी लाल जी द्वारा व्यक्त किए गये उस मुद्दे के प्रति पूरी सहानुभूति है कि हमें इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयत्न करना चाहिए कि वर्तमान विश्वविद्यालयों को विकास करने दिया जाए, उनके संसाधनों का उपयोग किया जाए, ताकि वे अपने स्तर को ऊंचा कर सकें, अपनी सुविधाओं, आदि में सुधार कर सकें। मैं इस दृष्टिकोण को समझ सकता हूं। किन्तु यदि उनके कहने का यह अर्थ है कि और विश्वविद्यालय नहीं खोले जाएं और हमें विश्वविद्यालयों की संख्या सीमित रखनी चाहिए, तो मुझे इस बात का डर है कि यह एक व्यावहारिक प्रस्ताव नहीं होगा क्योंकि इस देश में विश्वविद्यालयों की संख्या भले ही अधिक दिखाई दे परन्तु जनसंख्या भी बढ़ गई है, किन्तु स्कूल प्रणाली में शिक्षित लोगों की संख्या बढ़ गई है और इसमें वृद्धि होती जाएगी, अतः हम इसे रोक नहीं सकते। निस्सन्देह, हमें इसे नियंत्रित और विनियमित करना होगा।

मैं चाहता हूं कि उच्च शिक्षा का प्रसार हो, उसे ठीक प्रकार से विनियमित किया जाये और उसका मानक बनाये रखा जाए किन्तु हमने यदि ऐसा कोई प्रतिबंध लगा दिया कि आगे और विश्वविद्यालय न खोले जाएं, तो मेरे विचार से यह व्यावहारिक नहीं होगा। वस्तुतः उन्होंने स्वयं ही 'अनुचित प्रसार' शब्द इस्तेमाल किया है और इसलिए विभिन्न दृष्टिकोण से इस समस्या पर विचार करने के बारे में वह और मैं सहमत हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त महोदय, उन्होंने पूर्वी और पश्चिमी विचारधारा के स्कूल का उल्लेख किया है और उन्होंने स्वयं ही यह उल्लेख किया है कि श्री अरविंद के

दार्शनिक दृष्टिकोण सम्बन्धी लेखों से पूर्व और पश्चिम की विचारधारा में सौहार्द उत्पन्न होगा और उनके कुछ लेखों में पश्चिम और पूर्व की विचारधारा का संगम परिलक्षित होता है। उन्होंने पूर्व और पश्चिमी विचारधारा के राजनीतिक पक्ष का भी उल्लेख किया है। यह सर्वविदित है कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां श्री अरविंद का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और इसलिये, मैं इस बात को बिल्कुल समझ नहीं पाया हूं कि उन्होंने पूर्व और पश्चिमी विचारधारा वाले स्कूल जैसी संस्था स्थापित करने के विचार की सराहना क्यों नहीं की।

इसके अलावा उन्होंने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों कार्यकरण का उल्लेख किया है। अब मैं केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के समर्थन में कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। यह हम पर निर्भर करता है कि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में सुधार हो। मेरे विचार से उनमें कुछ बहुत अच्छे चल रहे हैं और कुछ कठिनाई में हैं तथा हमें सर्वत्र एक-सा स्तर बनाये रखना है। किन्तु एक बात से मैं सहमत हूं जैसा कि किसी माननीय सदस्य ने उल्लेख किया था—मेरे विचार से श्री जैनुल बशर ने उल्लेख किया था—कि राज्य विश्वविद्यालयों की अपेक्षा आम तौर पर छात्र केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेना अधिक पसन्द करते हैं। मैं केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिये कोई प्रमाण-पत्र नहीं तैयार कर रहा हूं। किन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि आबादी के परिप्रेक्ष्य में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का कार्य राज्य विश्वविद्यालयों से बेहतर है। न मेरा ऐसा विचार है कि सभी राज्य विश्वविद्यालयों का कार्यकरण अच्छा नहीं है। कुछ राज्य विश्वविद्यालय अच्छा कार्य कर रहे हैं। यह वाद-विवाद का या चर्चा करने का विषय नहीं है। मेरी इच्छा है कि सभी विश्वविद्यालयों का कार्य अच्छा हो और यदि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा राज्य विश्वविद्यालयों का कार्य अच्छा होगा तो हमें और आपको सभी को प्रसन्नता होगी। किन्तु दूसरा मुद्दा भी विचारणीय है अर्थात ऐसा दबाव श्री जैनुल बशर की ओर से नहीं अपितु अन्य अनेक सदस्यों की ओर से डाला जा रहा है कि सारे के सारे राज्य विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में परिवर्तित कर दिया जाये और यह दबाव बढ़ता जा रहा है। जनसंख्या परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखकर स्पष्ट किया जाये तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय राज्य विश्वविद्यालयों से कुछ बेहतर हैं।

एक माननीय सदस्य : उन्हें अधिक धन मिलता है।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : यह बात भी सही है और वास्तव में उन्हें अधिक धन प्राप्त हो रहा है क्योंकि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के रख-रखाव और विकास के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को वित्त पोषण करने के लिए कहा जाता है। जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो राशि राज्य विश्वविद्यालयों को देता वह उस राशि का अनुपूरक मात्र होता है जो राशि राज्य द्वारा उन विश्व-विद्यालयों के रख-रखाव और विकास के लिये दी जाती है और उनके कार्यकरण में अन्तर है। इसलिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम में इसका प्रावधान है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यदि ऐसा करता है तो आप उसे दोषी नहीं ठहरा सकते क्योंकि आपके घोषणा-पत्र के अनुसार यह ठीक है। उसका अपना घोषणा-पत्र है और इसीलिये केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अधिक धन प्राप्त होता है।

अब श्री कुरूप ने एक छोटा-सा मुद्दा उठाया है। वह एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय चाहते हैं।

[श्री कृष्ण चंद्र पंत]

इस मामले का विश्वविद्यालय, निकाय, जिसका गठन किया जाना है, द्वारा किया जाएगा। मैं इस मुद्दे पर विचार करूंगा। इसके अलावा श्री हरद्वारी लाल ने बड़े संक्षेप में एक और पक्ष रखा है। उन्होंने पूछा है कि—'पांडिचेरी में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का औचित्य क्या है ?' अब मैं इस विचार की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाल चुका हूं और मुझे इतना ही और कहना है कि इन तीन विभिन्न राज्यों के तीन विभिन्न विश्वविद्यालयों से यहां के कालेज सम्बद्ध थे और उचित यही होगा कि अब इन सभी कालेजों को एक विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किया जाये। इसमें पांडिचेरी क्षेत्र के अन्तर्गत उच्च शिक्षा में एकरूपता रखने का प्रावधान किया गया है। मेरे विचार से यह एकमात्र शैक्षणिक आधार है। और भी अनेक आधार हैं किन्तु यह आधार अधिक दृढ़ आधार है और इसके अलावा पांडिचेरी से निरन्तर मांग की जाती रही है और इस मांग की पूर्ति से न केवल इस सरकार को संतुष्टि होगी अपितु इससे पूर्व सत्तारूढ़ सरकार को भी संतुष्टि होगी।

श्री कृष्ण अय्यर के विचार कुछ अन्य मित्रों से सर्वथा भिन्न हैं। उनका विचार है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुमोदन के बिना कोई भी विश्वविद्यालय आरम्भ न किया जाये जबकि कुछ मित्रों के विचार से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का हस्तक्षेप पहले ही अत्यधिक है। मुझे उनकी चिंता का अहसास है क्योंकि वास्तविकता यह है कि राज्य नियमों के अन्तर्गत आज अनेक विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं। राज्य विधान सभाओं द्वारा राज्य विश्वविद्यालय स्थापित किये गये हैं और वस्तुतः उन्हें नियन्त्रित करने का केन्द्र के पास कोई तरीका नहीं है। आज जो स्थिति है, उसके अनुसार राज्यों में विश्वविद्यालय स्थापित करना संभव है बशर्ते कि राज्य सरकारें और राज्य विधान सभायें उसके लिये सहमत हों। वर्तमान स्थिति यह है। मैं व्यक्तिगत रूप से श्री कृष्णा अय्यर की चिंता महसूस करता हूं किन्तु मेरे विचार से यह मामला विनियमन का नहीं है जितना राष्ट्रीय सर्वसम्मति का है। मेरा विचार है कि नई शिक्षा नीति बनाने के संदर्भ में हम सबको मिलकर विचार करना चाहिये कितने विश्वविद्यालय होने चाहिये, कितने अन्तर पर होने चाहिये, विश्वविद्यालय शिक्षा का समग्र रूप से क्या उद्देश्य होना चाहिये इत्यादि इत्यादि। इस संदर्भ में, हम सबको मिलकर यह निर्णय लेना चाहिये कि राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार को इस प्रकार की संस्थायें स्थापित करने के बारे में संयुक्त रूप से कुछ नियम बनाने चाहिये। इसी प्रकार इन मामलों को अच्छी तरह से निपटाया जा सकता है; यह कोई विरोध का विषय नहीं अपितु बड़े उद्देश्यों के लिये मिलकर काम करने की है।

इसके अलावा उन्होंने दीक्षांत समारोहों की अध्यक्षता करने वाले कुलपति के लिये किये गये प्रावधान के बारे में पूछा है। यह ठीक है कि प्रत्येक केन्द्रीय विश्वविद्यालय के प्रत्येक दीक्षांत समारोह में वह वस्तुतः अध्यक्षता करना भी नहीं चाहेंगे किन्तु यह एक मामूली सा मुद्दा है। महत्वपूर्ण मुद्दा तो यह है कि कुलपति को कार्यपालिका के कृत्य नहीं करने पड़ेंगे अपितु विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हमेशा एक ऐसा व्यक्ति रहेगा जो विश्वविद्यालय की गरिमा को बढ़ायेगा। विश्वविद्यालय केवल एक कार्यकारी निकाय नहीं है अपितु इसका एक कुछ परिवेश और वातावरण होता है, और विश्वविद्यालय में परिवेश और वातावरण तैयार करने के लिये अनेक कार्य करने पड़ते हैं। मेरे विचार से कुलपति के चयन के लिये एक सुविख्यात, सम्माननीय, विद्वानों में बौद्धिक रूप से स्वीकार्य व्यक्तित्व चयन करना

होगा और अधिकांश विश्वविद्यालयों में ऐसे ही व्यक्ति कुलपति के पद पर सुशोभित हैं।

तदनन्तर श्री बैरो ने विभिन्न सुझाव दिये हैं और वस्तुतः वह विश्वविद्यालय की शिक्षा स्तर के बारे में चिंतित हैं। मैं उनकी चिंता से पूर्णतः सहमत हूं और उनके दिये गये सुझाव मेरे ध्यान में हैं। मैं उनके केवल एक ही मुद्दे पर बात करूंगा। उन्होंने कहा था कि न्यायालय अनावश्यक हैं क्योंकि संसद विश्वविद्यालयों की नीति पर विचार कर सकती है और उन्हें निदेश दे सकती है। सिद्धांत रूप से यह ठीक हो सकता है किन्तु चूंकि श्री बैरो इस सभा के बहुत ही पुराने सदस्य हैं और उन्हें पता है कि किसी विशेष विद्यालय के कार्यकरण पर ध्यान देने का समय कदाचित ही सभा के पास हो और इसीलिये न्यायालय को कुछ कार्य करने पड़ते हैं और मेरे विचार से इसे जोड़ना व्यावहारिक नहीं है। मुझे आशा है कि संसद विश्वविद्यालयों को और अधिक समय दे सकेगी। संसद के समक्ष प्रस्तुत किये गये इस विधेयक में संविधि आदि बनाने का प्रावधान किया गया है जिससे इस पर चर्चा हो सके और मुझे आशा है कि इससे लाभ ही होगा किन्तु आपको पता ही है कि संसद के पास समय का अभाव है।

श्री पाटिल ने समुद्रशास्त्र के अध्ययन का सुझाव दिया था। उसके बारे में विश्वविद्यालय को विचार करना होगा और मैं व्यक्तिगत रूप से उनके सुझाव का स्वागत करता हूं। मेरे विचार से यह एक अच्छा विचार है। किंतु इसे स्वीकार करना या रद्द करना मेरे बस की बात नहीं है। इसे विश्वविद्यालय को स्वीकार या रद्द करना होगा। कुछ सदस्यों ने यह आलोचना की है कि इस विधेयक में कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन इस विधेयक में निहित विशेष बातों के बारे में श्री पाणिग्रही ने उल्लेख किया है। मैं चाहता हूं कि श्री पाणिग्रही ने इस संबंध में जो बातें कही हैं मेरे माननीय मित्रगण उन पर विचार करें जिसके अन्तर्गत कुछ ऐसे विशेष उपबंध रखे गये हैं जो कुछ अन्य विश्वविद्यालयों से भिन्न हैं। महोदय, मैं कुछ और भी मुद्दे लेना चाहता था और मुझे यह भी पता है कि आपब ड़े धैर्य से मेरी बात सुनेंगे किन्तु अब ऐसा समय आ गया है कि नितांत आवश्यक होने पर भी हम सभा का कार्यकाल नहीं बढ़ा सकते हैं। अतः यदि सभा मेरे उत्तर से सामान्यतः संतुष्ट है तो मैं अपना भाषण यहीं समाप्त करना चाहूंगा और इस विधेयक का समर्थन करने के लिये मैं पुनः आप लोगों को धन्यवाद देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र में अध्यापन और सहबद्धकारी विश्वविद्यालय की स्थापना और उसका निगमन करने के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खंडवार विचार करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : खंड 2 के बारे में श्री ए० ई० टी० बैरो के संशोधन हैं। क्या आप अपने संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री ए० ई० टी० बैरो (नामनिर्देशित आंग्ल-भारतीय) : मैं अपने संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी। वह अनुपस्थित हैं। अब मैं खण्ड 2 सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3 भी विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ठ 4 में श्री ए० ई० टी० बैरो के कुछ संशोधन हैं। क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री ए० ई० टी० बैरो : मैं अपने संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं खण्ड 4 सभा मे मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : मैं श्री बैरो से यह कहना चाहूंगा कि भाषा के बारे में उन्होंने कुछ संशोधनों का सुझाव दिया है और हम उसे ध्यान में रखेंगे और जहां आवश्यक होगा, वहां उपयुक्त स्थान पर उसमें परिवर्तन कर देंगे।

श्री ए० ई० टी० बैरो : इसलिये, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब कभी भी शिक्षा विधेयक इस सभा के समक्ष रखा जाता है, उसमें अवश्य ही भाषा संबंधी त्रुटियां होती हैं, जिसका मुझे दुःख है।

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 2 के लिए श्री बैरो और श्री मुंशी के संशोधन हैं। मैं समझता हूं कि वे अपने संशोधन पेश नहीं कर रहे हैं। अतः मैं खण्ड 5 सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 6—कतिपय स्कूलों की स्थापना

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी (हावड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ 5, पंक्ति 13, —

"साहित्य विद्यापीठ की" शब्दों के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये :—

"और विद्यार्थियों को भारतीय संगीत का अग्रतर प्रशिक्षण देने तथा भारतीय शास्त्रीय संगीत की महान धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए 'उस्ताद अलाउद्दीन खां भारतीय शास्त्रीय संगीत विद्यापीठ, के नाम से एक शास्त्रीय संगीत विद्यापीठ की भी" (22)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : जी हां, श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक में एक प्रावधान है, जिसके अन्तर्गत अध्ययन के लिए स्कूलों की स्थापना की गई है, जिन्हें श्री अरविंद स्कूल और सुब्रह्मण्यम भारती स्कूल कहा जाएगा। मैं कहूंगा कि यह अच्छा विधान है। मैंने पहले ही आपके माध्यम से माननीय मंत्री से अनुरोध किया है कि भारत में तानसेन और बाणभट्ट के पश्चात्, किसी भी विश्वविद्यालय ने शास्त्रीय संगीत और इसकी परम्परा को सुरक्षित नहीं बनाए रखा है। क्योंकि यह एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय है, अतः तानसेन के बाद, उस्ताद अलाउद्दीन खां जो कि महान गायक थे और जिनके शिष्य जैसे अली अकबर खां, पंडित रवि शंकर और बिस्मिल्लाह खां आदि ने इस परम्परा को बनाये रखने की कोशिश की है। मैं महसूस करता हूं कि पांडिचेरी विश्वविद्यालय, भारत में एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय होगा, बशर्ते कि संगीत स्कूल के माध्यम से अलाउद्दीन खां के गायन की परम्परा को सुरक्षित रखा जा सके। अगर विधेयक में इसे शामिल न किया जा सके और अगर मंत्री महोदय यह महसूस करते हैं कि किसी अन्य प्रबन्ध द्वारा ऐसा प्रावधान किया जा सकता है, तो भारतीय शास्त्रीय संगीत को यह उपयुक्त श्रद्धांजलि होगी। ऐसी व्यवस्था भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं है। मैं मात्र यही कहना चाहता हूं।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : कई स्थानों पर विश्वविद्यालय खोले जा सकते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत के स्कूल की स्थापना का विचार एक अच्छा तथा सराहनीय विचार है। यह बात विश्वविद्यालय पर छोड़ देनी चाहिए कि वे ऐसा स्कूल स्थापित करना चाहते हैं या नहीं।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : मैं इसके लिए जोर नहीं देता।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा श्री दास मुन्शी को उनका संशोधन वापस लेने की अनुमति देती है।

संशोधन संख्या 22, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 6 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 7 के लिए कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है :

"कि खन्ड 7 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड-8—श्री शांताराम नायक उपस्थित नहीं है। श्री अय्यप्पु रेड्डी भी यहां उपस्थित नहीं हैं। प्रश्य यह है :

"कि खण्ड 8 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 9 और 10 के लिये कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 9 और 10 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 9 और 10 विधेयक में जोड़ दिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 11। श्री दास मुंशी, क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : जी, नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 12 से 19 के लिए कोई संशोधन नहीं है। मैं खण्ड 11 से 19 एक साथ सभा में मतदान के लिए रख रहा हूं।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 11 से 19 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 11 से 19 विधेयक में जोड़ दिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब खण्ड 20। श्री दास मुन्शी, क्या आप संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : जी, नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 20 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 20 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 21—कार्य परिषद

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 21। श्री दास मुन्शी, क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : जी, हां, मैं प्रस्तुत कर रहा हूं।

पृष्ठ 9,—

पंक्ति 7 के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये—

"परन्तु कार्य परिषद् के तीन सदस्य क्रमश: कर्मचारियों, शिक्षकों और छात्रों द्वारा अपने प्रतिनिधियों के रूप में निर्वाचित किये जायेंगे।" (25)

मैं मन्त्री महोदय को बताना चाहता हूं कि मैं क्यों यह उपबन्ध चाहता हूं। इस विश्वविद्यालय के लोकतांत्रिक स्वरूप के बारे में मन्त्री महोदय ने कई बातें कही हैं। मैं इस संशोधन के लिए इसलिए जोर दे रहा हूं, क्योंकि जब छात्रों और अध्यापकों के बीच कोई गम्भीर समस्या पैदा हो जाती है और कार्य परिषद् छात्रों की आवाज नहीं सुनती, और निर्वाचित अध्यापकों के प्रतिनिधि की भी बात नहीं

[श्री प्रिय रंजन दास मुंशी]

सुनी जाती, तब छात्रों को दिक्कत होती है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं—दिल्ली विश्वविद्यालय में पुरातत्त्व की एक अत्यन्त मेधावी छात्रा है, वह छात्रा हमेशा ही प्रथम आती रही है। उसका नाम है—श्रीमती लहरी। पुरातत्त्व विभागाध्यक्ष प्रो० दिलीप चक्रवर्ती के अधीन वह एक मात्र अनुसंधान छात्रा है। क्योंकि प्रो० दिलीप चक्रवर्ती जो कि पुरातत्त्व पर एक मात्र विशेषज्ञ हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों के एक ग्रुप में रणनीति चल रही है। इसके परिणामस्वरूप छात्रों का भविष्य अन्धकारमय हो गया है। उन्होंने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है—जिसका कि माननीय मन्त्री को भी पता है—कि पुरातत्व विभाग से अध्यापकों को हटाया गया है जिससे छात्रों को भी दिक्कत होती है क्योंकि वे अपना अनुसंधान-कार्य जारी नहीं रख पा रहे हैं। जब कार्य परिषद् में ऐसी बातें पैदा हो जाती हैं तो उनके विरुद्ध आवाज कौन उठायेगा? अतः इस कारण मैंने सोचा कि केवल इसी संशोधन द्वारा छात्रों, अध्यापकों के हितों की कार्य परिषद् में रक्षा हो सकती है।

इस भावना से, मैं समझता हूं कि यह संशोधन सहायक होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि मन्त्री महोदय निश्चय रूप से अपने उसी लहजे में उत्तर देंगे—अर्थात् इन बातों पर विश्वविद्यालय में विचार किया जायेगा। लेकिन मैं समझता हूं कि मन्त्री महोदय छात्रों के प्रति अपनी सहानुभूति के कारण, निश्चिय ही इस पर कोई अन्तिम कार्यवाही करेंगे और विचार करेंगे कि इन छात्रों का भविष्य कैसे बचाया जा सकता है। मात्र इसी कारण से मैंने इस संशोधन को प्रस्तुत किया है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त: चूंकि माननीय सदस्य, अपने प्रश्न और मेरे उत्तर को पहले ही जानते हैं, अतः मैं आशा करता हूं कि वह अपना संशोधन वापस ले लेंगे।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी: मैं इसके लिए जोर नहीं देता।

उपाध्यक्ष महोदय: क्या सभा श्री दास मुन्शी को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति देती है?

संशोधन संख्या 25, सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 21 विधेयक का अंक बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 21 विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: खण्ड 22 से 24 के लिए कोई संशोधन नहीं हैं।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 22 से 24 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 22 से 24 विधेयक में जोड़ दिए गये।

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 25। श्री बैरो, क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं।

श्री ए० ई० टी० बैरो : मैं इसे प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 25 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 25 विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 26 से 30 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 26 से 30 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 26 से 30 विधेयक में जोड़ दिए गए।

7.00 म० प०

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खण्ड 31 लेंगे। श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी ने संशोधन 15 की सूचना दी है। माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 31 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 31 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 32 से 34 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 35 से 41 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 42 से 44 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई ।

खंड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा कल ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

7.04 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 29 अगस्त, 1985/7 भाद्र, 1907 (शक)
के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

मुद्रक : विन्ध्यवासिनी पैकेजिंग, न्यू सीलमपुर, दिल्ली-110053